खण्ड–493, अंक–4
बुधवार, 27 फाल्गुन, शक संवत् 1936
(18 मार्च, 2015 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2015)

(खण्ड 493 में 9 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2015

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
जाट आरक्षण समाप्त करने सम्बन्धी नियम–311 के सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	7
मेयरों पर अंकुश लगाने सम्बन्धी विधेयक पर नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग	7–15
प्रश्नोत्तर	16–122
विधायक निवासों में मच्छर मार दवा का छिड़काव किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	123
विधायक निधि से अपने विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कार्य कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न...	123
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	123–124
जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत गोमती नदी के गुदरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद हापुड़ अन्तर्गत नेशनल हाइवे–24 स्थित स्याना चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	124–125
गोरखपुर महानगर स्थित दिव्य नगर कालोनी में सामुदायिक सुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि को कोलोनाइजर द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	125
जनपद पीलीभीत के लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	125–126
जनपद आगरा में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के कर्मियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच कराये जाने एवं आरोपियों के विरुद्ध वाद दायर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा अवैध रूप से बसों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...	126–127
जनपद महाराजगंज में अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	127
विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये	127–128

जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना... ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद रायबरेली की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु लो0नि0वि0 की स्थायी सूची में समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत ग्राम ऐरी, ब्लाक डेरापुर के स्टेट ट्यूबवेल में विद्युत संयोजन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	128
जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बस्ती रोडवेज बस स्टाप से कांटे तक की स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सुभद्रा महाविद्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू की कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	129–130
जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर से बृजवासिन पुरवा तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़ के रामपुरा ब्लाक के नरौल घाट पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	130
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	130–131
नियम–51 की सुचनाओं को लिये जाते समय सूचनाकर्ता सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय की सदन को सूचना	131
उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	132
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	132–138
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–21 खाद्य एवं रसद विभाग (स्वीकृत)...	138–175
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार) (स्वीकृत)	175–195
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग (स्वीकृत) ...	195–217

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत) ... 217–222

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–22 खेल विभाग (स्वीकृत)... ...	222
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) (स्वीकृत) ...	222–227
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या–77 श्रम चिभाग (सेवायोजन) (स्वीकृत) ...	227–240
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) (स्वीकृत) ...	240–258
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 (पारित) ...	258–287
नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं	288–290
उत्तर प्रदेश के अशासकीय वित्त पोषित बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	290–291
जनपद हापुड़ की तहसील एवं ग्राम धौलाना के खसरा संख्या–1599 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धर्मेश सिंह तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)	291
जनपद चन्दौली में 132 के0वी0ए0 सब–स्टेशन से 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र चहनिया व सकलडीहा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत) ...	291
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत सीवर लाइन चालू कराने एवं टूटी पड़ी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	291–292
इलाहाबाद के यमुना नदी पर बना नया केबिल स्टेड ब्रिज पर पैराशूट जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री केवल वक्तव्य	292–293
जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां के अन्तर्गत नौतनवां बाजार में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कार्यवाहक प्रधानार्च के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये	293–294

जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर कौशल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक मंत्री का केवल वक्तव्य ...

विषय	पृष्ठ–संख्या
जनपद बिजनौर से दिल्ली हेतु बिना परमिट चल रही डग्गामार बसों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपग	294
जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर, नादरगंज के सीपेट इन्स्टीट्यूट के समीप स्थित रुस्तम विहार कालोनी की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)	294
नत्थी	295–301

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2015 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–329

1. अंसार अहमद, श्री इलाहाबाद
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
4. अजय कपूर, श्री कानपुर नगर
5. अजय कुमार, डा0 इलाहाबाद
6. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
7. अजीत कुमार, श्री फर्रुखाबाद
8. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी अम्बेडकर नगर
9. अताउररहमान, श्री बरेली
10. अनिल कुमार, श्री मुजफ्फरनगर
11. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
12. अनिल वर्मा, श्री उन्नाव
13. अनीसुर्ररहमान, श्री मुरादाबाद
14. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री इलाहाबाद
15. अनूप कुमार गुप्ता, श्री सीतापुर
16. अनूप सण्डा, श्री सुल्तानपुर
17. अबरार अहमद, श्री सुल्तानपुर
18. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री बलरामपुर
19. अभय नरायन सिंह पटेल, श्रीआजमगढ़
20. अभय सिंह, श्री फैजाबाद
21. अभिषेक मिश्र, श्री लखनऊ
22. अमर पाल शर्मा, श्री गाजियाबाद
23. अमित गौरव यादव, श्री एटा
24. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री फतेहपुर
25. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्रीबाराबंकी
26. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती प्रतापगढ़
27. अरूण कुमार, डा0 बरेली
28. अरूण वर्मा, श्री सुल्तानपुर
29. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमतीकानपुर नगर
30. अलगू प्रसाद चौहान, श्रीसन्तकबीर नगर
31. अली यूसूफ अली, श्री रामपुर
32. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री गोण्डा
33. अवधेश प्रसाद, श्री फैजाबाद
34. अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीलखीमपुर खीरी
35. अविनाश कुशवाहा, श्री सोनभद्र
36. अशफाक अली खां, श्री अमरोहा
37. आनन्द सिंह, कुंवर गोण्डा
38. आरिफ अनवर हाशमी, श्री बलरामपुर
39. आलमबदी, श्री आजमगढ़
40. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
41. आशा किशोर, श्रीमती अमेठी
42. आशीष कुमार यादव, श्री एटा
43. आशीष यादव, श्री बदायूं
44. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्रीलखनऊ
45. इकबाल, श्री बिजनौर
46. इकबाल महमूद, श्री संभल
47. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
48. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
49. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
50. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
52. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
53. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
54. उदयराज, श्री उन्नाव

55. उदय लाल मौर्या, श्री वाराणसी
56. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
57. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
58. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
59. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
60. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
61. काली चरन सुमन, श्री आगरा
62. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
63. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
64. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
65. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
66. कैलाश, श्री गाजीपुर
67. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
68. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
69. गजराज सिंह, श्री हापुड़
70. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
71. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
72. गयादीन अनुरागी , श्री हमीरपुर
73. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
74. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
75. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
76. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
77. गोमती यादव, श्री लखनऊ
78. गोरख पासवान, श्री बलिया
79. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
80. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
81. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
82. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
83. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
84. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
85. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
86. जगपाल, श्री सहारनपुर
87. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
88. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
89. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
90. जमीर उल्लाह खां, श्री अलीगढ़
91. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
92. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
93. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
94. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
95. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
96. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
97. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
98. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
99. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
100. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
101. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
102. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
103. दलजीत सिंह, श्री बांदा
104. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
105. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
106. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
107. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
108. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
109. देवनरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री महराजगंज
110. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
111. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
112. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
113. धर्मराज, श्री बाराबंकी
114. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
115. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
116. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
117. नदीम जावेद, श्री जौनपुर
118. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा

119. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
120. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
121. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्रीप्रतापगढ़
122. नारद राय, श्री बलिया
123. नाहिद हसन, श्री शामली
124. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
125. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्रीशाहजहांपुर
126. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
127. परवेज अहमद (टंकी), हाजीइलाहाबाद
128. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
129. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
130. पीटर फैन्थम, श्री नाम–निर्देशित
131. पीतमराम, श्री पीलीभीत
132. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
133. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
134. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
135. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
136. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
137. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
138. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
139. प्रेम प्रकाश सिंह, श्री देवरिया
140. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
141. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
142. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
143. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
144. बदलू खां, श्री उन्नाव
145. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
146. बाबू खां, श्री हरदोई
147. बाबूलाल, श्री गोण्डा
148. बावन सिंह, श्री गोण्डा
149. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
150. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
151. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
152. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
153. बैजनाथ, श्री मऊ
154. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
155. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
156. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
157. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
158. भीम प्रसाद सोनकर, श्रीअम्बेडकरनगर
159. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
160. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
161. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
162. मनबोध, श्री देवरिया
163. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
164. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
165. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
166. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
167. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
168. महबूब अली, श्री अमरोहा
169. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
170. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
171. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
172. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीनू बाबू, श्री सीतापुर
173. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
174. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
175. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
176. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
177. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
178. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
179. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
180. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
181. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
182. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
183. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
184. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर

185. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
186. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
187. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
188. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
189. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
190. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
191. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
192. यासर शाह, श्री बहराइच
193. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
194. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
195. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
196. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
197. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
198. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
199. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
200. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
201. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
202. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
203. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
204. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
205. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
206. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
207. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
208. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
209. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
210. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
211. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
212. राजिव, श्री सहारनपुर
213. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
214. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
215. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
216. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
217. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
218. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0गोरखपुर
219. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
220. राधे श्याम, श्री अमेठी
221. राधेश्याम सिंह, कुशीनगर
222. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
223. राम करन आर्य, श्री बस्ती
224. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
225. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
226. राम गोविन्द, श्री बलिया
227. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
228. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
229. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
230. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
231. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
232. राम मगन, श्री बाराबंकी
233. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
234. रामूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
235. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
236. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
237. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
238. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
239. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
240. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
241. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
242. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
243. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
244. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
245. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
246. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
247. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
248. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
249. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
250. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल

251. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
252. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
253. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
254. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
255. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
256. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
257. विजय कुमार पासवान, श्रीसिद्धार्थनगर
258. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
259. विजय कुमार दूबे, श्री कुशीनगर
260. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
261. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
262. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
263. विजय सिंह, श्री रामपुर
264. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्रीफर्रुखाबाद
265. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
266. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
267. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
268. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
269. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
270. वीरपाल राठी, श्री बागपत
271. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
272. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
273. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
274. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
275. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
276. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
277. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
278. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
279. शाकिर अली, श्री देवरिया
280. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
281. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
282. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
283. शिव कुमार बेरिया, श्रीकानपुर देहात
284. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
285. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
286. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
287. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
288. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
289. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्रीवाराणसी
290. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्रीआजमगढ़
291. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
292. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
293. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
294. संजय कपूर, श्री रामपुर
295. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
296. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
297. सतवीर सिंह गुर्जर, श्रीगौतमबद्धनगर
298. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
299. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
300. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
301. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
302. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
303. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
304. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्रीबदायूं
305. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
306. सियाराम सागर, डा0 बरेली
307. सीमा, श्रीमती जौनपुर
308. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
309. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
310. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
311. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
312. सुधाकर, श्री मऊ
313. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
314. सुनील कुमार लाला, श्रीलखीमपुर खीरी

315. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
316. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
317. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
318. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
319. सुरेश राणा, श्री शामली
320. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
321. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
322. सुल्तान बेग, श्री बरेली
323. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
324. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमतीगाजीपुर
325. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
326. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
327. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
328. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
329. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :–मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव) तथा राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) भी सदन में उपस्थित थे।

ख11.00 बजे, जाट आरक्षण समाप्त करने सम्बन्धी नियम–311 की सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र की मोदी सरकार की लचर व्यवस्था के कारण सुप्रीम कोर्ट ने यू0पी0ए0 सरकार द्वारा जाटों को प्रदान किया गया आरक्षण समाप्त कर दिया है।

श्री अध्यक्ष–

यह सेन्ट्रल गवर्नमेण्ट का मामला है और यह सुप्रीम कोर्ट का मामला है यहां इस पर न ही सुना जायेगा, न कुछ लिखा जायेगा, बैठिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों का एक ऐसा काला कानून पास किया है जिससे पूरे स्थानीय निकाय में लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

खन्ना जी, यह विधेयक जब सदन में प्रस्तुत होगा तो उस पर आपको बोलने का अधिकार है, उसको पास न होने देने का अधिकार है।

श्री प्रदीप माथुर–

अध्यक्ष जी, यू0पी0ए0 सरकार ने जाटों को जो आरक्षण प्रदान किया था, वह मोदी सरकार की लचर व्यवस्था के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश से समाप्त कर दिया है, इससे 09 राज्यों के नौजवान बहुत निराश हो गये हैं। मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है इसलिए इस पर आप सारी कार्यवाही रोक कर हमें सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह केन्द्र सरकार का मामला है। बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, अगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी की होती तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। मोदी सरकार हर मोर्चे पर फेल है और जाटों का आरक्षण समाप्त होने से 09 राज्यों के नौजवान निराश हो गये हैं मैं इसके विरोध में अपने सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री प्रदीप माथुर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये)

ख11.02 बजे, मेयरों पर अंकुश लगाने सम्बन्धी विधेयक पर नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा कराये जाने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इसे कल कैबिनेट ने पास कर दिया है, यह स्थानीय निकायों पर कुठाराघात है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है, लोकतंत्र की हत्या करने वाला है।

(इसी बीच श्री धर्मपाल सिंह, श्री मनीष असीजा, श्रीमती सीमा द्विवेदी, श्री सुरेश राणा व डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल सहित भा0ज0पा0 के माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान/शोर उत्पन्न हो गया।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर इससे लोकतंत्र और मजबूत होगा और जितने भी भ्रष्ट लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, अगर प्रधानमंत्री को कोर्ट का नोटिस जा सकता है और देश के प्रधानमंत्री से ईमानदारी और बेईमानी का हिसाब लिया जा सकता है तो मेयर्स उस कानून से बाहर नहीं हो सकते। आज तक अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और यह अनदेखा होता रहा तो अब और अनदेखा नहीं होगा। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, मेयर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि कानून से ऊपर हो गये और बेईमानी का अधिकार मिल गया। अगर नगर निकायों के दूसरे अध्यक्षों के वित्तीय अधिकार छीने जा सकते हैं, बर्खास्त हो सकते हैं तो फिर कोई भी बर्खास्त हो सकता है। मान्यवर, इसी सदन के दो सदस्यों की लोक आयुक्त ने सदस्यता छीन ली। यह कैसे हो सकता है कि आप बेईमानी भी करेंगे और जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे रहेंगे। यह कैसे हो सकता है ? कानून के विरुद्ध काम हो रहा था, इंसाफ के खिलाफ हो रहा था, लोकतंत्र की परम्पराओं का हनन हो रहा था। पहली बार एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जिसमें हर आदमी को अपने किये की जवाबदेही करनी होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय खन्ना जी, यह विधेयक के रूप में आपने अखबारों में पढ़ा, हमने भी अखबारों में पढ़ा। जब यह विधेयक बिल के रूप में सदन में प्रस्तुत होगा तो आपको पूरा अधिकार उस पर बोलने का, उसे पास न होने देने का, उसके खिलाफ संशोधन लाने का। तो जब बिल आयेगा तो उस पर जो कहना होगा तो कहियेगा, आज क्यों हंगामा कर रहे हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कल कैबिनेट से यह काला कानून पास हो चुका है। चुने हुए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हैं सरकार के प्रति नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हमारे देश की व्यवस्था में जनता सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जनता संविधान नहीं है। बेईमान कोई भी हो उसको हिसाब देना होगा। आज तक बेईमानों से अगर हिसाब नहीं हुआ तो उसका मतलब यह नहीं हुआ कि अब हिसाब नहीं होगा और मान्यवर, अगर ईमानदार है, गिरेबान साफ है तो परेशान क्यों है ?

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग वापस अपने आसन पर चलिये, आप लोग सदन चलने देना चाहते हैं कि नहीं ? अगर नहीं इच्छा है तो क्या फायदा ? रोज आप लोग वेल में आ

जाते हैं, यह कोई तरीका है ? दिल्ली में तो आप लोग कहते हैं कि ये लोग व्यवधान डालते हैं यहां आप कर रहे हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारतीय जनता पार्टी इसलिए परेशान है कि इनके बहुत से मेयर्स जेल जायेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि जिस समय आप नियम–56 आये उस समय इसको सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इसको अभी सुनने का कोई औचित्य नहीं है इसलिए कि जब यह बिल आयेगा तो आपको इस पर संशोधन देने का अधिकार है, प्रवर समिति को सौंपने का, प्रस्ताव रखने का अधिकार है उसमें आप खण्डशः संशोधन रख सकते हैं और बिल को आप पास होने से रोक सकते हैं। तब जब बिल सदन में आयेगा तो उस समय जितना कहना होगा कहियेगा, आज कहने का क्या मतलब है ?

(वेल में आये हुए सदस्यों के नारे लगाते रहने पर)

आप लोग सदन चलने नहीं देना चाहते हैं तो छोड़िये, हम बैठे हैं, चलिये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

हम यह चाहते हैं कि हाउस चले लेकिन जिस समय नियम–56 आप सुनें उस समय इसको भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय बिल आ जाए उस समय बात करिये नियम–56 में इसको नहीं सुना जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सरकार ने कैबिनेट से पास कर दिया है। कल 6 विभागों के बजट सरसरी तौर पर पास हो गये।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग ही तो वेल में आ गये थे। मान लीजिए यह कैबिनेट से पास हुआ तो वह विधेयक के रूप में यहां प्रस्तुत होगा तो उसमें संशोधन देने का खण्डशः संशोधन देने का आपको अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानों को संरक्षण दे रही है तो फिर प्रधानमंत्री को नोटिस क्यों है ? पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस और बेईमानों को छूट ? अगर ईमानदार हैं तो क्या परेशानी है ? यह काले धन की वापसी नहीं है। यह काले धन की वापसी का ढोंग नहीं है जो पूरे देश को ठग लिया। यह जनता का धन कहीं भी लूटा गया है तो वापस लेंगे।

(व्यवधान जारी)

(वेल से)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

यह केन्द्र से आया हुआ पैसा खर्च कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यहां पर आप लोग यह कर रहे हैं और दिल्ली में जब होता है तो आप लोग उसकी निन्दा करते हैं। जब बिल आएगा उस समय आपको पूरा अधिकार है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जितने नागर निकाय हैं वह सब जनता से चुनकर आते हैं। एक मेयर साहब ही अकेले नहीं आते हैं। मगर आज तक मेयर साहब से हिसाब ही नहीं लिया गया कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। सब जनता से चुनकर आए हैं। अगर सब जवाबदेही करेंगे अगर माननीय विधायक बर्खास्त किए जा सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में पेश किया जा सकता है तो मेयर के अन्दर कौन सुरखाब का पर लगा हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा दें। हम चाहते हैं कि नियम–56 में ही इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

जब बिल आएगा उस समय जितनी चर्चा चाहें कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ख ग ग ग , संरक्षण दे रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

इस पर नियम–56 में सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

जब यह प्राविधान है कि कोई विधेयक होगा वह सदन में आएगा सदन में आने के बाद ही विधेयक बनेगा कानून बनेगा। आपको पूरा अधिकार है उसमें संशोधन देने का उस पर बहस करने का उसे आप बहुमत से गिरा सकते हैं जिसे न करके आप हल्ला कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कल 6 विभागों के बजट 10 मिनट में पास हो गए। बहुमत का अत्याचार यह समाजवादी पार्टी कर रही है। बहुमत का अत्याचार यह हरगिज नहीं होने दिया जायेगा। मान्यवर, इसको नियम–56 में ले लें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 में नहीं हो सकता। क्योंकि कैबिनेट ने क्या डिसीजन लिया वह 56 में नहीं आएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। चन्द मेयर को आज तक छोड़ दिया गया था। बेईमानों की पकड़ हो रही है। यह काले धन की वापसी जैसी ठगी नहीं है। काले धन की वापसी के नाम पर पूरे देश को ठग लिया। बेईमानों से हिसाब होगा अगर ईमानदार हैं तो भाजपा परेशान क्यों है ? अगर ईमानदार हैं कोई गलती नहीं है तो भाजपा क्यों परेशान है। क्योंकि बेईमानी की सूचना है इन्हें मालूम है कि क्या हो रहा है। इसलिए बेईमानों को संरक्षण देने के लिए भाजपा वेल में आयी है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह बहुत निन्दनीय बात है। बेईमानी और बेईमानों का संरक्षण भारतीय जनता पार्टी कर रही है यह बहुत निन्दनीय है। बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी इसका स्वागत करती, इस कानून का समर्थन करती कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस जा सकता है तो मेयर्स को भी जा सकता है। अगर विधायक बर्खास्त हो सकते हैं तो मेयर भी बर्खास्त हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जैसे आप लोग कल किये थे, आज भी वैसा ही कर रहे हैं। बजट पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। बजट पर चर्चा करने की आप लोगों की कोई इच्छा नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, लोकतंत्र का गला घोटने वाले कानून को समाप्त करना चाहिए। मान्यवर, हम नियम–56 में केवल इस पर चर्चा चाहते हैं। मान्यवर, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब नियम–56 आयेगा तो उसमें इसको ले लें, हम केवल इस पर चर्चा चाहते हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आयेगा तब चर्चा नहीं करेंगे ? उस समय चर्चा करेंगे ना, वह चर्चा नहीं हुई ? आप नियमों को जानते हैं, जबरदस्ती बहस कर रहे हैं। नियम आप भी जानते हैं।

(वेल में खड़े सदस्यों द्वारा मेयर को हटाने वाला कैबिनेट का फैसला वापस लो, वापस लो, सपा सरकार का यह काला कानून वापस लो, वापस लो के नारे लगाये गये।)

श्री अध्यक्ष–

जब विधेयक आयेगा, तब उस पर चर्चा करियेगा। आप नहीं चाहते हैं तो हम बन्द कर देते हैं, बजट पास करा लेते हैं। आप लोगों की इच्छा यही है। बजट पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। जब यह नियमों में है कि जब विधेयक आयेगा तो उस पर चर्चा कर लीजियेगा। अभी विधेयक तो आया नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें क्या परेशानी है ? जो कानून सारे नागर निकायों के अध्यक्षों के लिए है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद् के लिए है, वही जवाबदेही मेयर्स

को करनी होगी। इसमें क्या परेशानी है, अगर कोई अनियमितता है, कोई बेईमानी हुई है तो फिर दूसरे अध्यक्षों के लिए कानून है वही मेयर्स के लिये भी हो गया, इसमें क्या परेशानी है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, हम नियम–56 में चर्चा की मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जब विधेयक आयेगा तो आप नहीं करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

तब तो यह पास करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

बिल तो आयेगा ना ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

बना ही इसीलिये है कि पास होगा।

श्री अध्यक्ष–

देखिये माननीय खन्ना साहब, जब तक विधेयक नहीं आता।

श्री मोहम्मद आजम खां–

जाहिर है बेईमानी करेंगे और ताला भी खुला रखेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जब तक अधिनियम नहीं बन जायेगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। यह जब अधिनियम बनने के लिये आपके पास आयेगा आपको पूरी आजादी है इस पर सवाल करने के लिए, इस पर बहस करने के लिए।

श्री मोहम्मद आजम खां–

भारतीय जनता पार्टी बेईमानी को प्रोत्साहित करेगी और ताला भी खुला रखेगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, हम केवल इस पर चर्चा चाहते हैं नियम–56 में।

श्री अध्यक्ष–

आपका बहुमत है तो पास मत होने देना। यह आपको अधिकार है। तो फिर यह आज यहां क्यों हल्ला ? अब बैठिये। कल भी आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे थे आज भी नहीं चलने दे रहे हैं। जब दिल्ली में होता है तो आप दूसरी पार्टियों की तो निन्दा करते हैं।

(माननीय सदस्यों के सदन के वेल से बोलते रहने पर शोर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी यह कहे कि बेईमानी और बेईमानों को यह संरक्षण दे रही है तो हम विचार कर लेंगे। यह कहें कि यह बेईमानी और बेईमानों का

संरक्षण कर रही है तो सरकार विचार कर लेगी, अपने राजनैतिक साथी दल का विचार कर लेगी इस पर कि भाजपा बेईमानी और बेईमानों का संरक्षण कर रही है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह गलत बात है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आज तक कोई कानून नहीं था बेईमानी और बेईमानों के खिलाफ। कलम उठाने का अधिकार नहीं था किसी सरकार को। पहली बार यह अधिकार मिला है, भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही है जो पहली बार कानून आ रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आप नियम–56 में स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–56 का विषय नहीं है। आप जब विधेयक आयेगा जितना चर्चा करना होगा कर लीजियेगा। आज यहां क्या चर्चा करेंगे जब वह अभी अधिनियम बना ही नहीं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

विधेयक बना नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, आज ही से आप हल्ला करने लगे। जब विधेयक आपके समक्ष आयेगा तो चर्चा करिएगा। आप नियमों को जानते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

एक तरफ तो अधिकार बढ़ाने की बात करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अधिकार बढ़ाए जाएं, लेकिन अधिकार बढ़ाकर डकैती न की जाए। कोई डकैती की इजाजत नहीं होगी, अगर पूर्व प्रधानमंत्री को अदालत में हाजिर होना होगा, अगर विधायक बर्खास्त हो सकते हैं तो मेयर उनसे ऊपर नहीं है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

संसदीय कार्य मंत्री जी विषय से अलग जा रहे हैं। हमारा यह मतलब नहीं है कि कोई डकैत बचे। नियम–56 की ग्राह्यता पर सुनें।

श्री अध्यक्ष–

जब नियम–56 आए तब उसमें चर्चा करिएगा, जब नियम–56 आता तो आप व्यवधान करते अभी से क्यों हल्ला कर रहे हैं ?

(कई सदस्य सदन के फ्लोर से एक साथ बोल रहे थे)

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया (सदन के फ्लोर से)–

यादव सिंह को गिरफ्तार करो के नारे लगा रहे थे।

श्री सतीश महाना–

सरकार मनमानी कर रही है लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सरकार पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे।

श्री अध्यक्ष–

आप तो नियमों को जानते हैं आप नियमों के परे बात कर रहे हैं। अगर नियम–56 में कहना था तो नियम–56 का जब प्रश्न आता तो आप उसमें हल्ला करते। पहले क्यों कूद कर चले आए ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, हैरत है बेईमानों को संरक्षण, बापू का अपमान, यह है भा0ज0पा0 की पहचान।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जिस समय नियम–56 सुना जाए उस समय नियम–56 में इसको भी सुना जाए।

श्री सतीश महाना–

इस तरह से काला कानून लाकर धींगामुश्ती करके सरकार जनाधार बनाने का प्रयास कर रही है यह गलत है। हम किसी बेईमान को नहीं बचाना चाहते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री मोहम्मद आजम खां–

हम बचने ही नहीं देंगे, आप कौन हैं बचाने वाले, सरकार हम चला रहे हैं या आप, हम बेईमान को बचने ही नहीं देंगे। जब विधायक बर्खास्त हो सकते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को नोटिस मिल सकता है तो बेईमान को नहीं बचने देंगे। मेयर उससे ऊपर नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, लोकतंत्र में अगर कोई बेईमानी करता है तो उसके पास अधिकार हैं, कानून है, सारे के सारे मेयर बेईमान हैं यह कहा संसदीय कार्य मंत्री जी ने, बिना आरोप के बिना जांच के, लोकतंत्र से चुने हुए मेयर को बेईमान कहना यह शोभा नहीं देता है। हम इसका कतई समर्थन नहीं करते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां–

बेईमानी और बेईमानों को संरक्षण देना यह भा0ज0पा0 को शोभा देता है। अगर कोई बेईमान है तो कानून है वह सजा पाएगा अगर बेईमान नहीं है तो मेयर बना रहेगा। इसमें क्या ऐतराज है आपको।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र का गला घोंटने वाला बिल है। इन्होंने न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी परे कर दिया।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, आज प्रश्नों के उत्तर नहीं आ सके समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आपसी सांठ–गांठ है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर न आने देने के लिए सरकार का सहयोग कर रही है। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर निन्दा करती है। अगर

भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति दर्ज करनी है तो जिस दिन यह विधेयक आवे तो संशोधन के प्रस्ताव के माध्यम से उसका विरोध कर सकते हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अनेक मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बोलते रहने के कारण घोर व्यवधान के मध्य)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

लेकिन प्रश्नों का उत्तर न आने देने के लिये यह जो व्यवधान पैदा किया जा रहा है यह सरकार को बचाने का काम किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि इसका संज्ञान ले करके सदन को व्यवस्थित करा करके प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष की आधी बात से इत्तेफाख रखता हूं। इससे सत्ता पक्ष का कोई लेना–देना नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रश्नकाल को शुरू किया जाये। यह अपना काम करें और मंत्री जी प्रश्न का जवाब दें।

श्री अध्यक्ष–

अब आप लोग वापस चलें। खन्ना जी, आप अपने मा0 सदस्यों को वापस बुलाइये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, जिस समय नियम–56 सुना जाये, उस समय इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप वापस चलिये, पहले प्रश्न हो जाने दीजिये। खन्ना जी, आपको अगर इसे नियम–56 में उठाना था तो जब नियम–56 आता तब आप यह सब करते, पहले क्यों करने लगे। आज आप सही रास्ते पर नहीं हैं, आप गलत रास्ते पर चल दिये हैं। आप चलिये। आपका इतना विरोध दर्ज हो गया है। आपने विधेयक के खिलाफ विरोध दर्ज कर लिया है, अब वापस चलिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा यही कहना है कि जिस समय नियम–56 आये उस समय इसको ले लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, अब आपने चूंकि प्रश्न उठा दिया है इसलिये यह नियम–56 का विषय नहीं है, अब इस पर नियम–56 के अन्तर्गत चर्चा नहीं होगी। जब विधेयक आयेगा तभी चर्चा होगी। आप चलने देना चाहें तो चलने दें और न चलने देना चाहें तो आपकी मर्जी है। आप क्यों पहले हल्ला करने लगे, जब नियम–56 आता तो आप हल्ला करते। आप लोग पहले क्यों वेल में आ गये ? आप लोग वापस चलिये। आपको जितनी बातें कहनी

थीं कह दीं। अब कुछ बाकी तो रह नहीं गया है। आपने अपना विरोध भी दर्ज करा दिया है। प्रश्न चलने दीजिये। खन्ना जी, आपका गला बैठ जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, यह लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कानून ला रहे हैं। हमारा गला बैठ जाये, लेकिन प्रदेश बच जाये, लोकतंत्र बच जाये तो हम तैयार हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप नियम–56 के समय इसको सुन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

देखिये, नियम–56 के टाइम इसको कैसे सुन लेंगे ? अगर आपने नियम–56 के टाइम इसको उठाया होता तो कोई बात बनती, लेकिन आप तो शुरू में ही वेल में आ गये। आपने सारी बातें कह ली हैं अब बचा क्या है ? जब यह विधेयक आयेगा उस समय आपको पूरा अधिकार है, उस समय की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। अब वापस चलिये, मैं प्रश्न ले रहा हूं।

(सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने–अपने स्थानों पर वापस चले गये।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा केवल इतना अनुरोध है कि जिस समय नियम–56 आये, उस समय इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

अब देखिये हम गलत नहीं बोल सकते। हमनें इसको पहले रिजेक्ट कर दिया है इसलिये यह नियम–56 में नहीं सुना जायेगा। आप चलने देना चाहें तो चलने दें और न चलने देना चाहें तो न चलने दें। आप नियम जानते हैं। जब विधेयक आयेगा तो आपको उसमें चर्चा का पूरा अधिकार है, संशोधन देने का, प्रवर समिति को भेजने का और अगर आपको बहुमत हो तो उसे पास भी न होने दीजिये। अभी जबकि विधेयक आया नहीं, आपके सदन में प्रस्तुत नहीं हुआ उसके पहले नियम–56 चलने लगा, ऐसा कहीं नियम है ? आप तो नियमों को जानते हैं। बैठिये।

ख12.00 बजे, प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

ख्उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 1958 के नियम–29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न,

प्रदेश में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की नीति एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की योजना सम्बन्धी जानकारी

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो किन–किन स्थानों पर सुपर

स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की योजना है तथा इनको कब तक कार्यरूप दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री शंख लाल मांझी)–

जी हां।

प्रदेश की जनता को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ स्थित चकगंजरिया क्षेत्र की 20 एकड़ (8.096 हे0) भूमि में से 10 एकड़ भूमि चिन्हित कर सुपर स्पेशियलिटी/कार्डियोलॉजी अस्पताल पी0पी0पी0 मोड पर स्थापित करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रदेश में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की नीति के सम्बन्ध में प्रश्न किया था। सरकार ने इसको स्वीकार किया है। मैं आपके माध्यम से सीधा–सीधा सवाल मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं। रायबरेली में आपने एक अस्पताल दे दिया, एम्स के स्तर का, रूहेलखण्ड मण्डल में सबसे कम मेडिकल फैसिलिटीज हैं। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने जब नीति को स्वीकार कर लिया है कि यह नीति आपकी है तो क्या मा0 मंत्री जी रूहेलखण्ड में एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खोलने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान सदस्य, मा0 खन्ना जी यह जानते हैं कि सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल उत्तर प्रदेश में इस स्तर का एक पी0जी0आई0 हास्पिटल है। इस कैटेगरी के हास्पिटल बनाने के लिए विषय विशेषज्ञ डाक्टरों की, विशिष्ट उपकरणों की, विशिष्ट टेक्निकल पर्सन की और उत्तर प्रदेश सरकार के अपने वित्तीय आर्थिक संसाधनों पर डिपेंड करता है। जिस सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल की यह मांग कर रहे हैं, विद्वान सदस्य को पता है कि पूरे देश में इस तरह के किसी सूबे में भी सरकारी हास्पिटल नहीं हैं। आप उस स्तर के हास्पिटल की मांग कर रहे हैं, सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल जैसे–साइन हास्पिटल साउथ में, वेदान्ता हास्पिटल हरियाणा में, इस तरह के सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल की मांग जो आप कर रहे हैं, यह आप अच्छी तरह से भिज्ञ हैं कि इस तरह की व्यवस्थायें सूबे में हर जगह उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। आपकी जिज्ञासा जो है, जिस चीज को आपने जानना चाहा है, प्रदेश सरकार पहली मर्तबा अपने इस विजन को लागू करने के लिए, मैंने पहले ही जवाब दे दिया है कि चकगंजरिया में हमने इस तरह के पी0पी0पी0 माडल हास्पिटल के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दिया है और अभी आने वाली 19 तारीख को इसकी जो कमेटी है, वीजीएस, निविदा मूल्यांकन समिति इसकी बैठक 19 तारीख को प्रस्तावित है। हम इस दिशा में प्रयासरत हैं और जहां पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकती है, वहीं पर उपलब्ध हो पायेगी, इससे ज्यादा हम और नहीं कह सकते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जैसा आपने कहा कि आपको डाक्टर्स भी चाहिए, संसाधन भी चाहिए, आपके उत्तर का आशय यही था तो क्या यह सरकार एक सुपर स्पेशियलिटी हास्पिटल रूहेलखण्ड में खुले इसके लिए कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेगी ? हम वहां भी कोशिश कर लेंगे, मान्यवर, क्योंकि एसजीपीजीआई में सीटें बढ़ाने के लिए पिछले चार साल से प्रयास कर रहे हैं, वह सीटें बढ़ नहीं पायीं, उसमें बेड बढ़ नहीं पाये, वहां से मरीज रोज लौटते हैं, पचासों मरीज रोज वहां लौटते हैं, भर्ती नहीं हो पाती है तो क्या मान्यवर, एक प्रस्ताव बनाकर रूहेलखण्ड में ऐसा अस्पताल खुल जाये, इसके लिए ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य अपने प्रश्न में ही अपना उत्तर समाहित किए हुए हैं। एक तरफ आप स्वीकार कर रहे हैं कि पी0जी0आई0 में चार साल या कई वर्षों से वहां बेड बढ़ाने के लिए, सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं, वह अभी तक सम्भव नहीं हो पा रहा है।

दूसरी तरफ आप यह चाहते हैं कि उसी स्तर का अस्पताल और दूसरा खोल दिया जाए। आप स्वयं कह रहे हैं और आप इससे भिज्ञ भी हैं। उत्तर प्रदेश की पी0जी0आई0 में इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को और उपलब्ध कराने में सबसे बड़ी परेशानी विषय विशेषज्ञ डाक्टर की है। जब इनकी संख्या आप जानते हैं प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में सीमित है और उसी के आधार पर यह सुविधा अभी तक बढ़ाई नहीं गई है जो मिल रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर एक प्रस्ताव हम कर रहे हैं पी0पी0पी माडल पर तो उससे इतर आप और चाहते हैं यह संभव नहीं हो पायेगा।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए अभी पिछले वर्षों में यू0पी0ए0 की सरकार ने डेढ़ सौ करोड़ रुपये गोरखपुर मेडिकल कालेज, डेढ़ सौ करोड़ रुपये इलाहाबाद मेडिकल कालेज, डेढ़ सौ करोड़ रुपये झांसी मेडिकल कालेज को दिया गया था। इस संबंध में मोती लाल नेहरू कालेज इलाहाबाद से शासन ने पत्र व्यवहार भी किया कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल बनाने के लिए आप प्रस्ताव भेजिए। वहां से प्रस्ताव भी आ गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इलाहाबाद मेडिकल कालेज को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की नीति के अन्तर्गत लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी मैंने इस बात को पहले भी बताया है। आगे अगर आप देंगे तो उस पर भी देखा जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी जब आपकी खोलने की नीति है तो उसका कोई न कोई रास्ता इस प्रकार से निकाला जा सकता है। आपने नीति में अब तक कहा है जी हां नीति है। अगर नीति है तो उसका कहीं न कहीं क्रियान्वयन करने का भी कोई उपाय आपको खोजना चाहिए। मैं आपसे सीधा सवाल यह पूछना चाहता हूं कि यह बाद में तय हो जायेगा कि कितना केन्द्र का होगा कितना आपका होगा लेकिन क्या कोई प्रस्ताव इस

प्रकार से उस नीति में भेजने का आप विचार करेंगे कि इस प्रकार का कोई अस्पताल रूहेलखण्ड में भी खुल जाए ?

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी मैंने पहले भी बता दिया, मा0 सदस्य जी बार–बार उसी प्रश्न को घूमाकर कर रहे हैं। हमने कहा कि इस तरह की व्यवस्थाएं अभी मा0 कांग्रेस के सदस्य जी ने अपनी बात में कहा। अभी जब हम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं हम चाहते हैं प्रदेश सरकार इसके लिए कटिबद्ध है सोच है, विजन है कि हम इस तरह की स्पेसिफिक सुविधाएं अपने प्रदेशवासियों को दे सके। हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं हम देने में कामयाब हो जायेंगे तो आगे भविष्य में उसे देखा जायेगा।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर पी0पी0पी0 मॉडल के ऊपर पिछले दिनों अखबार में भी आया और हमारी जानकारी में भी है कि एक मेडिसिटी के नाम से यहां पर अस्पताल खोलने के लिए सुविधा दी गई है। डा0 नरेश त्रेहान भी आए थे और मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसका संज्ञान भी लिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं इस प्रकार से जो देश भर के अन्तर्गत बड़े सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल हैं चाहे वह मैक्स हो, अपोलो हो बहुत सारे अस्पताल हैं इस प्रकार से उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे कि हम उनको लैण्ड देंगे या अन्य सुविधाएं देंगे कि आप हमारे प्रदेश में आ कर इनको लगाइये। इस प्रकार की कोई नीति या विचार सरकार करेगी कि जो उन अस्पतालों को यहां पर निमन्त्रित करें। ऐसी बड़ी–बड़ी जगहों पर जहां उनकी जरूरत है जो सेंटर प्लेसेज हो सकते हैं अधिकांश लोगों को उससे सुविधा मिल सकती है। इस प्रकार की उनको सुविधाएं दे कर सरकार उनसे बात करने का भी प्रयास करेगी ?

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी मा0 विद्वान सदस्य जी ने जिस बात को अभी कहा है हमने पी0पी0पी मॉडल के आधार पर चकगंजरिया में इसी की शुरुआत की है। हम अभी उसकी प्रक्रिया में हैं। इसमें आर0एफ0पी0 और आर0एफ0क्यू0 किया गया है। समिति की अभी 19 तारीख को उसी पर बैठक होने जा रही है। हम इसे आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं।

रिक्वेस्ट फार क्वालीफिकेशन, उसमें हम पूरे देश में इस तरह के प्रपोजल मांग रहे हैं जो भी आएगा उसका हम स्वागत करेंगे।

प्रदेश में स्वाइन फ्लू तत्काल रोकथाम की कार्य योजना की जानकारी

'02–डा0 धर्मपाल सिंह, श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री नदीम जावेद, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री सतीश महाना–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वाइन फ्लू तेजी से फैल रहा है जिसके कारण अब तक कई मौतें भी हो चुकी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इसका संज्ञान लेते हुए स्वाइन फ्लू की तत्काल रोकथाम के

लिए कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां, स्वाइन फ्लू का प्रकोप वर्तमान में भारत देश के अन्य राज्यों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में दिनांक 16–03–2015 तक 1242 रोगी स्वाइन फ्लू घनात्मक पाये गये हैं, जिनमें से 17 रोगियों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

प्रदेश में स्वाईन फ्लू बीमारी की रोकथाम के लिये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन्फ्लूएन्जा ए–एच0 1 एन0 1 (स्वाइन फ्लू) नियंत्रण कार्य योजना बनाकर कार्रवाई की जा रही हैं, जिसके प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं :–

- स्वाइन फ्लू एक वायरस जनित रोग है जो सामान्य जुकाम, बुखार जैसे लक्षणों वाली बीमारी है।
- जनपदों को वर्ष 2014–15 में 05 बार एलर्ट जारी किया जा चुका है। प्रथम एलर्ट शीतकाल से पूर्व दिनांक 14 अगस्त, 2014 को तथा अन्तिम एलर्ट दिनांक 23–02–2015 को जारी किया गया है।
- रोग के परीक्षण की सुविधायें के0जी0एम0यू0 एवं एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ एवं एन0सी0डी0सी0 दिल्ली में निःशुल्क उपलब्ध है।
- विभिन्न माध्यमों से रोग से बचाव की जानकारी जन–सामान्य में प्रसारित की जा रही है। 24ग7 टोल फ्री दूरभाष नम्बर 18001805145 तथा 1075 (आई0डी0एस0पी0 कन्ट्रोल रूम केन्द्र स्तर) पर सेवा निःशुल्क प्रदान की जा रही है।
- जनपदों में तथा राज्य मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष 24ग7 को सक्रिय रखा गया है।
- जनपदों में रैपिड रिस्पांन्स टीम कार्यरत है।
- लखनऊ के सभी सरकारी चिकित्सालयों में तथा के0जी0एम0यू0, लखनऊ में स्वाइन फ्लू के लिए शैय्यायें/वार्ड आरक्षित हैं एवं प्रदेश के समस्त जिला चिकित्सालयों में आइसोलेशन वार्ड चिन्हित एवं स्थापित हैं।
- औषधियों की व्यवस्था निदेशक, भण्डार के माध्यम से फर्मों से क्रय की जा रही है तथा उपलब्धता के अनुसार उन्हें समस्त जनपदों को वितरित किया जा रहा है।
- प्रदेश में स्वाइन फ्लू की स्थिति पर आई0डी0एस0पी0 की राज्य सर्विलांस इकाई/जिला सर्विलांस इकाइयों द्वारा सतत् निगरानी रखी जा रही है।
- विभिन्न माध्यमों से जनसाधारण को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर कृत कार्यवाहियों का अनुश्रवण किया जा रहा है।
- लखनऊ जनपदों के 03 बड़े चिकित्सालयों (डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी), लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय, गोमतीनगर एवं बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ को क्षेत्रवार नियंत्रण एवं दवा वितरण की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ को सौंपी गयी है।
- मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम निरन्तर कार्यरत रहेंगे। कन्ट्रोल रूम का दूरभाष संख्या–0522–2622080, 7839700132
- प्रत्येक जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन स्थापित कन्ट्रोल रूम में रैपिड रिस्पांस टीम (आर0आर0टी0) टीमें तैनात हैं, जो निरन्तर कार्यरत रहेंगी। टीमों को कड़े निर्देश दिये गये हैं कि एन्फ्लुएन्जा ए0–एच0–1 एन0–1 के केस की सूचना प्राप्त होने पर उनके घर पर भ्रमण कर औषधि वितरण, उपचार, स्वास्थ्य शिक्षा जैसे आइसोलेशन बचाव के उपाय तथा सम्पर्क उपचार देना सुनिश्चित करें तथा रिपोर्ट उसी दिन कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ में स्थापित कन्ट्रोल रूम में एवं दूरभाष संख्या–0522–2622080 को सूचित करें।
- स्वाइन फ्लू की औषधि एवं जांच किट (वी0टी0एम0) जिला स्तर पर उपलब्ध है।
- मुख्यालय स्तर पर एवं जनपदों में पर्याप्त मात्रा में औषधियां, पी0पी0ई0 किट उपलब्ध है।
- सिजनल एन्फ्लुएन्जा ए0–एच0–1 एन0–1 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों, मरीजों तथा नागरिकों के लिये मास्क के उपयोग के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुपालन हेतु सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया गया है। उक्त गाइडलाइन्स विभागीय वेबसाईट पर सूचना हेतु उपलब्ध है।

प्रदेश सरकार स्वाइन फ्लू रोग के विषय में पूर्ण सजग है तथा नियंत्रण की कार्रवाई व्यापक स्तर पर की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आज पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर फैला हुआ है। मा0 मंत्री जी ने लम्बा चौड़ा जवाब दिया है। अगर सरकार द्वारा जमीन पर कुछ कार्रवाई की जाती तो निश्चित रूप से स्वाइन फ्लू को फैलने से रोका जाता। माननीय अध्यक्ष जी, लखनऊ में करीब एक हजार लोग अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। खुद मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि 17 लोगों की मृत्यु हो गयी। हमारे आगरा में भी बहुत तेजी से स्वाइन फ्लू फैल रहा है। आगरा में करीब डेढ़ सौ से ज्यादा लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने यह भी माना है कि प्रदेश में इस बीमारी का परीक्षण केवल दो जगहों पर होता है। आगरा में परेशानी यह है कि हमारे यहां से सैम्पल लेकर दिल्ली

भेजे जाते हैं। दिल्ली से रिपोर्ट कम से कम 10 दिन में आ पाती है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी ने जो प्रयास किये वह नाकाफी हैं तो क्या प्रदेश में स्वाइन फ्लू को रोकने के लिए कोई विशेष प्रयास करेंगे। दूसरा, मान्यवर, आगरा में एम0सी0आई0 द्वारा एक वायरल डायग्नोसिस लैबोरेटरी खोलने के लिए भारत सरकार पांच करोड़ रुपया दे रही है। इसका प्रस्ताव प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य जी के यहां पेण्डिंग है। प्रदेश सरकार पर उसका कोई वित्तीय भार नहीं पड़ना है। प्रदेश सरकार को कुछ नहीं करना है, केवल एक एम0ओ0यू0 भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग के साथ और आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली के साथ साइन करना है। तो मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह उस एम0ओ0यू0 को भारत सरकार के साथ तुरन्त साइन करवाने का कष्ट करेंगे ?

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने कुछ बातें कही हैं। मृतकों की संख्या 17, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन मा0 सदस्य की जिज्ञासा के लिए हम मा0 सदस्य को और प्रदेशवासियों को यह बताना चाहेंगे कि जहां पूरे देश में मृतकों की संख्या हजारों में है और उत्तर प्रदेश जहां देश की आबादी का छठवां हिस्सा है। उस प्रदेश की लगभग 21 करोड़ से ज्यादा की आबादी में और जहां गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में मृतकों की संख्या हजारों में पहुंच गयी वहां उत्तर प्रदेश में अगर एक भी मौत हो जाये तो वह हमारे लिए दुखदायी है लेकिन इतनी बड़ी आबादी में आज तक सिर्फ 17 मौतें हुयी हैं और जहां तक मा0 सदस्य जी ने इसके प्रसार और भयावयता की बात कही है। पिछले दस दिनों में प्रदेश में स्वाइन फ्लू के कोई नया केस पहचान में नहीं आये हैं। आपने आगरा की बात कही कि डेढ़ सौ, हमारे पास जो आधिकारिक सूचना है आगरा में अब तक 66 मरीज चिन्हित हुये जिसमें एक भी मौत आगरा में नहीं हुयी है। मान्यवर, हम बताना चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में अब तक 1242 मरीज चिन्हित हुये हैं जिसमें 923 अकेले लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज पाये गये और लखनऊ में 923 में 8 मृत्यु हुई है, जबकि दो मृत्यु बाहर से आये मरीज की हुई। गौतम बुद्ध नोएडा में 81 चिन्हित हुए, जिसमें एक भी मृत्यु नहीं हुई। आगरा के तो मैंने बता ही दिया। बरेली में 46 में 03 की मृत्यु हुई है, इलाहाबाद में 20 में से कोई मृत्यु नहीं हुई, मेरठ में 17 में कोई मृत्यु नहीं, वाराणसी में 10 में कोई मृत्यु नहीं, उन्नाव में एक हुई है और बहराइच में 6 में कोई मृत्यु नहीं, सहारनपुर में 2 में 1 मृत्यु हुई है, बदायूं में एक ही चिन्हित हुआ था और एक ही मृत्यु हो गयी। मुजफ्फरनगर में 4 में 1 मृत्यु हुई, इस प्रकार पूरे प्रदेश में कुल 17 मृत्यु हुईं। जहां तक मुख्य रूप से मैंने बताया कि ज्यादा संख्या में पाये गये थे वहां की स्थिति मैं बता रहा हूं। दूसरी बात मान्यवर मैं कहना चाहता हूं स्वाइन फ्लू के बारे में हमारी सरकार ने जो भी व्यवस्थायें हो सकती थीं, जितनी बढ़िया मानीटरिंग हो सकती थी, हमने की है। प्रिकाशनरी हमने एक्शन लिया है, जहां भी मरीज चिन्हित हुए उनके घरो में हमने व्यवस्थायें देकर, रैपिऐडक्शन टीम भेजकर उनकी दवा करना, उनको समझाना उनके परिवार के लोगों को प्रिकाशनरी क्या करना वह बताना और उसके साथ–साथ मुहल्ले के और लोगों को भी बताना। यह काम हमने किया है और इसी का परिणाम है

कि हमने उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ की इतनी बड़ी आबादी में यह स्वाइन फ्लू जो पूरे देश स्तर पर देश के अन्य सूबों में कुल मिलाकर देखा जाये तो एक महामारी के रूप में आयी है, पर हमने इस पर नियंत्रण किया। 05 साल पहले यह परिलक्षित हुआ था, उस समय हमने सारी प्रिकाशनरी सारी व्यवस्थायें की थी, सारी दवायें मंगाई थीं, 2009–10 के बाद चूंकि स्वाइन फ्लू का कोई मरीज हमारे सूबे में नहीं पाया गया था, जो दवायें हमने मंगाई थी वह रखे–रखे एक्सपायरी हो गयी।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आगरा में जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आगरा से सैम्पल लेकर दिल्ली भेजे जाते हैं और एक प्रस्ताव प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के यहां विचाराधीन है। मैंने पूछा था कि क्या मंत्री जी इसे तुरन्त कराने की कृपा करेंगे ? इसका जवाब नहीं आया, कृपया दिलवा दें।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश के सारे चिन्हित मरीजों का टेस्ट केवल आपने कहा कि आगरा से दिल्ली क्यों भेजा जाता है ? आप जवाब सुन लीजिये मैं यह कह रहा था कि आपने कहा कि केवल दिल्ली में इसका परीक्षण होता है। ऐसा नहीं है। लखनऊ में दो जगह हमारी व्यवस्थायें हैं और वहां पर हमने व्यवस्था यह किया है कि 24 घण्टे के भीतर वैसे तो 08 से 12 घण्टे के भीतर ही वहां से सैम्पल कलेक्ट कराते हैं, उसका परीक्षण कराते हैं, आनलाइन रिपोर्ट 08–12 घण्टे में देते हैं लेकिन अधिकतर पूरे प्रदेश के किसी कोने में 24 घण्टे के अन्दर यह सुविधा, यह परीक्षण की रिपोर्ट हम पहुंचा देते हैं। उसमें दिल्ली भी है, दिल्ली में भी होता है। अपने सूबे में लखनऊ में दो जगह हमारी व्यवस्था इस तरह की है। इसलिए चिन्तित होने की जरूरत नहीं है कि सूबे में कहीं इसका कोई परीक्षण नहीं होता है, आगरा से भी अगर जाता है तो 24 घण्टे के भीतर ही मिल जाती है। माननीय अध्यक्ष जी एक निवेदन हम यह करना चाहेंगे हम पूरे प्रदेश के अपने बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों से स्वाइन फ्लू के बारे में जिस तरह से पूरे प्रदेश में मीडिया के माध्यम से अफवाहों के माध्यम से सूबे में जिस तरह से पैनिक किया गया है, पैनिक हुए हैं लोग उसकी वजह से पूरे सूबे में एक ऐसा वातावरण क्रिएट हो गया कि स्वाइन फ्लू एक ऐसी महामारी आ गई जिसका इलाज ही नहीं, तो उसका दुष्परिणाम हमारे आवाम को ही झेलना पड़ा। हम आप सबके माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि स्वाइन फ्लू इसकी आक्रामकता, भयावहता के बारे में आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित है, आप सब लोगों का सहयोग निवेदनीय है। ये स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी के बारे में जो अफवाह है जनता में, जो पैनिक है जनता में वह और न फैले, हम इसको नियंत्रित करने में कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्वाइन फ्लू का प्रकोप मात्र एक–दो महीनों में जिस तरीके से विकराल रूप लेता जा रहा है और मा0 मंत्री जी ने स्वयं इस बात को

स्वीकारा कि 1242 रोगी स्वाइन फ्लू के धनात्मक पाये गये और 17 रोगियों की मौत हुई। मा0 मंत्री जी ने इस बात को भी स्वीकारा कि लखनऊ में दो लैब हैं जहां स्वाइन फ्लू के वायरस की चेकिंग होती है। मा0 सदस्य डा0 धर्मपाल सिंह जी ने एक बहुत छोटा सा प्रश्न पूछा था कि आगरा मेडिकल कालेज में लैब स्थापित करने के लिए मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया ने एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है और उत्तर प्रदेश सरकार के यहां मुख्य सचिव के यहां से हो करके वह विभागीय प्रमुख सचिव के यहां सितम्बर, 2014 से लम्बित है। आपका एक छोटा सा प्रश्न है, जब पांच करोड़ रुपया केवल एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करने के बाद वह मेडिकल कालेज आगरा को देने के लिए मेडिकल काउन्सिल तैयार है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपने एक छोटा सा प्रश्न किया, क्या मा0 मंत्री जी उस एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर करा करके तत्काल मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा दिये जा रहे पांच करोड़ रुपये को आगरा मेडिकल कालेज को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे। एक बहुत छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि मा0 मंत्री जी ने इस बात को स्वीकारा कि दिल्ली में लैब है, लखनऊ में लैब है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, अब सोनभद्र राबर्ट्सगंज के मरीज का सैंपल लखनऊ लैब में चेक करने के लिए आयेगा, या कुशीनगर का आयेगा, सिद्धार्थनगर या पीलीभीत का आयेगा या इधर ललितपुर, झांसी का आयेगा, तो मान्यवर इतनी दूरी है कि जब तक यहां से जांच हो करके जायेगी तब तक उस मरीज की मौत हो जायेगी। तो आफ्टर डेथ द डाक्टर मौत के बाद यदि हम परीक्षण करके उसको भेज भी रहे हैं तो चिकित्सीय सुविधा से वंचित हो जायेगा, इसलिए प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेज में लैब की स्थापना करने की अनिवार्यता है और आगरा मेडिकल कालेज के लिए मेडिकल काउन्सिल आफ इण्डिया पहले से तैयार बैठी है, केवल एम0ओ0यू0 करने के बाद जब वह पैसा मिल रहा है, तो इसको लेने में मा0 मंत्री जी को कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी इसका उत्तर दे दें कि यदि वह मेडिकल कालेज आगरा को दिलाना चाहते हैं तो एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर कब तक करा देंगें और अगर नहीं करायेंगे तो क्यों।

श्री शंखलाल मांझी–

मा0 अध्यक्ष जी, विद्वान मा0 सदस्य मौर्य जी ने दो–तीन बातें एक साथ कह दीं जिसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। यद्यपि उत्तर प्रदेश में हमारी 02 लैब की व्यवस्था है लेकिन मैंने अपने जवाब में कहा कि 8 से 12 घण्टे में अमूमन हम रिपोर्ट भेज देते हैं।

(सुरेश राणा द्वारा कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री शंखलाल मांझी–

अरे भाई, पहले बात सुन लिया करिये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 राणा जी, पहले उनको कह लेने दो फिर अपना सब पूछना। जब आप पूछना तब पूछना। कोई कुछ कह रहा है तो सुनना भी चाहिये।

श्री शंखलाल मांझी–

पहले जवाब तो सुनिये। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, हमने इस चीज की व्यवस्था सुनिश्चित की है कि 8 से 12 घण्टे में ही रिपोर्ट हम व्यवस्था कराते हैं। इनवर्स्ट दस केस 24 घण्टे से ज्यादा नहीं लगता सकता, हमने ये पूरी व्यवस्था मुकम्मल तौर पर सुनिश्चित की है, एक बात। दूसरी बात आपने कही कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का प्रस्ताव मेडिकल कालेज के लिये है, जो मा0 सदस्य जी ने कहा है तो उसका एम0ओ0यू0 करके इसको भिजवाने के लिये हमारी सरकार का भविष्य में ये राय है कि इस तरह की सुविधायें आने वाले दिनों में, जैसा मैंने पहले कह दिया कि चूंकि 2009–10 के बाद इस बीमारी ने पूरे सूबे में कहीं दस्तक नहीं दी थी।

(कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

भाई, आप पूरी बात सुन लीजिये न। बार–बार टोकाटाकी करेंगे तो आप जवाब नहीं जान पायेंगे। आगरा के एम0ओ0यू0 के लिये जो प्रस्ताव आया है मैं उसी के जवाब पर बात कर रहा हूं कि हमारी सरकार की ये मंशा है कि इस तरह की जो परीक्षण व्यवस्था है, वह नियरेस्ट पॉसिबिल जगह पर हो जाये। आपने दूसरी बात जो कही है कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का प्रस्ताव सितम्बर, 2014 से लम्बित है तो हम इसका परीक्षण करा लेंगे और यथाशीघ्र इसकी कार्यवाही भी करेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अनुपूरक करने का अवसर दिया। मान्यवर, स्वाइन फ्लू पूरे देश में फैला है और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आज तक की रिपोर्ट है, मा0 मंत्री जी ने 17 मरीज बताये और कल ही रायबरेली की एक लड़की एस0जी0पी0जी0आई0 में स्वाइन फ्लू से मर गई और आज 18 मौतें आधिकारिक तौर पर हो चुकी हैं। इस गम्भीर रोग से हमारे जिले की जिलाधिकारी भी पीड़ित हुईं और उनका इलाज यू0पी0 में न होकर दिल्ली में हुआ तब जाकर वह ठीक होकर आई हैं और अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हैं। मान्यवर, इतनी गम्भीर बीमारी है और मा0 मंत्री जी ने जो यह लम्बा सा जवाब दिया है इसमें कुछ बातें, जैसा कि मा0 मंत्री जी ने अपने जवाब में बताया है कि जिला मुख्यालयों पर स्वाइन फ्लू से निपटने के लिये पर्याप्त मात्रा में औषधियां, पी0पी0ई0 किट उपलब्ध कराई गई हैं। मैं अपने जिले के सी0एम0ओ0 से आज ही सुबह बात की और मैंने उनसे जानकारी करनी चाही कि यह पी0पी0ई0 किट है क्या तो पहली बात तो उनको खुद नहीं पता था कि यह पी0पी0ई0 किट है क्या और उपलब्ध होने की तो बात ही नहीं, वे खुद ही नहीं जान रहे हैं कि ये है क्या। मुझे जब समझ में नहीं आया कि ये है क्या क्योंकि स्वाइन फ्लू में शाहजहांपुर में भी कुछ लोग चिह्नित हुये हैं जो सी0एम0ओ0 ने मुझे बताया है और आपके जवाब में आया है कि पी0पी0ई0 किट वहां पर उपलब्ध है और इससे हम उसको रोकने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, यह किट वहां पर उपलब्ध भी नहीं है और इसके बारे में सी0एम0ओ0 को जानकारी भी नहीं है कि ये है क्या। तीसरा, एक जो यहां पर नम्बर दिया गया है कि इस नम्बर पर स्वाइन फ्लू से कैसे बचें, इसके लक्षण क्या हैं उसके सम्बन्ध में एक हेल्पलाइन नम्बर दिया गया है। इस नम्बर पर भी मैंने बात की तो उनके द्वारा यह बताया गया कि हर जिला अस्पताल में, जिला मुख्यालयों पर लोगों को मास्क उपलब्ध

कराया जा रहा है और लोगों को भीड़ में जाने से बचने के लिये कहा जा रहा है। उन्होंने जो सारी बातें बतायीं उसमें से जो मुख्य बात निकल कर आई कि स्वाइन फ्लू क्यों फैल रहा है उस पर उन्होंने कहा कि इसमें साफ–सफाई का ध्यान रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आप जहां रहते हैं मोहल्लों में, गांवों में, गलियों में अगर वहां साफ–सफाई नहीं होगी तो फिर उस गन्दगी में ये सुअर, कुत्ते आदि जाते हैं और उसके बाद उनसे यह फैलता है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

तो मान्यवर, साफ–सफाई को लेकर..

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, सवाल करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी काफी स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं। स्वच्छ भारत को लेकर लोगों के हाथ में झाड़ू पकड़ाने का काम भी किया गया है और अधिकतम लोगों ने झाड़ू पकड़कर फोटो खिंचवाने का काम किया है। मान्यवर, राजधानी लखनऊ में किस तरह से गन्दगी है और कैसे–कैसे गंदगी के ढेर पड़े रहते हैं। इसको यहां माननीय मंत्री जी ने भी स्वीकार किया। गंदगी को लेकर चिंता भी व्यक्त की। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं क्योंकि सफाई को लेकर, जिस तरह से यह स्वाइन फ्लू फैल रहा है तो क्या सरकार पूर्णतया राजधानी सहित प्रदेश के हर जनपद को साफ–सफाई कराकर वहां पर क्योंकि कीटाणु पैदा हो गए हैं तो ऐसा कोई दवा छिड़काव करेगी, जिससे उसे रोका जा सके और वर्तमान में मान्यवर, अभी आपने पढ़ा होगा कि बर्ड फ्लू भी आ रहा है, बर्ड फ्लू की बात आ रही है तो इसमें अभियान चलाकर इसको करने का काम सरकार करेगी। दूसरा हमारा एक छोटा–सा सवाल यह है कि हमारे प्रदेश में लखनऊ के अंदर प्राइवेट लैबों में भी लोग इसकी जांच कर रहे हैं। यहां मोहनलाल गंज की पूर्व सांसद के परिवार के सदस्य की जांच एक लैब में कराई गई। प्राइवेट लैब कह रही है कि उसमें स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं और सरकारी लैब कह रही है कि नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दूसरा यह सवाल करना चाहता हूं कि अगर वह प्राइवेट लैब अपना गलत निर्णय दे रही है, तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही करने का कार्य सरकार करेगी। धन्यवाद।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने 2–3 जिज्ञासायें व्यक्त की हैं, एक तो इन्होंने जानना चाहा कि स्वाइन फ्लू की औषधि और जांच किट जो है, पी0पी0ई0 का नाम लिया इन्होंने जबकि एक्चुअल में बी0टी0एम0 है, पी0पी0ई0 नहीं बी0टी0एम0 है।

श्री नीरज (कुशवाहा)मौर्य–

मान्यवर, पी0पी0ई0 लिखा है साफ–साफ।

श्री शंखलाल मांझी–

मेरे पास जो कॉपी है उसमें अगर इस तरह की बात लिखी होगी तो मैं उसको दिखवा लूंगा। मैं उसको दिखवा लूंगा माननीय सदस्य जी।

श्री अध्यक्ष–

इस पर पहले भी नियम–56 में बहस हो चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जवाब दिया है। सारी बातें ज्यादा आ गई हैं, एक–एक बार सवाल कर लीजिए। डा0 श्यामदेव राय चौधरी जी ने हेल्पलाइन पर भी पूछा था।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय सदस्य मेरी बात सुन लें, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। मेरे पास जो पेपर है और जहां तक मेरी जानकारी है उसमें बी0टी0एम0 है आपके उस पेपर में अगर कहीं गलती से छपा होगा तो मुझे दे दीजिए, मैं दिखवा लूंगा। मैं मूल बात पर आ जाइये, वह कोई विषय नहीं है। जहां तक स्वाइन फ्लू के बारे में आपने बताया और यह कहा कि प्राइवेट फर्म ने जांच किया और उसने स्वाइन फ्लू प्रॉजिटिव माना और सरकारी परीक्षण ने निगेटिव माना। हमारे पास जहां तक जानकारी है, हमारी अब तक की पूरे सूबे में जितने जांच पाये गए और जितने भी निगेटिव बताया गया, कहीं से भी पॉजिटिव का रिपोर्ट नहीं है। आप के द्वारा इस तरह की कोई सूचना अगर दी जा रही है तो आप हमको लिखकर दे दीजिए हम उसकी जांच करवा लेंगे।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच में टोका–टोकी करने पर)

श्री शंखलाल मांझी–

बात तो सुन लीजिए पूरी, बात सुना कीजिए। आपने अपना प्रश्न कर लिया जवाब तो आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

इस पर बहुत बहस हो चुकी है। खूब बहस हो चुकी है, स्वाइन फ्लू पर और स्वास्थ्य मंत्री खुद इसका जवाब दे चुके हैं।

श्री शंखलाल मांझी–

और जहां तक आपने मांग की है कार्यवाही की, अगर दोषी होगी वह प्राइवेट फर्म तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अभी स्वास्थ्य का बजट आ रहा है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वाइन फ्लू जैसे भयंकर बीमारी जो प्रकोप बनती जा रही है, उस पर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, उदासीन है और सरकार की इस लापरवाही उदासीनता के चलते बहुजन समाज पार्टी सदन से बर्हिगमन करती है।

(तत्पश्चात् बहुजन समाज पार्टी के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण सवाल पर और इस बीमारी पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया। अध्यक्ष जी अगर कोई भी पेशेन्ट को बुखार है और वह डॉक्टर के पास जा रहा है और यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि डॉक्टर साहब उसे एच–1 एन–1 इन्फेक्शन का जो टेस्ट है वह लिख देते हैं। आमतौर से अध्यक्ष जी, आजकल यह हो रहा है और अध्यक्ष जी, प्राइवेट लैब में जो टेस्ट की कॉस्ट है वह 4000 रूपये से लेकर 15000 रुपये के बीच में है। चूंकि राज्य में केवल दो जगहों पर ही इसका टेस्ट हो सकता है तो राज्य की जो आम जनता है वह कहीं न कहीं प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन में जाकर के या प्राइवेट लैब में जाकर के ही करायेगी तो क्या राज्य सरकार यह सुनिश्चित करायेगी ? अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि राज्य की सरकार क्या यह सुनिश्चित करायेगी कि जो टेस्ट है जिसकी कीमत 4 हजार से 15 हजार अलग अलग लैब में है तो क्या एक उसका क्राइटेरिया बना देंगे कि इतने ही पैसे में प्राइवेट लैब इसका टेस्ट कर दे ताकि आम जनता का पूरे प्रदेश में जो शोषण हो रहा है वह बन्द हो ?

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, एक और महत्वपूर्ण बात है अवेयरनेस को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण बात एच–1 एन–1 इन्फेक्शन में है, अवेयरनेस है लेकिन अध्यक्ष जी मैं कम से कम अपने जनपद के बारे में कह सकता हूं कि किसी प्रकार का कोई भी काम पब्लिक अवेयरनेस को लेकर नहीं हुआ है राज्य सरकार इस पर थोड़ा जवाब दे दे तो ज्यादा बेहतर होगा ।

मास्क बहुत महत्वपूर्ण है बड़ी छोटी चीज है लेकिन महत्वपूर्ण है। मैं अस्पताल में गया था मुझे पूरे अस्पताल में एक भी मास्क लगा हुआ व्यक्ति नहीं मिला जब मैंने पूछा जिला प्रशासन के जिम्मेदार लोगों से तो उन्होंने कहा कि हमारे पास राज्य के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया है।

श्री अध्यक्ष–

आप मास्क लगाकर गये थे।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैं उसकी तलाश में गया था।

श्री शंखलाल मांझी–

मान्यवर, माननीय सदस्य के द्वारा दो सवाल किया गया है एक तो इन्होंने कहा है कि सूबे के कोने–कोने में इसके टेस्ट के लिए केवल दो ही जगह परीक्षण होता है और इस तरह से पब्लिक सेक्टर में प्राइवेट हास्पिटल में इसके परीक्षण के लिए 4 हजार 5 हजार रुपया खर्च किया जाता है तो मैं आपकी जिज्ञासा के लिए माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगा पूरे प्रदेश के हर जनपद मुख्यालय से हमें किसी भी किस्म की इस तरह की स्वाइन फ्लू के बारे में कोई शिकायत मिल रही है तो उसका सैम्पिल कलेक्ट कराने की हमारी व्यवस्था है ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

मान्यवर, अगर कोई बाहर से टेस्ट कराना चाहता है तो हम उस पर रोक नहीं लगा सकते।

श्री अध्यक्ष–

अब एक पार्टी के एक सदस्य सवाल पूछ लें। अब नहीं , सतीश महाना जी आप पूछ लें। अखिलेश जी आपका है आपकी पार्टी के एक आदमी नदीम जावेद ने पूछ लिया, बहुजन के एक माननीय सदस्य ने पूछ लिया अब भाजपा के एक माननीय सदस्य को सवाल पूछ लेने दीजिए, आप बैठिये।

(श्री अखिलेश सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करते रहने पर व्यवधान)

श्री सतीश महाना–

माननीय अध्यक्ष जी धन्यवाद आपको। मान्यवर, मैंने कानपुर के बारे में पूछा था मैं स्वयं कानपुर में पिछले महीने सी0एम0ओ0 के आफिस में गया था जिस समय यह स्वाइन फ्लू का प्रकोप चल रहा था। मान्यवर, इसके ऊपर जिस समय पैनिक था उस समय। मैं स्वयं उनके आफिस में गया और उन्होंने पूरे आंकड़े दिये और नाम दिये मेरे पास उसकी सूची है आप कहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूंगा। उन्होंने मुझे नाम दिये कि इस इस हास्पिटल में यहां यहां कानपुर में इतने लोगों की मृत्यु हुईं। 6 लोगों की मृत्यु उन्होंने उस समय बताई थी और उसी समय मैंने एक हास्पिटल में उस समय फोन करके पूछा था तो सातवां उस समय जुड़ा था। दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांतवी मृत्यु भी उस समय हुई थी वह 7 की रिपोर्ट मेरे पास कानपुर महानगर में है। मेरे स्वयं में विश्वास के साथ प्रमाणिकता के साथ मैं कह रहा हूं कि मेरी उपस्थिति में उन्होंने मुझे सूची दी थी और आज जिस समय मैंने पूछा तो इन्होंने जानकारी दी तो मैंने सी0एम0ओ0 को फोन करके सुबह जानकारी ली तो उन्होंने कहा 2 की मौत हुई है। मैंने कहा आपने मुझे 7 अपने आफिस में बताई थी और आज 2 बता रहे हैं। मान्यवर, यह आंकड़े छुपाने की जो वास्तविकता है किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अगर फैक्ट सरकार के पास नहीं आयेंगे तो सरकार उस तत्परता के साथ उसके इलाज करने के लिए कार्रवाई नहीं कर पायेगी। यह तथ्य छुपाये क्यो जाते है उसमें फैक्ट न छुपायें और सही जानकारी दें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब यह शोर कर रहे हैं तो कौन जवाब दे पायेगा।

श्री सतीश महाना–

यह सरकार तथ्य छुपा रही है और यह कह रहे हैं कि अखबार वाले इतना ज्यादा लिख रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, एक कानपुर के विषय में और एक पूरे प्रदेश के बारे में कहीं जांच की व्यवस्था नहीं है तो जांच की व्यवस्था करेंगे कि नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

स्वाइन फ्लू पर कैबिनेट मिनिस्टर जवाब दे गये थे, स्वाइन फ्लू का विषय नियम–56 में आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग का आगे जब बजट आयेगा तो इस पर आप लोग चर्चा कर लीजियेगा। माननीय मंत्री जी सतीश महाना जी पूछ रहे हैं कि जो गलत सूचनायें आ रही हैं उसकी सही जांच कराकर जो दोषी होगा, क्या उस पर कार्रवाई करेंगे ?

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री दलवीर सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा', श्री सतीश महाना के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

देखिये सभी दलों से एक–एक अनुपूरक प्रश्न पूछा जा चुका है। अब आप इस तरह करेंगे तो नहीं चलेगा, अब हम अगला प्रश्न लेने जा रहे हैं। लल्लू जी, आप बैठिये, इस पर चर्चा नियम–56 में हो चुकी है। श्यामदेव राय चौधरी जी 'दादा' आपकी पार्टी के सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ चुके हैं, अभी स्वास्थ्य का बजट आयेगा, तो उस पर अपनी बात कह लीजियेगा। यह आखिरी सवाल है, माननीय मंत्री जी का इस पर जवाब आ जाने दीजिये।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो एथेन्टिक रिपोर्ट है, वह दो लोगों की मौत की है। अभी माननीय महाना साहब ने कहा कि उन्हें व्यक्तिगत जानकारी है कि वहां पर सात मौतें हुई हैं, तो इस संबंध में मैं माननीय महाना साहब से यह चाहूंगा कि आप हमें वह सूची दे दीजिये, तो हम इसको दिखवा लेंगे।

(श्री दलवीर सिंह के बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री दलवीर सिंह जी, आप तो कोई सवाल पूछते नहीं हैं, हर सवाल में बीच में खड़े हो जाते हैं। बैठिये आप।

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं महाना जी से कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि हम लोग आंकड़े छिपाने का काम करते हैं, आंकड़े छुपाने से छुपते नहीं हैं। अगर हमने यह आंकड़ा छिपाया होता तो यह संख्या केवल 17 न होती, हमारे पास कल शाम तक की सूचना है, यह 17 की 18 तक तो हो सकती है, किंतु इससे ज्यादा नहीं है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले इस सूबे में हमने यह संख्या 17–18 तक सीमित करने में कामयाबी हासिल की है। माननीय महाना जी, जहां पर आपकी सरकारें हैं वहां पर मौतें हजारों की संख्या में हुई हैं। आप वहां पर क्या कर रहे हैं ? आपके गुजरात में क्या हुआ, आपके महाराष्ट्र में क्या हुआ, आपके राजस्थान में क्या हुआ ? हम आंकड़े को छिपाते नहीं हैं, हम आंकड़ों को दिखाते हैं और कहीं अगर इसके बावजूद महाना जी आप हमें लिखकर दे देंगे तो हम उसकी जांच करवा लेंगे और कोई गलत रिपोर्ट आई होगी तो उसके लिये जो दोषी होगा तो उसके विरूद्व हम कार्रवाई भी करवा देंगे।

(श्री सतीश महाना, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब हो गया, अब अगला प्रश्न ले लेते हैं। जब स्वास्थ्य विभाग का बजट आयेगा, तब आप बोल लीजियेगा, बैठिये आप सब लोग बैठिये। बहुत सवाल हो गये, अब दूसरा सवाल लेने दीजिये। एक बात मेरी मान लीजिये, मैं दस बात आपकी मानता हूं, चलिये बैठिये, बैठिये।

'3–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

ख्पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त,

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

'01–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

खदिनांक 25–02–2015 को अता0प्र0सं0–41 द्वारा उत्तरित,

आगरा व मथुरा कैनाल द्वारा नहर के पानी की चोरी के रोकथाम के उपाय

'02–डा0 धर्मपाल सिंह–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा व मथुरा तक आने वाली आगरा कैनाल जो लगभग 60 किमी0 हरियाणा प्रदेश से होकर गुजरती है, वहां के किसानों द्वारा एक से लेकर दो फुट डायमीटर तक के पाइप नहर की पटरियों में डालकर बड़े पैमाने पर पानी की चोरी करके हरियाणा व राजस्थान राज्य की नहरों को पानी की जो तय सीमा है, से भी अधिक पानी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की चोरी को रोकने तथा तय सीमा से अधिक लिये जा रहे पानी को रोकने हेतु कोई कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण एवं सिंचाई, राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल)–

जी हां।

जी हां।

सिंचाई विभाग द्वारा समय–समय पर नार्दन इण्डिया कैनाल एण्ड ड्रेनेज ऐक्ट, 1873 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। यद्यपि हरियाणा क्षेत्र के कृषकों पर उत्तर प्रदेश का प्रशासनिक नियंत्रण न होने एवं हरियाणा से वांछित सहयोग न मिलने के कारण अवैध जल दोहन पर पूर्ण नियंत्रण सम्भव नहीं हो पाता है फिर भी इस सम्बन्ध में समय–समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा सरकार से हरियाणा में स्थित आगरा नहर की रीच में पानी के अवैध दोहन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, इस कैनाल से आगरा एवं मथुरा को पानी मिलता है। हमारे आगरा में 15 में से 13 ब्लाक डार्क हो गये हैं। पूरे आगरा जिले का किसान नहरों पर ही निर्भर करता है। माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने खुद माना कि पानी की चोरी हो रही है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी, दो प्रश्न किये थे, एक तो हरियाणा के किसान 1–1 मीटर के डाया उसमें नीचे डालकर पानी खींचते हैं। दूसरी बात जो हमारी उस आगरा कैनाल से राजस्थान, हरियाणा की नहरें निकली हैं, उनके लिये जो एग्रीमेंट साइन है, वह एग्रीमेंट अगर 100 क्यूसेक का है तो उससे वह कई गुना ज्यादा पानी लेते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप मेरा प्रश्न देख लें, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो पानी की अवैध चोरी हो रही है, जिसे सरकार ने मान भी लिया है, क्या इसे रोकने के लिये कोई उच्चस्तरीय प्रयास करेंगे, इसके लिये प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रमुख सचिव, हरियाणा से बात करें, यह तो मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा माननीय अध्यक्ष जी, अगर इस नहर की लाइनिंग हो जाय, यह नहर पक्की हो जाय तो चोरी पर काफी रोक लग सकती है तो क्या सरकार आगरा कैनाल की लाइनिंग कराने पर विचार करेगी, यह मेरा माननीय मंत्री जी से दूसरा प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले ही बता दिया कि इस संबंध में मैनें बहुत कार्रवाई की है और हरियाणा सरकार को हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 53 बार पत्र भेजे जा चुके हैं। इस संबंध में मुकदमें भी हुये हैं, 17 एफ0आई0आर0 हुयी हैं लेकिन अब वहां पर हमारा नियंत्रण तो है नहीं। हम तो कह ही सकते हैं। हमारे प्रमुख सचिव ने उनके प्रमुख सचिव को पत्र भेजा, उसके बाद भी वहां से कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जा रही है। हम बार–बार प्रयास करते हैं लेकिन वहां के कानून पर हमारा नियंत्रण नहीं है। मान्यवर, इस नहर की लम्बाई 160 किमी0 की है, इसमें से 69.4 किमी0 की लम्बाई हरियाणा राज्य में पड़ती है। इसमें वह 334 स्थानों पर अवैध पाइप लाइन 6 इंच से लेकर 18 इंच तक डालकर पानी की चोरी करते हैं, यह मैनें पूरे फोटोग्राफ्स सहित हरियाणा सरकार को भेजा है लेकिन इसके बावजूद वहां कोई कार्रवाई हो ही नहीं पा रही है। अब इसके बाद हम भारत सरकार को भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी लिखेंगे।

डा0 धर्मपाल सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव लेविल की एक वार्ता हरियाणा के मुख्य सचिव से हो जाय तो संभवतः इस पर रोक लग जाये। दूसरी बात, इस नहर का अनुरक्षण उत्तर प्रदेश सरकार करती है, मेरा जो दूसरा प्रश्न था, उसका माननीय मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया कि जो उनकी नहरें निकली हैं, तो जो एग्रीमेंट हमारा उनसे है, उससे वह ज्यादा पानी लेते हैं, कम से कम उस पर तो हमारे अधिकारी रोक लगा सकते हैं। तो हरियाणा और राजस्थान की नहरें एग्रीमेंट से ज्यादा पानी ले रही हैं, उस पर रोक लगाने के लिये क्या सरकार विचार करेगी ?

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैनें डा0 धर्मपाल सिंह जी को बताया कि वह जो नहर है, लगभग 70 किमी0 हरियाणा क्षेत्र में पड़ती है जिसमें से वह 334 स्थानों पर अपना 6 इंच का और 18 इंच का पाइप लगा करके हमारे उत्तर प्रदेश का 1200 क्यूसेक पानी ले लेते हैं। हम लोगों को जो 1800 क्यूसेक पानी मिलना चाहिये, लेकिन वह हमारे आगरा तक आते–आते मात्र 600 क्यूसेक ही रह जाता है। इसीलिये हमारे प्रमुख सचिव ने और हमारे विभाग के कई इंजीनियरों ने उनको बहुत चिठ्ठी लिखी है, यह उनके पूरे विवरण हैं। हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पलवल को लिखा है, अधीक्षण अभिंयता, जल सेवा मण्डल, फरीदाबाद को, अधीक्षण अभियंता, जल सेवा संघ, पलवल को, उपायुक्त पलवल को, पुलिस अधीक्षक, पलवल को, अधिशासी अभियंता, जल सेवा खंड, पलवल को, थानाध्यक्ष चनहट, जहां–जहां चोरी है, सब जगह को लिखा है, लेकिन वहां की कानून–व्यवस्था में उत्तर प्रदेश की सरकार तो कुछ कर नहीं सकती। उसके बाद भी हमारे अधिकारी कई बार वहां गये और जे0सी0बी0 लेकर हमने कई बार पानी बंद करने का प्रयास किया तो वहां के पूरे किसान इसको लेकर आन्दोलित हो जाते हैं, हमारे पास इसके फोटोग्राफ्स भी हैं, इसे मैं माननीय धर्मपाल सिंह जी को भेज देता हूं, वह इसे देख लें। हम तो लिख पढ़ ही सकते हैं और वहां की कानून–व्यवस्था हम दुरुस्त तो नहीं कर सकते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न और उत्तर में कोई बहस नहीं है क्योंकि जो प्रश्न प्रस्तुत किया गया है, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उसको स्वीकार किया है। मान्यवर, एक छोटी सी बात है, कि केवल अगर पत्राचार से बात नहीं बन रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करायेंगे कि दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक करा करके इस समस्या का निदान कराना सुनिश्चित करावें, क्योंकि मान्यवर, जब हरियाणा का मामला है, स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग वहां पर प्रभावी नहीं हो पायेगा, यह स्वाभाविक सत्य है इसलिए दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक करा करके इस मामले का निदान कराया जा सकता है और हरियाणा सरकार को इस बात के लिए कन्वेंस किया जाए कि आवंटित पानी से ज्यादा इस साठ किलोमीटर की लम्बाई में हरियाणा के लोग पानी का दोहन करते हैं, ऐसा करने से हम समझते हैं कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है कि क्या दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिवों की बैठक करा करके इस समस्या का समाधान कराने का प्रयास करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल–

मान्यवर, हमारे प्रमुख सचिव ने उनके प्रमुख सचिव को दो–तीन बार चिठ्ठी भेजा है और किसी भी विभाग का प्रमुख सचिव सबसे जिम्मेदार व्यक्ति होता है, हमने उनके माध्यम से कई बार प्रयास किया है फिर भी हम देख लेते हैं नेता प्रतिपक्ष ने जो कहा है उसके अनुसार भी हम प्रयास करेंगे।

(सदस्य श्री सतीश महाना, श्री तेजपाल सिंह, श्री प्रदीप चौधरी के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्न हो गया, जिनका प्रश्न है वह तो पूछ चुके हैं इसलिए अब छोड़िये।

प्रदेश में अपंजीकृत चिकित्सकों की प्रैक्टिस पर रोक लगाने तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी प्रकरण

'03–श्री सतीश महाना तथा श्री रवीन्द्र भडाना–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अपंजीकृत चिकित्सकों (अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स) द्वारा प्रैक्टिस की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शंखलाल मांझी–

जी हां।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों एवं शासनादेश संख्या–1368/सेक–5–पांच–2012–2005/12, दिनांक 08–06–2012 में दिये गये निर्देशों के अनुसार जनपद स्तर पर जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक के सहयोग से मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा नियमित रूप से अभियान चलाकर झोलाछाप/अनाधिकृत चिकित्सकों के विरुद्ध छापामार कार्यवाही की जा रही है, साथ ही आयुर्वेदिक यूनानी, होम्योपैथी आदि विधाओं के चिकित्सकों द्वारा एलोपैथिक दवाओं के प्रयोग/आपरेशन आदि किये जाते पकड़े जाने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में झोलाछाप चिकित्सकों के विरुद्ध इण्डियन मेडिकल कौंसिल ऐक्ट, 1956 (102)/1956 तथा ड्रग एण्ड कास्मेटिक रूल्स, 1945 के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 की कार्यवाही की जाती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक उपचार एवं अन्य चिकित्सा सेवाओं हेतु 773 सामु0 स्वा0 केन्द्र, 3538 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 20521 उपकेन्द्र स्थापित एवं संचालित है। जिनके द्वारा जनता को विभिन्न स्तर की चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सतीश महाना–

मा0 अध्यक्ष जी, इन्होंने कहा है कि एफ0आई0आर0 कराई जाती है और ये इन्होंने माना है कि अनरजिस्टर्ड जो प्रैक्टिश्नर्स हैं वह काम कर रहे हैं मान्यवर, वह झोलाछाप हैं और मान्यवर, बड़ी संख्या में इनके पास गये मरीजों की दुर्घटना हो जाती है और वह मौत के मुंह में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं क्योंकि ऐसे डाक्टरों को कोई जानकारी तो होती नहीं है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने कहा कि एफ0आई0आर0 कराई जाती है तो क्योंकि समय नहीं है इसलिए केवल एक प्रश्न पूछूंगा कि ऐसे कितने लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 कराई गई है और ऐसे कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें आगे लगातार जांच चल रही है या नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मंत्री जी क्या इसकी सूचना आपके पास है ?

श्री शंखलाल मांझी–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो आंकड़ा जानना चाहा है वह आंकड़ा इस समय हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दीजिए।

श्री शंखलाल मांझी–

हम उसे मंगाकर मा0 सदस्य के पास भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

प्रदेश के अस्पतालों में अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम प्रक्रिया का समय बदलने की मांग

'04–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अस्पतालों में अप्राकृतिक मृत्यु होने की दशा में पोस्टमार्टम प्रक्रिया शाम 05.00 बजे के बाद अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न किये जाने से नागरिक ऐसे आपातकाल में 20–24 घण्टों तक अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में इंतजार करने को बाध्य होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पोस्टमार्टम करने के समय को बढ़ाकर सुबह 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)–

जी हां।

जी नहीं।

शासनादेश संख्या–2247/सेक–2–पांच–07–7(123)/07, दिनांक 31–07–2007 एवं फोरेन्सिक मेडिसिन में निहित प्राविधानों के अनुसार शव विच्छेदन का कार्य सम्पादित किया जाता है। प्रदेश के सभी जनपदों में पोस्टमार्टम कार्य हेतु प्रतिदिन दो चिकित्सकों की ड्यूटी लगायी जाती है तथा ड्यूटी लिस्ट एक माह की अग्रिम तैयार की जाती है। इस प्रकार पोस्टमार्टम हाउस में आने वाले शवों का उसी दिन सूर्यास्त से पूर्व दिन के प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है। अपरिहार्य परिस्थियों में पुलिस के अनुरोध पर जिला अधिकारी की अनुमति से प्रशासनिक आधार पर सूर्यास्त के पश्चात् कृत्रिम प्रकाश में पोस्टमार्टम किये जाने का प्राविधान है।

प्रदेश में जुलाई, 2014 से लेकर दिसम्बर, 2014 तक डेगूं के कारण हो रही मौतों को रोकने का उपाय

'05–श्री सुरेश राणा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जुलाई, 2014 से लेकर दिसम्बर, 2014 तक डेंगू के कारण कितने लोगों की मौत हुई है ? क्या सरकार इस बीमारी से लड़ने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ब्लड कम्पोनेंट मशीन की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

प्रदेश में जुलाई, 2014 से लेकर दिसम्बर, 2914 तक किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है।

प्रदेश के 27 डेंगू प्रभावित जनपदों में ब्लड कम्पोनेट सेपेरेटर यूनिट की स्थापना की जा चुकी है तथा अन्य जनपदों में आवश्यकतानुसार ब्लड कम्पोनेन्ट सेपेरेटर युनिटों की स्थापना की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के दादपुर निवासी शाहीन अहमद ने हाइड्रोटरवाइन द्वारा विद्युत उत्पादन के आविष्कार की जांच कराकर व्यापक उत्पादन से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्यवाही जानकारी

'06–श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के दादपुर निवासी शाहीन अहमद नामक व्यक्ति ने अपने घर में ही हाइड्रोटरबाइन द्वारा सिर्फ दो रुपया प्रति यूनिट की लागत पर किये गये विद्युत उत्पादन के आविष्कार पर कमेटी का गठन करके तथा उसकी जांच करवाकर व्यापक उत्पादन किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13–10–2014 उन्हें एवं अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)–

जी हां।

कार्यालय ज्ञाप सं0–597/पी–20, दिनांक 24 फरवरी, 2015 द्वारा तकनीकी कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा परीक्षणोपरान्त रिपोर्ट के आधार पर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली की बचत हेतु साधारण बल्ब के स्थान पर एल0ई0डी0 बल्ब को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

'07–श्री लोकेन्द्र सिंह तथा श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की बचत हेतु साधारण बल्ब के स्थान पर एल0ई0डी0 बल्ब को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

1–मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13–10–2014 को सम्पन्न बैठक में निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार कम्पनी इनर्जी इफिशियन्ती सर्विसेज लिमिटेड (ई0ई0एस0एल0) की सहायता से प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एवं नोयडा विकास प्राधिकरण तीनों में एल0ई0डी0 लाइट का एक–एक डेमो प्रोजेक्ट किया जायेगा।

2–कानपुर एवं गोरखपुर स्थित राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् की मंडियों में केन्द्र सरकार की कम्पनी इनर्जी इफिशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ई0ई0एस0एल0) की सहायता से ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 लाइटिंग के पाइलट प्रोजेक्ट किए जाने का निर्णय लिया गया था। ई0ई0एस0एल0 से उपयुक्त प्रस्ताव न प्राप्त हो पाने से राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् ने पाइलट प्राजेक्ट कानपुर मण्डी के लिए आरम्भ कर दिया है जिसकी सफलता के बाद अन्य सभी कृषि मंडियों में ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 लाइटिंग व्यवस्था के लिए विचार किया जायेगा।

3–पूर्वाचल विद्युत वितरण निगम द्वारा वाराणसी के घरेलू/वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के परिसर पर सामान्य बल्ब/ट्यूब लाइट को बदल कर केन्द्र सरकार की कम्पनी इनर्जी अफिशियन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ई0ई0एस0एल0) की सहायता से ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 लाइटस लगाये जाने का डेमो प्रोजेक्ट करने का निर्णय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के पत्र सं0 90/पू0वि0वि0नि0लि0/प्र0नि0कैम्प, दिनांक 23–01–2015 द्वारा सूचित किया गया है कि डेमो प्रोजेक्ट (क्म्स्च्) वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, मिर्जापुर, बस्ती एवं आजमगढ़ आदि शहरों में किया जा रहा है।

4–अलीगढ़ नगर निगम एवं केन्द्र सरकार की कम्पनी इनर्जी इफिशियन्सी सर्विजेस लिमिटेड (ई0ई0एस0एल0) द्वारा अलीगढ़ की सभी स्ट्रीट लाइट्स को ऊर्जा दक्ष स्ट्रीट लाइट से बदलने का डेमो प्रोजेक्ट किया जा रहा है।

5–राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के 11वीं एवं 12वीं योजना के अन्तर्गत सभी बी0पी0एल0 उपभोक्ताओं के यहां सी0एफ0एल0 के स्थान पर एल0ई0डी0 बल्ब लगाये जाने हैं। 11वीं योजना में 07 जनपद (इलाहाबाद, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, प्रतापगढ़ एवं सिद्धार्थ नगर) में काम चल रहा है। 12वीं योजना में कुल 17 जनपदों (आजमगढ़, मिर्जापुर, फतेहपुर, भदोही, वाराणसी, कौशाम्बी, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, बस्ती, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर) में कार्य शुरू होना है तथा शेष 05 जनपदों (मऊ, प्रतापगढ़, संतकबीरनगर, सोनभद्र एवं चन्दौली) में कार्यदायी संस्था के चुनाव के बाद कार्य प्रारम्भ होगा।

6–उ0प्र0पा0का0लि0 एवं उसकी सहयोगी कम्पनियों के सभी संस्थानों में नियमानुसार प्रकाश हेतु तीन माह के अन्तर्गत एल0ई0डी0 की व्यवस्था किये जाने हेतु आदेश पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत किये जा चुके है।

7–राज्य सरकार के सभी भवनों एवं संस्थानों में वर्तमान प्रकाश व्यवस्था को ऊर्जा दक्ष एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था से बदलने हेतु प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद तथा उन्नाव जनपद में जहरीली शराब से हुई मौतों में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

'08–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मलिहाबाद तथा उससे लगे उन्नाव जनपद में 11, 12 जनवरी 2014 को जहरीली शराब पीने से लगभग 37 लोगों की मौत तथा सैकड़ों लोग बीमार हो गये हैं ? यदि हां, तो इसके लिए कौन–कौन से अधिकारी व अन्य दोषी पाये गये हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ? क्या सरकार द्वारा मृतकों तथा बीमार लोगों को मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद तथा उससे लगे उन्नाव जनपद में दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2014 को जहरौली शराब की घटना नहीं घटित हुई अपितु दिनांक 11 एवं 12 जनवरी, 2015 को जनपद लखनऊ एवं उन्नाव में जहरीली शराब पीने की दुःखद घटना हुई, जिसमें जनपद लखनऊ में 36 व्यक्तियों एवं उन्नाव में 12 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा कई व्यक्ति बीमार हुए।

प्रश्नगत गम्भीर घटना का तत्काल सज्ञान लेते हुए निम्न कार्रवाई की गई :––

1–प्रभावित क्षेत्रों में कार्यरत आबकारी विभाग के जनपद लखनऊ के 11 तथा जनपद उन्नाव में 07 अर्थात कुल 18 अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से शासन/आयुक्तालय स्तर से निलम्बित करते हुये विभागीय कार्रवाई संस्थित की गयी।

2–उक्त के अतिरिक्त जनपद लखनऊ में पुलिस विभाग के एक क्षेत्राधिकारी सहित कुल 06 कार्मिकों को निलम्बित किया गया है।

3–प्रथम दृष्टया घटना में सम्मिलित व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 08/2015 थाना मलिहाबाद के अन्तर्गत धारा 304, 328 भा0द0वि0 एवं 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्तों में से मुख्य अभियुक्त जुगनू पुत्र बदलू व गटरू पुत्र घसीटे सहित पाचं व्यक्तियों को जेल भेज दिया गया। दौरान विवेचना अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 272 भा0द0वि0 एवं 7–किर्मिनल लॉ एमेजमेन्ट ऐक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। इस घटना की मैजिस्टेरियल जांच हेतु श्री धनन्जय शुक्ला अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा जांच की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है।

जी हां। मृतकों के वारिसों को आर्थिक सहायता तथा बीमार व्यक्तियों को जनपद के सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध करायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश के अन्य प्रान्तों के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने से चीनी के उत्पादन को बढ़ाये जाने हेतु निर्धारित नीति की जानकारी

'09–डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश के अन्य प्रान्तों के सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गन्ने से चीनी के उत्पादन का प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार ने गन्ने से चीनी के उत्पादन का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्ष 2013–14 में देश के विभिन्न प्रान्तों जैसे–आन्ध्र प्रदेश में गन्ने से चीनी के उत्पादन का प्रतिशत 988, बिहार में 8.48, छत्तीसगढ़ में 885, गुजरात में 11.10, कर्नाटक में 11.04, महाराष्ट्र में 11.42, ओड़ीसा में 8.91, राजस्थान में 8.18, तमिलनाडु में 9.22 एवं उत्तराखण्ड में 8.90 है तथा देश में गन्ने से चीनी उत्पादन का औसत प्रतिशत 10.26 है, जिसके सापेक्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यथा–पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 8.86 प्रतिशत, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9.60 प्रतिशत मध्य प्रदेश में 9.33 प्रतिशत है तथा उत्तर प्रदेश का औसत चीनी परता 9.26 है।

जी हां, राज्य सरकार प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता एवं रिकवरी बढ़ाये जाने हेतु प्रयास कर रही है तथा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा चार वर्षीय प्रजातीय बदलाव (2014 से 2017–18) एवं बीज उत्पादन कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के लगभग 9.44 लाख हेक्टेयर सम्पूर्ण पौधा गन्ना क्षेत्रफल को उच्च शर्करायुक्त अधिक उपज देने वाली नवीन प्रजातियों से आच्छादन कराया जाना प्रस्तावित है।

2–उपरोक्त के अतिरिक्त, वर्तमान में केन्द्र सरकार से वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा राज्य सरकार से वित्त पोषित सघन गन्ना विकास (जिला योजना) संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत संचालित हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को अनुदान पर उन्नतशील बीज उत्पादन एवं वितरण, बीज भूमि उपचार हेतु पेड़ी प्रबन्धन हेतु कृषि रसायन, माइक्रोन्यूट्रियन्ट/बायो फर्टिजाइजर की उपलब्धता, उपयोगी कृषि यन्त्रों की उपलब्धता एवं प्रक्षेत्र प्रदर्शनों के माध्यम से गन्ने से चीनी के उत्पादन में वृद्धि किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने से प्रदेश में गन्ने से चीनी के उत्पादन के प्रतिशत में वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

गन्ने से चीनी के उत्पादन का प्रतिशत्	वर्ष 2011–12	वर्ष 2012–13	वर्ष 2013–14
	9.07	9.18	9.26

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला चिकित्सालयों में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करने की सुविधा प्रदान करने की मांग

'10–श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की जनता को सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने हेतु क्या सरकार सभी जिला अस्पतालों में वर्ष में एक बार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सुविधा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रदेश के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में जनता को प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक निःशुल्क चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान की जा रही है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का परीक्षण एवं उपचार करा सकता है। इसके अतिरिक्त आकस्मिकता की स्थिति में 24 घण्टे रोगियों का परीक्षण एवं उपचार जिला चिकित्सालयों में उपलब्ध है।

प्रदेश में विद्युत शुल्क वसूली एवं विद्युत सब स्टेशनों के अनुरक्षण हेतु फ्रेंचाइजी स्वीकार करने की नीति तथा उसके कार्य व्यवहार की रूपरेखा की जानकारी

'11–डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत शुल्क की वसूली एवं विद्युत सब स्टेशनों के अनुरक्षण हेतु फ्रेंचाइजी योजना स्वीकार किये जाने की नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है और वह कब से और किन–किन जिलों में लागू है ? क्या यह सही है कि लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में उक्त योजना सफल नहीं रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा उसका समयबद्ध निराकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां, शासन द्वारा विद्युत शुल्क की वसूली हेतु फ्रेन्चाइजी व्यवस्था लागू किये जाने की नीति बनाई गयी है। विद्युत सब स्टेशनों के अनुरक्षण का कार्य कर्मचारियों अथवा बाह्य कार्यदायी संस्थाओं से कराया जाता है।

फ्रेन्चाइजी के नियुक्ति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1780/24–1/2006–1690/पी–1/06, दिनांक 18–05–2006 द्वारा दिशा निर्देश जारी किये गये थे जिसके तहत फ्रेन्चाइजी द्वारा राजस्व वसूली के साथ–साथ छोटे मोटे मरम्मत कार्य, डिस्कनेक्शन, नये कनेक्शन आदि भी किये जाने की व्यवस्था है। फ्रेन्चाइजी की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन के माध्यम से आवेदन प्राप्त कर की जाती है तथा इसमें स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह व्यवस्था शासनादेश जारी होने की तिथि से भारत सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण किये जा रहे प्रदेश के जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों हेतु लागू है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना के विभिन्न मूल उद्देश्यों यथा राजस्व वसूली, छोटे–छोटे मरम्मत कार्य, डिस्कनेक्शन तथा नये कनेक्शन आदि कार्य सम्पादित हो रहे है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद अलीगढ़ में ट्रान्सपोर्टनगर की स्थापना कराने की मांग

01–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु ट्रान्सपोर्टरों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु पंजीकरण राशि जमा करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

अलीगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अलीगढ़ में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना हेतु ट्रान्सपोर्टरों को भूमि उपलब्ध कराये जाने हेतु डिमाण्ड सर्वे के उपरान्त विज्ञप्ति के माध्यम से दिनांक 31–03–92 तक टोकन पंजीकरण शुल्क के रूप में धनराशि जमा करायी गयी थी।

वर्तमान में महायोजना, 2021 में मानचित्र में दो स्थानों यथा जी0टी0 रोड पर कानपुर की ओर धनीपुर–सिंधौली ग्राम के अन्तर्गत तथा जी0टी0 रोड पर ही दिल्ली की ओर ग्राम–सरसौल के पास ट्रान्सपोर्ट नगर प्रस्तावित है।

ट्रान्सपोर्ट नगर के लिये भूमि की उपलब्धता के आधार पर कार्रवाई किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर में मोदीनगर से विधापुर व शाहजहांपुर मार्ग तथा मोदीनगर से तलहैटा तक सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया जाना

02–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड भोजपुर में मोदीनगर से विधापुर व शाहजहांपुर मार्ग तथा मोदीनगर से तलहैटा मार्ग जर्जर अवस्था में है तथा सड़क पर बड़े–बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों व क्षेत्रीय ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की शीघ्र मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में खराब ट्रान्सफार्मर को ठीक कराया जाना

03–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में कितने ट्रान्सफार्मर खराब हैं ? क्या सरकार खराब ट्रान्सफार्मरों को शीघ्र बदलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद अलीगढ़ के ग्रामीण विद्युत वितरण खण्ड के अन्तर्गत 18 नग ट्रान्सफार्मर बदलने हेतु लम्बित है।

जी हां।

परिवर्तक से जुड़े अधिक उपभोक्ताओं के बिल जमा होने पर परिवर्तक 72 घण्टे के अन्दर बदल दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

हरदुआगंज तापीय परियोजना के लिए अधिग्रहित भू–स्वामी के परिवारों को सेवायोजन प्रदान विषयक पत्र पर कार्रवाई

04–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहन सिंह (विकलांग) पुत्र स्व0 श्री वीरेन्द्र सिंह के पुत्र श्री नीरज कुमार ग्राम जवां वाजिदपुर, हरदुआगंज तापीय परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण (99 प्रतिशत) कर लिए जाने के फलस्वरूप भू–विस्थापित कोर्ट के अन्तर्गत सेवायोजन प्रदान किये जाने के संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक पी0जी0 10111190 सी0एम0/वि0को0/एम0 दिनांक 26–08–2012 प्रमुख सचिव, ऊर्जा को सेवायोजन के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रस्तुत प्रकरण लगभग 50 वर्ष पुराना है। तत्समय भूमि अध्याप्ति संबंधित प्रकरणों में सेवायोजन प्राप्त करने हेतु भूमि अध्याप्ति की तिथि से सात वर्ष के भीतर सेवायोजन हेतु आवेदन करने पर ही अर्ह व्यक्ति को सेवायोजित करने का प्राविधान था। वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार प्रकरण में तत्समय प्रभावित परिवार के सदस्य को सेवायोजन प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है। यह भी अवगत कराना है कि श्री मोहन सिंह के पिता श्री वीरेन्द्र सिंह (भूमि विस्थापित) की परियोजना के आवासीय परिसर में जीवन हेतु वर्ष 1972 में पक्की दुकान का अभिधारण दिया गया है, जो कि वर्तमान में भी इनके परिवार के अधिकार में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर की क्षमता से अधिक कनेक्शन दिये जाने के कारण ट्रान्सफार्मर प्रायः खराब रहने के सम्बन्ध में जांच तथा कार्रवाई की मांग

05–श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र में ट्रान्सफार्मर की क्षमता से कई गुना ज्यादा उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये गये हैं जिससे ट्रान्सफार्मर प्रायः खराब रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर विद्युत विभाग के दोषी इन्जीनियर एवं कर्मचारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

माह 01–07–2014 से 31–08–2014 तक प्रदेश के समस्त जनपदों में विद्युत चोरी रोकने के अभियान के अन्तर्गत व्यापक अभियान चलाकर अवैध संयोजनों को स्वघोषित योजना के अन्तर्गत नियमितीकरण का अभियान चलाया गया था जिसके अन्तर्गत जनपद–प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 2500 संयोजनों को नियमित किया गया था। सभी परिवर्तकों पर भार वृद्धि की आवश्यकता नहीं थी। जांचोपरान्त 32 अद्द परिवर्तकों की भार वृद्धि कर दी गयी है। परिवर्तकों की भार वृद्धि आवश्यकतानुसार तकनीकी परीक्षणोपरान्त की जाती है।

प्रकरण में किसी प्रकार की दण्डात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ में विद्युत चोरी को रोकने के लिए खुले तारों के स्थान पर बन्द केबिल युक्त तारों को लगाने की सरकार की व्यवस्था की जानकारी

06–श्री आशुतोष टण्डन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार लखनऊ में हो रही विद्युत घटनाओं एवं विद्युत चोरी को रोकने के लिए कालोनियों में विद्युत पोलों पर खुले तार के स्थान पर बन्द केबिल युक्त तारों द्वारा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लेसा क्षेत्रान्तर्गत विद्युत घटनाओं एवं विद्युत चोरी रोकने के लिए कालोनियों में बिजनेस प्लान वर्ष 2013–14 में लक्ष्यानुसार माह–11/14 तक 50 कि0मी0 एवं वर्ष 2014–15 में माह–12/2014 तक 27.803 कि0मी0 ए0बी0सी0 लगाया जा चुका है। इसके अतिरिक्त आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत भिन्न–भिन्न आकारों (साइजों) के अन्तर्गत 1649.64 कि0मी0 ए0बी0सी0 लगाया जाना प्रस्तावित है। एरिया बन्च की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था को क्रयादेश निर्गत कर दिया गया है। फर्म द्वारा समस्त कार्य माह दिसम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के मोहल्ला शंकरपुरवा, कल्यानपुर, विकास नगर, इन्दिरानगर, गोमती नगर को मेट्रो रूट से जोड़ने हेतु सरकार की योजना की जानकारी

07–श्री आशुतोष टण्डन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के मोहल्ला शंकरपुरवा, कल्यानपुर, विकास नगर, इन्दिरानगर, गोमती नगर, महानगर को मेट्रो रूट से जोड़ने की सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लखनऊ नगर के मोहल्ला इन्दिरा नगर एवं महानगर लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1ए (एयर पोर्ट से मुंशी पुलिया) के संरेखण में सम्मिलित हैं जबकि मोहल्ला शंकरपुरवा, कल्यानपुर, विकास नगर व गोमती नगर को वर्तमान में मेट्रो रूट से जोड़ने की कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

मेट्रो रेल परियोजनओं के क्रियान्वयन में अत्यधिक पूंजीगत निवेश के दृष्टिगत आवश्यक ट्रैफिक व अन्य सर्वेक्षण के आधार पर लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना फेज–1ए के संरेखण का निर्धारण किया गया है।

जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील में सरयू नदी के गुलरिहा घाट तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

08–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के कैसरगंज तहसील में सरयू नदी के गुलरिहा घाट तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी 10027614 पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0–/पी0जी0 10027614/2012 दिनांक 05–05–2012 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

गुलरिहा पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। गुलरिहा घाट पर कोई आबादी नहीं है, अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच में गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र पर कार्रवाई

09–श्री मुकुट बिहारी वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज कम्प्यूटर संख्या पीजी 10323484 पत्रांक संख्या सी0एम0/वि0को0/ एम0–/पी0जी0 10323484/2013 दिनांक 05–08–2013 प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में वर्णित गुलरिहा गाजीपुर सम्पर्क मार्ग से भूपानी तक सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण हेतु लम्बाई 6.75 किमी0 एवं लागत रु0 418.96 लाख का आगणन गठित पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013–14 में मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या–3438, दिनांक 21–01–2014 द्वारा नियोजन विभाग को प्रेषित है। समिति वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत उक्त सम्पर्क मार्ग की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

पनकी पावर हाउस कानपुर में 660 मेगावाट की नई इकाई की स्थापना की प्रगति कितना कार्य हो चुका की जानकारी

10–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पनकी पावर हाउस कानपुर में 660 मेगावाट की नई इकाई की स्थापना की घोषणा बजट सत्र 2012–13 में की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त घोषणा के अनुरूप नई इकाई की स्थापना की क्या प्रगति है एवं कितना कार्य हो चुका है तथा उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

नई इकाई की स्थापना हेतु परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कराई गयी, जिसके अनुसार परियोजना की अनुमानित लागत रु0 4712.31 करोड़ दिनांक 01–08–2014 को अनुमोदित की गयी। इस परियोजना की स्थापना हेतु तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति दिसम्बर, 2014 में कर ली गयी है। परियोजना के निर्माण हेतु ई0पी0सी0 कान्ट्रेक्टर चयन के लिये निविदा दिनांक 31–01–2015 को आमंत्रित की गई है। परियोजना से वर्ष 2020 तक उत्पादन लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ–कानपुर–झांसी मार्ग में 89 कि0मी0 लोअर गंगा कैनाल के पुल के चौड़ीकरण के प्रस्तावित कार्य की प्रगति

11–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ कानपुर झांसी मार्ग में 89 किमी0 लोअर गंगा कैनाल के पुल का चौड़ीकरण कार्य प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन है, जिसके अनुसार लखनऊ–कानपुर–झांसी मार्ग पर पनकी–चकेरी उपरिगामी चार लेन मार्ग को आर0ओ0बी0 6/1 के नजदीक लोअर गंगा कैनाल पार करता है। यहां पर इटावा–चकेरी छः लेन परियोजना के अन्तर्गत चौड़ीकरण प्रस्तावित नहीं है। क्योंकि इस 23 कि0मी0 लम्बे (पनकी से चकेरी) उपरिगामी मार्ग को यथावत रखा गया है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र में के0डी0ए0 द्वारा बसायी गयी डी0 हाउसिंग कालोनी के निवासियों को कालोनी हस्तान्तरित करके मालिकाना हक प्रदान करना

12–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र में के0डी0ए0 द्वारा बसायी गयी डी0 हाउसिंग कालोनी विजयनगर, दादानगर तथा रिफ्यूजी कालोनी गोविन्दनगर आदि के निवासियों को उपरोक्त कालोनी हस्तान्तरित करने तथा मालिकाना हक दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बसायी गयी डी0 हाउसिंग कालोनी विजयनगर, दादानगर तथा रिफ्यूजी कालोनी गोविन्दनगर हस्तान्तरित/मालिकाना हक दिये जाने की कार्यवाही शासनादेश सं0–4872/9–आ–1–99/72बैठक/1990, दिनांक 04–09–1999 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित कर आवेदन–पत्र आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन–पत्रों का परीक्षण कर नियमानुसार निबन्धन की कार्रवाई प्रचलित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के आवासीय सोसायटी क्षेत्रों में विकास शुल्क लेकर विकास कार्य कराने की सरकार की योजना की जानकारी

13–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर के गोविन्दनगर विधान सभा क्षेत्र के आवासीय सोसायटी क्षेत्रों में विकास शुल्क लेकर विकास कार्य कराने की सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वर्तमान में ऐसी कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर ग्राम बदुआपुर का विद्युतीकरण कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

14–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र गोविन्दनगर जनपद कानपुर के वार्ड 17 सरायमीता के दलित ग्राम बदुआपुर का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 2276/2014 दिनांक 03 फरवती 2014 जिला अधिकारी,

प्रशासन, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

सराय मीता ग्राम बदुआपुर का विद्युतीकरण नवम्बर, 2014 को पूर्ण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की तहसील करछना के कचरी में वर्ष 2006 में प्रस्तावित करछना पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने की जानकारी

15–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद, तहसील–करछना के कचरी में वर्ष 2006 में प्रस्तावित करछना पावर प्लांट प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य सरकार द्वारा प्रारम्भ करवाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

इलाहाबाद जनपद की करछना तहसील में 2ग660 मे0वा0 करछना तापीय विद्युत परियोजना स्थापित किये जाने हेतु चयनित विकासकर्ता मै0 जयप्रकाश एसोसिएट लि0, द्वारा परियोजना से स्वयं के वापस करने से उत्पन्न स्थिति के कारण, विकल्प के रूप में परियोजना को उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा स्थापित किये जाने के विषय में शासन द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

''करछना तापीय परियोजना के विकासकर्ता मेसर्स संगम पावर जनरेशन कम्पनी लि0 को निजी क्षेत्र से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थानान्तरित कर उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 द्वारा स्थापित किये जाने पर आपसी वार्ता के आधार पर शर्तों को निर्धारित करके सैद्धान्तिक कार्यवाही किये जाने की सहमति प्रदान की गई है।''

मै0 जयप्रकाश एसोसिएट लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं राज्य ऊर्जा निगमों के मध्य आपसी वार्ता कर, अग्रेतर परियोजना में विकासकर्ता के हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रकाश नहीं उठता।

प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों को प्लाट की सुविधा जनपद गाजियाबाद, जनपद गौतमबुद्ध नगर तथा लखनऊ शहर में प्लाट उपलब्ध कराने की सरकार की योजना

16–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्द्रहवीं विधान सभा के कार्य काल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त माननीय विधायकों को जनपद गाजियाबाद में आवासीय प्लाट की सुविधा उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार द्वारा भी प्रदेश के नवनिर्वाचित विधायकों को प्लाट की सुविधा जनपद गाजियाबाद या जनपद गौतमबुद्ध नगर व लखनऊ शहर में उपलब्ध कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

लखनऊ, गाजियाबाद एवं नोयडा प्राधिकरणों में मा0 विधायकगणों को प्लाट उपलब्ध कराये जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चमरौली से सौ फुटा फतेहाबाद रोड से नगला वादामी (तौरा) को जाने वाले मार्ग का निर्माण कराया जाना

17–श्री काली चरन सुमन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90 आगरा के ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत गांव चमरौली से सौ फुटा फतेहाबाद रोड से नगला वादामी (तौरा) को जाने वाले रास्ते में गहरे–गहरे गड्ढे हो गये हैं, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्ते का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम रोनीजा से चदरों (गोपालपुरा) तक व ग्राम दोंन से गोराम छिया कबूतरन डेरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

18–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम रोनीजा से चदरों (गोपालपुरा) तक व ग्राम दोंन से गोराम छिया कबूतरन डेरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम रोनीजा, दोंन व गोरामछिया कबूतरन डेरा पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है तथा ग्राम रोंनीजा से चदरों (गोपालपुरा) तक व ग्राम दोंन से गोरामछिया कबूतरन डेरा तक को जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम दोंन से ओडिया बाबा (म0प्र0 सीमा तक) सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

19–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम दोंन से ओडिया बाबा (म0प्र0 सीमा तक) सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत तेदौल से पुरैनिया खिरक तक व ग्राम निमोना खेरा व गुमान खेरा तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

20–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम तेदौल से पुरैनिया खिरक तक व ग्राम निमोना खेरा व गुमान खेरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम तेदौल पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम तैदोल से पुरैनिया खिरक तक मार्ग सोलिंग स्तर तक पूर्व से निर्मित है। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है। ग्राम निमोना खेरा व गुमानखेरा बरूआ सागर नगर पालिका अन्तर्गत लेपित मार्ग से संतृप्त है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम वरगढ़ से आरी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

21–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत ग्राम वरगढ़ से आरी तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को

आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की परेशानियों को ध्याम में रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम वरगढ़ एवं ग्राम आरी पूर्व से ही अलग–अलग सम्पर्क मार्गों से जुड़े हैं। इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत बिरगुवा रोड से धमना तक के सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराने की मांग

22–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव अन्तर्गत बिरगुवा रोड से बावल तक व ग्राम–पालर से बावल हांडा तक, मवई नहर से रिवरिया तक तथा ग्राम–मवई से धमना तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम बावल एवं ग्राम पालर तथा मवई नहर पटरी मार्ग व ग्राम मवई पूर्व से अलग–अलग लेपित मार्गों से जुड़े हैं। ग्राम बावल टाडा तथा ग्राम खिरिया की कुल आबादी क्रमशः 351 व 187 है। वर्तमान में 500 से कम आबादी वाले ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है। ग्राम मवई से धमना मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ के बिजलीघर का निर्माण शीघ्र किये जाने की मांग

23–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ में 132 के0वी0ए0 बिजलीघर का विगत वर्षों से चल रहे निर्माण कार्य पूरा

न होने के कारण विद्युत आपूर्ति का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय जनता एवं छात्र–छात्राओं को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बिजलीघर का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा कराकर विद्युत व्यवस्था ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं। विद्युत व्यवस्था का संचालन ठीक ढंग से हो रहा है क्योंकि 132 के0वी0 उपकेन्द्र खैरागढ़ का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के वि0ख0 सैया इरादत नगर रोड से जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

24–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ के वि0ख0 सैया इरादत नगर रोड से लादूखेड़ा तक एवं ग्वालियर हाई–वे रोड तेहरा से गडुआ का नगला होते हुए बिरहरू तक की सड़क जर्जर एवं गड्ढे युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों की मरम्मत कराये गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मार्ग पर आवागमन सुचारू रूप से चालू है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में सी0ए0टी0 मार्ग पर बने बंधे से जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने की मांग

25–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र–खैरागढ़ के वि0ख0 जगनेर में सी0ए0टी0 मार्ग पर बने बंधे से वाजिदपुर तक एवं तातपुर कोट मार्ग से (सी0ए0टी0) गंगापुर तक की सड़क जर्जर एवं गड्ढे युक्त होने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों सड़कों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। आवागमन सुचारू रूप से चल रहा है।

सी0ए0टी0 के मार्ग से वाजिदपुर सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य स्वीकृत हो गया है तथा प्रगति में है। तातपुर कोट मार्ग से गंगापुर मार्ग लो0नि0वि0 के स्वामित्व का नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

26–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

खदिनांक 16–03–2015 को अता0प्र0सं0–49 द्वारा उत्तरित,

जनपद लखनऊ के शारदानगर योजना अन्तर्गत रतनखण्ड के पार्क संख्या–9 व 10 के चारों तरफ पोलों पर लाइट खराब होने से ठीक कराया जाना

27–श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के शारदानगर योजना अन्तर्गत रतनखण्ड के पार्क संख्या–9 व 10 के चारों तरफ पोलों पर लाइट नहीं जलती है, जिससे चोरी, आपराधिक घटना की समस्या बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों की खराब लाइटों को ठीक कराकर सभी पोलों की लाइट जलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

शारदा नगर योजना के अन्तर्गत रतनखण्ड के पार्क संख्या–9 व 10 की खराब लाइटों को ठीक करा दिया गया है। वर्तमान में लाइटें सुचारू रूप से जलाई जाती हैं।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत कोरी कुइयां नहर पटरी पर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग

28–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड सिंधौली के अन्तर्गत कोरी कुइयां नहर पटरी पर नगला व लेट होते हुए उल्लियां तक बनी हुई सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर से ग्राम पुरायू से हुसैनापुर तक गड्ढा व जलभराव युक्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

29–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड तिलहर में ग्राम पुरायू से हुसैनापुर तक कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम पुरायूं पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम हुसैनापुर की आबादी 462 है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की आबादी 121 है। वर्तमान में 500 से कम आबादी के ग्रामों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में वगडेर से कलन्दरगंज तक गड्ढा व जलभराव वाले मार्ग की मरम्मत कराया जाना

30–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड सिंधौली में वगडेर से कलन्दरगंज तक कच्चा गड्ढायुक्त मार्ग में जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम वगडेर एवं कलन्दरगंज पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इन्हें परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम बरखेड़ा हवेली से फत्तेपुर होते हुए क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

31–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम बरखेड़ा हवेली से फत्तेपुर होते हुए ग्राम खड़करी तक बनी हुई कच्ची सड़क क्षतिग्रस्त एवं जल भराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

क्षेत्रीय जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

ग्राम बरखेड़ा हवेली एवं खड़करी पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े हैं। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम गुवार से बरखेड़ा हवेली तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

32–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 133 तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड तिलहर के ग्राम गुवार से बरखेड़ा हवेली तक बनी हुई पक्की क्षतिग्रस्त सड़क पर जलभराव हो जाने के कारण आवागमन में क्षेत्रीय जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। मार्ग पर यातायात चल रहा है।

मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर से बरखेड़ा होते हुए क्षतिग्रस्त सड़क का मरम्मत कराया जाना

33–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर से बरखेड़ा होते हुए मन्नापुर शेकरपुर पडरी व ग्राम जमिरहा से गनेशापुर तक करीब 1.50 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क करीब 1.5 कि0मी0 नहीं बनी है जिसमें गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम हिम्मतपुर से बरखेड़ा होते हुए मन्नापुर, शंकरपुर, पडरी मार्ग लम्बाई 2.870 किमी0 है,

जिसमें से हिम्मतपुर से बरखेड़ा तक खडन्जा कार्य ग्राम पंचायत द्वारा कराया गया है। उक्त मार्ग का 200 मी0 भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन पडरी सम्पर्क मार्ग के संरेखण में है एवं शेष भाग कच्चा है, जिसे जिला योजना वर्ष 2015–16 में प्रस्तावित किया गया है, जिसकी स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

ग्राम जमिरहा एवं गणेशापुर पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े है। अतः उन्हें आपस में जोड़ने हेतु शासन की कोई योजना नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम मियापुर से ग्राम रधौला तक 200 मीटर क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

34–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम मियांपुर से ग्राम रधौला तक 2000 मी0 क्षतिग्रस्त सड़क के कारण किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

किसानों को आवागमन में परेशानी होती है।

ग्राम मियांपुर व रधौला पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़े है। इन दोनों ग्रामों को आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम पसगवां हाई–वे से खरगापुर, ग्राम महुआडांव से सेमरा घाट गुरूद्वारा के पास बरबर सड़क तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

35–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम पसगवां हाई–वे से खरगापुर तक 3.0 कि0मी0 व ग्राम महुआडांव से सेमरा घाट गुरूद्वारा के पास बरबर सड़क 3.0 कि0मी0 क्षतिग्रस्त सड़क नहीं बनी है जिससे गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

खरगापुर पूर्व में ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। सेमराघाट प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माणाधीन मार्ग से जुड़ जायेगा। सेमराघाट गुरूद्वारा के पास से बरबर सड़क तक मार्ग लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी सहिजनिया से ग्राम गेंहुआ तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

36–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी सहजनिया से ग्राम गेंहुआ तक 2 कि0मी0 लेपन स्तर तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गन्ना किसानों को पेरशानी होती है।

जी नहीं। ग्राम सहिजनिया, रेहरिया–सुन्दरपुर लेपित मार्ग से जुड़ा है। ग्राम गेहुआ की आबादी 399 होने के कारण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी तथा विकास खण्ड पसगवां में बरबर पेट्रोल पम्प से मड़इया गांव तक क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना

37–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत विकास खण्ड मोहम्मदी तथा विकास खण्ड पसगवां में बरबर पेट्रोल पम्प से मड़इया गांव तक लेपन स्तर शून्य से 2 कि0मी0 सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की लेपन स्तर तक मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

गन्ना किसानों को आवगमन में परेशानी होती है।

ग्राम मड़इया पूर्व से ही लेपित मार्ग से जुड़ा है। अतः प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार के अन्तर्गत घाघरा नदी पर देवरीघाट (गोला) पर पीपे का पुल निर्माण की कार्रवाई की जानकारी

38–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग अनुभाग 10 द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2011 को पत्रांक संख्या 08 मंत्री (1)/23.10.11, 125 सेतु/10 प्रश्नकर्ता को अवगत कराया था कि विधान सभा क्षेत्र चिल्लूपार अन्तर्गत घाघरा नदी के देवरीघाट (गोला) पर पीपे के पुल निर्माण हेतु विशेष कार्याधिकारी, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पीपे के पुल के निर्माण में अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रस्तावित पीपे के पुल के स्थान पर मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा पक्के सेतु के निर्माण हेतु घोषणा की गयी है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार क्षेत्र बैरियाखास से आछीडीह मार्ग, गोनेहा मार्ग कतिपय अन्य सड़कों की मरम्मत कराया जाना

39–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के चिल्लूपार क्षेत्र बैरियाखास से आछीडीह मार्ग, सीधेगोर से बल्थर होते हुए गोनेहा मार्ग, नवली जू0हा0 स्कूल से शमरूप के घर होते हुए, ब्राह्मण टोला, श्यामलाल की दलित बस्ती होते हुए खदेरू टोला से कबलू की छावनी तक 5 कच्चे सड़कों का त्वरित विकास योजना में पिच कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 02–12–2012 मुख्य अभियन्ता, गोरखपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 29–12–12 द्वारा त्वरित आर्थिक विकास योजना के अर्न्तगत 05 मार्गों का प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्रेषित किया गया था। सीमित वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के कारण उन पर विचार किया जाना संभव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम टड़वा श्रीराम (ब्लाक उरूवा) की चकबन्दी कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

40–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम टड़वा श्रीराम (ब्लाक उरूवा) की चकबन्दी कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17–11–2011 के क्रम में आदेश संख्या 2161/जी0 02/11 एवं पुनः दिनांक 24–08–2012 मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। पत्र दिनांक 17.11.2011 प्राप्त हुआ है, परन्तु पत्र दिनांक 24.08.2012 कार्यालय अभिलेखों की छानबीन के उपरान्त प्राप्त होना नहीं पाया गया है।

ग्राम टड़वा, श्रीराम तहसील गोला, जिला गोरखपुर की चकबन्दी प्रक्रिया को जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी की संस्तुति दिनांक 21.4.2006 के आधार पर उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा–6(1) के अन्तर्गत विज्ञप्ति दिनांक 25.10. 2007 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। धारा–6(1) की उपरोक्त विज्ञप्ति के विरुद्ध योजित रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के द्वारा निरस्त कर दी गयी, जिसके विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विशेष अनुज्ञा याचिका लम्बित है। प्रश्नगत विज्ञप्ति के ही विरुद्ध एक अन्य रिट याचिका मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष विचाराधीन है। इस प्रकार प्रकरण सब्जुडिस (नइरनकपबम) है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक का रख–रखाव न होने से व अवैध पार्किंग/कब्जों के कारण पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोककर रख–रखाव की कार्य योजना

41–डा0 धर्मपाल सिंह –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक का रख–रखाव न होने व अवैध पार्किंग/कब्जों से इसके स्वरूप पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार शहीदों की याद में बने शहीद स्मारक के रख–रखाव हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक का नियमित रूप से रख–रखाव किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में शहीदों की मूर्तियों पर छतरी लगाने, लोहे की तोपों पर रेडियम कलर, बेन्चों की मरम्मत व पेन्टिंग, पुस्तकालय में डिस्प्ले बोर्ड, बुक सेल्फ एवं जाली फ्रेम, फुटपाथ पर पत्थर, डस्टबिन की आपूर्ति, सी0सी0 बेन्चों की आपूर्ति, महिला शौचालय का निर्माण, मुक्ताकाशी मंच का निर्माण, झील के चारों तरफ स्टील की रेलिंग का कार्य, रेड स्टोन इत्यादि कार्य करा दिये गये हैं। नगर निगम आगरा द्वारा विशेष प्रयास कर समय–समय पर अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई की गयी। शहीदों की याद में शहीद स्मारक के रख–रखाव हेतु कार्य योजना के अनुसार दो सफाई कर्मचारी, दो माली एवं चार सुरक्षा गार्ड कार्यरत हैं।

आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा शहीद स्मारक का समुचित रख–रखाव किया जाता है। शासन स्तर से अलग से कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर हुई कार्रवाई की जानकारी

42–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री सचिवालय का पत्र संख्या–सी0एम0वि0को0/ एम0/पी0जी0–10487406/2014, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, परन्तु मा0 सदस्य, विधान सभा का मूल पत्र जिसमें मार्गों का विवरण है, अप्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अर्न्तगत विभागीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

43–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत विभागीय योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय मे ंदर्ज पत्र संख्या–सी0एम0वि0को0/ एम0/पी0जी0–10410915/2014 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में 300 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों के विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था। इन मानकों के अनुसार न होने के कारण ग्राम पंचायत तालाब वघैल का मजरा, जनकी नगर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की 11वीं योजना में चयनित नहीं हो पाया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद बहराइच की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

अतः उक्त मजरे का विद्युतीकरण भविष्य में आने वाली किसी अन्य योजना में चयनित होने के उपरान्त किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वि0ख0 फखरपुर के ग्राम शिवपुरा के मजरा बिन्द्रापुरवा, तेलिन पुरवा व डाड़ेपार में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

44–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वि0ख0 फखरपुर के ग्राम शिवपुरा के मजरा बिन्द्रापुरवा, तेलिनपुरवा व डाड़ेपार में विद्युतीकरण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/ वि0को0/एम/पी0जी0–10412397/2014 प्रमुख सचिव, उर्जा उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों/मजरों की आबादी 300 या उससे अधिक है उन्हीं ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वि0ख0 फखरपुर के ग्राम शिवपुरा के मजरा बिन्द्रापुरवा, तेलिन पुरवा व डाड़ेपार के विद्युतीकरण कराये जाने हेतु आबादी उपरोक्त मानक के अनुरूप न होने के कारण चयनित नहीं हो पाया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद बहराइच की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0ख0 विशेश्वरगंज के पास सेमरा के मजरा तिवारीपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर की गई कार्रवाई की जानकारी

45–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत वि0ख0 विशेश्वरगंज के ग्राम सेमरा के मजरा तिवारीपुरवा में विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में

दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम/पी0जी0– 10410779/2014 प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार जिन ग्रामों/मजरों की आबादी 300 या उससे अधिक है उन्हीं का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत किया जा रहा है।

बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के वि0ख0 विशेश्वरगंज के ग्राम सेमरा के मजरा तिवारीपुरवा की आबादी उपरोक्त मानकानुरूप न होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के द्वितीय चरण में चयनित नहीं हो पाया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद बहराइच की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्वीकृत विद्युत सम्बन्धी कार्यों को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

46–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्वीकृत विद्युत सम्बन्धी कार्यो को शीघ्र प्रारम्भ कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्र संख्या–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–10462456/2014 प्रमुख सचिव ऊर्जा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

खुटेहना फीडर, पुरैना मोड़, पुरैना बाजार, कांधीकुइयां, लौकाही बिन्द्रबाजार, पटिहाट चौराहा, बस स्टाफ विश्वेशरगंज, कुशभौना, दपौली परसिया, गंगवल बाजार, ग्राम नउवनपुरवा, पयागपुर, दपौली, पंडितपुरवा सुहेलवा, लोलियनपुरवा सुहेलवा, कल्लू पुरवा, सहससवा, कोट बाजार, भूपगंज बाजार, गंगवल बाजार, गंगवल बाजार भोलापुरवा, पयागपुर पश्चिमी, मधनगरा, मछली मंडी पयागपुर, श्रीनगर, प्रजापति जानकी नगर रोड गोण्डा में यथावंचित परिवर्तक क्षमतावृद्धि स्थापना लाइन निर्माण, जर्जर तार व पोल बदलने का कार्य ए0बी0सी0 बंच केबिल लगाने आदि का कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं।

मोक्षद्वार इण्टर कालेज व इमरती में 25 के0वी0ए0 उपकेन्द्र व लाइन निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

सेमरियावां, बरगदही, ग्राम सोहरियावां में परिवर्तक स्थापना, क्षमतावृद्धि का कार्य बिजनेस प्लान 13–14 में स्वीकृत है, कार्य प्रगति पर है तथा अप्रैल 2015 तक कार्य पूर्ण किया जाना लक्षित है।

पलटनपुरवा (पयागपुर) में सम्बन्धित ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना में चयनित है तथा परिवर्तक स्थापना एवं लाइन निर्माण का कार्य माह अक्टूबर 2015 तक पूर्ण करा दिया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में निर्माणाधीन विद्युत विभाग की ए0पी0डी0आर0पी0 योजना द्वारा लगने वाली विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों के कार्य को पूरा कराया जाना

47–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में निर्माणाधीन विद्युत विभाग की ए0पी0डी0आर0पी0 योजना द्वारा लगने वाली विद्युत लाइनों एवं ट्रांसफार्मरों का कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में निर्माणाधीन विद्युत विभाग की ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का कार्य प्रगति पर है, जिसे सितम्बर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थाना भवन में मुल्ला रोड पर निर्मित पुल के दोनों ओर जनता की समस्या को देखते हुए पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जाना

48–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन में मुल्ला रोड पर निर्मित पुल के दोनों ओर जनता की समस्या को देखते हुए पक्के सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद कानपुर में गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनेकों गावों की जमीन के अधिग्रहण के बाद गावों की विकास की योजना की जानकारी

49–श्री सत्यदेव पचौरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र में कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम पनकी भव सिंह सरायमीता, जमुई, बदुआपुर, शाहपुर एवं पनकी कला की जमीन एवं आवास विकास परिषद् द्वारा ग्राम रावतपुर, मसवानपुर, हसनपुर एवं धामीखेड़ा के गांव की जमीन अधिग्रहीत की गयी थी ?

यदि हां, तो क्या उक्त गांवों के विकास कार्य कराने हेतु सरकार की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्राधिकरण/परिषद द्वारा उक्त अधिग्रहीत राजस्व गांवों का विकास कार्य प्रचलित नीतियों/शासनादेशों के अनुरूप कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की 135 विधान सभा क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत खम्भे व तार लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

50–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135–शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र में आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत कुल कितने खम्भे मय विद्युत तार के लगाने विषयक प्रश्नकर्ता का प्रस्ताव 2012, अप्रैल से अगस्त, 2014 तक प्रबन्ध निदेशक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0/एम0डी मध्यांचल विद्युत वितरण/अधीक्षक अभियन्ता विद्युत, शाहजहांपुर को प्राप्त हुए तथा उनको स्थापित करने की कार्रवाई किस स्तर से हो रही है ? क्या सरकार उक्त विद्युत खम्भे व तार शीघ्र ही स्थापित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत शाहजहांपुर नगर में मा0 सदस्य द्वारा कुल 65 अदद पोल मय तार के लगाने हेतु प्रस्ताव दिये गये थे। इसमें से 57 अदद पोल मय तार लगा दिये गये हैं तथा शेष अदद पोल मय तार के लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

इस योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, शाहजहांपुर हैं।

जी हां।

मार्च, 2015 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत ट्रांसफार्मरों के विभिन्न कारणों से फुंकने के कारण सरकार की कारगर योजना की जानकारी

51–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर विद्युत ट्रांसफार्मर हर वर्ष विभिन्न कारणों से फुक जाते हैं ? यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या नीति बनायी है ? क्या ट्रान्सफार्मर में ऐसे कोई अलार्म या फ्यूज की

व्यवस्था की जायेगी जिसे ट्रान्सफार्मर फुंकने से रोका जा सके ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

कुछ विद्युत ट्रांसफार्मर हर वर्ष विभिन्न कारणों से फुंक जाते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर का अधिक पुराना हो जाना, आकाशीय बिजली गिर जाना, एल0टी0 लाईन फाल्ट तथा उपभोक्ताओं द्वारा अनबैलेन्स तरीके से अतिभारित कर देना आदि।

ट्रांसफार्मर को फुकने से बचाने के लिए ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर की क्षमतावृद्धि आवश्यकतानुसार की जाती है। ट्रांसफार्मर पर आकाशीय बिजली गिरने से रोकने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है तथा अर्थिंग की जाती है। आवश्यकतानुसार अनुरक्षण किया जाता है एवं ट्रांसफार्मर पर उचित क्षमता के फ्यूज लगाये जाते हैं। लोड बैलेन्सिंग की जाती है। भविष्य में इस समस्या के समाधान हेतु उन्नत तकनीकी के स्टार रेटिंग वाले ट्रांसफार्मर क्रय किये जा रहे हैं।

परिवर्तकों को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के लिए परिवर्तक पर एच0टी0 एवं एल0टी0 साइड में फ्यूज का प्राविधान किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में शहवाजनगर होते हुए क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराया जाना

52–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर से शहवाजनगर होते हुए घुसगवां मार्ग, शाहजहांपुर स्टेशन रोड से सिधौली व पुवायॉ मार्ग, शाहजहांपुर से मोहम्दी रोड पर वसुनिया–ददियुरा मार्ग कचहरी–केरूगंज मार्ग, घण्टाघर से स्टेशन रोड मार्ग व उदियापुर मार्ग गड्ढे युक्त होकर क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत/पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद शाहजहांपुर में शहवाजनगर होते हुए घुसगवां मार्ग, शाहजहांपुर से मोहम्मदी रोड पर वसुलिया–ददियुरा मार्ग कचहरी–केरूगंज मार्ग, उदियापुर मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं एवं शाहजहांपुर स्टेशन रोड से सिधौली व पुवांयां मार्ग, कचहरी–केरूगंज मार्ग, घण्टाघर से स्टेशन रोड मार्ग की दशा संतोषजनक है। मार्गों पर यातायात चल रहा है।

क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा देने हेतु सभी जिला अस्पतालों में डिजीटल एक्स–रे मशीन स्थापित करने विषयक

53–श्री मनीष असीजा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के नागरिकों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा देने हेतु सभी जिला अस्पतालों में डिजीटल एक्स–रे मशीन स्थापित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक व विशिष्ट चिकित्सा उपकरणों को स्थापित किया जाना विशिष्ट चिकित्सा विशेषज्ञों, अन्य तकनीकी स्टाफ एवं प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं फर्स्ट रेफरल यूनिटों में सृजित सभी पदों पर डाक्टर्स एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति किये जाने का प्रकरण

54–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं फर्स्ट रेफरल यूनिटों में सृजित सभी पदों पर डाक्टर्स एवं विशेषज्ञों की नियुक्तियां नहीं की गयी हैं ? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक की जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की सूची प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर तैनाती की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों की कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधा सरकार द्वारा दिलाया जाना

55–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य है किन्तु होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार हेतु उक्त सुविधा अनुमन्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार होम्योपैथिक पद्धति से कराये उपचार पर व्यय धनराशि की भी प्रतिपूर्ति की सुविधा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं। अधिसूचना संख्या–2275/5–6–11–1082–87, दिनांक 20.09.2011 द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 में निहित प्राविधानों के अनुसार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक पद्धति से कराये गये उपचार पर व्यय धनराशि की चिकित्सा प्रतिपूर्ति अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फफून्डा में विद्युत उपकेन्द्र के बनाये जाने का प्रकरण

56–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा क्षेत्र के ग्राम फफून्डा में संस्तुति के बाद भी बिजली घर नहीं बन पाया है जबकि जमीन का प्रस्ताव भी जिलाधिकारी, मेरठ को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

ग्राम फफून्डा में भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में ग्राम–फफून्डा में कोई 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण किसी योजना में स्वीकृत नहीं हुआ है।

भूमि उपलब्ध होने एवं तकनीकी आवश्यकता होने पर भविष्य में किसी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में बिजली पर ओवरलोड होने से विद्युत सप्लाई की आवा जाही की परेशानी रोकने हेतु नये विद्युत उपकेन्द्र को स्थापित करने विषयक

57–श्री सुरेश राणा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र थानाभवन, जनपद शामली के कस्बा थानाभवन में बिजली घर ओवरलोड होने के कारण जनता को होने वाली परेशानियों को दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार नये बिजली घर की स्थापना करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र थाना भवन, जनपद शामली के कस्बा थाना भवन में बिजली घर ओवरलोड होने के कारण अतिभारिता दूर करने हेतु 02 नं0 विद्युत उपकेन्द्र 01 नं0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (2 ग 5 एम0वी0ए0) कस्बा थाना भवन एवं 01 नं0 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र ग्राम नौजल में वित्तीय वर्ष 2015–16 में पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के थाना भवन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव पिंडौरा से लेकर कच्ची गली की ओर नवनिर्मित रोड के क्षतिग्रस्त होने की जांच कराकर दोषियों को सजा दिये जाने सम्बन्धी

58–श्री सुरेश राणा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली के थानाभवन विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गांव पिंडौरा से लेकर कच्ची गली की ओर नवनिर्मित चार किमी0 सड़क गुणवत्तापरक काम न होने से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग पर स्वीकृत कार्य के सापेक्ष किये गये नवीनीकरण कार्य में कतिपय स्थानों पर पैच हो गये थे, जिन्हें ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय पर ठीक कराया गया है। कार्य संतोषजनक ढंग से पूर्ण कराया गया है।

जांच की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर महानगर के महराजपुर स्थित नरवल से हजरतपुर नरवल आश्रम से काछिन खेड़ा–रामपुर– हरचन्दखेड़ा एवं सरसौल से कमालपुर होते हुए नजफगढ़ मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत कराया जाना

59–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित नरवल से हजरतपुर, नरवल आश्रम से काछिन खेड़ा–रामपुर–हरचन्दखेड़ा एवं सरसौल से कमालपुर होते हुए नजफगढ़ मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चल रहा है।

मार्गों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के गांवों के गरीब असहाय एवं अक्षम लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना

60–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के गांव, अमृताखास, करेलो,

खनका–उवसिया, माधौपुर, बमरौली भदैगकजा तथा ईट गांव में गरीब, असहाय एवं अक्षम नागरिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 11–02–2014 के अनुसार प्रदेश में नये प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की नीति निर्धारित है। प्रश्नगत ग्रामों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण निःशुल्क व निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने तथा उक्त शासनादेश दिनांक 11–02–2014 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मानक पूर्ण किये जाने पर निर्भर है।

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर से गांव पसगवां तक जाने वाला मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत की मांग

61–श्री अगयश राम सरन वर्मा–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत कनपरा अल्पिका की पटरी पर गांव भीखमपुर (वकैनिया तालुके रामपुर अमृत) से गांव पसगवां तक जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र में ग्राम फफून्डा से ग्राम चान्दसारा स्टेशन तक का मार्ग का निर्माण कराया जाना

62–श्री रविन्द्र भडाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ दक्षिण विधान सभा में ग्राम फफून्डा से ग्राम चान्दसारा स्टेशन तक का मार्ग कच्चा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

ग्राम फफून्डा से ग्राम चान्दसारा स्टेशन डामरीकृत सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु सिंचाई बन्धु का जिलेवार गठन होने के बाद जनपद फैजाबाद में शासनादेशानुसार वर्ष 2012 में आहूत बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज करायी गयी समस्याओं का समाधान का प्रकरण

63–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों की सिंचाई सम्बन्धी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु प्रदेश में सिंचाई बन्धु का जिलेवार गठन किया गया है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद में शासनादेश के अनुसार वर्ष 2012 से अब तक कुल कितनी बैठकें आहूत की गयीं एवं क्या बैठकों में जनप्रतिनिधियों द्वारा दर्ज करायी गयी समस्याओं का समाधान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

शारदा सहायक संगठन के नियन्त्रणाधीन जनपद फैजाबाद में वर्ष 2012 से अब तक कुल 26 बैठकों का आयोजन किया गया। मा0 जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्त बैठकों में उठायी गयी समस्याओं का निदान समय–समय पर संबंधित खण्डों द्वारा कराया जाता रहा है। वर्तमान में कोई समस्या निस्तारण हेतु लम्बित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद व जनपद बाराबंकी में वर्ष 2012 से 15–01–2015 तक आम आदमी बीमा योजना संचालित है, के अन्तर्गत लम्बित दावों का निस्तारण किया जाना

64–श्री रामचन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भूमिहीन मजदूरों तथा कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आम आदमी बीमा योजना संचालित है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में वर्ष 2012 से 15–01–2015 तक कुल कितने अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया एवं कितने दावे अभी तक लम्बित हैं ? लम्बित दावों का निस्तारण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना संचालित है।

जनपद फैजाबाद में कुल 448 एवं बाराबंकी में कुल 853 दावों का भुगतान कर अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है एवं जनपद फैजाबाद में कुल 54 मृत्यु दावे तथा बाराबंकी में 138 मृत्यु दावे और छात्रवृत्ति के 2765 प्रकरण लम्बित हैं।

लम्बित दावों का निस्तारण राजस्व परिषद्, उ0प्र0, लखनऊ एवं कार्यदायी संस्था भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से यथाशीघ्र कराने का प्रयास किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के लहरगिर्द क्षेत्र में आई0टी0आई0 के पास 04 वर्ष पूर्व निर्मित उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अभी तक डाक्टर व स्टाफ तैनात कराकर उपयोग में लिये जाने विषयक

65–श्री रवि शर्मा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी के लहरगिर्द क्षेत्र में आई0टी0आई0 के पास 04 वर्षों पूर्व निर्मित उप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में अभी तक डाक्टर एवं स्टाफ तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल को उपयोग में कब तक लाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर चिकित्सक तथा स्टाफ नर्स की नियुक्ति/तैनाती का प्राविधान नहीं है। लहरगिर्द उपकेन्द्र पर ए0एन0एम0 का पद स्वीकृत है, जिस पर एक ए0एन0एम0 कार्यरत है।

ए0एन0एम0 द्वारा उपकेन्द्र पर बच्चों एवं गर्भवती माताओं की जांच एवं टीकाकरण नियमित रूप से किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला झांसी में ग्राम गुढ़ा तहसील झांसी के मुहल्ला ढीमरों का पुरवा में यथाशीघ्र विद्युत व्यवस्था कराया जाना

66–श्री रवि शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गुढ़ा तहसील व जिला झांसी के मुहल्ला ढीमरों का पुरवा में अभी तक कोई भी विद्युत व्यवस्था यथा–पोल व तार उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में यथाशीघ्र विद्युत व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

वर्तमान में जनपद के समस्त आंशिक विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत ग्राम/मजरों जिनकी आबादी सेन्सस कोड 2011 के अनुसार 100 से अधिक है, का पूर्ण विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण योजना के (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत प्रस्तावित है परन्तु ग्राम गुढ़ा तहसील व जिला झांसी के मुहल्ला ढीमरों का पुरवा की आबादी 100 से कम होने के कारण उक्त योजना में सम्मिलित नहीं है।

भविष्य में विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी गुरूसराय में हाईटेंशन लाइन के तार टूटने से हुई दुर्घटना को देखते हुए झांसी नगर में मकान के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को हटवाया जाना

67–श्री रवि शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके संज्ञान में है कि मकान के ऊपर से निकलने वाली हाईटेंशन लाइन के तार टूटने से गुरूसराय (झांसी) में हुई दुर्घटना में कई व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई घायल हुए हैं ? यदि हां, तो झांसी नगर में हाईटेंशन लाइनें जो मकान के ऊपर से निकल रही हैं अथवा जहां लकड़ी की बल्लियों पर तार डालकर विद्युत प्रवाह किया जा रहा है, को हटाने और शिफ्ट करने पर सरकार कोई विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

झांसी नगर में हाईटेंशन लाइन कई वर्षों पूर्व की बनी है। समय के साथ–साथ लोगों ने उसके नीचे आस–पास घर बना लिये हैं। शिकायत प्राप्त होने पर कई स्थानों पर हाईटेंशन लाइन के तार ऊंचे करा दिये गये हैं। वर्तमान में आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के अन्तर्गत 11 के0वी0 फीडर को सुदृढ़ीकरण तथा लम्बे स्पानों के बीच पोल लगाने का कार्य कराया जा रहा है तथा 33 के0वी0 व 11 के0वी0 में कुछ नये फीडर बनाये जा रहे हैं। लाइन हटाने और शिफ्ट करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

क्योंकि नियमानुसार लाइनों के नीचे अवैध रूप से बने मकानों के ऊपर से लाइन तभी हटायी जा सकती है जब मकानों के स्वामी लाइन को हटाने हेतु आवेदन कर लाइन हटाने तथा शिफ्ट करने में होने वाले व्यय को विभाग में जमा करें।

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा मीटर घर के बाहर व खम्भों में लगाने से मीटर में पानी भरने से स्पीड में फर्क आने से खराबी से बचाने हेतु सरकार के उपाय

68–श्री रवि शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत मीटर घर के बाहर व खम्भों पर लगाये गये हैं, में बारिश का पानी बह रहा है जिससे मीटर के भीतर भी पानी जा रहा है जिससे मीटर खराब होने तथा स्पीड कम या ज्यादा होने का खतरा हो रहा है ? क्या सरकार इसके खतरे के बचाव के लिए कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

मीटर सील पैक होने के कारण घर के बाहर एवं खम्भों पर लगे मीटरों के अन्दर बारिश का पानी नहीं जाता है। अतः मीटर खराब होने का खतरा नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मेटर्नल रेट (मातृ मृत्यु दर) में कमी लाने की सरकार की योजना की जानकारी

69–डॉ0 अरूण कुमार–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मेटर्नल मोटेलेटी रेट (मातृ मृत्यु दर) की कमी लाने के लिए सरकार ने कोई नीति निर्धारित की है ? यदि हां, तो उसका क्या विवरण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

प्रदेश में मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट (मातृ मृत्यु दर) में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में कई योजनाएं जैसे–जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, होम बेस्ड न्यूबार्न केयर आदि संचालित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में ए0पी0एल0 की श्रेणी में आने वाले आवासहीन लोगों को मकान देने की सरकार की योजना

70–डॉ0 अरूण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में ए0पी0एल0 की श्रेणी में आने वाले आवासहीन लोगों को मकान देने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में ए0पी0एल0 की श्रेणी में आने वाले आवासहीन लोगों को मकान उपलब्ध कराये जाने हेतु आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीनस्थ अभिकरणों द्वारा 'सबके लिए आवास योजना' का संचालन किया जाता है तथा हाईटेक/इन्टीग्रेटेड टाउन शिप के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं द्वारा भी ए0पी0एल0 आय वर्ग हेतु भवनों/भूखण्डों का निर्माण/विकास कार्य किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा निम्न मध्यम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग हेतु समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग नीति का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शाहजहांपुर निगोही रोड से दौलतपुर ब्लाक भावलखेड़ा जाने वाले मार्ग पर नाली न होने के कारण सड़क में पानी भरने से हो रही परेशानी के कारण दोनों तरफ नाली का निर्माण किया जाना

71–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर निगोही रोड से दौलतपुर ब्लाक भावलखेड़ा जाने वाले मार्ग पर नाली न होने के कारण मुख्य मार्ग ही नाली बन गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग के दोनों ओर निर्मित भवनों की पिलिन्थ के सापेक्ष मार्ग की लेपित सतह नीची हो जाने के कारण मार्ग के आंशिक भाग पर जल–जमाव की स्थिति उत्पन्न होती रहती है।

मार्ग का उच्चीकरण/नाली निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में किसानों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दुर्घटना किसान जीवन बीमा का लाभ दिये जाने के दावों का निस्तारीकरण कराया जाना

72–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में किसानों की दुर्घटना में होने वाली मौतों पर उनके आश्रितों को किसान दुर्घटना बीमा योजना से लाभान्वित किये जाने की योजना संचालित है ? यदि हां, तो जनपद फैजाबाद व बाराबंकी में वर्ष 2012 से 2014 तक कुल कितने लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है ? कुल कितने दावे अस्वीकृत किये गये हैं तथा कितने दावे लम्बित हैं ? क्या सरकार लम्बित दावों का शीघ्र निस्तारण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

वर्ष 2012 से 2014 तक जनपद फैजाबाद में कुल 337 लाभार्थियों तथा जनपद बाराबंकी में कुल 409 लाभार्थियों को उक्त योजना का लाभ दिया गया है।

जनपद फैजाबाद में माह जनवरी, 2015 तक कुल 95 दावे अस्वीकृत किये गये हैं एवं स्वीकृत 115 दावे भुगतान हेतु लम्बित हैं तथा जनपद बाराबंकी में 29 दावे अस्वीकृत किये गये हैं एवं 115 दावे भुगतान हेतु लम्बित हैं।

जी हां। स्वीकृत लम्बित दावों के भुगतान की प्रक्रिया क्रियान्वयन में है।

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत कचहरी–केरूगंज सड़क कृष्णानगर के पास की पुलिया से जी0आई0सी0 पुलिया तक रोड अत्यधिक सकरी होने के कारण चौड़ा कराये जाने की मांग

73–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत कचहरी–केरूगंज सड़क कृष्णानगर के पास की पुलिया से जी0आई0सी0 पुलिया तक रोड अत्यधिक संकरी होने के कारण जाम लगता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन 4 पुलियों के बीच की सड़क को चौड़ा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। मार्ग की लेपित चौड़ाई 7.00 मी0 है। परन्तु मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया संकरी है, जिससे यदा–कदा जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

मार्ग का चौड़ीकरण मानकों से आच्छादित नहीं है।

कानपुर महानगर के महराजपुर स्थित नरवल से अखरी एवं महराजपुर स्थित नरवल से दीपापुर होते हुए सरसौल मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण मरम्मत कराया जाना

74–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के महाराजपुर स्थित नरवल से अखरी एवं महराजपुर स्थित नरवल से दीपापुर होते हुए सरसौल मुख्य मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डेंगू की बीमारी के सम्भावित समय फरवरी, मार्च माह को दृष्टिगत रखते हुए बीमारी को फैलने से पहले सुरक्षात्मक कदम उठाने की कार्य योजना की जानकारी

75–श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डेंगू की बीमारी के संभावित समय फरवरी, मार्च को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार बीमारी के फैलने से पहले सुरक्षात्मक कदम उठायेगी ? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु कौन से उपाय अपनायेगी ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

प्रदेश में डेंगू रोग से बचाव एवं नियंत्रण हेतु राज्य मुख्यालय द्वारा प्रभावी कार्य योजना बनाकर जनपदों को निर्देश प्रेषित किये जाते हैं। जिसके अनुसार जनपदों द्वारा यथा आवश्यकतानुसार कार्य योजना बनाकर इन रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया जाता है।

जनपद झांसी, विकास खण्ड बड़ागांव, विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम गोरा मछिया में मजरा आदिवासी बस्ती का विद्युतीकरण कराने विषयक

76–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी वि0 खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम गोरा मछिया में मजरा आदिवासी बस्ती का विद्युतीकरण नहीं हुआ है जिससे बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम गौरा मछिया मजरा आदिवासी बस्ती का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

जी हां।

वर्तमान में जनपद के समस्त आंशिक विद्युतीकरण/अविद्युतीकरण ग्राम/मजरों जिनकी आबादी सेन्सस कोड 2011 के अनुसार 100 से अधिक है, का पूर्ण विद्युतीकरण रराजीव गांधी ग्रामीण योजना के (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत प्रस्तावित है परन्तु ग्राम गोरा मछिया में मजरा आदिवासी बस्ती की आबादी 100 से कम होने के कारण उक्त योजना में सम्मिलित नहीं है।

भविष्य में विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम कोलवा मजरा हनुमान खिरक का विद्युतीकरण कराया जाना

77–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0 खण्ड बड़ागांव विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम कोलवा मजरा हनुमान खिरक का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम कोलवां का मजरा हनुमान खिरक का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

भविष्य में विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत बेगरऊ तिगैला से सड़क निर्माण की मांग

78–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत बेगरऊ, तिगैला से सारमधु तक व सुकुवां–ढुकुवां रोड से चन्दौली के आगे नहर तक एक बबीना–ठकुरपुरा रोड से संतपुर होते हुए कोटी तक सड़क न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम डोमागोर से पटियन मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण बनवाया जाना

79–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम डोमागोर से पटियन मुहल्ला तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत मजरा बंधियनहार (पलीदा) से महुअन डेरा तक सम्पर्क मार्ग न होने से निर्माण कराया जाना

80–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत मजरा बंधियनहार (पलीदां) से महुअन डेरा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण/करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया व देवरिया को जोड़ने वाला भागलपुर पुल जर्जर हो जाने के कारण पुल की मरम्मत कराये जाने विषयक

81–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया व देवरिया को जोड़ने वाला भागलपुर पुल जर्जर स्थिति में होने के कारण आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त जर्जर पुल की मरम्मत निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां। (आंशिक रूप से)

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में जले ट्रान्सफार्मरों की संख्या की जानकारी तथा निश्चित समय–सीमा तक ठीक करवाया जाना

82–श्री लोकेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14 तथा 2014–15 में 19–1–15 तक कुल कितने विद्युत ट्रांसफारमर जले हैं क्या सरकार जले विद्युत ट्रांसफारमरों को निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विधान सभा क्षेत्र नूरपुर में वर्षवार जले ट्रांसफार्मर का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	वर्ष	कुल जले ट्रांसफार्मर की संख्या
1	2012–13	318 नं0
2	2013–14	355 नं0
3	2014–15 (दिनांक 19–01–2015 तक)	395 नं0

ग्रामीण क्षेत्रों में 72 घण्टे एवं शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टों की समय–सीमा के अन्तर्गत विद्युत भण्डार केन्द्र, बिजनौर में उपलब्धता के आधार पर क्षतिग्रस्त वितरण परिवर्तक बदले जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में भारतगंज, प्रतापपुर मार्ग, रानीगंज से राजभवन चौराहा होते हुए शिवराजपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराया जाना

83–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में भारतगंज प्रतापपुर मार्ग, रानीगंज से रामभवन चौराहा होते हुए शिवराजपुर तक का मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है तथा कार्य प्रगति पर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ता के आवास पर लगे विद्युत मीटर की रीडिंग लेने का कार्य प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारियों से कराया जाने से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानी को दूर करने हेतु उन्हें हटाकर अच्छी कार्य योजना तैयार कर कार्रवाई किया जाना

84–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत उपभोक्ता के आवास पर लगे विद्युत मीटर की रीडिंग लेने का कार्य प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारियों से कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उक्त प्राइवेट ठेकेदारों के कर्मचारी किसी आवास पर जाते हैं और उक्त आवास पर विद्युत उपभोक्ता नहीं मिलता है तो वह पिछले माह की रीडिंग के आधार पर कम रीडिंग अथवा अधिक रीडिंग का बिल बना देते हैं तथा विद्युत उपभोक्ता को आई0डी0एफ0 (मीटर खराब) का विद्युत बिल प्राप्त होता है जिसे ठीक कराने के लिये उपभोक्ता को काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे ठेकेदारों एवं उनके कर्मचारियों पर रोग लगाने एवं व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

यदि किसी कारण से उपभोक्ताओं के यहां मीटर रीडिंग माह में नहीं हो पाती या मीटर खराब है (अर्थात् आई0डी0एफ0) तो उपभोक्ता को प्रोविजनल बिल दिया जाता है, जिसकी गणना अधिकृत रूप से निर्धारित मान्य नियमों के अनुसार ही होती है। मीटर की रीडिंग होने के पश्चात्/खराब (आई0डी0एफ0) मीटर की जगह नया मीटर लगाने के पश्चात् बिल को अपडेट कर ठीक किया जाता है। इन सबकी व्यवस्था विभाग में पूर्व से ही है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी की दशा में उपभोक्ता द्वारा किये गये शिकायत का निस्तारण अविलम्ब किया जाता है एवं ठेकेदार को ठीक प्रकार कार्य निष्पादन हेतु निर्देशित किया जाता है। कार्य में सुधार न होने पर ठेकेदार का अनुबन्ध समाप्त भी कर दिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरा खुर्द के नवलपुर एवं मोहालजलका के गाटा संख्या–5 की चकबन्दी कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

85–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम सभा सेमरा खुर्द के नवलपुर एवं मोहालजलका के गाटा संख्या–5 की चकबन्दी

कराने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 07–08–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

श्री राजेश त्रिपाठी, मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 07–8–2013 के सम्बन्ध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निदेशालय के पत्र संख्या–5825/जी0–02/2013 (मु0स0), दिनांक 31–12–2013 द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, गोरखपुर को निर्देशित किया गया।

बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, गोरखपुर के पत्र संख्या–235/परि0लि0, दिनांक 31–01–2014 एवं पत्र संख्या–1332/पी0के0, दिनांक 14–03–2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम सभा सेमरा खुर्द के ग्राम नवलपुर एवं मुहालजलका उ0 प्र0 शासन की अधिसूचना संख्या–323/1–14–2001–49(2)/95, दिनांक 29–01–2001 द्वारा उ0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा–48 के अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं हेतु अधिसूचित है।

कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार क्षेत्र गोला स्थित बड़हलगंज, गोरखपुर की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह फरवरी, 2015 के अनुसार ग्राम मुहालजलका एहतमाली में तस्दीक खतौनी, जांच तस्दीक खतौनी, तैयारी डिस्प्यूट लिस्ट, निस्तारित डिस्प्यूट लिस्ट की कार्यवाही तथा ग्राम नवलपुर में तस्दीक खतौनी, जांच तस्दीक खतौनी, तैयारी डिस्प्यूट लिस्ट, निस्तारित स्डिप्यूट लिस्ट की कार्रवाई पूर्ण कर ली गयी है।

सर्वेक्षण एवं अभिलेख क्रियाओं के अन्तर्गत अधिसूचित होने के कारण वर्तमान में चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम बिसरा एवं गोपालपुर, दहियक (भूपगढ़) विमुरी दलित बस्ती में विद्युतीकरण हेतु पोल उपलब्ध होने के बावजूद विद्युतीकरण न होने से प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

86–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम बिसरा एवं गोपालपुर, दहियक (भूपगढ़) विमुरी दलित बस्ती में विद्युतीकरण हेतु पोल उपलब्ध कराये जाने के बावजूद विद्युतीकरण न होने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20–3–2013 अध्यक्ष पावर कारपोरेशन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम बिसरा एवं गोपालपुर, दहियक (भूपगढ़) विमुरी दलित बस्ती का विद्युतीकरण वर्ष 2012 में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे, किन्तु माह 5/2012 में विस्तारित बिजनेस प्लान योजना को बन्द कर दिया गया एवं पूर्व स्वीकृत कार्यों पर सामग्री का निर्गमन नहीं किया गया जिसके कारण यह कार्य नहीं किया जा सका।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत रामपुर गड़री (साहनी टोला), रामपुर बघौरा चेरूवा टोला आदि गांव मुहल्लों में विद्युतीकरण न होने से प्रश्नकर्ता का पत्र, कृत कार्रवाई की जानकारी

87–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत रामपुर गड़री (साहनी टोला), रामपुर बघौरा चेरूवा टोला, राम का पाखेरा टोला, विरती टोला, डीह टोला एवं घुरियापार के बांसदेवपुर टोला, पुराना घाट टोला, मल्लाह टोला, डीह दलित बस्ती टोला, जोलाहा टोला तथा भरौली गांव के उत्तर टोला बसावनपुर गांव के यादव टोला बेदौली गांव की दलित बस्ती टड़वा श्रीराम गांव की दलित बस्ती तथा तीहा मुहमदपुर गांव गारेया टोला में विद्युतीकरण के सम्बन्ध में अध्यक्ष, पावर कारपोरेशन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20–3–13 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत रामपुर गड़री (साहनी टोला), रामपुर बघौरा चेरूवा टोला, राम का पाखेरा टोला, विरती टोला, डीह टोला एवं घुरियापार के बासदेवपुर टोला, पुराना घाट टोला, मल्लाह टोला, डीह दलित बस्ती टोला, जोलाहा टोला तथा भरौली गांव के उत्तर टोला, बसावनपुर गांव के यादव टोला, बेदौली गांव की दलित बस्ती, टड़वा श्रीराम गांव की दलित बस्ती तथा तीहा मुहमदपुर गांव गारेया टोला का विद्युतीकरण वर्ष 2012 में विस्तारित बिजनेस प्लान के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे, किन्तु माह 5/2012 में विस्तारित बिजनेस प्लान योजना को बन्द कर दिया गया एवं पूर्व स्वीकृत कार्यों पर भी सामग्री का निर्गमन नहीं किया गया जिसके कारण यह कार्य नहीं किया जा सका है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कस्बे में दलित बस्ती में कतिपय 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने विषयक पत्र पर कार्रवाई

88–श्री राजेश त्रिपाठी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कस्बे में जामा मस्जिद के पास 100 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर सुरदापार शुक दलित बस्ती में 25 के0वी0ए0 दार्म्हा छावनी पर 25 के0वी0ए0 सेमरी (गोला) में 25 के0वी0ए0 तथा

बालभीटी दलित बस्ती में 25 के0वी0ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में चयरमैन, पावर कारपोरेशन को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 20–3–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज कस्बे में जामा मस्जिद के पास पूर्व से ही एक 400 के0वी0ए0 परिवर्तक के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वर्तमान में उक्त स्थान पर विद्युत आपूर्ति सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है और न ही उक्त स्थान पर एक अतिरिक्त 100 के0वी0ए0 का परिवर्तक लगाने की कोई तकनीकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सुरदापार शुक दलित बस्ती में 25 के0वी0ए0 दाम्हां छावनी पर 25 के0वी0ए0, सेमरी (गोला) में 25 के0वी0ए0 परिवर्तक लगाने का कार्य भारत सरकार की पं0 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण हेतु सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। बालभीटी दलित बस्ती में 25 के0वी0ए0 परिवर्तक लगाने का कार्य विधायक निधि के अन्तर्गत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0ख0 निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर से बीसलपुर राज्य मार्ग पर सण्डा खास से खेरासण्डा होते हुए गंगा जमुनी तक सड़क क्षतिग्रस्त होने से निर्माण कराया जाना

89–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के वि0ख0 निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर से बीसलपुर राज्य मार्ग पर सण्डा खास से खेरासण्डा होते हुए गंगा जमुनी तक सड़क क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 4.20 कि0मी0 है, जिसका प्रथम 0.70 कि0मी0 भाग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है एवं मार्ग के इस भाग की दशा संतोषजनक है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 तिलहर के अन्तर्गत ग्राम हरभानपुर नहर पुलिया से नरसा नगला होते हुए राजूपुर तक कच्चा ऊबड़–खाबड़ मार्ग क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण किया जाना

90–श्री रोशन लाल वर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 133, तिलहर विधान सभा क्षेत्र के वि0ख0 तिलहर के अन्तर्गत ग्राम हरभानपुर नहर पुलिया से नरसा नगला होते हुए राजूपुर तक कच्चा ऊबड़–खाबड़ मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग क्षतिग्रस्त है।

जी नहीं। ग्राम हरभानपुर पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा निर्माणाधीन बिलहरी से धर्मपुर कंजा मार्ग के बन जाने से पक्के मार्ग से जुड़ जायेगा तथा राजूपुर पूर्व से ही खिरिया माल सम्पर्क से जुड़ा हुआ है। ग्राम नरसा नगला तथा उक्त ग्रामों को परस्पर जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत मोहम्मदी बरबर रोड तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

91–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत मोहम्मदी बरबर रोड से नरेन्द्र ब्रिक फील्ड भट्ठा के पास होते हुए ग्राम अलीनगर से पेन्टेड तक सड़क ल0 लगभग 3000 मी0 व इस्लामाबाद पेन्टेड सड़क से अलीनगर पेन्टेड तक सड़क लम्बाई लगभग 3500 मी0 क्षतिग्रस्त होने के कारण गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड मोहम्मदी के अन्तर्गत मोहम्मदी–बरबर रोड से नरेन्द्र ब्रिक फील्ड भट्ठे के पास से होते हुए अलीनगर पेण्टेड सड़क (स्वीकृत) तक मार्ग की लम्बाई 2.200 कि0मी0 खड़न्जा स्तर का है। खड़न्जे का कार्य ग्राम पंचायत विभाग द्वारा कराया गया है। ग्राम अलीनगर को मोहम्मदी–बरबर मार्ग से जोड़ा जाना गन्ना विभाग में स्वीकृत है।

इस्लामाबाद पेण्टेड सड़क से अलीनगर पेण्टेड सड़क (स्वीकृत) तक मार्ग की लम्बाई 3.300 कि0मी0 है। जिसमें 0.650 कि0मी0 मार्ग कच्चा एवं 2.650 कि0मी0 खड़न्जा स्तर का है। खड़न्जे एवं कच्चे स्तर मार्ग का कार्य ग्राम पंचायत विभाग द्वारा कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–पकरिया से ग्राम फतुआबाद तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराया जाना

92–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के अन्तर्गत ग्राम–पकरिया से ग्राम फतुआबाद तक 1500 मी0 सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण गन्ना किसानों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

ग्राम–पकरिया लेपित मार्ग से जुड़ा है। फतुआबाद (फतुहाबाद) की आबादी मात्र 96 होने के कारण उक्त मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी नगर में सहकारी शीतगृह 20 वर्षों से बन्द रहने से जनता को आलू भण्डारण में हो रही कठिनाई को देखते हुए पुनः चालू किया जाना

93–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी नगर में सहकारी शीतगृह 20 वर्षों से बन्द रहने से क्षेत्रीय जनता को आलू भण्डारण में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बन्द शीतगृह को पुनः चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 2001 से शीतगृह बन्द हो जाने से मशीनरी निष्प्रयोज्य हो चुकी है। शीतगृह के ऋण में निरन्तर वृद्धि होने एवं संसाधनों के अभाव में इस शीतगृह की नीलामी किये जाने का निर्णय लिया गया है।

जनपद लखीमपुर खीरी नगर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर की चुंगी चौराहा से पुवायां रोड तक चौड़ीकरण कार्य कराया जाना

94–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी नगर के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में नगर की चुंगी चौराहा से पुवायां रोड तक का सरकार

चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग राष्ट्रीय मार्ग सं0–730ए का आंशिक भाग है एवं इस मार्ग के निर्माण/रख–रखाव का कार्य सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये वित्तीय संसाधनों से कराया जाता है।

कार्य प्रगति मे है तथा अनुबन्धानुसार दिनांक 21–08–2015 तक कार्य पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत सिंचाई हेतु लगे तथा बन्द नलकूपों को ठीक कराकर चालू कराया जाना

95–श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत सिंचाई हेतु लगे बन्द नलकूपों को सरकार ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी के अन्तर्गत सप्ताहान्त 08–01–2015 की बन्दी के अनुसार यांत्रिक दोष से 01 व विद्युत दोष से 08 राजकीय नलकूप बन्द थे। यांत्रिक दोष से बन्द नलकूप को दिनांक 12–01–2015 को तथा विद्युत दोष से बन्द सभी 08 नलकूपों को दिनांक 31–01–2015 तक चालू कराकर सिंचाईरत कराया जा चुका है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत बर्दनी में विद्युत तार अत्यन्त जर्जर स्थिति में तथा पोलों के टूट जाने से तारों व पोलों का बदला जाना

96–श्री मुसर्रत अली बिट्टन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत बर्दनी में विद्युत तार अत्यन्त जर्जर स्थिति में है तथा लगभग पांच विद्युत पोल टूट गये हैं उनकी जगह लकड़ी/बल्ली लगाकर विद्युत सप्लाई की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त जर्जर विद्युत तारों एवं पोलों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

स्थलीय निरीक्षणोपरान्त पाया गया है कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र फाफामऊ के अन्तर्गत ग्राम बर्दनी में दो पोलों तथा न्यूट्रल के तार पुराने/जर्जर होने के कारण उन्हें बदलने की आवश्यकता है।

जी हां।

जून, 2015 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जनपद बहराइच द्वारा कराये गये विद्युत सम्बन्धी कार्यों विषयक पत्र पर कार्रवाई

97–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष 2012–13, 2013–14, 2014–15 में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड जनपद बहराइच द्वारा कराये गये विद्युत सम्बन्धी कार्यों विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5नं0–286028, दिनांक 16–6–2014 प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र पयागपुर बहराइच के अन्तर्गत माननीय विधायक द्वारा मांगी गई बिन्दुओं की सूचना निम्नवत् है :–

बिन्दु सं0–1 (क) खुटेहना फीडर का कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के उपरान्त कार्यादेश संख्या–17 दिनांक 28–05–13 के अनुसार मे0 शेषधर द्विवेदी गोण्डा रोड, बहराइच द्वारा किया गया है। इसका भुगतान कार्यादेश की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त किया जायेगा।

(ख) गंगवल बाजार का कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के उपरान्त कार्यादेश सं0–07 दिनांक 12–08–2014 के अनुसार मे0 तकी खां चिनहट, लखनऊ के द्वारा किया गया है। इसका भुगतान कार्यादेश की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर कर दिया जायेगा।

(ग) पयागपुर गांव का कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के उपरान्त कार्यादेश सं0–26 दिनांक 27–08–2014 के अनुसार मे0 तकी खां, चिनहट, लखनऊ द्वारा किया गया है। इसका भुगतान दिनांक 4–3–2015 को किया गया है।

(घ) भूपगंज बाजार मछली मण्डी का कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के उपरान्त कार्यादेश सं0–35 दिनांक 10–09–2014 के अनुसार मे0 शेषधर द्विवेदी गोण्डा रोड, बहराइच के द्वारा किया गया है। इसका भुगतान कार्यादेश की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर कर दिया जायेगा।

(ङ) कोट बाजार में 250 के0वी0ए0 परिवर्तक पूर्व से स्थापित है ए0बी0 केबिल लगाने का कार्य खुली निविदा प्रक्रिया के उपरान्त कार्यादेश सं0–35 दिनांक 10–09–2014 के अनुसार मे0 शेषधर द्विवेदी गोण्डा रोड, बहराइच के द्वारा किया गया है। इसका भुगतान कार्यादेश की शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा बिल प्रस्तुत किये जाने पर कर दिया जायेगा।

बिन्दु सं0–2–जनपद बहराइच के अन्तर्गत आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 का कार्य अनुबन्धित कार्यादेश सं0–470/मेडको/539/आर–ए0पी0डी0आर0पी0–बी/2012, दिनांक 19–09–2012 द्वारा कार्यदायी संस्था मे0 एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा

प्रणाली सुधार के अन्तर्गत जनपद बहराइच के बहराइच एवं नानपारा नगर क्षेत्रों में निम्न स्थलों में मे0 एच0सी0एल0 द्वारा अक्टूबर, 2013 में आई0टी0 उपकरण स्थापित किये गये।

क्रमांक	आफिस का नाम	संख्या
1	उपखण्ड कार्यालय	3
2	बिलिंग सेन्टर	6
3	बिजली घर	3
4	खण्ड कार्यालय	1

बहराइच नगर में भारत सरकार द्वारा आर–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट बी योजना के अन्तर्गत रु0 25.93 करोड़ की संशोधित कार्य योजना स्वीकृत की गयी थी, जिसके टर्न के आधार पर क्रियान्वयन हेतु मेसर्स एन0के0जी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, नई दिल्ली को कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है। स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार उक्त फर्म को बहराइच नगर में 33/11 के0वी0 के 2 नग उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि 33 के0वी0 की 07 कि0मी0 लाइनों का 11 के0वी0 को 35 कि0मी0 लाइनों का निर्माण, 11/0.4 के0वी0 के 157 नग उपकेन्द्रों का निर्माण एवं 115 कि0मी0 एल0टी0 लाइनों में एरियल बन्च केबिल की स्थापना के कार्य करने हैं। स्वीकृत कार्य योजना के अनुसार उक्त फर्म द्वारा माह फरवरी, 2015 तक 33/11 के0वी0 के 2 नग उपकेन्द्रों की क्षमतावृद्धि, 11 के0वी0 की 15.5 कि0मी0 लाइनों का निर्माण, 11/0.4 के0वी0 के 82 नग उपकेन्द्रों का निर्माण एवं 55 कि0मी0 एल0टी0 लाइनों में एरियल बन्च केबिल की स्थापना के कार्य पूर्ण कर दिये गये हैं। शेष कार्य प्रगति पर है।

बिन्दु सं0–3–जनपद बहराइच में वित्तीय वर्ष 2012–13 व 2013–14 में बी0पी0एल0 सूची धारकों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन नहीं किये गये। वर्ष 2014–15 में 5216 बी0पी0एल0 सूची धारकों को निःशुल्क विद्युत संयोजन अवमुक्त किये गये हैं।

बिन्दु सं0–4–उ0प्र0पा0का0 लि0 के अन्तर्गत सम्प्रति निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप 295–कार्य/14/पा0का0लि0 2013 के–/2000 दिनांक 27–02–2003 में निहित गाइडलाइन्स के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, वितरण द्वारा प्रत्येक मामले में रु0 पांच हजार कोटेशन द्वारा तथा पांच हजार से अधिक रु0 बीस हजार तक खुली निविदा द्वारा तथा आपात स्थिति में रु0 दस हजार तक नकद क्रय द्वारा सम्बन्धित उप महाप्रबन्धक की लिखित अनुमति से एवं इसके लिये गठित समिति के माध्यम से माह में अधिकतम रु0 पचास हजार तक की सामग्री क्रय कर सकते हैं।

बिन्दु सं0–5–उ0प्र0पा0का0लि0 के अन्तर्गत सम्प्रति निविदा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पा0का0लि0 शक्ति भवन, लखनऊ के द्वारा निर्गत कार्यालय–ज्ञाप 295–कार्य/14/पा0का0लि0 2013 के–/2000, दिनांक 27–02–2003 की गाइडलाइन्स के अनुसार खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 2012 से वर्ष 2015 तक 33 के0वी0/11के0वी0 विद्युत उपकेन्द्रों के परिचालन एवं उनसे निर्गत पोषकों की लाइनों के अनुरक्षण कार्य में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री जैसे फ्यूजवायरलग एल्यूमिनियम लग्स, परिवर्तक

बुशिंग राड, ब्राशस्टड, एच0टी0 टेप, एल क्लैम्प एवं सील आदि अति आवश्यक स्थलीय अनुरक्षण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्रय करने हेतु प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत रु0 5000 तक प्रत्येक मामले में अधीक्षण अभियन्ता, वि0वि0म0, गोण्डा के अनुमोदनोपरान्त क्रय की गयी तथा उनके भुगतान की प्रक्रिया उपरोक्त आदेश के गाइड लाइन के अनुसार की गयी।

बिन्दु सं0–6–बिजनेस प्लान 2012–13, 2013–14, 2014–15 में विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच में कुल 33 मजरे/ग्रामों के पैकेज स्वीकृत थे, जिसमें 29 कार्य पूर्ण किये गये तथा 04 कार्य प्रगति पर हैं, जिसे माह अक्टूबर, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

बिन्दु सं0–7–विधान सभा क्षेत्र पयागपुर जनपद बहराइच में बिजनेस प्लान 2012–13, 2013–14, 2014–15 के वर्तमान में स्वीकृत होने की प्रत्याशा में कोई प्रोजेक्ट शेष नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पांच विकास खण्डों में 300 आबादी वाले ग्रामों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्रवाई की जानकारी

98–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पांच विकास खण्डों क्रमशः पयागपुर, विशेश्वरगंज, हुजूरपुर, जरवल, कैसरगंज के 300 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज–2 में तथा 100 से अधिक की आबादी वाले ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के फेज–3 में कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5 नं0–161533, दिनांक 16–6–2014 प्रमुख सचिव, ऊर्जा, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के पांच विकास खण्डों क्रमशः पयागपुर, विशेश्वरगंज, हुजूरपुर, जरवल, कैसरगंज के 2001 की जनगणना में 300 या उससे अधिक बसावट वाले 70 मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 11वीं योजना (द्वितीय चरण) में सम्मिलित हैं, जिनका विद्युतीकरण अगस्त, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) जिसमें 100 से अधिक आबादी वाले ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण किया जाना है, की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई।

अतः ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण भविष्य में किसी अन्य योजना में चयनिक होने के उपरान्त किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच में बहराइच–गोण्डा रोड के 33वें कि0मी0 पर सोहरियावां नहर पुल से सोहरियावां ग्राम तक जाने वाले क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराया जाना

99–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में बहराइच–गोण्डा रोड के 33वें कि0मी0 पर सोहरियावां नहर पुल से सोहरियावां ग्राम तक जाने वाली क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–5 नं0–151676/226/13, दिनांक 26–4–2013, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में वर्णित मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत बसनेरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र तथा कृत कार्रवाई की जानकारी

100–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विकास खण्ड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत बसनेरा में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अधिष्ठापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0–102776/4151, दिनांक 04–05–2013 मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद बहराइच तथा प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

मुख्य चिकित्साधिकारी, बहराइच से आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत बसनेरा की आबादी मानक के अनुरूप न होने के कारण जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित नहीं कराया गया है। फलस्वरूप बसनेरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निवाडी में टूटे खम्भे व जर्जर तार एवं ग्राम पंचायत कवैद कटका मजरा मैटिया का विद्युतीकरण कराते हुए टूटे खम्भे एवं जर्जर तारों को बदला जाना

101–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 135, शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल के ग्राम निवाड़ी में टूटे खम्भे व जर्जर तार एवं ग्राम पंचायत कवैद कटका के मजरा भैटिया का विद्युतीकरण न होने के कारण नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कराते हुए टूटे खम्भे एवं जर्जर तारों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां

(अ) शाहजहांपुर के ब्लाक ददरौल का ग्राम निवाडी राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित है तथा यह कार्य दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है। टूटे खम्भे एवं जर्जर तारों को बदलना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ब) ग्राम पंचायत कवैद कटका का मजरा भैटिया की आबादी 300 से कम होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित नहीं हो पाया है। भविष्य में विद्युतीकरण की योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने का प्रकरण

102–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने का प्रकरण सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा/प्रारूप क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद के प्रभारी मंत्री द्वारा दिनांक 30–8–2012 को इस सम्बन्ध में जिला योजना की बैठक में आवश्यकता को देखते हुए दिये गये निर्देश के अनुसार प्रेषित आगणन शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या इसमें शीघ्र निर्णय लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

शाहजहांपुर में रिंग रोड बनाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में आगणन प्राप्त हुआ था किन्तु तत्समय वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत संगत आगणन स्वीकृत नहीं हो सका था।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत कचरी वीरपुर सम्पर्क मार्ग, विकास खण्ड चाका के ग्राम चकगरी बदास में स्थित अमृतलाल भारतीय के घर के सामने तथा अन्य सम्पर्क मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण

103–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना अन्तर्गत कचरीबीरपुर सम्पर्क मार्ग, विकास खण्ड चाका के ग्राम चकगरी बदास में स्थित अमृत लाल भारतीया के घर के सामने से रेलवे लाइन तक रोकड़ी से मछहर का पुरवां, नौआ से तेजई का पूरा, बरामार से तेन्दुआवन मोड़ तक अमिलों, सेमरी से सनाथ का पूरा तथा रोकड़ी नहर पटरी से पटेल बस्ती सम्पर्क मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

रोकड़ी से मछहर का पुरवां एवं सेमरी से सनाथ का पूरा, मार्गों का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। रोकड़ी नहर पटरी से पटेल बस्ती तक मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। शेष मार्गों की दशा संतोषजनक है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत शिवराजपुर से क्षतिग्रस्त होने से मरम्मत कराया जाना

104–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत शिवराजपुर से शंकरगढ़ होते हुए जोखट तक, नौढिया उपहार से सिंहपुर, जारी नौढियन उपरहार तथा बारा से गौहानी सम्पर्क मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्गों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

1–शिवराजपुर से शंकरगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है।

2–जोरवट सम्पर्क मार्ग एवं नोढिया उपरहार से सिंहपुर मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है।

3–जारी नौढियन उपरहार मार्ग एवं बारा से गौहानी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद में घूरपुर करमा मार्ग क्षतिग्रस्त होने से मार्ग का मरम्मत कराया जाना

105–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में घूरपुर करमा मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद इलाहाबाद के उमारी से जिरियाबाग तथा बेला चौराहा से जारी मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त, निर्माण कराये जाने की मांग

106–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जनपद के उमारी से जिरियाबाग तथा बेला चौराहा से जारी मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

उमारी से जिरियाबाग मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है। बेला चौराहा से जारी मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना एवं बारा में अवशेष गावों/मजरों का विद्युतीकरण कराया जाना

107–श्री दीपक पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना एवं बारा में अवशेष गांवों/ मजरों का सरकार विद्युतीकरण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना एवं बारा में अवशेष गावों/मजरों के अन्तर्गत 300 या ऊपर के आबादी के ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कराया जा रहा है जिसे जुलाई, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत जनपद इलाहाबाद की 100 से ऊपर आबादी के अवशेष ग्रामों/मजरों की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई।

जनपद चित्रकूट में निर्माण विभाग खण्ड–1 द्वारा बनाये गये सम्पर्क मार्ग की जांच कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र, जांच विषयक तथ्यों की जानकारी

108–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–204, दिनांक 29–07–2014 जो जनपद–चित्रकूट में निर्माण विभाग खण्ड–1 द्वारा कराये गये सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मानक के अनुरूप कार्य न होने की टी0ए0सी0 जांच कराने विषयक था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत (जिलांश) क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम कौबरा स्थित श्री सुखलाल प्रजापति के पुरवा क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम पिपरिया कला आदि में विद्युतीकरण कराया जाना

109–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत (जिलांश) चिन्हित क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–कौबरा स्थित श्री सुखलाल प्रजापति के पुरवा क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम पिपरिया कला स्थित कुम्हारों के पुरवा एवं गडरियन पुरवा में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–कौबरा स्थित श्री सुखलाल प्रजापति के पुरवा में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 701369.00 स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के कार्यालय पत्रांक 8389/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 06–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम पिपरिया कला स्थित कुम्हारों के पुरवा एवं गड़रियन पुरवा में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन रु0 10.88 लाख का अधिशासी अभियन्ता,

विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के कार्यालय पत्रांकः 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

प्राक्कलन की धनराशि की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्राप्त होने के उपरान्त ही विद्युतीकरण की कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजना अन्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर वंचित गावों का विद्युतीकरण का प्रकरण

110–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा मानिकपुर में बुन्दलेखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम–बगरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम–कैमहा के भीगपुर, ग्राम–रूखमा बुजुर्ग के कोरियन पुरवा, ग्राम–भौरी स्थित वंशरूप के पुरवा एवं ग्राम–पवारी कलां मजरा मदना में शिवनरायण पुत्र श्री बैजनाथ यादव के घर तक क्या सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–बगरोही में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित अनुसूचित जाति बस्ती, ग्राम–कैमहा के भीगपुर, ग्राम–भौरी स्थित वंशरूप के पुरवा एवं ग्राम पवारी कला मजरा मदना में विद्युतीकरण कराने हेतु धनराशि जिला अधिकारी के स्तर से बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलान्श) से उपलब्ध होना प्रक्रियाधीन है तथा जून, 2015 तक पूर्ण विद्युतीकरण कार्य किया जाना सम्भावित है।

ग्राम–रूखमा बुजुर्ग के कारियनपुरवा में विद्युतीकरण बिजनेस प्लान के अन्तर्गत करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलान्श) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के वंचित गावों का विद्युतीकरण कराया जाना

111–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्दलेखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम–गौरिया स्थित श्री कमलेश राजपूत पुत्र श्री रामसुमरे का डेरा व सुखराम राजपूत पुत्र चुनकाई के डेरा, ग्राम–कौबरा में अस्पताल के पास से शारदा नगर बस्ती, ग्राम–आजाद पुरवा मजरा

नांदिन कुर्मियान जी राजापुर–सरैया पक्के मार्ग से लगा पूर्व दिशा में स्थित, ग्राम–दोनों धोबिन पुरवा मजरा कोलगदहिया एवं ग्राम ललित पाल (गडरियन पुरवा) मजरा भौरी जो एन0एच0–76 के दक्षिण दिशा तक क्या सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के कार्यालय पत्रांकः 8389/वि0वि0खं0/ चित्रकूट, दिनांक 06–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्राक्कलन प्रेषित किये जा चुके हैं। प्राक्कलन की धनराशि की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि से विभाग को प्राप्त होने पर ही विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा। कार्य का विवरण निम्नांकित है :–

क्र0सं0	ग्राम/मजरे का नाम	प्राक्कलन धनराशि (रु0 लाख में)
1	ग्राम गौरिया स्थित श्री कमलेश राजपूत पुत्र श्री रामसुमरे का डेरा व सुखराम राजपूत पुत्र चुनकाई के	3.91
2	ग्राम–कौबरा में अस्पताल के पास से शारदा नगर बस्ती तक	2.23
3	ग्राम–आजादपुरवा मजरा नादिन कुर्मियान जी राजापुर–सरैया पक्के मार्ग से लगा पूर्व दिशा में	8.82
4	ग्राम–दोनो धोबिन पुरवा, मजरा कोलगदहिया	3.28
5	ग्राम–ललित पाल (गड़रियनपुरवा) मजरा भौरी जो एन0एच0–76 के दक्षिण दिशा तक	1.25

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–2015 (जिलांश) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराया जाना

112–श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्दलेखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु चिन्हित ग्राम स्थल, क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम–कोठिलिहाई में राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित गेट के पास श्री राजबहादुर, पुत्र श्री कल्लू के घर के पास

फैली विद्युत लाइन, ग्राम–बढैया स्थित पंडित पुरवा कोलान बस्ती गझटोला पुरवा तथा जीत पुरवा, ग्राम मुरकला, ग्राम–ददरीमाफी स्थित कांलान मलिन बस्ती ग्राम–सरहट पटासरबदा पुरवा कोलान तक क्या सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित गांब कोठिलिहाई में राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर स्थित गेट के पास श्री राजबहादुर पुत्र श्री कल्लू के घर के पास फैली विद्युत लाइन, ग्राम–बढैया स्थित पंडित पुरवा कोलान बस्ती गझटोला पुरवा तथा जीत पुरवा, ग्राम मुरकला, ग्राम–ददरीमाफी स्थित कोलान मलिन बस्ती ग्राम–सरहट पटासरबदा पुरवा कोलान में विद्युतीकरण कराने हेतु धनराशि जिला अधिकारी के स्तर से बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलान्श) से उपलब्ध होना प्रक्रियाधीन है। धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त विद्युतीकरण कार्य पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अन्तर्गत आने वाले गांव लखनपुर, अतरौनी, जऊपुरा, महंगाई, सदरवन, दहतौरा के तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं गांवों में सी0सी0 रोड तथा सड़क का निर्माण किया जाना

113–श्री काली चरन सुमन–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा विकास प्राधिकरण आगरा के अन्तर्गत आने वाले गांव लखनपुर, अतरौनी, जऊपुरा, मंहगाई, सदरवन, दहतौरा के तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं गांवों में सी0सी0 रोड एवं सड़क निर्माण कराने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा द्वारा अधिग्रहीत भूमि से सम्बन्धित ग्रामों के अन्तर्गत ग्राम लखनपुर में तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने की कोई कार्य योजना नहीं है। सड़क लेपन, इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं जल निकासी हेतु नाली का निर्माण कार्य पूर्व में कराया गया है।

ग्राम–अतरौनी तथा जऊपुरा की भूमि प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त गांवों में प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराये जाने की कोई कार्य योजना नहीं है।

ग्राम–मगहई में सड़क लेपन, इण्टरलॉकिंग टाईल्स एवं नाली के साथ–साथ तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी पूर्व में कराया गया है।

ग्राम–सदरवन में जल निकासी हेतु मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण का कार्य कराया गया है। गांव के अधिकांश भाग की सड़कें सी0सी0 एवं इण्टरलॉकिंग टाईल्स की पूर्व से बनी हुई हैं। वर्तमान में सड़क निर्माण कराने एवं तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराये जाने की कोई कार्य योजना नहीं है।

ग्राम–दहतौरा में सड़क लेपन, इण्टरलॉकिंग टाईल्स, नाली, सीवर लाइन्स एवं जलापूर्ति के साथ–साथ तालाब के सौन्दर्यीकरण का कार्य भी पूर्व में कराया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में किसानों की हजारों बीघा फसल नीलगायों द्वारा बर्बाद किये जाने के कारण उसके निराकरण की योजना

114–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र खेरागढ़ के विकास खण्ड जगनेर में किसानों की हजारों बीघा फसलों को जंगली गायों द्वारा बर्बाद कर दिया जाता है तथा रखवाली कर रहे किसानों को जंगली गायों द्वारा जान भी गवानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के निराकरण हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में जंगली गाय का उल्लेख नहीं है। इसमें नीलगाय (वनरोज) का उल्लेख है। यदि जंगली गाय का आशय नीलगाय (वनरोज) से है तो प्रदेश में वनरोजों से कृषि फसलों को नष्ट करने से बचाने के लिये शासनादेश संख्या–736/14–4–94–854/92, दिनांक 09–3–1994, शासनादेश संख्या–2194/14–4–2001– 854/92, दिनांक 28–9–2001 तथा शासनादेश संख्या–1464/14–4–2008–854/92, दिनांक 31–7–2008 द्वारा समस्त जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी तथा वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी के स्तर से लेकर मुख्य वन संरक्षक स्तर तक तथा राजस्व विभाग के समस्त तहसीलदारों को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। वनरोजों के आतंक से प्रभावित कृषक अपने क्षेत्र के सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारियों से सम्पर्क कर फसलों को वनरोज से सुरक्षा हेतु नष्ट करने की परमिट प्राप्त करके समस्या का निदान कर सकते हैं।

कृषकों को वनरोजों की समस्या से निजात दिलाने हेतु शासनादेश संख्या–446/14–4–2013, दिनांक 04–3–2013 द्वारा निर्गत कार्य योजना के तहत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। गठित समिति द्वार जिले के प्रत्येक ब्लाक में वनरोजों से फसलों को होने वाले नुकसान की समीक्षा तथा वनरोजों को परमिट द्वारा मारने की त्रैमासिक समीक्षा की व्यवस्था की गयी है। वनरोजों के नष्ट होने की 70 प्रतिशत की सीमा तक परमिट जारी किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आगरा के विधान सभा खैरागढ़ के अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डाटा होते हुए मिर्जापुर तक अत्यन्त जर्जर सड़क का निर्माण किया जाना

115–श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के विधान सभा खेरागढ़ के अन्तर्गत सी0ए0टी0 मार्ग जगनेर रोड से डाटा होते हुये मिर्जापुर तक सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 4 किमी0 अत्यन्त जर्जर होने के कारण लोगों को आने–जाने में अत्याधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत/निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिगस्त है एवं आवागमन चल रहा है। मार्ग का आंशिक भाग (डांडा कुल्हाड़ा से मिर्चपुरा तक) स्वीकृत है तथा शेष भाग की मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी वि0ख0 व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम बेदौरा मजरा छोटी डुबकी एवं बड़ी डुबकी में विद्युतीकरण कराया जाना

116–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी वि0ख0 व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम बेदौरा मजरा छोटी डुबकी एवं बड़ी डुबकी में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम बेदौरा मजरा छोटी डुबकी एवं बड़ी डुबकी में विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

भविष्य में किसी योजना में सम्मिलित होने पर विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी, वि0ख0 व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम ठकुरपुरा, मजरा खिरकन में विद्युतीकरण कराया जाना

117–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी, विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम ठकुरपुरा मजरा खिरकन में विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम ठकुरपुरा, मजरा खिरकन का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

भविष्य में किसी योजना में चयनित होने पर विद्युतीकरण किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम खुजराहा खुर्द से मातन मुहल्ला मजरा तक सड़क निर्माण कराया जाना

118–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत ग्राम खजुराहा खुर्द से मातन मुहल्ला मजरा तक मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से अच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत तहसील कादीपुर के ब्लाक अखण्डनगर के ग्राम हाजीपुर बीरी पंचायत भवन से गलगला शहीद तक की सड़क का निर्माण कराया जाना

119–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सुल्तानपुर के अन्तर्गत तहसील कादीपुर के ब्लाक अखण्डनगर के ग्राम हाजीपुर बीरी पंचायत भवन से गलगला शहीद तक लोक निर्माण विभाग के अधीन मुख्य सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने तथा सड़क में जगह–जगह गड्ढे हो जाने के कारण क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त मुख्य सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्रश्न में वर्णित मार्ग की कुल लम्बाई 6.650 किमी0 के सापेक्ष प्रथम 0.850 किमी0 जनपद सुल्तानपुर में तथा अवशेष भाग जनपद जौनपुर में पड़ता है। जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत तहसील कादीपुर के ब्लाक अखण्डनगर के ग्राम हाजीपुर बीरी पंचायत भवन से गलगला शहीद पथ मार्ग, जिसमें पंचायत भवन से मुरालबाद पुल तक लम्बाई 0.850 किमी0 खड़न्जा स्तर तक निर्मित है। खड़न्जा स्तर से लेपन स्तर तक का कार्य कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। मुरालबाद पुल से गलगला शहीद तक लोक निर्माण विभाग, जौनपुर के अन्तर्गत पड़ता है। उक्त मार्ग ग्रामीण श्रेणी का मार्ग है। मुरालबाद पुल से गलगला शहीद तक की लम्बाई 5.80 किमी0 है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्रश्नगत भाग के आंशिक भाग में विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत है, जिसे मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के बीच जयगुरूदेव बाबा आश्रम के पास स्थित 33 के0वी0 सब स्टेशन की 5 एम0वी0 क्षमता वृद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

120–श्री पूरन प्रकाश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के बीच जयगुरुदेव बाबा आश्रम के पास स्थित 33 के0वी0 सब– स्टेशन की 5 एम0वी0 की क्षमता वृद्धि बढ़ाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0एम0/वी0को0/ एम0/पी0जी0 10547798/2014, दिनांक 24–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

तकनीकी कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी।

33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र (मथुरा) की क्षमता 2ग10 एम0वी0ए0 है तथा इसे 132 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, औरंगाबाद से डाग कण्डक्टर पर बनी 33 के0वी0 लाइन से पोषित किया जा रहा है। यह विद्युत उपसंस्थान पूर्णतः भारित है। सामान्यतः 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान की क्षमता 2ग10 एम0वी0ए0 से अधिक नहीं होती है, क्योंकि डाग कण्डक्टर पर 20 एम0वी0ए0 से अधिक लोड लिये जाने पर उसमें ब्रेक डाउन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त 132 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान, औरंगाबाद भी पूर्णतः भारित होने के कारण इस उपसंस्थान से और अधिक भार नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त विद्युत उपसंस्थान की अतिभारिता को कम करने के लिये वर्तमान में सलेमपुर, सौंख रोड, मथुरा पर 2ग5 एम0वी0ए0 क्षमता का नया विद्युत उपसंस्थान आर0–ए0पी0डी0आर0पी0 पार्ट–बी योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिये भूमि उपलब्ध हो चुकी है, यह कार्य लगभग एक वर्ष में पूर्ण किया जाना लक्षित है। उक्त नये विद्युत उपसंस्थान का निर्माण होने के उपरान्त 33/11 के0वी0 विद्युत उपसंस्थान जयगुरूदेव का लगभग 4 एम0वी0ए0 भार नये विद्युत उपसंस्थान पर स्थानान्तरित हो जायेगा तथा जयगुरूदेव विद्युत उपसंस्थान (मथुरा) से भविष्य में और अतिरिक्त विद्युत भार अवमुक्त किये जाने की संभावना हो जायेगी।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत राया बल्देव मार्ग से गुरसैनिया तक व अन्य मार्गों का नव निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

121–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के अन्तर्गत राया बल्देव मार्ग से गुरसैनिया तक व अन्य मार्गों का नव निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0–1054983/2014 दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त

हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र जो मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक पी0जी0 010543983/2014, दिनांक 17–11–2014 से दर्ज है, प्राप्त हुआ।

पत्र में उल्लिखित कुल 23 मार्गों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्रमांक 2 व 6 व 14 पर उल्लिखित मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का नहीं है। क्रमांक–1 व 12 पर उल्लिखित मार्ग की दशा संतोषजनक है शेष 18 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं जिनके मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलबधता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 मथुरा की राया से बल्देव मार्ग आदि का पुनः निर्माण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

122–श्री पूरन प्रकाश–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मथुरा के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग सी0डी0–1 मथुरा की राया से बल्देव मार्ग आदि का पुनः निर्माण कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र के संदर्भ में मुख्य मंत्री कार्यालय में दर्ज पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/ पी0जी0–10544075/2014, दिनांक 17–11–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

पत्र में उल्लिखित कुल 17 मार्गों की स्थिति निम्नवत् हैः–

क्रमांक 13 पर अंकित मार्ग की दशा संतोषजनक है। क्रमांक–3 व 11 पर अंकित मार्ग का स्वामित्व मण्डी परिषद् का है, तथा क्रमांक–7, 8 व 9 पर अंकित मार्गों का निर्माण, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया गया है। इनके अनुरक्षण का कार्य पंचायती राज विभाग के अधीन है। शेष 11 मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिनके मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में टप्पल टाउनशिप के लिए अधिग्रहीत भूमि पर लगी विद्युत लाईन तथा उपकरणों को हटाकर समय से व पूरा भण्डार गृह में न जमा करने के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना

123–श्री दलवीर सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–68 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में टप्पल टाउनशिप के लिए अधिग्रहीत भूमि पर लगी विद्युत लाइन तथा उपकरणों को हटाकर समय से व पूरा भण्डार गृह में जमा न करने के संबंध में दोषियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

123–इस प्रकरण में कोई भी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया।

प्रबन्ध निदेशक, आगरा के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 31–08–2012 के द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गयी थी। कमेटी के द्वारा किसी भी तरह के समान की कोई भी हेरा–फेरी किये जाने के कोई भी साक्ष्य एवं प्रमाण नहीं मिले हैं। कमेटी की रिपोर्ट में उल्लिखित सामग्री अवर अभियन्ता द्वारा अनुरक्षण कार्य में उपयोग की गयी। साथ ही कुछ सामग्री, स्थल पर है, जिनसे सम्बन्धित उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान की जा रही है।

जिला लखनऊ तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम नौबस्ता के ग्राम समाज की भूमि आरजी संख्या–629 पर कब्जे से सम्बन्धित प्राप्त पर की गई कार्रवाई की जानकारी

124–श्री अली यूसुफ अली–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसीलदार, सदर, लखनऊ को सम्बोधित जिला–लखनऊ तहसील सदर के अन्तर्गत ग्राम नौबस्ता के ग्राम समाज की भूमि आराजी संख्या–629 पर कब्जे के आधार पर पट्टे आवंटित किये जाने के संबंध में उप जिलाधिकारी सदर, लखनऊ का पत्र संख्या–164/ब, दिनांक 19–09–2014 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

जी हां।

आवेदक श्री गोकुल प्रसाद पुत्र श्री राधे लाल यादव, निवासी ग्राम नौबस्ता कलां, परगना, तहसील व जिला लखनऊ पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आते हैं। पिछड़ी जाति के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों के पक्ष में कब्जे के आधार पर ग्राम सभा भूमि का आवंटन किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः आवेदक गोकुल प्रसाद के पक्ष में आवंटन की कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम मुरारी से टपरा तक तथा ग्राम बडैरा से मड़वर होते हुए सरवां तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण किया जाना

125–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम मुरारी से टपरा तक तथा ग्राम बड़ैरा से मड़वर होते हुए सरवां तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम मुरारी, बड़ैरा एवं सरवां पूर्व से लेपित मार्ग से संतृप्त है। टपरा तथा मड़वर को लेपित मार्ग से जोड़ा जाना लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम नया खेड़ा से डोमोगोर तक सम्पर्क का बनाया जाना

126–श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम नया खेड़ा से डोमागोर तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

जी नहीं। ग्राम डोमोगोर एवं ग्राम ढिकौली का मजरा नया खेड़ा दोनों पूर्व से ही लेपित मार्ग से संतृप्त हैं। इन्हें आपस में जोड़ा जाना सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी मैरिस मार्केट कैसरबाग की स्थिति अत्याधिक जर्जर होने के कारण मरम्मत की कार्रवाई किया जाना

127–श्री रविदास मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कालोनी मैरिस मार्केट कैसरबाग, लखनऊ अत्यधिक जर्जर अवस्था में होने के कारण मैरिस मार्केट कैसरबाग में रहने वालों के जीवन को गम्भीर खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार मैरिस मार्केट की मरम्मत का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की आख्या के अनुसार प्राधिकरण की कालोनी मैरिस मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ में किरायेदारों को दी गयी सम्पत्तियों के किराये की धनराशि बहुत कम है। सामान्य रूप से इन सम्पत्तियों का रख–रखाव किरायेदारों द्वारा स्वतः किया जाता है। मरम्मत आदि के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्रवाई पर विचार करने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को निर्देशित कर दिया गया है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बलिया के क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत ब्लाक मुरली छपरा व बेरिया ब्लाक के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई सुचार रूप से उपलब्ध कराने हेतु 33के0वी0ए0 का विद्युत सब–स्टेशन स्थापित करने सम्बन्धी

128–श्री जय प्रकाश अंचल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बैरिया, जनपद बलिया अन्तर्गत ब्लाक मुरली छपरा व बैरिया ब्लाक अन्तर्गत विधुत सप्लाई सुचारु रुप से न मिलने के कारण नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार लालगंज बाजार के आस–पास 33 के0वी0ए0 का विद्युत सब–स्टेशन बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अखिलेश यादव–

जी नहीं।

उक्त क्षेत्रों को सुचारू रूप से रोस्टर के अनुसार 10.00 घण्टे विद्युत आपर्ति की व्यवस्था की जा रही है।

जी नहीं।

लालगंज बाजार को 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र बैरिया से विद्युत आपूर्ति की जाती है। बैरिया तहसील होने के कारण एक नये 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र जिसकी क्षमता 1ग5 एम0वी0ए0 स्वीकृत है एवं कार्य प्रगति पर है। अतः लालगंज बाजार के आस–पास 33 के0वी0 का विद्युत सब–स्टेशन बनाने की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद में स्थित मोदीशुगर मिल मोदीनगर में गन्ना किसानों का वर्ष 2013–14 तथा वर्ष 2014–2015 का बकाया का भुगतान कराया जाना

129–श्री सुदेश शर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गाजियाबाद में स्थित मोदी शुगर मिल, मोदी नगर मे गन्ना किसानों का वर्ष 2013–14 का लगभग 125 करोड़ तथा वर्तमान सत्र 2014–15 का लगभग 70 करोड़ रुपया मिल पर बकाया है ? यदि हां, तो

क्या सरकार गन्ना किसानों को ब्याज सहित भुगतान दिलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

दिनांक 27–02–2015 तक की स्थिति के अनुसार जनपद गाजियाबाद में स्थापित चीनी मिल मोदीनगर द्वारा पेराई सत्र 2013–14 से देय गन्ना मूल्य अंकन रु0 192.72 करोड़ के सापेक्ष अंकन रु0 139.42 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। वर्तमान में इस मिल पर पेराई सत्र 2013–14 का अंकन रु0 53.30 करोड़ गन्ना मूल्य अवशेष है। पेराई सत्र 2014–15 में उक्त तिथि तक प्रथम किश्त में देय रु0 240 प्रति कुन्तल की दर से कुल रु0 86.43 करोड़ (14 दिन पूर्व) देय हुआ, जिसके सापेक्ष उक्त मिल द्वारा किया गया भुगतान शून्य है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्रामों में परीक्षणाधीन 93 सम्पर्क मार्गों के निर्माण सम्बन्धी कार्य वित्तीय वर्ष 2013–2014 में कराये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

130–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न ग्रामों में परीक्षणाधीन 99 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2013–14 में कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0 /ज0हि0/क–5नं0–196954/244/13, दिनांक 30–04–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

पेराई सत्र 2013–14 के अवशेष गन्ना मूल्य की वसूली हेतु गन्ना आयुक्त द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र में गन्ना मूल्य की विलम्बित अवधि पर देय ब्याज अंकन रु0 8.03 करोड़ भी आगणित कर सम्मिलित किया गया है। गन्ना आयुक्त द्वारा जारी वसूली प्रमाण–पत्र के अनुपालन में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। चीनी मिल की चल–अचल सम्पत्तियों की कुर्की आदि की गई है। चीनी, शीरा आदि के विक्रय पर निगरानी रखी गई है। इसके अतिरिक्त गन्ना मूल्य भुगतान न करने के कारण दिनांक 29–05–2014 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3/7 में श्री एन0के0शर्मा, मिल अध्यासी चीनी मिल मोदीनगर के विरुद्ध थाना मोदीनगर में मु0अ0सं0 419/29–05–2014, दिनांक 10–07–2014 को थाना मोदीनगर में भारतीय दण्ड संहिता की धारा–420/120 बी0 के अन्तर्गत श्री बी0के0लथूरा, चीफ आपरेटिंग आफिसर एवं श्री वी0के0जैन, चीफ जनरल मैनेजर के विरुद्ध तथा थाना मोदीनगर में दिनांक 14–07–2014 को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा–3/7 में श्री उमेश कुमार मोदी, प्रबन्ध निदेशक, श्री एन0के0शर्मा, अध्यासी, श्री एन0पी0 बंसल, मुख्य अधिशासी, श्री वी0के0जैन, चीफ जनरल मैनेजर (कामर्स) श्री सुनील गुप्ता, निदेशक के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराई गई है। उक्त के अतिरिक्त जिला गन्ना अधिकारी, गाजियाबाद, जिलाधिकारी, गाजियाबाद एवं आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ के स्तर से

नोटिस निर्गत कर पेराई सत्र 2013–14 के अवशेष गन्ना मूल्य का ब्याज सहित अविलम्ब भुगतान करने हेतु भी निर्देश दिये गये हैं।

पेराई सत्र 2014–15 के गन्ना मूल्य की प्रथम किश्त का समय से भुगतान नहीं करने के कारण, दिनांक 27–02–2015 तक, कुल रु0 1.51 करोड़ का ब्याज लगाया जा चुका है। राज्य सरकार कृषकों का गन्ना मूल्य भुगतान कराये जाने हेतु कटिबद्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सरयू नहर परियोजना की अपूर्ण माइनरों के गैप को पूरा किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्त्ता का पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

131–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले सरयू नहर परियोजना की अपूर्ण माइनरों के गैप को पूरा किये जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–वि0प0/ज0हि0/क–5नं0–196961/246/13, दिनांक 01–05–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत 99 सम्पर्क मार्गो में से 42 बसावटें पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ी है। 09 सम्पर्क मार्गों पर स्थित बसावटें विभिन्न योजनाओं में पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु स्वीकृत एवं निर्माणाधीन हैं। 35 बसावटों का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है। शेष 13 सम्पर्क मार्गों पर स्थित बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जी हां।

जनपद बहराइच की विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में कुल 213.030 कि0मी0 लम्बाई में नहरों का निर्माण प्रस्तावित था, जिसके विरुद्ध 194.846 कि0मी0 नहरों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। अवशेष 18.184 कि0मी0 लम्बाई की नहरों का निर्माण भूमि प्राप्त होने पर कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मजरा बबया सम्पर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण विषयक–पत्र पर कार्रवाई

132–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रुकनापुर के मजरा बबया सम्पर्क मार्ग पर हटवा गोपाल ताल ड्रेनेज के किमी0 3 पर एक बा0आर0बी0 पुलिया का

निर्माण कराये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0–138841/4088, दिनांक 26–04–2013 अधिशासी अभियन्ता सरजू ड्रेनेज खण्ड प्रथम गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र द्वारा हटवा गोपाल ताल ड्रेन के कि0मी0 3.000 पर पुल की मांग की गयी है जबकि वास्तविक मांग स्थल ड्रेन के कि0मी0 2.400 पर स्थित है। यह रास्ता झाला तरहर से गोण्डा बहराइच रोड पर ग्राम रुकनापुर को जोड़ता है। उक्त ड्रेन पर प्रश्नगत मांग स्थल के अपस्ट्रीम में कि0मी0 2.950 पर तथा डाउनस्ट्रीम में कि0मी0 2.150 पर पुल का निर्माण पूर्व में हो चुका है। इस कारण से प्रस्तावित स्थल पर पुल का निर्माण साध्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्गों का निर्माण विषयक पत्र पर कार्रवाई

133–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त 06 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री कार्यालय का पत्र सं0–सी0एम0/वि0को0/एम0/पी0जी0/10325978/2013, दिनांक 12–08–2013 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नकर्त्ता के पत्र में 06 सम्पर्क मार्गों की मरम्मत की मांग की गई है। पत्र में क्रम सं0–3 व 4 पर अंकित मार्ग पर विशेष मरम्मत के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है। शेष 04 मार्गों के मरम्मत कार्य की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के विभिन्न सम्पर्क मार्गों पर कतिपय निर्माण कराने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

134–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों पर आवश्यकतानुसार आर0सी0सी0 पुल/पुलिया/साइफन के निर्माण कराये जाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/ 12–13/क–5 नं0–157641/3005, क–5 नं0–157640/3004, क–5 नं0–157638/3003, क–5 नं0–157639/3007, क–5

नं0–157642/3006, दिनांक 02–02–2013 जो कि मुख्य मंत्री को संबोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश में निर्माणाधीन पक्के पुलों की संख्या एवं जनपद शाहजहांपुर के हथौड़ा के निर्माणाधीन पुल का कार्य पूर्ण कराने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

135–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने पुल वर्तमान में निर्माणाधीन हैं ? क्या यह सही है कि निर्धारित समय में अधिकांश पुलों का निर्माण पूरा नहीं हो पाता है ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शाहजहांपुर मोहम्मदी रोड पर हथौड़ा के पास निर्माणाधीन पुल का निर्माण कार्य रुका है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसका निर्माण कार्य पूरा करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्तमान में कुल 283 पुल निर्माणाधीन हैं।

जी नहीं।

जी नहीं। वर्तमान में कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

कार्य पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगर के कतिपय घाटों में पुल व एप्रोच रोड का निर्माण कराने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

136–क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक 725 दिनांक 10–12–2013 तथा पत्रांक 197 दिनांक 16–10–2014, जो शाहजहांपुर नगर मे विसरात घाट हनुमत धाम और रेतीरोड के बीच एक पुल व एप्रोच रोड के निर्माण के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? क्या सरकार उसका प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन मंत्री (श्री ओम प्रकाश)–

जी हां, मा0 सदस्य का पत्र प्राप्त हुआ है।

महानिदेशक, पर्यटन उ0प्र0 से प्राप्त आख्यानुसार सेतु आदि बनाने का कार्य पर्यटन विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में सिंचाई के राजकीय नलकूपों को चालू रखने की नीति अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के खराब नलकूपों को ठीक कराने की मांग

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

137–क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई के राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखने की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा व ब्लाक ददरौल में कितने नलकूप यांत्रिक दोष के कारण तथा कितने नलकूप विद्युत दोष के कारण खराब हैं तथा इनको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय नलकूप सं0 24 ग्राम पैना खुर्द जनपद शाहजहांपुर कई महीनों से खराब चल रहा है ? यदि हां, तो इसको कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

राजकीय नलकूपों को सदैवचालू हालत में रखे जाने हेतु स्थायी आदेश सं0–01/2004, दिनांक 29–07–2004 का अनुपालन किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के यांत्रिक दोष से बन्द नलकूपों के प्रिवेन्टिव मेन्टिनेन्स एवं चालू किये जाने की समय सीमा निर्धारित की गयी है तथा विद्युत दोष से बन्द नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में यू0पी0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ समन्वय/समीक्षा हेतु दिशा निर्देश दिये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक भावलखेड़ा में सप्ताहान्त 19–02–2015 को यांत्रिक दोष से शून्य एवं विद्युत दोष से 02 तथा ददरौल ब्लाक में यांत्रिक दोष से 03 एवं विद्युत दोष से 07 नलकूप खराब थे, जिनको ठीक कराकर सिंचाईरत कर दिया गया है।

राजकीय नलकूप सं0–24 ग्राम पैना खुर्द जनपद शाहजहांपुर पर लो–वोल्टेज की समस्या रहती है, जिसके कारण नलकूप लगातार नहीं चल पाता है। नलकूप पर लो–वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु विद्युत विभाग से सम्पर्क कर नलकूप को दोषमुक्त कराया जाता है। वर्तमान में उक्त नलकूप क्रियाशील है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की नीति अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर में उन्हें ऊर्जीकृत करने सम्बन्धी जानकारी

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

138–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि शाहजहांपुर में कितने नलकूपों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऊर्जीकृत किया जाना है तथा वर्ष 2011 से अब तक भावलखेड़ा व

ददरौल ब्लाक में कितने नलकूपों को ऊर्जीकृत किये जाने हेतु (पिछले तीन वर्षों) में पंजीकरण किया गया है ? सरकार द्वारा उक्त नलकूपों को ऊर्जीकृत कब तक किया जायेगा ?

श्री अखिलेश यादव–

निजी नलकूपों की ऊर्जीकृत करने की नीति ''पहले आओ पहले पाओ'' की है।

जनपद–शाहजहांपुर का वर्ष 2014–15 तक निजी नलकूपों का लक्ष्य 1076 था। उनको मार्च, 2015 तक ऊर्जीकृत कर दिया जाना लक्षित है।

वर्ष 2011 से अब तक भावलखेड़ा में 219 व ददरौल ब्लाक में 369 आवेदकों का पंजीकरण कराया गया है।

31 मार्च, 2015 तक उक्त नलकूपों को ऊर्जीकृत कराया जाना लक्षित है।

भमोरा–आंवला–रामनगर मार्ग का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

श्री धर्मपाल सिंह–

139–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30 कि0मी0 लम्बा भमोरा–आंवला–रामनगर मार्ग के चौड़ीकरण व नवीनीकरण हेतु 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें 13 करोड़ रुपये से रामनगर–आंवला तक 13 कि0मी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराकर शेष अधूरा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शेष आंवला–भमोरा तक मार्ग का निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग पर निर्माण कार्य धनाभाव के कारण बाधित है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का मानक

श्री धर्मपाल सिंह–

140–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी का मानक क्या है ? क्या सरकार प्रदेश में घरेलू दरों में 12 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को कम करेगी ? यदि हां, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

विद्युत अधिनियम, 2003 में निहित प्रावधानानुसार उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा लाइसेन्सी के सकल वार्षिक राजस्व आवश्यता एवं टैरिफ प्रस्ताव पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विद्युत उपभोक्ताओं, जन प्रतिनिधियों तथा स्टेक होल्डर्स से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करते हुए व्यापक जनसुनवाई कर गुण–दोष के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु लागू विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है, जिस पर विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है।

आयोग द्वारा वितरण निगमों की वार्षिक सकल राजस्व आवश्यकता के अतिरिक्त मुख्यतः उपभोक्ता छोर पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने हेतु औसत विद्युत आपूर्ति लागत तथा औसत विद्युत क्रय मूल्य के सापेक्ष की गई गणना के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु लागू विद्युत दरों का निर्धारण किया जाता है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियामक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु जो विद्युत दरें निर्धारित की गई थीं, उनमें पूर्व में लागू दरों से औसतन लगभग 11.4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु औसत विद्युत आपूर्ति लागत रु0 6. 11/यूनिट तथा औसत विद्युत क्रय मूल्य रु0 3.49/यूनिट अनुमोदित किया गया है। मुख्यतः इन्हीं मूल्यों के दृष्टिगत आयोग द्वारा विद्युत मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई है।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों को विद्युतीकरण कराने की मांग

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

141–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु ग्राम क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम–मोहनपुर मजरा खण्डेहा में हरिजन बस्ती ग्राम–पूरब पताई में ठाकुर कमलेश सिंह पुत्र समर सिंह के घर के पास ग्राम–सेमरदहा के मजरा लोहसरिया पुरवा, ग्राम–लक्ष्मीपुरवा मजरा भौरी एवं ग्राम–भौरी गांव के अन्दर तक सरकार विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–मोहनपुर मजरा खण्डेहा में हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 2.71 लाख स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

ग्राम–पूरब पताई में ठाकुर कमलेश पुत्र समर सिंह के घर के पास विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 1.01 लाख का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

ग्राम–सेमरदहा के मजरा लोहसरिया पुरवा के विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 2.55 लाख का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

ग्राम–लक्ष्मीपुरवा मजरा भौरी एवं ग्राम–भौरी में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन रु0 6.23 लाख एवं भौरी के गांव के अन्दर तक विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन रु0 3.99 लाख अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 2692/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 14–11–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं। प्राक्कलन की धनराशि बुन्देलखण्ड निधि से स्वीकृति उपरान्त विभाग को प्राप्त होने पर ही विद्युतीकरण की कार्रवाई सम्भव होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों को विद्युतीकरण कराने की मांग

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

142–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर में बुन्देलखण्ड विकास निधि योजनान्तर्गत वर्ष 2014–15 (जिलांश) हेतु ग्राम क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के विद्युतीकरण से वंचित ग्राम–भौरी स्थित रैलिहन पुरवा व क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम देउंधा स्थित ककरौली पुरवा में विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

क्षेत्र पंचायत मानिकपुर के ग्राम–भौरी स्थित रैलिहन पुरवा में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 1.22 लाख स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

क्षेत्र पंचायत रामनगर के ग्राम देंउधा स्थित ककरौली पुरवा में विद्युतीकरण हेतु प्राक्कलन धनराशि रु0 2.21 लाख का अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, चित्रकूट के पत्रांक 8923/वि0वि0खं0/चित्रकूट, दिनांक 25–02–2015 के द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, चित्रकूट को प्रेषित किये जा चुके हैं।

प्राक्कलन की धनराशि की स्वीकृति बुन्देलखण्ड विकास निधि से प्राप्त होने पर ही विद्युतीकरण की कार्रवाई किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद–चित्रकूट के वि0खण्ड–मऊ के ग्रामों में सिंचाई हेतु नये नलकूप लगाने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

143–क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के वि0खण्ड–मऊ के ग्रामों में सिंचाई हेतु नये नलकूप लगाये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्रांक–127, दिनांक–10–04–2013 उन्हें

प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पत्र में उल्लिखित जनपद चित्रकूट की कर्वी तहसील के 5 ग्रामों में एवं मऊ तहसील के 4 ग्रामों में नये राजकीय नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कर्वी तहसील के ग्राम लौढियामाफी, रैपुरा, सुरवल, जमौली एवं पिलखनी विकास खण्ड कर्वी में पड़ते हैं, जिनमें शासनादेश सं0–5/1373/62–1–2014–04आर/2009, दिनांक 31–10–2014 द्वारा अतिदोहित घोषित किये जाने के फलस्वरूप नये नलकूप लगाये जाने पर प्रतिबन्ध है। मऊ तहसील के ग्राम विचावल, भण्डौर, रीठी एवं बखार विकास खण्ड मऊ में पड़ते हैं। विकास खण्ड मऊ में भूजल का परीक्षण किया गया है। भूजल परीक्षण में पानी की उपलब्धता 3000 से 4000 गैलन प्रतिघण्टा पायी गयी जो राजकीय नलकूप लगाने के 1.0 क्यूसेक (22000 गैलन प्रतिघण्टा) निकास उपलब्धता में काफी कम है। अतएव उक्त पत्र में वर्णित ग्रामों में नये राजकीय नलकूप लगाना सम्भव नहीं है।

जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के ग्राम पंचायत लपांव के चदवी नदी पर चैकडेम निर्माण की मांग

श्री चन्द्रभान सिंह पटेल–

144–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र मानिकपुर के वि0खण्ड–मऊ की ग्राम पंचायत लपांव के चदवी नदी पर लगभग चौड़ाई 18 मी0 उंचाई लगभग 4.50 मी0 तक रपटा/चैकडेम का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्नगत स्थल पर रपटा/चैकडेम का निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की किसी योजना से आच्छादित नहीं है।

जनपद इलाहाबाद में जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित सड़कें एवं उनका निर्माण कराने सम्बन्धी जानकारी

श्री दीपक पटेल–

145–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 में जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कितनी सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है तथा उनका निर्माण कब प्रारम्भ करवाया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद इलाहाबाद में वर्ष 2012–13 में जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों के सापेक्ष 31 नं0 सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनका निर्माण पूर्ण करा दिया गया है।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में बाढ़ से पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की मांग

श्री दीपक पटेल–

146–क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में गंगा एवं टोंस नदी के तट पर स्थित दर्जनों गांव अभी दस माह पूर्व आयी बाढ़ के परिणाम स्वरूप प्रभावित हुए थे और इन गांवों में रह रहे सैकड़ों लोगों के मकान एवं फसल क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षतिग्रस्त हुए मकान तथा फसल का मुआवजा पीड़ित नागरिकों को प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में गंगा एवं टोंस नदी के तट पर अभी दस माह पूर्व कोई बाढ़ नहीं आयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के ग्राम चमरौली की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने की मांग

श्री काली चरन सुमन

147–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चमरौली 100 फुटा रोड से लोहागढ़ लकावली वाया कलाल खेरिया रोड तक सड़क जर्जर हैं जिससे लोगों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम चमरौली, 100 फुटा रोड से लोहागढ़ तक मार्ग लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का नहीं है। लोहागढ़ से लकावली वाया कलाल खेडिया तक के लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व का है जो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

श्री काली चरन सुमन–

148–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत इरादत रोड से नगला देवरी से गढ़ी रौहता वाया नगला माकरौल ग्वालियर रोड तक सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों का आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद व विधान सभा क्षेत्र आगरा के शमसाबाद रोड से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

श्री काली चरन सुमन–

149–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत शमसाबाद रोड श्यामों चौराहा से लोधई वाया बहजेरा तक सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है जिससे लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है। यातायात चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम राजापुर के मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण कराने की मांग

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

150–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी, वि0 खण्ड बबीना, ग्राम राजापुर मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम राजापुर के मजरा प्रजापति का डेरा का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

उपर्युक्तानुसार।

भविष्य में किसी अन्य योजना में सम्मिलित होने अथवा किसी निधि से वित्त पोषित होने पर ही विद्युतीकरण कराना सम्भव हो सकेगा।

जी हां।

उक्त ग्राम राजपुर मजरा प्रजापति का डेरा विद्युतीकृत नहीं है।

जनपद–झांसी विकास खण्ड बबीना में ग्राम राजपुर मजरा प्रजापति का डेरा का सूचीकरण जनगणना के सेन्सस कोड 2011 के अनुसार बसावटों की तालिका में सम्मिलित न होने के कारण भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना जिसमें 100 से अधिक आबादी वाले ग्राम/मजरे सम्मिलित हैं, में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के ग्राम परासई में कुशवाहा का डेरा का विद्युतीकरण कराने की मांग

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

151–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी विकास खण्ड व विधान सभा क्षेत्र बबीना में ग्राम परासई में कुशवाहा का डेरा का विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम परासई मजरा कुशवाहा का डेरा का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

भविष्य में विद्युतीकरण की किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त विद्युतीकरण का कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में कतिपय सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

152–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना में पृथ्वीपुर नया खेड़ा मार्ग से शेखर होते हुए जौनपुर मजरा घिसौली तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

जी नहीं। प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के शिवपुरी फोरलेन से सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

153–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत शिवपुरी फोरलेन से नया खेड़ा तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी नहीं। ग्राम ढिकौली का मजरा नया खेड़ा झांसी–शिवपुरी (फोरलेन) मार्ग से जुड़ा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के बसेर कसोधन मार्ग से सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने की मांग

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

154–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–झांसी के विकास खण्ड बबीना अन्तर्गत बमेर कसोधन मार्ग के बीच के से देवगढ़ तक सम्पर्क मार्ग न होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जी नहीं। प्रश्नगत सम्पर्क मार्गों का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में उच्च आधुनिक अस्पताल खुलवाने सम्बन्धी जानकारी

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

155–क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के नगर मोहम्मदी में उच्च आधुनिक सुविधा युक्त अस्पताल न होने के कारण नागरिकों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 50 बेड वाला उच्च आधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में 30 बेड का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है, जिसके द्वारा चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में वंचित गांवों का विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी जानकारी

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

156–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण के प्रारम्भ में विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के कितने गांवों का विद्युतीकरण करने की योजना है ? क्या सरकार विद्युतीकरण से वंचित गांवों का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (11वीं योजना) के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जिला लखीमपुर खीरी के 300 से अधिक आबादी के 316 गांवों के अनतर्गत 331 मजरों के विद्युतीकरण करने की योजना है। जिनका राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के 11वीं योजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण माह दिसम्बर, 2015 तक करा दिया जाना लक्षित है।

जी हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) के अन्तर्गत जिला लखीमपुर खीरी की डी0पी0आर0 ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, नई दिल्ली को स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसकी स्वीकृति अभी नहीं हुई।

अतः वंचित ग्रामों/मजरों का विद्युतीकरण भविष्य में किसी अन्य योजना में चयनित होने एवं धन की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त किया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के जिला अस्पताल में कतिपय मशीनें स्थापित कराने सम्बन्धी जानकारी

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

157–क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी स्थित जिला अस्पताल में सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 मशीन न होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में उक्त मशीनें स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 जांच से सम्बन्धित रोगियों को उचित इलाज हेतु मण्डलीय चिकित्सालयों में संदर्भित किया जाता है, जहां पर सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 के साथ ही ऐसे रोगियों के इलाज की समुचित व्यवस्था है।

जनपदीय चिकित्सालयों में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धित चिकित्सा विशेषज्ञों, अन्य तकनीकी स्टाफ तथा प्रदेश सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होता है।

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

158–खदिनांक 12–03–2015 को अता0प्र0सं0–28 द्वारा उत्तरित,

जनपद लखीमपुर में खराब पड़े नलकूपों को चालू कराने की मांग

श्री अवस्थी बाला प्रसाद–

159–क्या सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर जनपद में यांत्रिक खराबी एवं नलकूप चालकों के अभाव में बंद पड़े नलकूपों की मरम्मत कराकर उन्हें चालू कराये गी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जनपद लखीमपुर में सप्ताहान्त15–01–2015 की बन्दी के अनुसार 07 नलकूप यांत्रिक खराबी से बन्द थे। इन सभी नलकूपों को दिनांक 20–01–2015 तक चालू करा कर सिंचाईरत करा दिया गया है। नलकूप चालकों के अभाव में जनपद लखीमपुर का कोई भी नलकूप बन्द नहीं है।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में क्षतिग्रस्त राजमार्ग की मरम्मत कराने सम्बन्धी जानकारी

श्री रोशन लाल वर्मा–

160–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर के विकास खण्ड निगोही में शाहजहांपुर बीसलपुर राज्य मार्ग पर गुरगवां शिवाला से परा झरसा होते हुए बरैचा तक निर्मित मार्ग अत्यन्त ऊबड़–खाबड़ एवं क्षतिग्रस्त है जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही की कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराने की मांग

श्री रोशन लाल वर्मा–

161–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही के अन्तर्गत शाहजहांपुर बीसलपुर राज्य मार्ग पर गुरगवां शिवाला से कजरी नूरपुर होते हुए कुदिरना तक कजरी नूरपुर से अरेली होते हुए पचदेवरा तक तथा धुल्लिया नहर पटरी पर जिन्दपुरा होते हुए तालगांव लोहरगवां तक पक्की सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का डामरीकरण/मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हैं। मार्गों पर यातायात चल रहा है।

मार्गों की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत परिवार के सदस्य को भी लाभ दिलाये जाने सम्बन्धी जानकारी

श्री राजेश त्रिपाठी–

162–क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार किसान दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत जिनके नाम भूमि होती है केवल उन्हें ही बीमा का लाभ देने के साथ–साथ परिवार के ऐसे व्यक्ति को भी उसका लाभ दिलाने पर विचार करेगी जो स्वयं किसानी का कार्य परिवार के साथ करते हैं मगर उनका नाम खतौनी में पिता की जीवित अवस्था में नहीं चढ़ पाता ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–997/1–9–2014–रा–9, दिनांक 10 जुलाई, 2014 में निहित मार्ग निर्देशों के निर्धारण के अन्तर्गत कृषक का तात्पर्य राजस्व अभिलेखों अर्थात् खतौनी में दर्ज खातेदार/सहखातेदार से है, जिसकी आयु न्यूनतम 12 वर्ष तथा अधिकतम 70 वर्ष हो परन्तु बीमा आवरण की अवधि 12 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर खातेदार कृषक भी योजना के अन्तर्गत पात्रता की परिधि में आयेंगे इसी प्रकार बीमा आवरण अवधि में 70 वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी खातेदार कृषक पात्रता श्रेणी में जाने जायेंगे। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं किसानी का कार्य परिवार के साथ करते हैं मगर उनका नाम खतौनी में पिता के जीवित अवस्था में नहीं चढ़ पाता है, को इस योजना के अन्तर्गत लाभ दिये जाने की पात्रता का विषय शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानसार।

जनपद बलिया के ब्लाक सीयर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

श्री जय प्रकाश अंचल–

163–क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के ब्लाक सीयर अन्तर्गत सीयर पशुहारी पूरा मार्ग तक सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का चौड़ीकरण कराकर लेपन स्तर तक मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चल रहा है।

मार्ग का चौड़ीकरण लोक निर्माण विभाग के मानकों से आच्छादित नहीं है। मार्ग के आंशिक भाग का मरम्मत कार्य स्वीकृत है जिसे माह मार्च, 2015 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है एवं अवशेष भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सन्त कबीरनगर की नगर पंचायत मगहर में एक अतिथि गृह का निर्माण

डा0 मो0 अयूब–

164–क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीरनगर के नगर पंचायत मगहर जो एक ऐतिहासिक स्थल है, पर दूर दराज से बहुत अधिक संख्या में पर्यटन आते रहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में एक अतिथि गृह का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी हां।

जी नहीं, वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

मगहर सन्त कबीरनगर जनपद मुख्यालय से लगभग 8 किमी0 और गोरखपुर से लगभग 27 किमी0 की दूरी पर स्थित है, जहां पर पर्यटकों की आवश्यकता हेतु आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर वर्ष 2000–01 में यात्री छादक का निर्माण भी कराया गया है।

जनपद सन्त कबीर नगर व बस्ती की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

165–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर व बस्ती वाया मेंहदावल करमैनी से तमकुही राजमार्ग (राज्य सड़क संख्या–64) पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत/नवीनीकरण/चौड़ीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

जनपद सन्त कबीर नगर एवं बस्ती स्थित प्रश्नगत मार्ग की कुल लम्बाई 57.00 किमी0 है। प्रथम 06 किमी0 मार्ग नगर पालिका बस्ती के अधीन है। किमी0 7 एवं 8 से सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा किमी0 15 से 57 के भाग में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य स्वीकृत है, जिसे पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। किमी0 9 से 14 का नवीनीकरण का कार्य पूर्ण एवं दशा संतोषजनक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र खलीलाबाद के सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने विषयक पत्र पर कार्रवाई

166–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीरनगर के खलीलाबाद विधान सभा क्षेत्र में उन्नीस सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कार्य/नवीनीकरण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5 नं0–120248, दिनांक 25–4–2013 व लोक निर्माण मंत्री को पंत्र संख्या–क–5 नं0–120249, दिनांक 25–4–2013 तथा मुख्य सचिव को पत्र संख्या–क–5 नं0–120250, दिनांक 25–4–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त तीनों पत्रों की विषय वस्तु एक है जिनमें उल्लिखित कुल 19 मार्गों में से क्रमांक–8 पर अंकित मार्ग पर नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। क्रमांक 02, 05, 15 एवं 17 पर अंकित कार्य स्वीकृत है, कार्य प्रगति पर है। क्रमांक 06 पर इंगित ग्राम पूर्व से लेपित मार्ग से जुड़े हैं। इन ग्रामों को आपस में जोड़ने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष 13 मार्ग में मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती की बन्द मुण्डेरवा की शुगर मिल को पुनः चालू कराने सम्बन्धी जानकारी

167–डा0 मो0 अयूब–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में बन्द मुण्डेरवा शुगर मिल को पुनः चलाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जनपद बस्ती में बन्द मुण्डेरवा चीनी मिल को वर्तमान में पुनः चलाने की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुण्डेरवा चीनी मिल, जिसकी स्थापना वर्ष 1932 में हुई थी, के अत्यधिक पुरानी एवं प्लांट की मशीनरी रूग्ण होने तथा पेराई क्षमता कम होने और मिल के लगातार घाटे में संचालित होने के कारण दिनांक 12–11–1999 को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया तथा मिल बन्द होने के उपरान्त समस्त कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के कतिपय ग्रामों का विद्युतीकरण कराने की मांग

168–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के कलेक्टरगंज, चम्पतपुर, घटौसा गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों का विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जी हां।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड जलालाबाद के संदर्भित मजरे कलेक्टरगंज, चम्पतपुर, घटौसा गांवों में आबादी वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 300 से कम होने के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण की 11वीं योजना में चयनित नहीं है एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (12वीं योजना) जनपद शाहजहांपुर में लागू नहीं है।

अतः सन्दर्भित मजरों का विद्युतीकरण भविष्य में आने वाली किसी योजना में चयनित होने के उपरान्त कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों के पुराने विद्युत पोलों व तारों को बदलने की मांग

169–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों/मजरों में बिजली के पुराने पोलों तथा जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–5 नं0–151687/230/13, दिनांक 27–4–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

सन्दर्भित पत्र प्राप्त नहीं होना प्रतीत है।

यद्यपि कि उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथापि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत जर्जर विद्युत लाइनों के सुदृढ़ीकरण हेतु ग्राम चिलवरिया, ककरहा, शिवदहा, कोट बाजार, दिगितपुरवा, खुटेहना कोल्हवा, बस अड्डा एवं नेजा भार में 135 नग विद्युत पोल एवं 1.7 कि0मी0 विद्युत तार लगा दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के ग्रामों में विभागीय योजना से विद्युतीकरण कराने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

170–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र 287 पयागपुर के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों/मजरों में विभागीय योजना से विद्युतीकरण कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0–138222/1528, दिनांक 22–10–2012 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूची के 626 मजरों में मानक के अनुसार 2001 की जनगणना में 300 या उससे अधिक आबादी वाले 98 मजरे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं योजना (द्वितीय चरण) की डी0पी0आर0 में सम्मिलित है जिसमें से 38 मजरों में कार्य दिनांक 08–03–2015 तक पूर्ण कर दिया गया है, शेष चयनित मजरों का विद्युतीकरण कार्य दायी संस्था मे0 मार्डन इन्स्टूमेन्ट प्रा0 लि0 द्वारा अनुबन्ध के अनुसार अगस्त, 2015 तक पूर्ण किये जाने लक्षित हैं। जनपद बहराइच में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण 12वीं योजना संचालित नहीं है। अतः 300 से कम आबादी वाले मजरों का विद्युतीकरण भविष्य में विद्युतीकरण की किसी अन्य योजना में चयनित होने पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराने विषयक–पत्र पर कार्रवाई

171–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से कराये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/12–13/क–5 नं0–138079/4046, दिनांक 21–4–2013 आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

उक्त पर में उल्लिखित जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के मार्गों में से क्रमांक–1 व 2 पर अंकित मार्गों पर पड़ने वाली बसावट क्रमशः परसिया आलम एवं हंसुआपारा सिंगल कनेक्टिविटी के आधार पर पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्गों से जुड़ी है। इन्हें आपस में जोड़े जाने की कोई योजना नहीं है।

क्रमांक–3 पर अंकित सम्पर्क मार्ग डा0रा0म0लो0स0ग्रा0वि0 योजना–2014–15 में स्वीकृत है।

क्रमांक–4 व 5 पर अंकित मार्गों पर पहले वाली बसावटों क्रमशः पंडितपुरवा एवं लोनियन पुरवा में एस0सी0/एस0टी0 की आबादी 25 प्रतिशत से कम होने के कारण लो0नि0वि0 की योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये विषयक पत्र पर कार्रवाई

172–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में आवागमन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्गों का डामरीकरण कराये जाने विषयक मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/13–14/क–5 नं0–102295/4052, क–5 नं0–138065/4044, क–5 नं0–138844/4050, दिनांक 21 अप्रैल, 2013, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र में 50 सम्पर्क मार्गों के डामरीकरण की मांग की गयी है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :––

पत्र सं0–138065/4044 में वर्णित 09 मांगों में से क्र0 3, 5, 7 व 8 पर अंकित मार्ग पूर्व से ही पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़े हैं। क्र0सं0–6 पर अंकित मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्र0 1, 2, 4 व 9 पर अंकित मार्गों का निर्माण लो0नि0वि0 की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

पत्र सं0–138844/4050 में वर्णित 5 भागों में से क्र0–5 पर अंकित मार्ग पूर्व से पक्के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। क्र0–4 पर अंकित मार्ग का निर्माण कार्य लो0नि0वि0 की किसी योजना से आच्छादित नहीं है। क्र0–1, 2 व 3 पर अंकित मार्गों का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

पत्र सं0–102295/4052, दिनांक 21–04–2013 में वर्णित 36 मार्गों में से क्र0 9 व 32 पर अंकित मार्ग पूर्व में से पक्के लेपित मार्ग से जुड़े हैं। क्र0 2 वा अंकित मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है। क्र0 1 व 3 से 8 एवं 10 से

31 तथा 33 से 36 पर अंकित मार्गों पर बसावटों की एस0सी0/एस0टी0 की आबादी 25 प्रतिशत से कम होने के कारण लो0नि0वि0 की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद बहराइच के पयागपुर के जाने वाले सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराने विषयक पत्र पर कार्रवाई

173–श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के पयागपुर हुजूरपुर कैसरगंज सड़क मार्ग के कि0मी0 एक पर कांधीकुइंया से जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तक जाने वाले सम्पर्क मार्ग के डामरीकरण कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0–वि0प0/ज0हि0/क–5 नं0–151681/ 228/13, दिनांक 26–4–2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग खडंजा स्तर का है, जिसकी लम्बाई 2.20 कि0मी0 तथा लागत रु0 85.00 लाख है। मार्ग का निर्माण कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के विधान खण्ड जलालाबाद के कतिपय सम्पर्क मार्ग ग्रामों को बनवाये जाने की मांग

174–श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मुख्यालय विकास खण्ड जलालाबाद के ग्राम आइला थाथरमई आदि गांवों को जाने हेतु कोई पक्का सम्पर्क मार्ग न होने के कारण उक्त गांव के लोगों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग को बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्रामीणों को असुविधा होती है।

जी नहीं। ग्राम आइला थाथरमई हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण सम्प्रति लोक निर्माण विभाग की किसी भी योजना से आच्छादित नहीं है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद सन्त कबीर नगर के खलीलाबाद में क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

175–डा0 मो0 अयूब–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सन्त कबीर नगर के खलीलाबाद में सेमरियावां वाया टेमा रहमत जगदीश मार्ग पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त है ? यदि

हां, तो क्या सरकार इसकी मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव पाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती

176–श्री सुरेश राणा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद शामली की विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबरी, हरड़ फतेहपुर एवं गढ़ी पुख्ता में मानकानुसार चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रदेश में एलोपैथिक चिकित्सकों का चयन लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। रिक्त पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को नियमित रूप से भेजा जाता है। लोक सेवा आयोग से चयनित चिकित्सकों की तैनाती उपलब्धता के आधार पर की जाती है। चिकित्सकों की चयन एवं नियुक्ति सत्त प्रक्रिया है।

उक्त के अतिरिक्त जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सक तैनात नहीं है, वहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एलोपैथिक/आयुष चिकित्सकों की संविदा पर तैनाती की जाती है।

जनपद शामली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बाबरी, हरड़, फतेहपुर एवं गढ़ी पुख्ता पर मानकानुसार चिकित्सक तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शामली के मुख्यालय पर चिकित्सालय की स्थापना की प्रक्रियाधीन कार्रवाई

177–श्री सुरेश राणा–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 100 बेड के अस्पतालों की स्थापना की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो नवसृजित जनपद शामली के मुख्यालय पर 100 शैय्या चिकित्सालय की स्थापना वित्तीय वर्ष 2014–15 में करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी हां।

नवसृजित जनपद शामली के मुख्यालय पर 100 शैय्या चिकित्सालय के भवन निर्माण के लिये जिलाधिकारी, शामली द्वारा भूमि चिन्हित कर दी गयी है। भवन निर्माण हेतु स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों को विकसित करने योजनान्तर्गत जनपद मुजफ्फरनगर के स्थल का सौन्दर्यीकरण कराने सम्बन्धी जानकारी

178–श्री सुरेश राणा–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धार्मिक एवं पौराणिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों को विकसित करने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक पौराणिक स्थल शुक्रताल का सौन्दर्यीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। प्रदेश के धार्मिक व पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए केन्द्रीय/राज्य/जिला योजनान्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर विकास कार्य कराये जाते हैं।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत यथासमय विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के थाना महाराजपुर से होकर मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

179–श्री सतीश महाना–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के थाना महाराजपुर से ढोकरा मार्ग तथा महराजपुर स्थित रहनस से नजफगढ़ मार्ग पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में नागरिकों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है तथा आवागमन चल रहा है।

मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली में चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य विषयक पत्र पर कार्रवाई

180–डा0 अरुण कुमार–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली में चीनी मिलों पर किसानों के बकाया गन्ना मूल्य विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–क–5 नं0–270523,

दिनांक 19–9–2014 जिला गन्ना अधिकारी, जनपद बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव–

जी हां।

मा0 विधायक द्वारा जिला गन्ना अधिकारी, जनपद बरेली को सम्बोधित पत्र दिनांक 19–09–2014 में यह अपेक्षा की गयी थी कि ''जनपद बरेली में किन–2 चीनी मिलों पर किसानों के गन्ना का कितना मूल्य बकाया है। उपरोक्त के संदर्भ में अलग–अलग चीनी मिल का विवरण उपलब्ध कराया जाय। ''इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि तद्दिनांक को जनपद बरेली की चीनी मिलों पर सत्र 2012–13 का अंकन रुपया 1358.25 लाख तथा सत्र 2013–14 का अंकन रु0 12141.18 लाख कुल रुपया 13499.43 लाख गन्ना मूल्य चीनी निम्न विवरण के अनुसार अवशेष था :––

क0 सं0	नाम चीनी मिल	दिनांक 19–09–2014 को बकाया गन्ना मूल्य (लाख रु0 में)	
		2012–13	2013–14
1	बहेड़ी	0.00	6238.89
2	मीरगंज	0.00	2579.32
3	नवाबगंज	1358.25	126.36
4	फरीदपुर	0.00	3196.61
5	सेमीखेड़ा	0.00	0.00
	योगः–	1358.25	12141.18
	सम्पूर्ण योगः––		**13499.43**

उपर्युक्त के क्रम में जिला गन्ना अधिकारी, बरेली के पत्र दिनांक 30–09–2014 द्वारा, दिनांक 26–09–2014 तक की चीनी मिलवार बकाया गन्ना मूल्य का विवरण एवं पेराई सत्र 2012–13 से पूर्व का जनपद बरेली किसी चीनी मिल पर गन्ना मूल्य भुगतान हेतु अवशेष नहीं होने की सूचना मा0 विधायक जी को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के विकास खण्ड मुरादनगर के ग्राम महमदपुर के पुलिया तक क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण कराने की मांग

181–श्री सुदेश शर्मा–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोदीनगर जनपद गाजियाबाद विकास खण्ड मुरादनगर के ग्राम सौदा नहर के पुल से ग्राम महमदपुर के पुलिया तक सड़क क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में नागरिकों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

ग्राम सौंदा नहर के पुल से ग्राम महमदपुर की पुलिया तक कोई मार्ग नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

182–श्री उमेश पाण्डेय–

ख्4थे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

183–श्री इन्द्रपाल सिंह–

खदिनांक 12–03–2015 को अता0 प्र0 सं0 29 द्वारा उत्तरित,

184–श्री काली चरन सुमन–

ख्3रें शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

लखनऊ के प्रमुख अभियन्ता लो0नि0वि0 के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में अंकित धनराशि की वसूली कर कार्रवाई की मांग

185–श्री रामशरन–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 ब्यूरो 503/दस–2014–06 (आर्डर)/2014 दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की टेस्ट चेकिंग में लगभग रुपया 48 लाख से अधिक धनराशि का भुगतान कर शासन को हानि पहुंचाई गयी है ? यदि हां, तो इसके दोषी आहरण वितरण अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां, आंशिक रूप से, निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 ब्यूरो 503/दस–2014–06(आर्डर)/2014, दिनांक 18 जून, 2014 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की टेस्ट चेकिंग के दौरान लगभग 47.07 लाख रुपये अधिक भुगतान की धनराशि आंकलित की गयी, जिसमें से शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–2118/दस–62(एम)/2008, दिनांक 22–12–11 के क्रम में वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किये जाने के कारण रु0 35.54 लाख एवं अन्य शासनादेशों के क्रम में सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रु0 11.53 लाख कुल रु0 47.07 लाख की धनराशि आंकलित की गयी है। चूंकि शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–773/दस–62(एम)/2008, दिनांक 05–11–14 द्वारा पूर्व में लागू शासनादेश संख्या–वे0 आ0–2–2118/दस–62(एम)/2008, दिनांक 22–12–11 को अवक्रमित कर दिया गया, जिससे उक्त कार्मिकों को त्रुटिपूर्ण रूप से स्वीकृत किये गये वित्तीय स्तरोन्नयन नवीनतम शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–723/दस–62(एम)/2008, दिनांक 05–11–14 के अनुसार सही पाये गये।

त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण से हुए अधिक भुगतान की वसूली एवं उत्तरदायित्व निर्धारण कर दण्डित किये जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जालौन के माधोगढ़ विधान सभा क्षेत्र के कतिपय कस्बों में शव बिच्छेदन गृह बनवाये जाने की मांग

186–श्री सन्तराम (कुशवाहा)–

क्या चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के माधौगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कस्बा रामपुरा एवं कस्बा नदीगांव से शव विच्छेदन केन्द्र उरई, लगभग 60 कि0मीटर दूरी पर होने के कारण शव ले जाने में खराब हो जाते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टाउन एरियाओं में शव विच्छेदन गृह बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुन्देखण्ड विकास निधि में जनपदों से प्राप्त परियोजनाओं का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष की समाप्त पर 'व्यपगत'

187–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 19–06–2014 जो इलाहाबाद में प्रश्नकर्ता तथा अन्य मा0 विधायकों की पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) (एस0सी0पी0 मद) तथा (सामान्य मद) वित्तीय वर्ष 2013–14 को समय से प्रस्ताव देने के बाद भी 16वीं लोक सभा चुनाव–2014 की घोषणा के कारण शासन को समर्पित किये जाने सम्बन्धी प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्या समर्पित धनराशि को सरकार अगले वित्तीय वर्ष 2014–15 में जोड़कर वापस करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

जी हां।

नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1400/35–5–99–16(10)98–62टी0सी0, दिनांक 12–04–1999 में प्राविधानित है कि पूर्वान्चल/बुलेन्दलखण्ड विकास निधि में जनपदों से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्ताव/आगणन, जिनकी स्वीकृतियां किन्हीं कारणों से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक नहीं हो पाती है, व्यपगत मानते हुए निक्षेप कर दिये जायेंगे तथा अगले वित्तीय वर्ष में उन योजनाओं के सम्बन्ध में शासन से पत्राचार न किया जाये। इस व्यवस्था के दृष्टिगत उक्त पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं पाया गया।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में कतिपय सड़कों के किनारे गली निर्माण की मांग

188–श्री दीपक पटेल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र करछना में साधुकुटी से बेला चौराहा तक सड़क पर पानी भर जाने से नागरिकों को आवागमन में काफी परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पानी की निकासी हेतु उक्त सड़क के किनारे नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव–

वर्षा ऋतु में मार्ग पर पानी भर जाने एवं पानी के निकास हेतु नाली न होने के कारण मार्ग के आंशिक भाग में आवागमन में परेशानी होती है।

प्रश्नगत कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मांग

189–श्री गुटियारी लाल दुवेश–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा शहर में अन्तर्राज्यीय हवाई अड्डा न होने के कारण दिल्ली से आगरा आने वाले पर्यटक ताजमहल को देखकर वापिस चले जाते हैं जिससे प्रदेश को राजस्व की हानि होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार आगरा शहर के आस–पास के राज्यों से 20 से 30 सीटर अच्छी गुणवत्ता के हवाई जहाज से जोड़ने हेतु अन्तर्राज्यीय हवाई अड्डे की स्वीकृति की मांग केन्द्र सरकार से करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश–

जी नहीं, आगरा में खेरिया एयरपोर्ट पर पूर्व से ही एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इण्डिया के नियंत्रणाधीन सिविल इन्क्लेव की सुविधा उपलब्ध है। आगरा के लिए एयर इण्डिया द्वारा नियमित वायु सेवा का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

ख12ण्20, विधायक निवासों में मच्छरमार दवा का छिड़काव किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्याम देव राय चौधरी (दादा)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो स्वाइन फ्लू वगैरह चल रहा है वह अपनी जगह है मेरी शंका यह है कि जो विधायक निवास है दारूलशफा जहां मैं रहता हूं, वहां इतने मच्छरों की भरमार हो गई है और मुझे पक्का विश्वास है कि जितने भी विधायक निवास होंगे। वहां मच्छरों की भरमार हो गयी है, कहीं यह दूसरा रूप न ले ले, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसका उपचार कैसे हो, इस पर आप व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी छिड़काव करा देंगें, बैठिये।

विधायक निधि से अपने विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कार्य कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री प्रदीप चौधरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले साल अपनी विधायक निधि से बिजली विभाग में काम प्रस्तावित किये थे और ग्राम भावसी के लिए 2 लाख 30 हजार रुपया प्रस्तावित किया था वह धनराशि 17–01–2014 को जा चुकी है लेकिन काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसी तरह से शेरमऊ के लिए 4 लाख 26 हजार व चकवाली गांव के लिए 3 लाख 57 हजार रुपया दिनांक 29–11–2014 को मेरे द्वारा दिया जा चुका है परन्तु तीन गांवों का काम पूरा नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था नहीं है, आप डिपार्टमेंट को लिखिये उनसे आपको बात करनी चाहिए, आप डिपार्टमेंट पर कार्यवाई कराओ।

ख12ण21, नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–03–2015 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 33 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से 15 सूचनायें स्वीकार की गई जो निम्नलिखित है :––

पहली सूचना, श्री रामचन्द्र चौधरी की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत गोमती नदी के गुदरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना, श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ अन्तर्गत नेशनल हाईवे–24 स्थित स्थान चौराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर स्थित दिव्य नगर कालोनी में सामुदायिक कार्यो के लिये आरक्षित भूमि को कोलोनाइजर द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा में सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कर्मियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की जांच कराये जाने एवं आरोपियों के विरुद्ध वाद दायर किये जाने के सम्बन्ध में, छठीं सूचना श्री बृजलाल सोनकर की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा अवैध रूप से बसों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री कुंवर कौशल सिंह

की जनपद महाराजगंज में अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध मे, आठवीं सूचना श्रीमती चन्द्रा रावत की विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध मे, नवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु लो0नि0वि0 की स्थायी सूची में समायोजित कराये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री इन्द्रपाल सिंह की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत ग्राम रेरी, ब्लाक डेरापुर के स्टेट ट्यूबवेल में विद्युत संयोजन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बस्ती रोड वेज बस स्टाप से कांटे तक की स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री रोशनलाल वर्मा की जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सुभद्रा देवी महाविद्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू की कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर में बृजवासिन पुरवा तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री सन्तराम कुशवाहा की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़ के रामपुरा ब्लाक के नरौल घाट पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी)

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचानायें अस्वीकार की गई :––

श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू, श्री धर्मपाल सिंह, श्री राजीव गुम्बर, श्री ममतेश शाक्य, श्री अनीसुर्रहमान, श्री सुदेश शर्मा, श्री पूरन प्रकाश, श्री दलवीर सिंह, श्री अजय कुमार लल्लू, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री काली चरण सुमन, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री सिनोद कुमार शाक्य, श्री राम सिंह, श्री विजय कुमार दुबे एवं श्री जय प्रकाश अंचल।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर अन्तर्गत गोमती नदी के गुदरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र चौधरी–

ख्मान्यवर,

आपका ध्यान अपनी विधान सभा क्षेत्र कादीपुर सुल्तानपुर की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड करोदी कला के अन्तर्गत गोमती नदी गुदरा घाट के पास पुल बनवाने हेतु आवेदन किया गया था। पुल बनाने हेतु सेतु निगम द्वारा सर्वे किया गया है। यह पुल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुल बन जाने से डकवा, प्रतापगढ़ से गुदरा घाट होते हुए विजेथुआ महाबीरन धाम से सूरापुर से अम्बेडकर नगर का रास्ता आसान हो जायेगा। जब तक पुल न बन जाए तब तक गोमती नदी पर गुदरा घाट के पास पीपे का पुल बनवा कर रास्ता चालू किया जाय।,

---

नोटः–ख्ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद हापुड़ अन्तर्गत नेशनल हाइवे 24 स्थित स्याना चौहराहे पर फ्लाई ओवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान–

ख्मान्यवर, मेरी विधान सभा गढ़ मुक्तेश्वर में नेशनल हाइ–वे छभ्.24 पर ब्रजघाट के समीप टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जबकि वहीं पर कई वर्षों से निर्माणाधीन फ्लाई ओवर छभ्.24 स्याना चौराहे पर अभी बन्द है। बना नहीं है। अतः टोल टैक्स वसूलना अनाधिकृत है। अभी केन्द्रीय मंत्री जी की घोषणा के अनुसार भी टोल टैक्स की वसूली पर नेशनल इाइवे पर रोक लगाई गई है। आज स्थानीय जनता व आवागमन करने वालों से मानकों से परे टोल टैक्स वसूला जा रहा है। जनता में भारी असन्तोष है। गंगा के आने वाले पर्यटन यात्रियों में असन्तोष है यह सूचना अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है। कृपया सरकार भारत सरकार नेशनल हाइवे अथारिटी को अवगत कराते हुए टोल टैक्स वसूली बन्द कराने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।,

गोरखपुर महानगर स्थित दिव्य नगर कालोनी में सामुदायिक सुविधाओं के लिये आरक्षित भूमि कोलोनाइजर द्वारा बेचे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल–

ख्महोदय, गोरखपुर महानगर के दिव्य नगर कालोनी में संख्या 06–1991 द्वारा गोरखपुर विकास प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराया गया था। स्वीकृत तलपट मानचित्र में बैंक, पोस्ट आफिस, सामुदायिक सुविधा और हेल्थ सेन्टर के लिये भूमि आरक्षित थी। हेल्थ सेन्टर के अलावा शेष किसी भी प्रकार की आरक्षित भूमि कालोनी में स्थिति नहीं है।

हेल्थ सेन्टर की जमीन को भी कालोनाईजर द्वारा एक नागरिक को बेच दिया गया तथा प्राधिकरण ने मानचित्र संख्या 1019/2011 द्वारा उक्त स्थल पर भवन निर्माण की स्वीकृति भी दे दी गयी।

जब यह प्रकरण मण्डलायुक्त, गोरखपुर (अध्यक्ष, गो0वि0प्रा0) के संज्ञान में आया तो उन्होंने पत्रांक 2216/वे0सह0–2014 दिनांक 26 अप्रैल, 2014 द्वारा इस पर रोक लगा दी गयी और स्पष्ट निर्देश दिये गये कि किसी कालोनाईजर द्वारा लेआऊट में सड़क, पार्क, बैंक, पोस्ट आफिस, लोकल मार्केट, हेल्थ सेन्टर के लिये आरक्षित भूमि का विक्रय नहीं किया जा सकता है, इसलिये यह जांच की जाये कि कालोनाईजर द्वारा मौके पर ये सामुदायिक सुविधायें विकसित की गयी है या नहीं और जांच रिपोर्ट अभी तक उक्त तलपट मानचित्र के अन्तर्गत किसी भी भूखण्ड का मानचित्र स्वीकृत न किये जाये।

लेकिन गोरखपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मण्डलायुक्त के आदेशों की अवहेलना करते हुये मानचित्र को स्वीकृति दे दी और इस प्रकार हेल्थ पोस्ट की जमीन भी कालोनी से समाप्त हो गयी।

अतः लोकमहत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय नियम–301 के तहत सदन में उठाने तथा सरकार को जवाब देने के लिये निर्देशित करें।,

जनपद पीलीभीत के लोकतन्त्र सेनानियों को पेंशन न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा–

ख्महोदय, जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत नागरिक राष्ट्रभाव के प्रति समर्पित है परिणामतः सर्वाधिक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं इसी प्रकार लोकतंत्र सेनानी लगभग 160 से अधिक हैं। सभी लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन सुविधा प्रदत्त है।

राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी पुत्र नारायण लाल गांव टिकरीमाफी को अभियोग संख्या 320/1975 धारा 36 एवं 43 डी0आई0आर0 थाना बीसलपुर (वाद संख्या–1490/75) के अन्तर्गत दिनांक 13 मार्च, 1976 को दण्डित हुए और दिनांक 25 नवम्बर, 1975 से दिनांक 07 जून, 1976 तक कारागार पीलीभीत में निरुद्ध रहे है श्री नेतराम पुत्र प्यारे लाल गांव जोगीठेर अभियोग संख्या–311/1975 धारा 36 एवं 46 डी0आई0आर0 थाना बीसलपुर (वाद संख्या–829/76) के अन्तर्गत दिनांक 28 जून, 1976 को दण्डित हुए हैं दिनांक 8 नवम्बर, 1975 से 13 मार्च, 1976 तक कारागार पीलीभीत में निरुद्ध रहे हैं। श्री विष्णु सहाय पुत्र पुरनलाल निवासी पीलीभीत अभियोग संख्या–34/1976 धारा 36 एवं 46 डी0आई0आर0 में कारागार पीलीभीत के अन्तर्गत निरुद्ध रहे हैं तथा श्री नेतराम पुत्र श्री तोता राम गांव अंटागोटिया अभि0 सं0 165/1975 धारा 36 ए 43 डी0आई0आर0 के अन्तर्गत कारागार पीलीभीत में निरुद्ध रहे हैं।

परन्तु उक्त चारों लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन प्रदत्त नहीं कराई जा रही है जबकि लेंखरक्षा भवन (फौजदारी) पीलीभीत एवं कारागार में मिलाई करने के लिए जिलाधिकारी, पीलीभीत का अनुमति पत्र भी उपलब्ध है जो काराबार पीलीभीत में निरुद्ध रहने की पुष्टि करता है फिर भी उक्त लोकतंत्र सेनानियों को पेंशन प्रदत्त न कराना संवैधानिक एवं वैधानिक विशेषाधिकारों का हनन है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूं।,

जनपद आगरा में सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया के कर्मियों द्वारा की गयी धोखाधड़ी की जांच कराये जाने एवं आरेपियों के विरुद्ध वाद दायर किये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

ख्महोदय, अवगत कराना है कि जनपद आगरा के श्री रोहित जोहरी निवासी ए–403, आशीर्वाद नीलांचल अपार्टमेन्ट, श्रीनाथपुरम् ए कोटा ने सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की सिकन्दरा ब्रांच में रु0 350,000.00 की खाता संख्या 3006002943 में एफ0डी0 कराई थी। किन्तु मैच्योरिटी होने पर जब श्री रोहित अपना भुगतान लेने बैंक पहुंचे तो बैंक कर्मियों द्वारा भुगतान करने से मना कर दिया गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए श्री जोहरी का ब्याज सहित भुगतान कराये जाने एवं दोषी बैंक कर्मियों के विरुद्ध वाद दर्ज किये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।,

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेहनगर में प्राइवेट बस मालिकों द्वारा अवैध रूप से बसों का संचालन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृज लाल सोनकर–

ख्मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय को ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा मेहनगर 352, आजमगढ़ में प्राइवेट बस चालकों की धांधली से सरकारी बसे ठीक ढंग से संचालित नहीं होती है। कहीं–कहीं प्राइवेट बस चालक रोडवेज बस चालकों से मिलीभगत कर गलत समय से बसें चलाते हैं और उनकी लापरवाही से जिला मुख्यालय तक कोट कचहरी एवं अन्य आवश्यक कार्यो से आने वाले यात्री विवश होकर यात्रा करते हैं। मेरे कई बार प्रयास करने पर क्षेत्रीय परिवहन रोडवेज आजमगढ़ उपक्षेत्रीय प्रबन्धक, आय कम होने का बहाना बनाते हैं। 15–20 दिन या एक महीना बस चलाने पर क्षेत्रवासियों को पता भी नहीं चलता कि उनके रूट पर बसें चालू हो गयी है जिसके कारण भरपूर सवारी नहीं आ पाती है।

अतः उन्हें निर्देशित किया जाय, कि आमदनी का औसत निकालने के लिए उचित समय से बसें प्रस्थान करें तथा कोट कचहरी के समय पर गनतव्य स्थल (मुख्यालय तक) पहुंचाने की कोशिश करें, जिससे क्षेत्र की जनता को पुरी जानकारी होने तथा समय से पहुंचने की सुविधा हो जाये, तो सवारियां भरपूर मिलेगी, आमदनी कम होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा और हमारे क्षेत्र की जनता सरकारी सेवाओं का भरपूर लाभ उठा सकेगी।,

जनपद महाराजगंज में अवैध रूप से चल रही डग्गामार बसों के संचालन पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुंवर कौशल सिंह–

ख्मान्यवर, जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद महराजगंज, विधान सभा क्षेत्र नौतनवां जो नेपाल राष्ट्र से सटा हुआ है। अन्यत्र रूट के परमिट को लेकर डग्गामार बसें दर्जनों की संख्या में सोनौली से होकर गोरखपुर तक तथा सोनौली से दिल्ली तक एवं मेरे विधान सभा क्षेत्र से सटे नेपाल सीमा पर स्थित ठुठी बारी से गोरखपुर तक अनाधिकृत रूप से प्राइवेट बसों को चलाया जा रहा है। जिससे परिवहन विभाग की बसों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग के आदेशानुसार कि प्राइवेट बसों का संचालन न किया जाय और इनके विरुद्ध तत्काल कार्यवाही कर परिवहन विभाग की बसों का संचालन कराया जाय। जिससे परिवहन विभाग को हो रहे घाटें की क्षतिपूर्ति हो सकें। उनके आदेशों का अवहेलना कर प्राइवेट बसों का संचालन प्रतिदिन कराया जा रहा है। इस प्रकार परिवहन विभाग के द्वारा हो रहें राजकोषीय क्षति को कैसे रोका जायेगा।

अगर इसी तरह प्राइवेट बसों का संचालन चलता रहा तो माफियाओं का एकक्षत्र राज कायम रहेगा। इस पर अंकुश लगाया जाना अति–आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूं।,

विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती चन्द्रा रावत–

ख्मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ, ब्लाक गोसाईगंज, जनपद लखनऊ की आबादी लगभग 03 हजार है। इस ग्राम पंचायत में कोई उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है, जिसके कारण इन गांवों का बच्चों को कई–कई किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, विशेष कर यहां की लड़कियों को इसके कारण काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय जाने के लिए आवागमन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु ग्राम पंचायत रायपुर के पास लोनी नाले पर बने पुल के पश्चिम दिशा में मात्र 200 मीटर की दूरी पर इसके लिए ग्राम पंचायत की पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जो निःशुल्क प्राप्त हो जायेगी। यह भी अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल से 03 कि0मी0 की परिधि में कोई भी उच्च प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित नहीं है। यहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय बन जाने से ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ के अलावा आस–पास स्थिति गांव रज्जाकपुर, पूरनखेड़ा, खेरवा, बबुरिहाखेड़ा व सुक्खाखेड़ा आदि कई गांव के बच्चे उसमें शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और जो बच्चे और बच्चियां प्राइमरी के बाद अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं, वह भी अपनी शिक्षा जारी रख सकेंगे।

अतः अविलम्बनीय व्यापक लोकहित के इस मामले को सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से ग्राम पंचायत रायपुर सदरा/दहिरामऊ, ब्लाक गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये जाने की मांग करती हूं।,

जनपद रायबरेली की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण हेतु लो0नि0वि0 की स्थायी सूची में समायोजित कराये जाने सम्बन्ध मे नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह–

ख्महोदय, 10 वर्ष पूर्व के विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि द्वारा निर्मित समस्त मार्ग क्षतिग्रस्त हो चुके हैं एवं उन मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढ़े एवं डामर उखड़ने से चलना भी दूभर हो गया है। खेद है कि लो0नि0वि0 द्वारा उक्त की समावेषित करने की कोई नीति नहीं है। जिसके कारण मार्ग बद से बदत्तर होते जा रहे है।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं माननीय सदन से निवेदन करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय की तात्कालिकता एवं महत्व को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही करवाने की कृपा करें ताकि ऐसे मार्ग लोक निर्माण विभाग की स्थायी सूची में समायोजित हो सके।,

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत ग्राम रेरी ब्लाक डेरापुर के स्टेट ट्यूबवेल में विद्युत संयोजन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रपाल सिंह–

ख्महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरा के अन्तर्गत ग्राम रेरी ब्लाक डेरापुर में एक स्टेट ट्यूवेल शासन द्वारा नलकूप विभाग द्वारा लगवाया गया है। जिसमें 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद विद्युत कनेक्शन नहीं हुआ है। जिसमें उक्त ट्यूबवेल खड़ा है। उक्त क्षेत्र के कास्तकार जल के आभाव में खेतो में फसलो की सिंचाई से वंचित रह जाते है। क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। जिसके कारण क्षेत्रीय जनता में भारी रोष एवं जनाक्रोष व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ट्यूबवेल में विद्युत कनेक्शन चालू कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र सदर अन्तर्गत बस्ती रोडवेज बस स्टाप से कांटे तक की स्वीकृत सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी–

ख्महोदय, अवगत कराना है जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र 310, बस्ती सदर के अन्तर्गत बस्ती सदर में बस्ती रोडवेज बस स्टाप से कांटे तक का मार्ग वर्ष 2014 में स्वीकृत हो चुका है, उक्त सड़क का ठेका जिस ठेकेदार को मिला है उसे 6 करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है, लेकिन सड़क को उखाड़कर निर्माण के नाम पर गिट्टी डाल दी गयी है, काफी समय बीत जाने के बाद अभी तक कार्य चालू न करने से उखड़ी पड़ी सड़क से आवागमन हेतु बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे आवागमन बाधित रहता है, सड़क दुर्घटनायें होती रहती है, जिससे क्षेत्रीय जनता का सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उक्त सड़क का निर्माण कार्य यथाशीघ्र चालू कराकर पूर्ण कराये जाने की कार्रवाई /वक्तव्य की मांग करता हूं।,

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में सुभद्रा देवी महाविद्यालय के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रोशन लाल वर्मा–

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ख्मान्यवर, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

जिला शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ब्लाक निगोही में सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय, हमजापुर में स्थित है। उक्त महाविद्यालय के निर्माण हेतु शासन द्वारा प्रथम किस्त जारी की गयी थी। जिसका महाविद्यालय द्वारा उपभोग प्रमाण–पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है, किन्तु महाविद्यालय को अब तक द्वितीय किस्त जारी नहीं की जा रही है। द्वितीय किस्त जारी करने हेतु मेरे द्वारा कई बार पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जा चुका है, परन्तु शासन द्वारा महाविद्यालय को द्वितीय किस्त जारी नहीं की जा रही है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से सुभद्रा देवी मूलाराम कृषक महाविद्यालय, हमजापुर, निगोही शाहजहांपुर को द्वितीय को द्वितीय किस्त जारी किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू की कतिपय सड़कों का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वाचस्पति–

ख्महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद कौशाम्बी के विधान सभा क्षेत्र सिराथू के अन्तर्गत सड़कों के चौड़ीकरण की तरफ ले जाना चाहता हूं। जहां यातायात का भारी दबाव होने के कारण आवागमन की समस्या लगातार बनी रहती है जिसमें सैनी चौराहा से लेहदरी पुल तक सड़क लगभग 07 कि0मी0 तथा संयारा मीठेपुर से सौरई तक सड़क लगभग 07 कि0मी0 है।

उपरोक्त दोनों सड़कों का चौडीकरण किया जाना नितान्त अवशेष है। अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को नियम–301 में उठाने हेतु आपकी स्वीकृति चाहता हूं।,

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर से बृजवासिन पुरवा तक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम हेत भारती–

ख्महोदय, कृपया संज्ञान में लाना चाहूंगा कि मेरे जनपद सीतापुर के विकास खण्ड लहरपुर में अकैचन बरेली से बृजवासिनपुरवा तक का रास्ता कच्चा व बहुत ही जीर्णशीर्ण हालत में ग्रामीणों के आने जाने क कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा विकास खण्ड–बेहटा के अन्तर्गत ग्राम दोनवा, गहबड़ा घट पिलाई तथा दण्ड पुरवा गांवों के रास्ते कच्चे होने के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण अपनी कृषि उपज को बाजार व लालपुर मण्डी तक ले जा पाते जिस कारण उन्हें अपनी उपज को औने पौने दामों में दलाल व बिचौलियों के हाथों में बेचना पड़ता हैं। जिससे किसानों को भारी आर्थिक क्षति भी उठानी पड़ती है।

नोटः–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर ग्राम बृजवासिनपुरवा, ग्राम दोनवा, ग्राम गहबड़ा, ग्राम घट पिलाई, ग्राम दण्ड पुरवा गांवों के कच्चे भागों को डामरीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़ के रामपुरा ब्लाक के नरौल घाट पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सन्तराम कुशवाहा–

महोदय, कृपया अवगत कराना है कि जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के रामपुरा ब्लाक के ग्राम नरौल पहूज नदी के नरौल घाट पर रपटा न होने के कारण ग्राम नरौल कूसेपुरा के किसानों को अपनी कृषि कार्य करने में किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है एवं आने जाने में असुविधा होती है। इस रास्ते से लगभग 10 गांवों के लोगों को माधोगढ़ आना जाना पड़ता है। जिससे सरकार के प्रति किसानों में रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व, अविलम्बनीय एवं तत्कालीन विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त नदी में रपटा/पुलिया का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।,

ख12ण्25, औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18 मार्च, 2015 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनायें प्राप्त हुई :––

पहली सूचना डा0 अरुण कुमार की बरेली शहर के थाना बारादरी से बरेली कालेज के पास शहामतगंज चौराहे पर एक उपरिगामी सेतु बनवाये जाने के सम्बन्ध में। यह इसमें नहीं सुनी जायेगी, यह इसका विषय नहीं है।

दूसरी सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत में शासकीय स्तर की बैठकों एवं सम्मेलनों में जनप्रतिनिधियों के बैठने हेतु उपयुक्त स्थान न दिये जाने एवं उनके प्रति प्रोटोकाल का पालन न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह सुनी नहीं जायेगी, मैं सरकार को इसके लिए कहता हूं कि वह प्रोटोकाल का पालन करायें।

तीसरी सूचना श्री सतीश महाना की विपक्षी विधायकों के क्षेत्रों के विकास के लिए धनावंटन में भेद–भाव किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह भी नहीं सुनी जायेगी।

(श्री सतीश महाना के खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

आपकी बात मैंने पढ़ दी, उसे पढ़ना भी नहीं चाहिए था जब मैंने नहीं सुनने को लिया था तब भी पढ़कर आपका काम तो कर ही दिया।

नियम–51 की सूचनाओं को लिये जाते समय सूचनाकर्ता सदस्यों की उपस्थिति की अनिवार्यता के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय की सदन को सूचना

श्री अध्यक्ष–अब मद संख्या–3।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन है जैसाकि नियम–51 के तहत ली जाने वाली सूचनाओं के लिए आपने एक नई व्यवस्था सुनिश्चित की है तो चूंकि इस समय सदन में सभी माननीय सदस्य उपस्थित हैं। अगर आपकी तरफ से निर्देश हो जाएगा तो उसका अनुपालन सुनिश्चित हो जाएगा। अगर जाने के बाद आप निर्देश देते हैं तो वह सदस्यों तक पहुंचता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल ने एक आग्रह किया है कि नियम–51 में जो सूचनाएं दी जाती हैं अगर सूचना देने वाला उसके एक्सेप्टेंस के टाइम पर एजेंण्डे में जब वह आती है उस समय अगर वह उपस्थित नहीं रहेंगे तो वह नियम–51 की सूचना निरस्त कर दी जाएगी इसको सभी माननीय सदस्य ध्यान रखें अगर सूचना दें तो वह अन्त समय तक जरूर उपलब्ध रहें।

श्री सतीश महाना–

नियम–51 के सम्बध में निवेदन है आपने जो निर्देश दिया है उसे शिरोधार्य करते हैं। मान्यवर, जिस समय आप नियम–51 स्वीकार करते हैं उसके लिए एक तिथि निर्धारित करते हैं दो दिन, तीन दिन उस तिथि को उसका जवाब आता है मान्यवर, क्योंकि अगला सप्ताह आखिरी सप्ताह होगा कार्य–मंत्रणा के हिसाब से अब क्या होगा वह कार्य–मंत्रणा और आप निर्णय करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

आप जैसा चाहेंगे ।

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है आखिरी दो दिन जो आप नियम–51 की सूचनाएं स्वीकार करते हैं उसके लिए तिथि निर्धारित न करें ध्यानाकर्षण में कर देंगे तो जवाब मिल जाएगा। नहीं तो उसका जवाब नहीं मिलता है यही मेरा कहना है।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

ख12.28, उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन[४]

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2013–2014) का सप्तम् प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) में उल्लिखित

४ छापा नहीं गया।

आबकारी विभाग तथा वन विभाग से सम्बंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

ख12.29, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–4, मद संख्या–5 व मद संख्या–6 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या–7।

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–3–2015 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गईं प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर, श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री वीरपाल राठी की यमुना नदी के किनारे बसे शहरों की गंदी नालियों तथा सीवरों के दूषित पानी को शोधित करने हेतु सीवर ट्रीटमेंट प्लान्ट स्थापित करने तथा यमुना सफाई हेतु आवश्यक धन आवंटित किये जाने के सम्बंध में।

दूसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा0 धर्मसिंह सैनी, श्री जगपाल सिंह, श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू व श्री महावीर राणा की जनपद सहारनपुर में स्टार पेपर मिल के निकट खसरा नम्बर 1480 पर बने श्मशान घाट पर दो गुटों पर दिनांक 10 मार्च, 2015 को पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किये जाने एवं 24 दलित लोगों को जेल भेजे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में।

तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के अन्तर्गत दिनांक 15–3–2015 को दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारीजनों को 2–2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बंध में यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत में विगत 13 दिनों में 9 लोगों को गोलियों से भूने जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बंध में। यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत ।

शेष सभी सूचनाएं अस्वीकृत की गईं।

'श्री प्रदीप माथुर–

आपने बहुत ही गम्भीर विषय पर जिसमें उत्तर प्रदेश में बह रही एक पवित्र नदी यमुना अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। जो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर नोयडा, मथुरा बृंदावन फिर आगरा फिर इलाहाबाद तक जाती है यह भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। प्रदेश में जो भी इसके किनारे शहर हैं इनका सारा सीवर का गन्दा पानी नाले प्रत्यक्ष रूप से इस नदी में गिर रहे हैं। अध्यक्ष जी यमुना नदी का धार्मिक महत्व मथुरा बृंदावन में बहुत है यमुना पुत्री कहा जाता है भगवान कृष्ण की पटरानी कहा जाता है यम की बहन कहा जाता है। देश विदेश से आने वाले यमुना भक्त यमुना नदी के जल का आचमन करते हैं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खासतौर पर विश्राम घाट पर उसका आचमन किया जाता है और दीपावली के अगले दिन भाई दूज का पर्व होता है उस दिन करोड़ों की संख्या में पूरे देश से बहनें आकर भाइयों का हाथ पकड़कर उनके दीर्घ आयु की कामना करती हैं और पवित्र स्नान करती हैं। अध्यक्ष जी स्थिति यह हो गई है वहां का इतना विषैला हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि नोयडा से लेकर बृंदावन, मथुरा, गोकुल, आगरा तक बिल्कुल जहरीला पानी हो चुका है यहां तक कि जलचर और मछलियां भी जीवित नहीं रहती हैं। केमिकलयुक्त पानी गिर रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें जा रहा है और मल–मूत्र सीवर उसमें सीधे सीधे जा रहा है। नगर पालिका अपने ट्रीटमेंट प्लान्ट को चलाती नहीं है और अपना डीजल बेचकर उसका निर्वहन कर लेती है। मान्यवर, पिछले दो–तीन दिन से ब्रज के प्रसिद्ध संत रमेश बाबा जी के नेतत्व में हजारों पदयात्री दिल्ली की तरफ पदयात्रा कर रहे हैं यमुना को प्रदूषणमुक्त करने की मांग को ले करके। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि यू0पी0ए0 गर्वनमेंट ने पिछली बार जब पदयात्रा निकली थी तो रमेश बाबा जी और बाबा जय किशन दास जी की, उस पदयात्राा के लोगों के साथ एक समझौता किया था जिसमें तमाम व्यवस्थाएं रखी गई थीं और आज वह सारे के सारे एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी आ चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, केन्द्र सरकार ने नमामि गंगे के नाम पर 4 हजार करोड़ रूपये लगभग आवंटित किये और सत्ता में आने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पवित्र यमुना नदी को भूल चुके हैं। यमुना के लिये एक भी पैसा केन्द्र सरकार के द्वारा आवंटित नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने गोमती के लिये 400 करोड़ रुपया आवंटित किया है परन्तु यमुना नदी के लिये एक भी पैसा आवंटित नहीं किया। एक प्रतिनिधि मंडल माननीय शिवपाल जी माननीय सिंचाई मंत्री जी से भी मिल चुका है उन्होंने आश्वस्त किया था कि मथुरा वृन्दावन में यमुना के किनारे नालों का निर्माण कराया जायेगा जिसमें कि सारे नाले कनेक्ट किये जायेंगें। वह सारी स्कीम भी ऐसी ही रह गई उसके लिये एक भी पैसे का बजट में प्राविधान नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और भी सदस्यों को बोलना है।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है प्रदेश का। मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने की मांग करता हूं और यह बहुत गम्भीर मामला है, वहां की जनता जो बाबा रमेश और बाबा जय किशन दास जी के नेतत्व में जो यात्री देश विदेश से यमुना बचाओ के अन्तर्गत पद यात्रा कर रहे हैं उस पर उत्तर प्रदेश सरकार चर्चा करे और तत्काल धन आवंटित करके यमुना को प्रदूषण रहित किया जाय जो इन्डस्ट्रियल उद्योग उसको गंदा कर रहे हैं, जो नगर पालिका काम नहीं कर रही है उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

श्री दलवीर सिंह जी, आपकी पार्टी के तीन लोगों ने नाम दिया है। एक तो पूरन प्रकाश जी, दूसरे श्री वीर पाल राठी जी और आप ने। तो पूरन प्रकाश मथुरा के रहने वाले हैं, कोई एक आदमी बोल ले, सब नहीं बोलेंगे।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, एक दो बात कहूंगा बाकी पूरन प्रकाश जी बोलेंगे क्योंकि वह मथुरा के रहने वाले हैं।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, मेरा भी नाम है।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास जो नोटिस है उसमें आपका नाम नहीं है।

श्री दलवीर सिंह–

मान्यवर, मेरे अलीगढ़ जनपद में तो यह बहुत थोड़े से हिस्से में जाती है जिससे टप्पल, चन्दौस का पानी दूषित हो गया है और यह प्रकरण मथुरा का है, मथुरा पवित्र नगरी है पूज्यनीय नगरी है माननीय पूरन प्रकाश जी इस पर प्रकाश डालेंगे।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय तेजपाल जी का भी है इसमें।

श्री अध्यक्ष–

एक आदमी बोल ले। जब जवाब आयेगा तो सुन लें।

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गंदी स्थिति इस समय प्रदेश में है जो मुद्दा इस समय चल रहा है वह यमुना मैय्या का है। यमुना मैयया को हथिनी कुन्ड में मान्यवर कैद कर रखा है। उस यमुना का इतना महत्व है उससे भावना जुड़ी हुई है, उसका आचमन लेते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं। आज स्थिति यह है कि गंगा जी से निकलकर इलाहाबाद में मिलती है आज यमुना की स्थिति यह है मान्यवर कि वहां यह निकलती है और विभिन्न स्टेटों से होते हुए हरियाणा हो, दिल्ली हो और जब उत्तर प्रदेश में पहुंचती है तो पानी की यह हालत होती है कि उसमें जितनी फैक्ट्रियां हैं चाहे वह दिल्ली की हों या हरियाणा की हों सबका गंदा पानी तेजाब का उसमें गिरता है और आज उसका पानी खारा हो गया है उसमें मछलियां मर चुकी हैं। उसका आचमन लेना तो दूर उसके बराबर खड़ा नहीं हुआ जा सकता है। इस स्थिति में मान्यवर यह इतना गम्भीर विषय है। लाखों लाख आदमी पैदल 15 तारीख से पद यात्रा कर रहे हैं। आज करवल तक पहुंची है परसों आपकी दिल्ली पहुंचेगी। मान्यवर, यह गम्भीर मामला है अगर सरकार ने समय रहते इस पर कोई उचित कार्यवाही नहीं कराई तो स्थिति बहुत ही गम्भीर हो रही है। एक तरफ पूरा एन0एच0 बंद पड़ा हुआ है। छोटे–छोटे बच्चे, माताएं, बेटियां, बहनें पैदल पैदल चल रहे हैं और यमुना का प्रदूषण दूर होना प्रदेश के लिये

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निहायत जरूरी है। आज मथुरा के घाटों की स्थिति इतनी बिगड़ गई है, चल नहीं सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये। अगर यह परम्परा डाली गई तो इस तरह से नहीं चल पायेगा। एक नोटिस पर दस दस लोग बोलेंगे ?

श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अध्यक्ष जी, हथिनी कुन्ड से यमुना मैय्या को मुक्त कराइये।

श्री अध्यक्ष–

यह परम्परा नहीं बनेगी। एक प्रश्न पर 15 लोग हस्ताक्षर कर दें और पन्द्रह लोग बोलें यह सही नहीं है।

श्री तेजपाल सिंह–

मान्यवर, जो यमुना का प्रकरण उठा है, यह इतना महत्वपूर्ण है अभी सिंचाई की बात हो रही थी तो मा0 धर्मपाल सिंह जी ने सवाल उठाया था, सिंचाई के नाम पर आगरा कैनाल से पूरी जो किसानों को दिल्ली की गन्दगी मिल रही है। वह यमुना के माध्यम से आती है आप आचमन की बात कर रहे हैं लेकिन स्थिति यह है कि किसान जब खेतों में पानी लगाता है आगरा कैनाल का, तो मा0 अध्यक्ष जी उसमें हाथ डालना तो बड़ी बात है वह पैर लेकर भी घुस नहीं सकता है। किसान बीमार हो रहा है। इतनी हालत खराब है हम आपके माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं मा0 शिवपाल जी गए थे, उन्होंने इसका एक विकल्प तैयार किया था, हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, हम केवल इतनी बात चाहते हैं कि यमुना लाखों भक्तों की जो पद यात्रा की गई है उसमें बहुत सारे साधू सन्त पैदल चल रहे हैं वह दिल्ली तक यात्रा पहुंचे उससे पहले जिसकी घोषणा शिवपाल जी करके आए थे उस पर क्रियान्वयन हो जाए तो उसका श्रेय निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सरकार को मिलेगा। हमारा यह सुझाव भी है और कहना भी है उसको आपको मान लेना चाहिए। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मथुरा वृन्दावन की पहचान भगवान श्रीकृष्ण से है और भगवान श्रीकृष्ण की लीला बिना जमुना के अधूरी हैं। इसीलिए अगर जमुना का पुराना स्वरूप लौटकर नहीं आता है तो बृज की महिमा खत्म हो जाएगी। जमुना से बृज की पहचान है इसमें हमारा आपसे अनुरोध यह है कि हथिनी कुंड बैराज पर जहां पानी रोका हुआ है उसमें एक गेट खुला हुआ है दो गेट खुलवाने की व्यवस्था करवा दें। दो गेट अगर खुल जाएंगे तो जमुना जी में अविरल अच्छा पानी आएगा। किसानों को भी अच्छा पानी मिलेगा और जो धार्मिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं उन सबकी भी मुराद पूरी होगी। क्योंकि जमुना जी का स्वरूप लौटना बहुत आवश्यक है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, नेता कांग्रेस ने जो बिन्दु सामने रखा है उसमें दो बातें कहीं हैं एक तो नगर पालिकाओं ने एस0टी0पीज बन्द कर रखे हैं तेल बचाने के लिए, आपकी यह सूचना

शत–प्रतिशत गलत है आप एक जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं और आपको ऐसी हल्की बात नहीं कहनी चाहिए।

(श्री प्रदीप माथुर के कुछ कहने पर)

देखिए आप बोल चुके हैं अब अगर आप किसी एक एस0टी0पी0 की जानकारी दे पाएं तो दीजिए। लेकिन एक हवाई बात कह देने से तो काम नहीं चलता है। खुशी है मुझे इस बात की है, कि तकरीबन 60–65 साल आपका कब्जा रहा केन्द्र पर और आपको जमुना आज तक याद नहीं आई। यह काम आप कर सकते थे।

श्री प्रदीप माथुर–

किया।

श्री मोहम्मद आजम खां–

किया, तो फिर इतनी शिकायत क्यों है। जब किया तो फिर क्यों शिकायत है, इन्हें तो अभी आठ–नौ महीने हुए हैं, बाकी तो देश पर आपका ही कब्जा था गंगा और जमुना पर भी आप का ही कब्जा था। उस वक्त आप कहां थे। अब यह सारी चीजें आपको याद आ रही हैं बहुत अच्छी बात है लेकिन इसमें राज्य सरकार का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है जितना खर्चा है गंगा की सफाई के बारे में, सिर्फ गंगा की सफाई के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट में एफीडेविट गया है भारत सरकार का, उसमें यही कहा है उन्होंने कि बहुत बड़े धन की इसमें व्यवस्था करनी होगी, जो नहीं है। उसके बाद भी बहुत लम्बा कार्यकाल लगभग 17–18 वर्ष का लगेगा। तो यह एक बड़ी समस्या है, गंगा यमुना और सारी नदियों को पाक साफ रखना हमारी जिम्मेदारी भी है। राज्य सरकार जितना कर सकती है उससे कहीं ज्यादा कर रही है आपकी यह सूचना कि कोई एस0टी0पी0 काम नहीं कर रहा है बिल्कुल सही नहीं है सारे एस0टी0पीज काम कर रहे हैं सब फंक्शनता है।

श्री प्रदीप माथुर–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है। कई बार कमेटियां गई हैं सीधे–सीधे नाले खुले पाए गए, नाले सीधे–सीधे यमुना में गिरते हैं कोई एस0टी0पी0 नहीं चलता है। सरकार इसमें कोई कार्यवाही नहीं कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री प्रदीप माथुर ने अपने दल के साथ सदन से बर्हिगमन किया।)

श्री अध्यक्ष–

मैंने श्री प्रदीप माथुर को सुना संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह मामला नियम–56 में नहीं आता है। मैं इसको अग्राहय करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मा0 मौर्य जी आपका है जनपद सहारनपुर में।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

मान्यवर, चूंकि यह घटना सहारनपुर की है इसलिये हमारे मा0 सदस्य श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू जी इस पर बोलेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मा0 अध्यक्ष जी, सदस्य जाना नहीं चाहते, क्योंकि जमुना मथुरा से गुजरे तो जमुना है दूसरे जिलों से गुजरे तो जमुना है। अब देखिये, इलाहाबाद की जमुना यहीं रह गयी।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, राजनीति का और धर्म का सब संगम इलाहाबाद में है।

श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू–

मा0 अध्यक्ष जी, आपको अवगत कराना है कि जनपद–सहारनपुर में स्टार पेपर मिल के निकट एक ग्राम नाजिरपुरा थाना–सदर बाजार तहसील एवं जिला सहारनपुर स्थित है इसके निकट टैगोर गार्डन खसरा नं0–1480 श्मशान घाट है जिसमें उक्त ग्रामवासी लगभग 50 वर्षों से मृतकों का अन्तिम संस्कार करते आ रहे हैं। घटना दिनांक 10 मार्च, 2015 की उक्त ग्राम की एक युवती कु0 आशा पुत्री लक्ष्मीचन्द्र आयु लगभग 19 वर्ष की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी तथा एक वृद्धा प्रसन्नी का भी निधन हो गया था। दोनों परिवार के परिवारीजन ग्रामवासी शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिये जा रहे थे। उसी समय स्थानीय राजनीतिक षडयंत्र के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन को सूचना देकर व विपक्षी वर्ग के लोगों को उकसा कर झगड़ा करवा दिया। सूचना प्राप्त होने पर जिला प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचा और एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया। महिला और बुजुर्गों को दौड़ा–दौड़ा कर पीटा गया, उनके साथ बर्बरता की गई। जिला प्रशासन के आदेश से गिरफ्तारी की गयी और 24 दलित लोगों को जेल भेज दिया गया जिसमें कुछ छात्र भी हैं जिनके पेपर भी चल रहे हैं और 20–25 और छात्रों को जेल भेजने की कोशिश की जा रही है। इस झगड़े के सूत्रधार प्रशासन, भू–माफिया और गंदी राजनीति करने वाले लोग हैं, क्योंकि यह भूमि कीमती व रिहायशी क्षेत्र के बीच में है और भू–माफिया प्रशासन की मदद से इस पर कब्जा करना चाहते हैं। वरना कोई भी पक्ष या विपक्ष लड़ना नहीं चाहते उन्हें लड़ाया गया। मा0 इस जमीन पर 50 वर्षों से दाह–संस्कार हो रहा है। जो खसरा नम्बर है उसमें खसरे में भी जमीन दर्ज है और आठ दिन पहले भी वहां पर शव जलाया गया है। सहारनपुर में उस दिन इतनी बुरी हालत की गई है कि जब वह शव को ले जा रहे थे तो पुलिस ने जबरदस्ती उनसे शव छीनकर दूसरे श्मशान घाट पर उसका अंतिम संस्कार कराया और वहां पर पूरा भय का माहौल व्याप्त है। मान्यवर, मैं आपसे मांग करता हूं कि इस पर चर्चा करायी जाये और आज की तारीख में कचहरी के अन्दर वकीलों की हड़ताल चल रही है तो जो छात्र जेल के अन्दर हैं वह लड़के पेपर नहीं दे सकते हैं उनको तुरन्त छुड़वाया जाये, उनका कोई दोष नहीं है वह बेकसूर लोग हैं। मान्यवर, इस पर चर्चा करायी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरे पास क्योंकि अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आपको जो सुना उससे अन्दाजा यह हो रहा है कि अगर पहले यहां दाह संस्कार होते रहे हैं तब तो अलग बात है और अगर वहां पहले दाह संस्कार नहीं हुये हैं या बहुत अर्से से बन्द हैं और अब अगर

दाह संस्कार के लिये जा रहे थे तब सूरत दूसरी है। फिर भी, आपने जिस तरह से बात रखी है उसमें इसे किसी भी तरह से अन्यथा नहीं लिया जायेगा। इसकी जांच करायेंगे और यदि कोई भी बेगुनाह पकड़े गये हैं तो उन्हें छुड़वाने की कार्रवाई भी करेंगे।

(श्री मनीष असीजा के खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

इसमें बोलना नहीं है। आपका ध्यानाकर्षण है मैं पढ़ दे रहा हूं। जनपद फिरोजाबाद के थाना रसूलपुर के अन्तर्गत दिनांक 15–3–2015 को दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के परिवारीजनों को 2–2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के संबंध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं। दूसरी सूचना श्री लोकेश दीक्षित की जनपद बागपत में विगत 13 दिनों में 09 लोगों को गोलियों से भूने जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इस पर भी मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गईं–

श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री धर्मपाल सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री रामचन्द्र यादव, श्री सतीश महाना, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मुकुट बिहारी वर्मा, श्री जन्मेजय सिंह, श्रीमती विमला बाथम, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री ममतेश शाक्य, श्री सुदेश शर्मा, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री बब्बन सिंह, श्री रोशन लाल वर्मा।

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–21 खाद्य एवं रसद विभाग

'खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव रखता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 78,64,48,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्रीमन्, खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता संरक्षण तथा बाट मांप विज्ञान विभाग, यह इस विभाग का पूरा नाम है और यह कहा जा सकता है कि प्रदेश में जो भी चीज नापी जाती है जो भी चीज तौली जाती है उस पर इस विभाग का पूरा नियंत्रण है कि घटतौली तो नहीं हो रही है, नाप ठीक है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं, उनके साथ कोई नाइन्साफी न हो, उनके साथ कोई बेईमानी न हो, यह देखना भी इस विभाग का काम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है, किसानों को उनकी फसल की उचित दर दिलाना, जिसको हम एम0सी0पी0 कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइज। इसके साथ ही 76,586 दुकानों के माध्यम से पूरे प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्ध कराना और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना, यह भी हमारे विभाग का सबसे बड़ा दायित्व है। श्रीमन्, जब हमारी सरकार बनी, आदरणीय नेता जी ने हम सब लोगों को बुलाया, सभी मंत्रियों

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को, मा0 मुख्य मंत्री जी को भी बुलाया और उन्होंने यह निर्देशित किया कि गेहूं खरीद हो रही है और किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यह जा करके आपको पता करना चाहिए। मान्यवर, अपने आप में यह एक ऐतिहासिक कदम था, पूरा मंत्रि–मण्डल प्रदेश के हर एक जिले में भेजा गया, स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी उन्नाव जाकर औचक निरीक्षण किया। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी कार्यवाई किसी भी मुख्य मंत्री ने नहीं की होगी, किसी भी सरकार ने नहीं की होगी। केन्द्र–केन्द्र जा करके वहां पर किसानों से हम लोगों ने बात की और उनकी परेशानियां भी दूर की और यह सुनिश्चित कराया कि उनकी फसलों का जायज, वाजिब मूल्य उनको मिले। श्रीमन्, पूरे प्रदेश में साढ़े चार करोड़ कार्डधारक हैं और उन कार्डधारकों में लगभग एक करोड़ 6 लाख बी0पी0एल0 और अन्त्योदय श्रेणी के कार्डधारक हैं। समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को सस्ते मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, यह हमारे विभाग का दायित्व है। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार के जाने के समय खाद्य सुरक्षा नाम की एक योजना उन्होंने शुरू की और नई मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी यह कहा कि हम इस योजना को कान्टीन्यू करेंगे, इसको जारी रखेंगे। लेकिन उसकी क्या रूप–रेखा होगी, वह अभी तक तय नहीं कर पाये हैं। उसके क्या मानक होंगे, कैसे चयन होगा। इतनी जानकारी हम लोगों को दी गयी है कि ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 श्रेणी के जो कार्डधारक हैं, वह कार्ड समाप्त हो जायेंगे, अन्त्योदय को उसमें सम्मिलित किया जायेगा। जो खाद्यान्न उपलब्ध कराये जायेंगे, वह अन्त्योदय की दर पर होंगे, 3, 2, 1 जिसको हम लोग कहते हैं, तीन रूपये में गेहूं, दो रुपये में चावल और एक रुपये में प्रति किलो मोटा अनाज। जैसा कि अभी तक केन्द्र सरकार से हमारे विभाग को जानकारी प्राप्त हुई है, अपने प्रदेश की लगभग 75 प्रतिशत आबादी इससे लाभान्वित होगी। अभी आधिकारिक रूप से लिखकर तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन केन्द्रीय अधिकारियों से यह भी जानकारी प्राप्त हुई है कि केन्द्र सरकार का यह मानना है कि 75 प्रतिशत की आबादी यह बहुत बड़ी है, इसको घटा करके 45 या 50 करने का उनका इरादा है, लेकिन उसमें स्पष्ट तौर पर तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता है, जब तक वह हम लोगों को कुछ लिखित में नहीं देंगे, ठोस जानकारी नहीं देंगे। दायित्व हमारा है कि खाद्य सुरक्षा योजना के लागू होने में जो हमारी सरकार को तैयारी करनी है, उसे मान्यवर, 05 चरणों में बांटा गया है और मुझको यहां प्रसन्नता हो रही है, आपको बताते हुए कि डिजिटाइजेशन, राशन की दुकानों का अंकीकरण, यह शतप्रतिशत पूरा कर लिया गया है, खाद्यान्न के ब्लाक लेविल के गोदामों का अंकीकरण शतप्रतिशत पूरा कर लिया गया है, काल सेण्टर्स की स्थापना कर दी गयी है, इसका भी पूरा शतप्रतिशत पूरा कम्प्लायन्स हो चुका है।

एक ट्रान्सपैरेन्सी पोर्टल, यह केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया है कि जो किसान हैं उनके साथ पूरी पारदर्शिता और मूल्य का पूरा भुगतान हो रहा है कि नहीं और अन्तिम इस पांच चरण में लाभार्थियों का डिजिटाइजेशन, उसका काम लगभग 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अभी केन्द्र सरकार ने फिर अपना समय आगे बढ़ा दिया है तो इसलिए थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति खाद्य सुरक्षा योजना को ले करके है कि कब तक आप

लागू करेंगे और लागू करेंगे तो उसका स्वरूप क्या होगा ? लेकिन प्रदेश सरकार की जो तैयारी है वह पूरी है खाद्य सुरक्षा आयोग का गठन भी प्रक्रियाधीन है और बहुत ही जल्दी खाद्य सुरक्षा आयोग जो कि पूरे प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना की निगरानी करेगा उसका भी गठन कर लिया जा रहा है। हम सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं। हम जानते हैं कि खराब मौसम की वजह से फसल खराब होती है। आदरणीय अखिलेश जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी की सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बावजूद लगभग लक्ष्य का 73 प्रतिशत धान क्रय किया और किसानों को उनके मूल्य का उचित दर सुनिश्चित कराया। इसके साथ ही इस विभाग का महत्वपूर्ण अंग बाट–माप होता है। अक्सर हम घटतौली की शिकायत करते हैं उस घटतौली से निपटने के लिए हमारे 18 में से 12 मण्डल में बाट–माप अधिकारी के पद सृजित थे। अभी मा0 मुख्य मंत्री जी के निर्देश से लगभग 108 नए पद सृजित किए गए हैं और प्रत्येक जिले में प्रत्येक जनपद में यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि बाट–माप के सक्षम अधिकारी हों जो यह देखें कि जो भी मापा–तौला जा रहा है वह मानक के अनुसार है या नहीं। अगर नहीं है तो सबसे ज्यादा कार्रवाई और जुर्माना इस सरकार में हुआ है। उसकी पूरी सूची है। इसमें सरकार पूरी तरह से गंभीर है कि उपभोक्ता के साथ कोई भी अन्याय न हो। उपभोक्ता फोरम जो कि इस विभाग का एक महत्वपूर्ण अंग है इसका दायित्व होता है कि जिलों में जिसको भी यह लगे कि उपभोक्ता के साथ अन्याय हो रहा है तो ग्राहक जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राहकों को जागरूक करना और उनके विवादों का समाधान करना यह जनपद में कोर्ट के माध्यम से हो रहा है और प्रदेश स्तर पर भी इसके लिए न्यायालय प्रचलित हैं। जितने भी मा0 सदस्य यहां हैं अधिकांश या लगभग सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं और इस विभाग के महत्व को समझते हैं। ज्यादा समय न लेकर के मैं यह कहना चाहूंगा कि श्रीमन् हर विभाग पर कटौती आती है। यह सदन की एक परम्परा है कि कटौती लाने वाले से विभागीय मंत्री अनुरोध करते हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि आप अपनी कटौती वापस लीजिए। विपक्ष के द्वारा जब सम्पूर्ण बजट की धनराशि घटा कर एक रुपये की जाती है तो उसके पीछे एक उद्देश्य होता है कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। मैं यह विश्वास के साथ आपके समक्ष कह सकता हूं कि जब से हमारी सरकार आई है आलोचना करने के लिए इस विभाग में कुछ नहीं है और जो सकारात्मक सुझाव होंगे उनका हमेशा स्वागत किया जाता रहेगा। अभी सत्र काल में आपके सुझावों का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूं सत्तापक्ष के साथ–साथ विपक्ष के सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सर्वसम्मति से खाद्य और रसद विभाग के बजट को पारित करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

मा0 डा0 मो0 अयूब साहब आज बहुत बजट हैं इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं लिया जायेगा। जैसे मंत्री जी ने अपना कम समय दिया है वैसे आप भी 10 मिनट में अपना कट मोशन रख दें।

खाद्य एवं रसद विभाग पर कटौती का प्रस्ताव रखे जाने संबंधी व्यवस्था का प्रश्न

'श्री राकेश प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी जो मैं अभी पढ़ रहा था वह व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसमें खाद्य एवं रसद के बजट पर कटौती प्रस्ताव जो रखना था वह मा0 नेता प्रतिपक्ष आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रखना था। मैं जानता हूं कि आपकी पीठ से जो आदेश होगा वह सर्वमान्य होता है लेकिन केवल दो प्रश्न मेरे इसमें हैं। मान्यवर एक मिनट में सुन लें। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी कटौती का प्रस्ताव नहीं रख रहे हैं तो मेरा मानना यह है कि वह पूरी तरह से इस बजट से सहमत हैं और इसको सर्वसम्मति से पास कर सकते हैं। दूसरी चीज यह भी है कि इसमें 70 नाम हैं उसमें डा0 मो0 अयूब साहब का नाम नहीं है। इन्होंने अपना प्रस्ताव आपके पास नहीं दिया है कि मैं कटौती प्रस्ताव रखूंगा।

श्री रघुराज प्रताप सिंह 'राजा भैया'–

मान्यवर, इसमें परम्परा यह रही है कि कटौती रखने के पहले अगर नाम नहीं है तो आपसे अनुमति मांगे आप सक्षम हैं। आप अनुमति दे दें तो कटौती रख दें।

श्री अध्यक्ष–

देखिये, नेता प्रतिपक्ष ने आपके बजट रखने के पहले मुझे लिखकर दे दिया है कि इस पर वही कटौती का प्रस्ताव रखेंगे। इसलिए उनको कटौती रखने की अनुमति दी गयी है।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–21–खाद्य तथा रसद विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य तथा रसद विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय अध्यक्ष जी अभी हमारे मंत्री महोदय ने कुछ तथ्य रखे हैं। इन्होंने जो सरकार की बुक उपलब्ध करायी है जिसमें जानकारी दी गयी है उसमें इन्होंने कहा है कि धान की फसल में 73 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया है। मगर इनके पेज नं0–15 में विभाग ने जो आंकड़ा दिया है, लक्ष्य है 25 लाख मीट्रिक टन और खरीद है 4.057 लाख मी0टन। तो किस हिसाब से यह 73 प्रतिशत हुआ। मैं समझता हूं कि यह सदन को गुमराह करने वाला है और असत्य है। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि किसानों के प्रति यह सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। तो यहां भी गेहूं का लक्ष्य 45 लाख मी0 टन रखा गया और खरीद है सिर्फ 06 लाख 28 हजार मी0 टन। तो खरीद और लक्ष्य के बीच में जो इतना अंतर है यह दर्शाता है कि यह सरकार किसानों के प्रति कितनी असंवेदनशील है और किसान अपने उपज को समर्थन मूल्य पर न देने के लिए पूरी तरह से विवश रहा है। पर सरकार की तरफ से न तो खरीफ की फसल में और न ही रबी की फसल में पूरा इंतजाम हुआ है। यह कह रहे हैं कि मंत्री पूरे केन्द्रों का भ्रमण कर रहे थे। मगर खरीद का लक्ष्य से जो रखा गया है वह पिछले सभी खरीद से कम है। तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि न तो केन्द्रों में प्रापर व्यवस्था है और जो चार कि0मी0 का दायरा बनाया गया है जिससे किसानों की उपज की खरीद होती है उसकी भी समुचित व्यवस्था नहीं की गयी है जिससे किसानों को रबी की फसल की खरीद में भी और खरीफ की फसल में भी धान की फसल की खरीद में दिक्कत आयी है। मा0 अध्यक्ष जी, आपको यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो निर्देश के जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 है। तो हमारे पास यह विभागीय दस्तावेज है जिसमें साफ–साफ लिखा है कि ग्रामीण आबादी के सापेक्ष 79.56 प्रतिशत और नगरीय क्षेत्र में आबादी के सापेक्ष 64.43 प्रतिशत लोगों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित किया जाना है। इसके साथ मंत्री महोदय यह भी कहा कि कोई दिशा–निर्देश नहीं है कि किन लोगों को लिया जाये और किन लोगों को न लिया जाय। अधिनियम में नम्बर 1,2 पर यह पूरी तरीके से इन्क्लूसिव क्राइटेरिया अर्थात पात्रता का आधार। पात्रता का आधार कुष्ठ रोग से प्रभावित, एड्स से पीड़ित, अनाथ, माता पिता विहीन, परित्यक्ता महिलायें, कचरा ढोने वाले स्वच्छकार, ऐसे परिवार जिनकी आय वर्तमान मुख्य श्रोत शिक्षाविद घरेलू काम–काज, जूते चप्पल मरम्मत, फेरी लगाने वाले, खोन्चा लगाने वाले, रिक्शाचालक इत्यादि से हों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा तत्पश्चात अन्य वर्गों के भूमिहीन मजदूरों ऐसे परिवार जिनकी मुखिया दैनिक वेतन भोगी तथा कुल पल्लेदार इत्यादि हों, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार।

श्री अध्यक्ष–

इसे पढ़ने में ही आपका पूरा समय चला जायेगा। कुछ सुझाव दीजिये।

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, इसी के साथ इक्सक्लूसिव लिस्ट भी है। इसमें जो लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

जो कार्यपुस्तिका है, वह सब माननीय सदस्यों को मिली है, वह पढ़ लेंगे। आप जो सुझाव देना हो, वह दीजिये।

डा0 मो0 अय्यूब–

इस निर्देश में बिल्कुल साफ है कि 2015 के 1 अप्रैल से यह अध्यादेश हर हालत में लागू होना है मगर प्रदेश सरकार ने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। 22 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश इसको पहले ही लागू कर चुके हैं। उन्हें इस अधिनियम के तहत जो मिलना था सस्ते दर पर अनाज, उन राज्यों को मिल रहा है। हमारा प्रदेश गरीबी में, पूरे देश का 22 प्रतिशत गरीब इस प्रदेश में रहते हैं और 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। ऐसे में इस प्रदेश में इस अधिनियम का लागू होना बहुत महत्वपूर्ण है। जो प्रदेश इस अधिनियम को लागू नहीं करता है, उसे सस्ते दर पर केन्द्र सरकार से अनाज उपलबध नही होना है। जो शिथिलता प्रदेश सरकार की है, उससे प्रदेश के पूरे गरीबों के लिए सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध नहीं होता है। मान्यवर, खाद्य और रसद विभाग का मुख्य कार्य उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता खाद्यान्त आवश्यक वस्तु उचित मात्रा में एवं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। यह खाद्य रसद विभाग की

जिम्मेदारी है कि उचित गुणवत्ता वाला और खाद्यान्न और आवश्यक वस्तु उन्हें मुहैया करायी जाये। जब 40 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं, मैं आपका ध्यान इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लाना चाहता हूं कि कुपोषण का मतलब होता है, प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रीशन। इसमें प्रोटीन के मिलने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और प्रोटीन से हमारे शरीर का मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। पूरा हमारा शरीर तंत्र एन्जाइम से चलता है वह भी प्रोटीन होता है और यह प्रोटीन जो हमारे लिए आवश्यक है, उसमें वनस्पति प्रोटीन और जैविक प्रोटीन दो तरह के प्रोटीन होते हैं। 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं और सारे अमीनो एसिड वनस्पति प्रोटीन से नहीं मिल सकते। इसलिए जैविक प्रोटीन आवश्यक है। शाकाहारी लोग जितने हैं वह मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, जिससे जैविक प्रोटीन उन्हें मिलता है और उनके शरीर का विकास और संचालन होता है। मगर जो गरीब है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट उन्हें नहीं मिलता है।

श्री अध्यक्ष–

यह खाद्यान्न का है तो खाद्यान्न पर बोलो, आप डाक्टर का कहां प्रस्तुत कर रहे हैं ? यह स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं है।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय कुपोषण से जुड़ा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, जिससे शरीर का और बौद्धिक विकास होना है और यह उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है, इसलिए मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि जैविक प्रोटीन की व्यवस्था खाद्य एवं रसद विभाग में नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 साहब इसी पर केन्द्रित मत रहिये और विषयों पर जाइये, खाद्य रसद विभाग में जो विषय हैं, उनकी बात करें।

डा0 मो0 अय्यूब–

मा0 अध्यक्ष जी, जिसकी व्यवस्था करना इस खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी है, क्योंकि गुणवत्तापूर्वक तभी होगा, जिससे शरीर का मानसिक और शारीरिक विकास हो, जब तक गुणवत्तापूर्वक खाद्यान्न नहीं मिलता है, तब तक शरीर का विकास नहीं होता है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस तरीके से फल मण्डियों की, सब्जी मण्डियों की, गल्ला मण्डियों की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से स्लाटर हाऊस की व्यवस्था हो और जिस तरीके से गेहूं और चावल मुहैया हो रहा है, उसी तरीके से सस्ते दर पर अप्रतिबन्धित मीट की व्यवस्था हो।

श्री अध्यक्ष–

यह शासन का काम नहीं है और विषय पर बोलिये, नहीं तो आप समाप्त करें। खाद्य विभाग में स्लाटर कहां से आ गये। अब आप बैठिये। आप अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, बात को कहां से ले जाकर के कहां पहुंचा रहे हैं। खाद्य विभाग पर बोलना है, उस पर बोल नहीं रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब–

मा0 अध्यक्ष जी, खाद्य और रसद विभाग की यह जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष–

यह खाद्य एवं रसद विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, आप बैठिये और किसी विषय पर बोलना है या हम किसी और को बोलने के लिए पुकारें ?

डा0 मो0 अय्यूब–

मा0 अध्यक्ष जी, खाद्य रसद विभाग का कार्य आवश्यक वस्तुओं को जनता को मुहैया कराना है। मा0 अध्यक्ष जी यह तो रहा आपूर्ति का मामला और दूसरा है विपणन का मामला, इनके भारतीय खाद्य निगम और पी0सी0एफ0 गोदामों से जो सप्लाई होती है कोटेदारों में, 50 किलो में पर एवरेज 08 किलो से लेकर के 10 किलो तक कम सप्लाई होती है कोटेदारों को और कोटेदारों को सप्लाई होने के बाद अन्त्योदय कार्ड होल्डर और बी0पी0एल0 कार्ड होल्डर को प्रति महीने में जितना खाद्यान्न उनको मिलना होता है प्रापर उनको मिलता नहीं है, यह बिचौलियो को बेंच दिया जाता है, जिससे सरकार की यह जो पूरी स्कीम है, वह कारगर नहीं हो पाती है और अत्योंदय और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कार्ड होल्डर को यह खाद्यान्न नहीं मिल पाता है। मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2005 से राशन कार्ड बना हुआ है, जो राशन कार्ड छपा है, वह 2005 से बना है, मगर अभी तक नए कार्ड जारी नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठ जाइये, जब आप उत्तर देने खड़े होंगे तो फिर बोल लीजिएगा।

'श्री अभय सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का अवसर खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर दिया, इसके लिए हम आपके बहुत–बहुत आभारी हैं। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश किसान बाहुल्य प्रदेश है, यहां पर किसानों की बाहुल्यता है। आजादी के बाद से आज तक लगातार, चाहे जो भी सरकार रही हो, सबने उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की, इधर भी विशेष रूप से जब से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, चूंकि हमारी सरकार, किसानों की सरकार है, किसानों के लिए हम संघर्ष करते हैं, किसानों के लिए हम लड़ते हैं, तब से पिछली सरकार में वर्तमान समय में सरकार में लगातार एक कम्पटीशन चल रहा है कि हम लोग कितना कम से कम धन का आवण्टन करें कि उत्तर प्रदेश सरकार की छवि किसानों के बीच में खराब हो। लेकिन हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी, हमारे आदरणीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी लगातार किसानों की समस्याओं के लिये लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे और किसानों की समस्याओं का हमेशा समाधान करने का काम किया है। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से केन्द्र की सरकार ने हमारे उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की। धान क्रय के लिये पंजाब और हरियाणा की विशेष रूप से मदद किया, विशेष रूप से पैकेज दिया। पंजाब और हरियाणा में व्यापारियों को अलग से केन्द्र की सरकार कमीशन देती है कि वहां के किसानों से धान की खरीद की जाये। उत्तर प्रदेश के किसानों का धान बिक जाये तो उसके लिये उत्तर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रदेश की सरकार अपने पास से पैसे की व्यवस्था करके अढ़तिया खरीद करा रही है और किसानों का धान खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने पास से व्यवस्था करके कमीशन देने की व्यवस्था की है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से केन्द्र की सरकार ने लगातार उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की है और उपेक्षा करती चली जा रही है।

(कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में टोकाटाकी करने पर)

बिल्कुल कर रही है। केन्द्र की सरकार विशेष रूप से उपेक्षा कर रही है क्योंकि आपकी सरकार बड़े पूंजीपतियों और बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। अभी आप लेवी नीति ले आये जिसमें आपने छोटे मेम्बरों का कितना नुकसान कर दिया और छोटे मेम्बरों का नुकसान हुआ। डायरेक्ट में छोटे मेम्बरों का नुकसान हुआ और इनडायरेक्ट में वे उत्तर प्रदेश के सारे किसानों का नुकसान हुआ आपकी लेवी नीति से। कितना बड़ा नुकसान किया आपने उत्तर प्रदेश का। हम आपसे यह कहना चाहते हैं जिस तरीके से खाद्य एवं रसद विभाग से जुड़ा हुआ विभाग कोटे का भी है। कोटे से आम आदमी प्रभावित होता है, गांव–गांव में प्रभावित होता है। पहले कोटेदारों के सत्यापन के लिये त्रिस्तरीय व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें तीन स्तर तक कोटेदारों द्वारा जो राशन बांटा जाता था उसका सत्यापन किया जाता था। जब से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार आई उन्होंने कोटेदारों का शोषण बन्द कराया जो कि पूर्व की सरकारों में होता था कि उसका तीन बार शोषण किया जाता था जिसका सीधा–सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ता था। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पूर्व की सरकार में अभी हमसे पहले जो सरकार थी उसमें सारे के सारे कोटे खत्म कर दिये जाते थे, निरस्त कर दिये जाते थे। एक–एक कोटेदार आठ–आठ कोटे चलाया करता था। अब उसका पैसा कहां जाता था, क्या व्यवस्था की जाती थी ये पूर्व की सरकार के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोटे की व्यवस्था को बिल्कुल ठीक किया और यह आदेश जारी किया कि एक कोटेदार के पास अगर किसी विषम परिस्थितियों में कोई कोटा खत्म होता तो एक ही कोटा अटैच होगा, दूसरा कोटा अटैच नहीं होगा और जितने कोटे के मामले, वाद न्यायालयों में चल रहे हैं, कहीं एस0डी0एम0 के यहां चल रहा है, कमिश्नर के यहां चल रहा है तो वहां पर अस्थायी व्यवस्था की जायेगी। उसी गांव में सर्वसम्मति से चुनाव कराके एक नये कोटेदार का अस्थायी रूप से चयन किया जायेगा जब तक उस विवाद का निस्तारण नहीं हो जाता। इस तरीके से कोटेदारों द्वारा जो अधिकारी या पूर्व के समय में नेता लोग शोषण किया करते थे उसका हमारी सरकार ने इस तरीके से हमारे समाज में सेफ करने का प्रयास किया। हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व की सरकार में किस तरीके से पूर्व के नेता अधिकारियों के साथ लिप्त होकर के गरीबों का राशन बाजार में बेच दिया करते थे, उसकी जगह खण्डे का सप्लाई किया करते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी 2012 में और हमारे यहां बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे। उनके परिजनों के नाम उसका लाइसेंस था। हमारे यहां मुख्यालय से राशन उठता है, उसको जाना था तारुन ब्लाक तो पता चला कि वह तारुन ब्लाक मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर मया ब्लाक की तरफ चला जाता था, मया ब्लाक की

तरफ जा रहा था। उसको अधिकारियों ने पकड़ा पुलिस ने, खाद्य विभाग के अधिकारियों ने, ए0डी0एम0, एस0डी0एम0 ने छापा मारा, उसको पकड़ा। पता चला कि वह उनकी व्यक्तिगत राइस मिल में चला जा रहा था। वह ट्रक वहां पर पकड़ा गया उस पर मुकदमा कायम हुआ इस तरीके से इसको सरकार ने बहुत गम्भीरता से लेते हुये पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एस0डी0एम0 का राशन चोरी हो रहा था ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से या जिस तरीके से गरीबों को खण्डा चावल या खराब राशन दिया जा रहा था उस व्यवस्था को ठीक करते हुये हमारी सरकार ने इस पर रोक लगाई और ऐसे सारे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की। हम आपसे यह कहना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पहले की सरकारों में हम लोग यहां पर जितने लोग बैठे हुये हैं, लगभग 80 फीसदी ग्रामीण परिवेश से आये हुये हैं, गरीबों के बीच में से आये हुये हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 50 सौ साल से लगातार गेहूं की खरीद होती थी तो उसमें घुन लगे गेहूं की भी खरीद की जाती थी। उसका कभी किसी ने न तो विरोध किया और न ही किसी ने कहा कि ऐसे गेहूं को नहीं खरीदना चाहिये। मान्यवर, हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि कभी भी किसान के गेहूं में तीन महीने तक घुन नहीं लगता है। ऐसे जो लोग व्यापारियों से मिले थे या जो लोग दलाल थे। जो कि राशन का ही गेहूं रिसाइकिलिंग होता था, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 का गेहूं चुपचाप चोरी कर लिया जाता था फिर से वही अढ़तियों के माध्यम से बेच दिया जाता था तो ऐसी व्यवस्था पर हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने हमारे युवा मुख्य मंत्री जी ने रोक लगाया और घुन लगे गेहूं की खरीद पर शक्ति से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक लगा दी है। अब अच्छा गेहूं खरीदा जायेगा। हम आपको बताना चाहते हैं, पहले सदन चलता रहा है, बाट मापतौल के संदर्भ में बताना है कि बांटों का वैरीफिकेशन होता था प्रत्येक वर्ष होता था, विपक्ष ने इसमें मांग की थी कि 10 साल में या तो एक बार बांट का वैरीफिकेशन कर लिया जाए और 10 साल तक चले या आजीवन कर दिया जाए लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उपभोक्ताओं को संरक्षण देते हुए कि कहीं ऐसा न हो कि एक बार वैरीफिकेशन करने के बाद उनकी ताकत ज्यादा बढ़ जाए और उपभोक्ताओं को, गरीबों को परेशानी का सामना करना पड़े, उनको भी राहत दी इसे दो वर्ष कर दिया और उपभोक्ताओं को भी राहत दी कि उनके साथ घटतौली नहीं होने पाएगी। हम इस सदन के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी समाजवादी की सरकार ने माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य कर्मचारी कल्याण निगम भी इसी के अन्तर्गत एक विभाग आता है। उसके लिए भी बहुत–सी योजनाएं हमारी सरकार ने चालू की हैं।

श्री अध्यक्ष–

एक कैंटीन भी है, आपके विभाग में ?

श्री अभय सिंह–

जी हां। मान्यवर जिस तरीके से स्पेन्सर होता है, बिग बाजार होता है, बेस्ट प्राइस होता है उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में फैमिली बाजार चालू हो गई है जो कि इस समय लखनऊ में तीन स्थानों पर चल रही है और

बुलन्दशहर में चल रही है। प्रदेश के हर जिले में खाद्य रसद विभाग के द्वारा कर्मचारी कल्याण निगम के लिए, राज्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में फैमिली बाजार की स्थापना की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब जल्दी खत्म करें।

श्री अभय सिंह–

बस एक मिनट का समय दें, कुछ चीजें बतानी बहुत जरूरी हैं। हम आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी बताना चाहते हैं कि दो पहिया वाहन, जो राज्य कर्मचारियों को मिला करता था, उस पर रोक लगा दी गई थी लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने उस पर फिर से आदेश पारित कर दिया और राज्य कर्मचारियों को टैक्स फ्री करके हमारी सरकार फिर से दो पहिया वाहन देने जा रही है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री अभय सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सस्ती दवायें उपलब्ध कराने के लिए...

श्री अध्यक्ष–

हर चीज नहीं, डॉक्टर साहब उस पर नहीं बोले हैं।

श्री अभय सिंह–

मान्यवर, सस्ती दवायें उपलब्ध कराने के लिए राज्य कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के द्वारा प्रत्येक जिले में एक–एक मेडिकल शॉप जो बड़े हास्पिटल के अंदर होगी, यह राज्य कर्मचारी कल्याण निगम स्थापित करने जा रहा है और हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आजादी के बाद से आज तक ये बताइये आप कि क्या कोई मुख्य मंत्री खुद केन्द्र पर जाकर घटतौली पकड़ा हो। एक भी मुख्य मंत्री कोई बता दीजिए सन् 52 से लेकर के 2012 तक कि कोई माननीय मुख्य मंत्री जी गए हो और केन्द्र पर जाकर घटतौली पकड़े हो और अपने सारे मंत्रियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित किया हो कि केन्द्र में जाइये और घटतौली पकड़िये। इस तरीके से किसानों के प्रति हमारी समाजवादी पार्टी की संवेदनशीलता है और हमारी सरकार की छवि खराब करने के लिए लगातार षडयंत्र रचे जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए। आप बैठ जाइये।

श्री अभय सिंह–

आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। हम कहना चाहते हैं कि सर्वसम्मति से इस बजट को पास करा दीजिए। धन्यवाद।

'श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे डा0 अय्यूब साहब द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग पर जो कटौती प्रस्ताव उन्होंने रखा है, उनके समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, अभी हमारे काबिल दोस्त बता रहे थे कि अनाज और खाद्य रसद विभाग में पिछली सरकार में क्या गड़बड़ हुआ लेकिन उनका ज्ञान संवर्धन करने के लिए उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वर्ष 2004 और वर्ष 2005 में खाद्यान्न में जब भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया था तो सुप्रीमकोर्ट के निर्देश पर सी0बी0आई0 जांच हुई और उस सी0बी0आई0 जांच में गोण्डा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ के ट्रान्सपोर्टर और खाद्यान्न माफिया, स्टोर चलाने वाले लोग उनको सी0बी0आई0 ने गिरफ्तार करके जेल भेजा। खाद्य प्रकोष्ठ से उसकी जांच हुई यह संभवतः हमारे सदस्य नहीं जान पाये। खाद्य का गेहूं बंगलादेश भेजने का काम 2004 और 2005 में हुआ था। यह हमारे काबिल सदस्य को नहीं मालूम चला कि 2004–2005 में कितना बड़ा खाद्यान्न का घोटाला हुआ था। वर्ष 2004–05 में सुप्रीमकोर्ट ने टिप्पणी की थी कि गेहूं सड़ रहा है, धान सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांटा जाए। इस टिप्पणी के बाद सरकारें हरकत में आईं और उन्होंने उसको बंटवाने का काम किया। मैं धान खरीद के बाबत अध्यक्ष जी बताना चाहता हूं इस वर्ष धान की खरीद सिर्फ कागजो पर हुई है, बिचौलियों के माध्यम से हुई है, मण्डी के दलालों के माध्यम से हुई है सीधे किसान से धान की खरीद नहीं की गयी। धान खरीद के बैनर या तो पेड़ों पर लगे हुए मिले या उन जगहों पर मिले जहां पर धान खरीद का दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूं हालांकि मैं उस बात में विश्वास नहीं करता कि एक माननीय मंत्री जी हैं उनका बी0पी0एल0 कार्ड में नाम सुनने को मिला, कोई सदस्य बता रहे थे। मुझे तो नाम मालूम नहीं कि बी0पी0एल0 कार्डधारक एक मंत्री जी भी हैं। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि इस खाद्य और रसद विभाग में आज भोजन का अधिकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भोजन का अधिकार दिलाने का काम किया है। वह कानून कब लागू होगा अध्यक्ष जी, यह पता नहीं है।

(श्री गायत्री प्रजापति भू–तत्व एवं खनिज मंत्री के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। जब माननीय सदस्य किसी का नाम नहीं ले रहे हैं तो क्या है।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

माननीय अध्यक्ष जी, नाम तो मुझे याद भी नहीं है और मैं जानता भी नहीं हूं कि कौन है।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप लोग बैठिये। जब आप बोलियेगा तब कहियेगा। आप लोग इस बजट पर नहीं चर्चा होने देना चाहते हैं जब आप बोलियेगा तो उसका जवाब दीजिएगा, बैठिये यह कोई तरीका नहीं है आप बोले।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने कहा भोजन के अधिकार कानून पर 5 चरणों में होना है 2–3 चरण पूरे कर लिये हैं मैं उनको बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द भोजन का अधिकार कानून खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू करें जिससे गरीब को हम सिर्फ दो जून का खाना दे सकते हैं दो वक्त की रोटी दे सकते हैं। उसको मिलने वाला राशन उसमें निरन्तर कमीं की जा रही है चाहे बी0पी0एल0 कार्डधारक हों, चाहे अन्त्योदय कार्डधारक हों, उनके राशन में कमीं न की जाय ए0पी0एल0 का जो गेहूं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या–

मान्यवर, 2–3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं जल्दी ही कह रहा हूं जब कहने दे तब तो हमारे सदस्य लोग।

मान्यवर, खाद्य विभाग में पूर्ति निरीक्षकों की बहुत कमीं है। हमारे जनपद में 7 तहसीलें है वहां एक पूर्ति निरीक्षक है और मात्र 2 लिपिक हैं उनके सहारे काम चलता है। कभी वह यहां कभी वहां उसी तहसील में पहुंचना मुमकिन नहीं हो पाता। एक और खाद्य कोटे की समस्या के सिलसिले में मैंने यहॉ पर सदन में बार बार यह बात उठायी कि हमारी तहसील धौरहरा के अन्तर्गत कोटे ने एक उद्योग का दर्जा ले लिया था। कोटों को सस्पेण्ड करके उनको बहाल करके उनको पुनः दूसरे कोटेदार की नियुक्ति करने के बाद स्टे लेने के बाद 3–3, 4–4 एक एक कोटेदार के यहां 3–3, 4–4 कोटे अटैच थे, 20–20, 30–30 किलोमीटर दूर अटैच थे जबकि इसमें ग्रामीण क्षेत्र के कोटों में एस0डी0एम0 को कोटों को निलम्बन करने का निरस्तीकरण करने का आदेश है वह करते हैं शहर में मैं मानता हूं कि मिलने वाले लोगों को राशन मिलता है और जिला पूर्ति अधिकारी उस व्यवस्था को सुचारु रूप से करते हैं। यहां पर मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं क्या एस0डी0एम0 साहब के पास इतना समय है कि वह सारी प्रशासनिक चीजों को देखने के बाद राजस्व की चीजें देखने के बाद उनके पास इतना वक्त हैं कि वह कोटों के खाद्यान्न के विषय को देख सकें। अध्यक्ष जी, वह नहीं देख पाते इसलिए इसमें सुधार की जरूरत है। पूर्ति निरीक्षकों के माध्यम से, डी0एस0ओ0 के माध्यम से फिर भी उन पर अंकुश रहता है बात खाद्य विभाग की है खाद्य विभाग के अन्दर एस0डी0एम0 नहीं आते। अगर एस0डी0एम0 ने कोई गिनती की है अगर एस0डी0एम0 ने कोई गड़बड़ी की है तो उनको दण्डित करने का अधिकार खाद्य मंत्री के पास नहीं है वह उनकी संस्तुति करेंगे इसी चीज का बेजा फायदा उठाकरके परगनाधिकारी लोग सभी कोटों में हेराफेरी करते हैं। (टोका–टाकी से व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जायें, आपने सारी बातों को कह दिया है अब कुछ बचा नहीं है। अनूप गुप्ता जी, बोलें।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय खाद्य एवं रसद मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया और इस बजट का मैं समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस बजट में उत्तर प्रदेश की पूरी झलक दिखाई देती है। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने एक अप्रैल से गेहूं की खरीद का समय निर्धारित किया है और उस समय के निर्धारण से सारी जगहों पर सेण्टर लगने का काम अभी से शुरू हो रहा है। जो अभी हमारे विपक्षी सदस्य कह रहे थे कि सब बिचौलियों से खरीदा गया है तो उनको शायद यह नहीं मालूम है कि सीधे किसानों से उनके चेक एकाउण्ट पेई अथवा आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पैसा डाला जा रहा है इस प्रकार पूरा पैसा किसानों के खातों में जा रहा है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय खाद्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ समस्यायें केन्द्र सरकार के द्वारा उत्पन्न की जा रही हैं और जिस प्रकार से अभी माननीय अभय सिंह जी कह रहे थे कि दिक्कतें आ रही हैं। एफ0सी0आई0 के द्वारा मानक निर्धारण उत्तर प्रदेश के लिये अलग किये गये हैं और बाकी हिन्दुस्तान के लिये अलग किये गये हैं। मान्यवर, हमारे यहां की जल भूमि है और हमारे यहां अच्छा धान होता है, किन्तु हमारे धान के अंदर ज्यादा डैमेज दिखा दिया जाता है, जबकि प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में जैसे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान है, वहां से जो धान आता है और जो चावल वहां से कुट कर आता है उसको उनके द्वारा अच्छा दिखाया जाता है। इसी प्रकार हमारे उत्तर प्रदेश से जो लोग धान खरीद करके पंजाब, हरियाणा और उत्तराखण्ड ले जाते हैं और वहां से चावल बनाकर वापस हमारे प्रदेश में जब भेजा जाता है, तो वह सही हो जाता है। यह बहुत गलत बात है कि हमारे यहां के धान में कह देते हैं कि इसमें डैमेज ज्यादा आ रहा है, इससे प्रदेश के किसानों को नुकसान हो रहा है। इस प्रकार इसको आपको देखने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा अपने माननीय खाद्य मंत्री जी से और अपने माननीय मुख्य मंत्री जी से जब इनकी रैक पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से यहां आती हैं तो हम अपने भी अधिकारी भेजकर देखें कि इनका मानक कैसा आ रहा है ? वह यहां पर आ जाता है और गोदामों में बंट जाता है और हमारे उत्तर प्रदेश की राइस मिलों का जो चावल लेकर जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा डैमेज बहुत ज्यादा कमियां निकालकर दिक्कतें पैदा करते हैं। आज की तारीख में केन्द्र सरकार की इस नीति के चलते उत्तर प्रदेश में बहुत सारी राइस मिलें बंद होने की कगार पर आ गई हैं। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जिला उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता फोरम का गठन करके जो (इस समय 01 बजकर 28 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मदन चौहान पीठासीन हुए।)

हमारे उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं उनकी समस्याओं को खत्म करने का काम किया गया है। अगर कहीं पर भी उन्हें कोई दिक्कत आती है तो उनका वाद दाखिल करते हैं और बहुत जल्दी उनका निस्तारण होता है, इसके लिये भी मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं एक किताब में पढ़ रहा था कि मात्र वर्ष 2012 से ही 546005 वाद दर्ज हुये थे और उसमें से 468819 वादों का निस्तारण हो गया है। इस प्रकार से हमारे उपभोक्ताओं के लिये भी बहुत बड़ी सहूलियत देने का काम आपने किया है। इसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूं कि आजकल जो आपका कांटा–बांट माप है और उस कांटा बांट माप की आप हर जगह जांच करा लेते हैं लेकिन एक जगह मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि चीनी मिलों में जो कम्प्यूटीराइज्ड कांटे लगे हैं, जब कोई अधिकारी जाता है, तब तो यह ठीक हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं अंदर से इन्होंने कौन सी ऐसी टेक्नीकल चीज कर ली है कि जब कोई माल बेंचने जाता है तो वह अपना कम्प्यूटराइज्ड कांटा अंदर से गड़बड़ कर देते हैं जिसकी पकड़ नहीं हो पा रही है, इसलिये इसके विशेषज्ञों को लाना चाहिये। मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने बाहर से लाकर कोई ऐसी टेक्निक लगाई है कि जिससे जब वो चाहेंगे तो वह कांटा सही हो जायेगा, नहीं तो गलत चलता रहेगा। इसलिये आपको बाहर से विशेषज्ञों को लेकर आना पड़ेगा ताकि इनकी घटतौली रोकी जा सके। अंत में मैं माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा लाये गये बजट पर बल देता हूं और इसका समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

डा0 अरूण कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया और मैं डा0 मो0 अय्यूब साहब द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुये अपनी ओर से माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के बारे में यह कहूंगा कि हमारे यहां माननीय नेता जी के सहयोग से वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लाये थे और मोदी जी की सरकार ने उसे लागू करने का, इसको चलाये रखने का निर्णय लिया है, यह फूड सिक्योरिटी ऐक्ट हमारे 13 राज्यों में लागू है, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि में लागू है। इस फूड सिक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत 79 परसेंट रूरल पापुलेशन और 64 परसेंट अरबन पापुलेशन को अनाज मिलेगा।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

आपने डा0 अय्यूब के कटौती प्रस्ताव का समर्थन किया है तो आप उनके स्लाटर हाउस वाले प्रस्ताव से भी सहमत हैं न ? कटौती प्रस्ताव रखते हुये डा0 अंसारी जी ने जो बात कही है, आप उनके कटौती का समर्थन कर रहे हैं तो उन्होंने जो स्लाटर में मीट कटवा कर सबके खाने के इंतजाम की बात कही है, आप उसके समर्थक हैं न ?

डा0 अरूण कुमार–

उसके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह द्वारा टोका–टाकी किये जाने पर)

श्री अधिष्ठाता–

बैठें माननीय सदस्य और डा0 साहब अपना भाषण जारी रखें।

डा0 अरूण कुमार–

मान्यवर, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। यह फूड सिक्यारिटी ऐक्ट योजना गरीबों के लिये अच्छी योजना है, जरूरतमंदों के लिये अच्छी योजना है, मजलूमों के लिये अच्छी योजना है, इसको लागू किया जाना चाहिये। इस योजना के तहत हर कार्डधारक को 25 किलो अनाज मिलेगा जिसमें 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूं और एक रुपये किलो मोटा अनाज मिलेगा ताकि गरीब आदमी भी अपने परिवार का पेट भर सके। लेकिन यह योजना अभी तक उत्तर प्रदेश में लागू नहीं की गयी है जबकि इसका गजट 29 दिसम्बर, 2014 को हो गया है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह योजना यहां क्यों नहीं लागू की जा रही है जबकि यह गरीबों के फायदे की योजना है।

इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह भी कहना चाहूंगा कि कोटे की दुकानें और कोटेदार बढ़ाये जायें। दुकानें बहुत दूर–दूर गांवों में हैं, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है इसलिये कोटेदार बढ़ाये जायें जिससे लोगों को अनाज मिलने में आसानी हो और उन्हें बहुत दूर न जाना पड़े। इसके साथ ही साथ यह भी देखा जाना चाहिये कि कोटे की दुकानें सही समय से खुलती हैं या नहीं, इंस्पेक्टर्स बढ़ाये जायें और दुकानें सही समय से खुले, इसको देखा जाय। साथ ही आवश्यक वस्तु निगम द्वारा अनाज पहुंचाने का कार्य अक्सर नहीं हो पाता, मैं चाहता हूं कि आवश्यक वस्तु निगम उनकी दुकान पर ही सामान पहुंचाये, क्योंकि जब कोटेदार खुद सामान लाता है तो बहुत सा सामान उसकी दुकान पर नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा कोटेदार का लाभांश भी बढ़ाया जाय। क्योंकि उसका लाभांश इतना कम है कि वह इतने में अपने आपको दुकान चलाने में सही महसूस नहीं करता। इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब यह हमारा फूड सिक्योरिटी ऐक्ट लागू हो जायेगा, जैसा कि मैंने बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम गजट में आ चुका है तो यहां पर अनाज ज्यादा आयेगा, उसके लिये अभी से गोदाम बढ़ाये जायें, उन गोदामों में अनाज को रखने का सही रख–रखाव हो और साथ ही साथ क्योंकि इस विभाग का तुलाई से भी संबंध है, खासकर मैं यह कहूंगा कि कम से कम जो कोटेदार आपके यहां का सामान लेते हैं, उसमें तो जनता को घटतौली न हो। इस तरह का इंतजाम आप वहां पर करें कि वहां जो कांटे लगे हैं, उससे सही मात्रा हमारे गरीब लोगों को मिले, क्योंकि वहां पर आमतौर पर गरीब जनता ही पहुंचेगी ।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस बार धान की खरीद का इंतजाम उतना अच्छा नहीं था, जितना इस सरकार से उम्मीद थी इसलिये मैं चाहता हूं कि कम से कम गेहूं की खरीद में तो अच्छा इंतजाम हो जाय और किसान बिचौलियों के चक्कर में न पड़े और उसका गेहूं सीधा खरीदा जाय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि हम यहां पर जो योजना बनाते हैं, वह आम आदमी तक कहां तक वह योजना पहुंच पाती है, उसका लाभ कहां तक गरीब मजलूमों को मिल पाता है, यह देखना कहीं ज्यादा

जरूरी है और मैं समझता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी मेरे जो सजेशंस हैं, उनका ध्यान रखेंगे और उनको अपने इस बजट में शामिल करेंगे, धन्यवाद।

'श्री जाहिद बेग–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य और रसद जो महत्वपूर्ण विभाग है उसके समर्थन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। खाद्य और रसद बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और यह किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है। लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि इस पर कटौती का प्रस्ताव नेता विरोधी दल को रखना था क्योंकि कटौती के प्रस्ताव का मतलब होता है सुझाव देना लेकिन ब0स0पा0 के लोगों ने इस मसले पर सुझाव देना भी उचित नहीं समझा, इस बात का मुझे दुःख है। भाजपा के लोगों ने भी इस पर कटौती का प्रस्ताव नहीं रखा और एक ऐसे नेता का इस पर कटौती का प्रस्ताव रखने के लिए नाम दे दिया, मान्यवर, जो अपने चार साथियों को नहीं रख पाये वह क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे, यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। आज मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने किसानों के सवाल पर, मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं थे और विपक्ष के लोग हो–हल्ला कर रहे थे इस पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आइये बैठ लेते हैं और इन लोगों ने बैठना मुनासिब नहीं समझा और उसके बाद एक घण्टा नहीं बीता हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के लिए चूंकि खाद्य और रसद किसानों से जुड़ा हुआ मामला होता है मा0 मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए दो सौ करोड़ रुपया आपदा में दिया, इसके लिए मैं अपने मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इसके पहले कौन मंत्री थे पिछली सरकार में कोई नाम नहीं जानता, मा0 मुख्य मंत्री जी ने ऐसे आदमी को मंत्री बनाया जिसकी एक हनक है, अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि घटतौली कर दे, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस मुद्दे पर और घटतौली के मुद्दे पर कितने संवेदनशील हैं। जब आपकी सरकार थी हाहाकार मच रहा था, घटतौली हो रही थी हमारे मुख्य मंत्री पहले मुख्य मंत्री थे जिन्होंने मंत्रि–मण्डल बनाकर बिना किसी को बताये घटतौली को रोकने का काम किया, इसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, देश ही नहीं पूरी दुनिया में किसानों के नेता के नाम पर केवल एक नेता का नाम लिया जाता है आप भी जानते हैं पूरा देश जानता है उसका नाम मा0 नेता जी है, उनका नाम देश के प्रधानमंत्री नहीं लेते हैं इसलिए उनका नाम मैं इस सदन में नहीं ले सकता हूं नेता जी का नाम किसानों के नेता जी के नाम से जाना जाता है और वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह इस बात का प्रमाण है कि किसानों के सवाल पर हमारी सरकार कितनी संवदेनशील है। कोटेदारों का नाम लेकर हमारे बसपा के साथियों ने कहा, आज किसी की हैसियत नहीं है कि घटतौली कर दे, किसी की हिम्मत नहीं है, कोटेदार जो माल उठाता है वह सीधा अपनी दुकान पर ले जाता है और उसे उपभोक्ताओं को बांटने का काम करता है यह हनक हमारी सरकार में है और हमारे मा0 मंत्री जी में है, मैं मा0

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी को और मा0 मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आज जो लोग बता रहे थे, पिछले पांच साल की बातें बता रहे थे इन्होंने पांच साल में जो किया था शायद वह पीड़ा अभी निकल नहीं पाई है, वह उस पीड़ा से निकल नहीं पा रहे हैं। सरकार चेन्ज हो गई है, उनकी मानसिकता अभी चेन्ज नहीं हुई है। सरकार बदल गई है, व्यवस्था बदल गई है, इसलिए आप पहले वाली व्यवस्था से निकलिये क्योंकि जब आप क्षेत्र में नहीं जाओगे, किसानों के बीच नहीं जाओगे, जनता के बीच नहीं जाओगे तो सच्चाई से आप रूबरू नहीं हो सकते इसलिए आप जनता के पास जाना शुरू करो, किसानों के पास जाना शुरू करो तब इस सदन में सही आंकड़ा लाने का काम कीजिएगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बात डाक्टर साहब कह रहे थे। हम नहीं समझ रहे थे कि वह कौन सी बात कह रहे हैं इस बिल पर कौन सी बात आपको कहनी चाहिए, जब अध्यक्ष जी आपको बार–बार रोक रहे थे कि कौन से मुद्दे उठाना चाहिए था, कहां कहना चाहिए था, कौन सी बात आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बोल रहे थे, मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूं कि मा0 डाक्टर साहब का भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या लगाव है क्योंकि यह केन्द्र सरकार की तारीफ कर रहे थे। मैं इन बातों में नहीं पड़ना चाहता हूं कि हमारे नेता सदन में प्रस्ताव रखते कि इनका भारतीय जनता पार्टी में लगाव है। मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी से क्या लगाव है समाजवादी पार्टी का यह बात सभी जानते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जब आप स्पष्टीकरण पर हों तब अपनी बात कह लीजिएगा, अभी बैठ जाइये, जाहिद बेग जी आप भी बैठ जाइये। आपको मौका मिलेगा आप बैठिये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)–

मान्यवर, डॉक्टर साहब ने बड़ा सीरियस एलीगेशन लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मान्यवर, अभी तीन दिन बराबर एक अखबार में आपका इश्तहार आया और वह इश्तहार इसलिए निकला है कि यह बन्द मुट्ठी खुल जाए, उंगलियां बन जाए, मुसलमानों के वोट बंट जांए और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंच जाए। आप विदेशों में कारखाने चलाते हैं और स्लाटर हाउस खोलना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। मैं तो यह चार्ज के तौर पर कह रहा हूं कि आप जैसे लोगों ने हमें जितना नुकसान पहुंचाया है, जितना आपने रुसवां किया है, जज्बाती नारों पर आप चंद लोग जीतकर आये और तन्हा रह गये, अकेले रह गये

इसलिए कि आपका इश्यू सही नहीं था। लोगों ने अच्छी तरह से यह समझ लिया है कि ऐसी तमाम राजनीतिक ताकतें चाहे आप हों या दूसरे राज्यों से आने वाले लोग हों, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए एक जगह हों, आप कोशिश कर रहे हैं कि बंद मुट्ठी खोल कर तोड़ दिये जांय और उसका फायदा पहुंच जाए तो यह जो आप फायदा पहुंचा रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब–

मान्यवर, यह सरासर झूठ है, आप गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

डा0 मो0 अय्यूब साहब, आप बैठिये। शांत रहिये। संग्राम यादव जी, बैठिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

पिछले कई सालों से अल्पसंख्यकों, कमजोरों और मुसलमानों की ताकत को बिखेरकर, कई सालों से मुसलमानों की ताकत को जो आप टुकड़े–टुकड़े करने में लगे हुए हैं, आप मुसलमानों को, बहुत कमजोर लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। आप जैसे लोगों से ही ख ग ग ग , को फायदा पहुंचा है। आपने टुकड़े कर दिये, बताईये क्या नतीजे आये। आप नतीजे बता दीजिए क्या आये, रिजल्ट देख लीजिए क्या आये ? आप 04 जीतकर आये और अकेले रह गये, यह रिजल्ट है आपका। आपने टुकड़े कर दिया, हम मुत्तहिद करना चाहते हैं, आप इख्तिलाफ पैदा करते हैं। आप विदेशों में कारखाने चलाते हैं और मुसलमानों को यहां बर्बाद कराते हैं, विदेशों में कारखाने चलाते हैं और गरीबों को बर्बाद करते हैं। (सत्तापक्ष की तरफ से शेम, शेम की आवाजें आयी) और साजिशी ताकतों से आप विदेशों में सहयोग लेते हैं और हमें बर्बाद कराते हैं आप, पहले यह कमजोर मुसलमानों को यह मालूम होना चाहिए कि आपके कितने कारखाने विदेशों में चल रहे हैं और आप यहां गरीबों की बात कर रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब–

यह सरासर गलत है। आप जांच करा लीजिए अगर आपकी बात सही निकल आये तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

आपको इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था जिस दिन आपकी पार्टी के टुकड़े हुए थे, आपको उसी दिन इस्तीफा दे देना चाहिए था।

(डा0 मो0 अय्यूब यह कहते हुए वेल में आ गये कि अगर मंत्री जी की बात सही निकले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो यह इस्तीफा दें।)

श्री अधिष्ठाता–

वेल में मत आइये।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ख्सत्तापक्ष से श्री जियाउद्दीन रिज़वी यह कहते हुए कि ख्ग ग ग, वेल में आ गये।,

(इस समय 01 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

अय्यूब साहब व जियाउद्दीन रिज़वी जी अपनी सीट पर चलिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां–

मान्यवर, बहुत नुकसान पहुंचाया है।

(डा0 मो0 अयूब वेल से वापस अपने आसन पर चले गये।)

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपनी–अपनी सीटों पर बैठें।

श्री मोहम्मद आजम खां–

इन्होंने चन्द चांदी के टुकड़ों के लिए बरबाद कर दिया। सिवाय इन्तेशार पैदा करने के हमारे अन्दर बिरादरी का सवाल खड़ा कर दिया ।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)–

यहां पर एको अहम द्वितीयो नास्ति चल रहा है। यहां सियासी बयानबाजी नहीं हो रही है यहां पर बजट पर चर्चा हो रही है। चर्चा को बाधित करने के लिए साजिश के तहत कुछ लोग इसको दूसरी दिशा देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि उसके लिए और प्लेटफार्म है। जहां पर वह बात आ जाएगी। चूंकि खाद्य और रसद विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है तमाम ग्रामीणों से सम्बंधित है तमाम माननीय सदस्यों का इस पर सुझाव भी आना है इसलिए मैं चाहता हूं कि यहां पर व्यवधान डालकर कल की तरह बिना चर्चा के बजट पास कराने की मंशा न हो।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया')–

ऐसा कतई नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मौर्य जी अब चलने दें।

मौर्य जी एक चीज मैं आपसे नहीं कहना चाहता था लेकिन एक परम्परा रही है कि कट मोशन सीनियर मेम्बर रखते हैं आप भी अपने सीनियर मेम्बर को देते हैं। यह पहली बार आए हैं और आपने उन्हें कटमोशन दे दिया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं चूंकि नेता विरोधी दल सभी विपक्षी पार्टियों के सदस्यों का सम्मान करते हुए उनके अनुरोध पर कभी कभी विभाग आवंटित किए जाते हैं मान्यवर, कटौती प्रस्ताव रखने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के इस पर तमाम सुझाव आ रहे हैं। लेकिन कुछ माननीय सदस्य एक साजिश के तहत इस पर व्यवधान डालकर बिना चर्चा के पास कराना चाहते हैं इसलिए

मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो रही बात सियासत की तो उसके लिए सियासी मंच होते हैं उन पर सियासी बातें हों यहां पर केवल चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं सभी लोग चर्चा चाहते हैं।

'श्री सतीश महाना–

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें क्योंकि यहां पर एक माननीय सांसद योगी आदित्य नाथ का नाम लिया गया वह यहां पर सदन के सदस्य नहीं हैं और वह इर्रिलीवेंट नाम लिया गया। उनका नाम लिया गया कुछ लोगों को जाति धर्म के नाम पर यूनाइटेड करने की बात पर ख ग ग ग , का नाम लिया गया यह जो नाम लिए गए जिनका इससे कोई सम्बंध नहीं था हम लोग चुपचाप बैठे थे हमने कुछ नहीं बोला तो नाम ख ग ग ग , का लिया गया उससे इसका कोई मतलब नहीं है। मान्यवर, इसको आप कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष–

हम देखेंगे क्या उचित है ?

श्री सतीश महाना–

मान्यवर, इसको आप निकलवा दें क्योंकि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

देख लेंगे जो असंसदीय होगा उसे निकाल देंगे।

श्री सतीश महाना–

असंसदीय की बात नहीं है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका नाम लिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

हमने कह दिया है ।

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा–

उनका नाम इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने उनके एजेंट का काम किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब चर्चा होने दें। आप सत्ताधारी दल के हैं आप सुनिए ।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे खाद्य रसद विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिए मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी राशनकार्ड एक महत्वपूर्ण मुद्दा है राशन कार्ड 2002 में बना 2002 के बाद आज 2015 चल रहा है

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अब तक राशन कार्ड पुनः नहीं बन पाया। बार बार गांव में कैम्प लगाकर राशन कार्ड बनाने की व्यवस्था और नये कार्ड का संचालन करने की व्यवस्था का खुला कैम्प लगाया जा रहा है। कई बार फार्म भरवाये जा रहे हैं, रोज कम्प्यूटर में फीडिंग हो रही है परन्तु स्थिति यह है कि लोगों द्वारा फोटो और अन्य प्रमाण–पत्र और फार्म भरने में कम से कम ग्रामीणों का दो सौ से तीन सौ रुपया रोज खर्चा हो जाता है और राशन कार्ड न जारी होना कहीं न कहीं अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। स्थिति यह है अध्यक्ष जी कि वर्ष 2002 में जो बच्चा 12 साल का था आज 2015 में वह 25 साल का नौजवान हो गया है, उसका भी परिवार बढ़ा है और संख्या बढ़ी है और संख्या के आधार पर राशन कार्ड का बनना है। राशन कार्ड एक ऐसी जरूरी चीज है अगर पास पोर्ट बनाना हो या कहीं भी, राशन कार्ड की महत्ता इतनी अधिक है कि उस व्यक्ति को निवास प्रमाण–पत्र बनवाना हो या कोई और प्रमाण–पत्र बनवाना हो उसमें राशन कार्ड अत्यन्त ही आवश्यक होता है और राशन कार्ड न बनने से स्थिति यह हो रही है कि अगर लोगों को राशन लेना हो या उसको तमाम अन्य जरूरी दस्तावेजों में शामिल करना हो तो उससे उनको भारी कठिनाई हो रही है। 2002 में जो बी0पी0एल0 की सूची बनी वह इतनी कम संख्या में बनी कि उस समय जिन लोगों का सर्वे होना शुरू हुआ वह लोग जान भी नहीं पाये और सर्वे के आधार पर जो सूची बन गई, कुशीनगर जनपद की मैं बात करूं केवल नाम रहा उसमें, उसके पिता का नाम नहीं रहा उसमें जिसका नतीजा यह हुआ कि बी0पी0एल0 में अगर जिनका नाम ओम प्रकाश है उनके पिता का नाम न रहने के कारण उन गरीब लोगों, मजबूर लोगों, जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको लाभ नहीं मिल पाया और उन लोगों ने उसका फायदा उठाया जो गांव में समृद्ध थे, धनी थे उन लोगों ने नाम की हेरा–फेरी करके आवास का लाभ उठाया या तमाम तरह के संसाधनों का लाभ लेने का काम किया। माननीय अध्यक्ष जी, आज बी0पी0एल0 कार्ड इतना जरूरी चीज है कि अगर किसी को इलाज कराना हो या सरकार का कोई लाभ लेना हो तो उस अनुपात में बी0पी0एल0 कार्ड जारी नहीं होगा तो गरीब, मजदूर और मजलूम लोग उससे महरूम हो जाते हैं और उसकी व्यवस्था उनको नहीं मिल पाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आज 2015 हो रहा है और नये कार्ड का सर्वे चल रहा है, कई बार हो चुका है। इस बार ऐसी कोई व्यवस्था लागू की जाय बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 या अन्त्योदय जो भी राशन कार्ड जारी होने हैं वह गरीबों की संख्या के आधार पर, नाम और पिता का नाम अंकित करके ही उन लोगों को राशन कार्ड जारी कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। राशन वितरण प्रणाली में अभी हमारे तमाम साथी अपनी बात को रख रहे थे। वास्तव में राशन वितरण में कहीं कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं। स्थिति यह होती है कि राशन वितरण प्रणाली अगर गांव में होती है तो गांव के हालात यह है कि अगर गांव का कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देता है तो दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही होती है लेकिन वह लोग जिन लोगों की टीम बनाई जाती है, जिनकी देख–रेख में राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है उन लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है अध्यक्ष जी। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर राशन वितरण प्रणाली के लिये जिस भी व्यक्ति की जिम्मेदारी दी जाती है चाहे वह गांव का सेकेट्री हो, या कोई प्राथमिक शिक्षक

हो या तमाम सरकारी कर्मचारियों की देख–रेख में उसकी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है। अगर आरोप उस कोटेदार के खिलाफ लगता है तो उस अधिकारी...

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अरे अध्यक्ष जी, दो मिनट नहीं हो पाया।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया, हम देख रहे हैं घड़ी।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, उसके खिलाफ भी गम्भीर कार्रवाई करने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे महत्वपूर्ण, मैं दो बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी जो कोटेदार जाता है राशन उठाने के लिये। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरे कुशीनगर जनपद में जो खाद्य रसद के गोदाम हैं कोटेदारों को अगर 50 किलो का गेहूं का या चावल का कट्टा हो तो उसमें से 38 किलो और 39 किलो ही दिया जाता है। और वह तौल कर नहीं दिया जाता है अध्यक्ष जी, इसकी जांच करवा लें कमेटी बनाकर। यह पूरे प्रदेश की स्थिति है। अगर तौल कर नहीं दिया जाता है कोटेदार निश्चित रूप से चोरी करेगा और वह भी मात्र तौलकर नहीं देता है इन आम गरीब आदमी को जिससे यह भारी अव्यवस्था पैदा हो रही है। अध्यक्ष जी, एक बात और इसकी भी भारी जरूरत है जांच कराकर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने की कि अतिरिक्त राशन का वितरण कहीं नहीं हो रहा है इसके बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा, मान्यवर, खाद्य विभाग के तमाम अधिकारी हैं, डी0एस0ओ0 हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर है और बाबू हैं माननीय अध्यक्ष जी, इनकी हैसियत करोड़ों और अरबों में हैं और यह उन्हीं गरीबों के अनाज को बेचकर तमाम तरह की धन उगाही करने का काम किए हैं। मा0 अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगा, डी0एस0ओ0, सप्लाई इंस्पेक्टर या बाबू जो नौकरी के समय आता है उसका सबसे पहले सम्पत्ति का विवरण विभाग में होना चाहिए। जरूरत है आज ठोस कदम उठाने की अध्यक्ष जी, कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर उसकी सम्पत्ति जो इस विभाग से सम्बन्धित है अगर उसकी सम्पत्ति आज की डेट में करोड़ों, अरबों रुपये की है तो यह जांच का विषय है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए। आपने कहा था कि एक बात कहना चाहता हूं।

श्री अजय कुमार.'लल्लू'–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

'श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य एवं रसद के बजट प्रस्ताव पर आपने बल देने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपको धन्यवाद् देता हूं। एक बात के लिए आपको और धन्यवाद देता हूं कि आज पहली बार आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया है इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, पूर्व की सरकार में फुटकर पेटी डीलरों से, हर साल इनसे फीस ली जाती थी हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि दस साल की फीस इनसे लेकर इनका आजीवन लाइसेंस बना दिया जाए। जब इसके पहले ब0स0पा0 की सरकार थी शेरू जी बड़ा बखान कर रहे थे अपनी सरकार का, उत्तर प्रदेश के इस विभाग पर आठ सौ करोड़ रुपये जो मिलों के ऊपर छोड़ दिए थे, पी0एम0आर0 का, हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि इसका विकेन्द्रीयकरण करके वापस इस पैसे को लाने के लिए प्रयास किया। जिलाधिकारी को दस लाख रुपये तक, मण्डलायुक्त को पच्चीस लाख रुपये तक, खाद्य आयुक्त को पचास लाख से एक करोड़ तक का निस्तारण का अधिकार दिया गया उसके ऊपर प्रमुख सचिव को अधिकार दिया गया, जिसका फायदा यह हुआ हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को, कि तीन सौ करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गए हैं (मेजें थपथपाई गईं) जो पूर्व की सरकार ने प्रदेश सरकार का पैसा उद्योगपतियों पर छोड़ दिया था। एक चीज और मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा खाद्य एवं रसद का जो विभाग है आवश्यक वस्तु निगम और कर्मचारी कल्याण निगम, दोनों निगमों के जो कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 58 साल थी उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 60 साल कर दिया है इसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि पहले कोटेदारों को, जो परिवहन करते थे, जो ब्लाक के सेन्टरों से उठाकर गांव की अपनी दुकान तक राशन लेकर जाते थे, उनको इसका बिल लगाना पड़ता था और उस बिल के भुगतान में उनका शोषण होता था। हमारी सरकार ने इसमें पारदर्शिता लाने के लिए ई–पेमेंट की व्यवस्था किया इसके लिए भी मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को एवं खाद्य रसद मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इससे पारदर्शिता आएगी और हमारे कोटेदारों का शोषण नहीं होगा। आपके माध्यम से मान्यवर एक सुझाव मैं और देना चाहूंगा कि कार्ड ऑनलाइन किए जा रहे हैं अभी इसमें थोड़ी सी भ्रान्तियां हैं मैं सरकार से चाहूंगा कि इन भ्रान्तियों को खत्म करें और एक स्पष्ट आदेश जारी हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी मैं थोड़ा सा पूर्व की सरकार के बारे में बात करना चाहूंगा। अभी शेरू जी ने बहुत सरकार पर आरोप लगाए..

श्री अध्यक्ष–

खत्म करें अब।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

अभी आरोप लगाए कि इस सरकार में यह घटतौली हो रही है वह घटतौली हो रही है मैं पूर्व में ब्लाक प्रमुख भी था..

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए अब।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

हमारी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं मैं जवाब देना चाहता हूं मैं पूर्व में ब्लाक प्रमुख था मेरे यहां ब0स0पा0 के विधायक था और ब0स0पा0 की सरकार थी बिना किसी कारण के पांच हजार रुपया महीने कोटेदारों से लेता था अगर नहीं देते थे तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता था अटैच करने के लिए पन्द्रह हजार रुपये लिया जाता था। बहाल करने के लिए बीस हजार लिया जाता था। यह पूर्व की सरकार का गोरखधंधा चल रहा था।

श्री अध्यक्ष–

बस हो गया, बैठिए अब।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं और खाद्य एवं रसद के बजट पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रोशनलाल वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने का मौका दिया मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, अभी मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी ने धान की खरीद के बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि किसानों का धान निर्धारित रेट पर खरीदा गया। मैं आपको इस सरकार के किसान हितैषी होने के विषय में जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2005–06 में और वर्ष 2006–07 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस वक्त धान का रेट 570 और 600 रुपया था। वर्ष 2006 और 2007 में धान का रेट 580 और 590 रुपये का रेट था। जब 2007 में हमारी सरकार बनी तो पांच साल के अन्दर 1110 रुपये का रेट कर दिया गया यानी पांच साल के अन्दर ठीक डबल रेट। 2012 में जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है और किसान दिवस भी इस सरकार के द्वारा मनाया गया है तो तीन साल के अन्दर किसानों के धान का रेट मात्र 250 रुपये बढ़ाया गया है। अभी जो धान की खरीद हुयी है, मुझे निश्चित जानकारी है। मेरा केवल गांव में ही मकान है इसलिये मुझे एक–एक सेन्टर के बारे में जानकारी है। अभी सत्ता पक्ष के हमारे मा0 सदस्य कह रहे थे कि किसानों का धान खरीद भुगतान चेक्स और आर0टी0जी0एस0 से किया गया है। मैं एक सुझाव भी मा0 मंत्री जी को देना चाहता हूं कि जनपद–शाहजहांपुर की लिस्ट मंगा ली जाये कि किन–किन किसानों का गेहूं धान खरीदा गया ? उनकी टीम बनाकर एक जांच करा ली जाये। अगर एक मात्र किसी किसान का धान खरीदा गया हो तो इसी सदन के अन्दर जिस तरीके से मा0 मंत्री जी बतायें मैं माफी मांगने के लिये तैयार हो जाऊंगा कि मैंने कोई गलत सुझाव दिया था। मा0 अध्यक्ष जी, अभी राशन की बात आयी। जो राज्य खाद्य निगम के गोदाम प्रभारी हैं, मैं पूरी सत्यता के साथ इस सदन के अन्दर कहना चाहता हूं कि जब कोटेदार अपना कोटा उठाने जाते हैं। ए0पी0एल0 का पूरे प्रदेश में अनाज उठता है उसका रेट

छह रुपये किलो है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में ए0पी0एल0 का गरीबों को छह रुपये किलो का अनाज पूरे प्रदेश में किसी को भी नहीं दिया जाता है, वह गोदाम प्रभारी और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी मिलकर एक कोटेदार को धमका कर कि अगर तुम औने–पौने दामों में हमको नहीं बेचोगे तो तुम्हारा कोटा निरस्त एवं निलम्बित करा दिया जायेगा और ऐसा बड़े पैमाने पर हो भी रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में 51,914 ग्राम पंचायतें हैं और 74,812 कोटेदार हैं और उसमें भी बड़े पैमाने पर नगरीय क्षेत्र आते हैं। मान्यवर, एक–एक ग्राम पंचायत में तीन–तीन कोटेदार पूर्व की सरकार में रहा करते थे। बड़े पैमाने पर माफियाओं द्वारा कोटे निलम्बित व निरस्त कराये गये और जो विकलांगों के कोटे निर्धारित हुआ करते थे उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गयी और जो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कोटा था वह भी पूर्व की सरकार में सुरक्षित हुआ करते थे, लेकिन जब से यह सरकार आई है उसका भी कोटा खत्म कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री रोशन लाल वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, जब से यह सदन शुरू हुआ है, दूसरी बार मुझे बोलने का मौका मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूं, यह जो मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता हैं, मेरा केवल आलोचना ही नहीं, सुझाव भी है, मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता के यहां जब कोटेदार अपना कोटा उठाने जाता है तो प्रति ड्रम यानी 200 ली0 के ड्रम पर 350 रुपये की वसूली की जाती है और उसके बाद 5 से 10 ली0 तेल भी उसे कम दिया जाता है। अध्यक्ष जी, बस मैं अपनी दो बातें और कहते हुए, बात समाप्त कर दूंगा। अध्यक्ष जी, अभी मैं एक दिन ट्रेन से आ रहा था। सत्तापक्ष के भी हमारे मा0 सदस्य बैठे हुए थे, ट्रेन में बहुत ज्यादा भीड़ थी। हम लोग भी सफर कर रहे थे, मैं उन मा0 सदस्य जी का नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, जब टी0टी0 हम लोगों के पास, आया खचाखच भरा हुआ डिब्बा था, भरे डिब्बे में टी0टी0 ने फटाक से उनसे टिकट मांगा।

श्री अध्यक्ष–

यह क्या सवाल है, बैठिए–बैठिए।

श्री रोशन लाल वर्मा–

अध्यक्ष जी, कहा कि तुम बेहद विकट मालूम होते हो, भरे डिब्बे में, केवल हम अकेले पर ये ये शक कैसा कहा कि तुम्हारी शक्ल ही कुछ कुदरत ने ऐसी बनाई है, टिकट होते हुए भी बेटिकट मालूम होते हो। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष–

शक्ल तो सभी की वैसी है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने कुछ शक्ल की चर्चा किया है, मुझे लगता है कि ख ग ग ग ,

(हंसी)

'श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मा0 खाद्य एवं रसद मंत्री जी के द्वारा रखे गए बजट के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मान्यवर, यह विभाग न केवल रसद सामग्री के वितरण का काम करता है, बल्कि यह विभाग उत्तर प्रदेश के 100 फीसदी लोगों से जुड़ा है। यह विभाग किसानों के उत्पादन क्षेत्र को तय करता है, यह विभाग किसानों के उत्पादन को तय करता है, यह विभाग किसानों की उपज के मूल्य का निर्धारण करता है। मान्यवर, और यह विभाग पूरे खाद्य सामग्री को इस प्रदेश की जनता तक पहुंचाने का प्रबन्ध भी देखता है। मान्यवर, इसके साथ–साथ आम जीवन से जुड़ी आवश्यक वस्तुएं हैं, उनकी कीमत कैसे निर्धारित हों और लोगों तक कैसे पहुंचे, यह सारा काम इस विभाग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान्यवर, आज मुझे बड़ा दुख है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर जिस पर इस प्रदेश की 100 फीसदी जनता का सीधा लगाव है, सीधा जुड़ाव है, जो प्रदेश के 80 फीसदी किसानों के भविष्य की रणनीति तय करता हो, क्षेत्रफल तय करता हो, कीमत तय करता हो, मान्यवर, इतने महत्वपूर्ण विभाग पर हमारे सामने बैठे लोग जो बड़े–बड़े दावे करते हैं, उनका इस विभाग को छोड़ कर दूसरी बातों पर ध्यान है, यह दुख का विषय है। मान्यवर, मुझे शिकायत नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी के नेता इस पर अपना पक्ष क्यों नहीं रखे, मुझे शिकायत इसलिए नहीं है कि मान्यवर, इनका किसानों से कभी वास्ता नहीं रहा है। मान्यवर, जो लोग किसानों की दम भरते थे, उनकी जो बातें आई हैं।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। इन्हें बोलने दीजिए, आपको जब बोलने का मौका मिलेगा, तब कह लीजिएगा।

श्री दीप नारायण सिंह (दीपक यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, परेशानी इसलिए है कि अभी शुरूआत हुई है, अभी जब आंकड़े रखेंगे तो उठकर खड़े हो जायेंगे। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, अभी कटौती का प्रस्ताव रखने वाले डाक्टर साहब, अरुण कुमार जी और उनके साथियों ने अपनी–अपनी बातें रखी हैं, सबको एक साथ जोड़ता हूं, मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने कैसे किसान की तरफ ध्यान रखकर उत्पादन क्षेत्र कैसे बढ़ाया है, इनके समय में क्षेत्र कितना था और आज हमारी सरकार के समय कितना अन्तर है, यह भी मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब मान्यवर, इनका समय था तो उत्पादन का क्षेत्र यदि देखें तो 93 लाख हेक्टेयर था, मान्यवर, हमारी सरकार में, हमारे

नोट :–ख ग ग ग , यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।
' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में मा0 मंत्री जी के सफल संचालन में उस क्षेत्र को 5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का काम किया है, 98.3 लाख उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने का काम किया है। एरिया बढ़ाने का काम किया इसलिए परेशानी तो होगी ही। अगर हम उत्पादन की बात करें तो उसमें भी बहुत अंतर है। इनके 2007 से 2011 तक तो 285 लाख मी0 टन उत्पादन था। मान्यवर हमारी सरकार में उत्पादन कहां है ? अगर 2012–13 में 321 लाख मी0 टन उत्पादन हुआ है इससे इनकी परेशानी तो बढ़ेगी। चाहे गेहूं का उत्पादन हो चाहे धान का उत्पादन हो सारे उत्पादनों में व्यापक वृद्धि हुई है। क्षेत्र का व्यापक विस्तार हुआ है। इसलिए परेशानी यह है कि जो काम कर नहीं पाए वह बोले कैसे ? अभी हमारे एक साथी समर्थन मूल्य की बात कर रहे थे यह कौन–सा समर्थन मूल्य जानना चाहते हैं। अगर धान का समर्थन मूल्य बताएं तो जब इनकी सरकार थी 2007–08 में तब धान का समर्थन मूल्य 645 रुपये था। आज क्या अन्तर है। आज इस बजट में सरकार ने समर्थन मूल्य 1360 रुपये रखा है 1400 रुपये रखा है। दोगुने का अंतर है। यह कहते कैसे असली बात बताने को तैयार नहीं हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मंत्री जी को कि उन्होंने किसानों के हक में रखते हुए सरकार के बजट में किसानों के लिए अधिक से अधिक समर्थन मूल्य देने की कोशिश की है। मान्यवर हमारे भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य कोटेदार बढ़ाने की बात कर रहे थे। कोटेदार बढ़ाने की बात क्यों कर रहे थे लेकिन कोटा पाने वाले लोगों की संख्या तो उनके हक में है। अगर कोटेदार न बढ़ाए मान लीजिए उससे व्यापारी बढ़ जायेगा कोटेदारों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ करने जा रहे हो तो बताएं। हमारे कांग्रेस के साथी अभी कार्ड बढ़ाने की बात कह रहे थे। जब यह कार्डधारकों को बढ़ाने की स्थिति में थे तब यह पांच साल सोते रहे। यहां सरकार मांग करती रही कि हमारे कार्डधारकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए तब यह कर नहीं पाए। सरकार की यह शानदार कोशिश है। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा जो इस प्रदेश के जनमानस से जुड़ी है देश के सारे सिस्टम से जुड़ी है। डीजल की कीमतों के बारे में बताना चाहूंगा। जो बड़े–बड़े प्रान्त समुद्र के किनारे बसते हैं उनसे भी सस्ता डीजल आज उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है और उसकी कीमत 54.72 पैसे है। गुजरात में इसकी कीमत 55.41 पैसे है मध्य प्रदेश में इसकी कीमत 56.92 है महाराष्ट्र में इसकी कीमत 57.08 पैसे है। हमारा प्रांत दूर होने के बाद भी इतनी दूर से डीजल लेने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता को सस्ता डीजल देने का काम कर रही है। एक बात और कहूंगा अपने सामने बैठे मा0 सदस्यों से जो बड़ी–बड़ी अच्छी बातें कहने में माहिर हैं देश की सरकार की उन्नति के बड़े–बड़े दावे किए जा रहे हैं। 2014 में जब इनकी सरकार नहीं बनी थी क्रूड ऑयल की कीमत 100.71 थी तब पेट्रोल की कीमत 80.56 पैसे थी। डीजल की कीमत 60.41 पैसे थी। आज क्रूड ऑयल की कीमत अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 52.39 पैसे है। तब यह 66.35 रुपये पेट्रोल दे रहे हैं और 54 रुपये डीजल दे रहे हैं। यह पूरे देश की जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए इस शानदार बजट के लिए मा0 मंत्री जी को शानदार मंत्री जी को बधाई देता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री तेजपाल सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी यह बहुत महत्वपूर्ण बजट है और राजा भईया बड़े काबिल मंत्री हैं। उन्होंने बहुत अच्छा बजट रखा है। शुरू में ही उन्होंने एक बात कही और यह बात सही है। नेता जी का जिक्र करते हुए कहा कि नेता जी ने हमें निर्देश दिया था कि जाओ देखो गेहूं की खरीद हो रही है या नहीं। नेता जी जमीन से जुड़े हुए हैं। उसका नतीजा धरातल पर नहीं दिखाई पड़ा प्रयास तो बहुत किया गया। किसानों के साथ जिस तरह से खरीद होनी चाहिए थी वह नहीं हुई। उसमें निश्चित रूप से ऐसा हुआ कि कहीं तो कह दिया गया कि हमारे पास बारदाना नहीं है कहीं कह दिया गया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है कहीं कह दिया गया कि हमारे पास खरीदने के लिए पैसा नहीं आया है। इससे किसानों को बड़ी भारी परेशानी रही। दूसरी एक समस्या यह भी थी क्योंकि जब मार्केट का रेट ऊपर होता है तो लोग गेहूं को कांटों पर नहीं ले जाते। जहां कांटों पर ले जाते हैं वहां भी पूरी व्यवस्थाएं नहीं होती। मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यह जो बहाना होता है कि हमारे पास बारदाना नहीं है उसकी भी पूरी व्यवस्था करके किसानों को सहूलियत दिलवाई जाए। जो सीमान्त प्रान्त हैं। उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं अपने क्षेत्र की अगर बात करूं। मान्यवर, मेरा क्षेत्र ऐसा है एक तरफ हरियाणा लगा है और एक तरफ राजस्थान लगा है। हरियाणा में गेहूं हमसे महंगा खरीदा गया। राजस्थान में ढाई सौ रुपये की बोनस दी गयी। तो वहां के किसानों का भी गेहूं महंगा खरीदा गया। तो हमारे यहां का जो रेट था उससे ज्यादा रेट हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने दिया। तो मा0 मंत्री जी इसमें आप ऐसी कोई व्यवस्था करा दीजिए कि या तो बोनस सरकार की तरफ से हो जाये। क्योंकि किसान मजबूर होकर हरियाणा, राजस्थान ले जाता है और धक्के खाता है। और कभी–कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हरियाणा पुलिस बिना वजह जबरदस्ती रोकती है और जाने नहीं देती। इसकी व्यवस्था मा0 मंत्री जी करेंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी बड़े प्रभावशाली मंत्री हैं उनका विभाग पर नियंत्रण भी बहुत अच्छा है। लेकिन इनके विभाग को भी हाईजैक कर रखा है और वह हाइजैक इसलिए हो रहा है कि तहसीलों में इनका बाबू बैठता है और एक इंस्पेक्टर बैठता है। बाबू और इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं है। एस0डी0एम0 जो चाहेगा रिपोर्ट लिखवाएगा और जो चाहेगा वह कार्यवाही करेगा। एस0डी0एम0 ने हाईजैक कर रखा है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि मेरे जनपद का मामला है, कोटेदारों का एक माफिया है। पिछली सरकार में भी वह था इस सरकार में भी है। वह क्या करता है वह अपने प्रभाव से एस0डी0एम0 से मिला रहता है उसके बाद यह होता है कि उस दुकान को निलंबित करो इसे मेरे साथ लगा दो। और जिलाधिकारी से उसकी शिकायत हुयी तो जब यह सरकार बदली तो जनवरी, 2013 में जिलाधिकारी महोदय के आदेश से उसके कैरोसिन का छापा पड़ा और वह कैरोसीन वहां से उठाकर ले गया बाजार में बेच दिया वहां तक पहुंचा ही नहीं। जैसे ही सूचना हुयी डी0एम0 ने तुरन्त पकड़वा लिया। डी0एम0 ने उसके खिलाफ मुकदमा लिखाया। अपराध संख्या–36/13 धारा–3/7 थाना बरसाना में, आप नोट कर लें। और वह अपराधी माफिया के खिलाफ आज तक भी किसी की हिम्मत नहीं है कि उसकी गिरफ्तारी तो बड़ी बात है आज तक चार्जशीट भी नहीं लगी है। इसलिए मैंने कहा कि आपका विभाग

हाईजैक हो रहा है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि जो दूसरे कोटेदार हैं उनकी भी इतनी हिम्मत बढ़ी गयी है कि जब उसी का कुछ नहीं हो रहा है तो हमारा ही क्या होगा। तो ऐसी स्थिति पर आपको जरूर नियंत्रण लगाना पड़ेगा।

मैंने जो बोनस की बात कही थी। मा0 मुख्य मंत्री जी चले गये हैं। मैं मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि इसमें मा0 मुख्य मंत्री जी से बात कर लें। जो ढाई सौ रुपये सब्सिडी राजस्थान में मिलती है। हरियाणा में जो रेट मिलता है उस हिसाब से अपने यहां भी किसानों को बोनस देने की बात करें। तो बोनस देने की बात बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे यहां खरीद नहीं होती। हमारे यहां यह स्थिति हो गयी है कि सब किसान मजबूर होकर राजस्थान, हरियाणा ले जा रहा है। दूसरी बात, बाट माप के संबंध में कहना चाहूंगा कि यह भी आपके विभाग में आता है। बाट माप के जो इंस्पेक्टर वगैरह हैं। नापने जाते हैं। पता लगा कि नापकर आये, छापा पड़ा और जब हमने पूछा कि उसकी बड़ी शिकायत हो रही है उसके यहां छापा पड़ा तो उसमें क्या निकला, उसमें क्या हुआ तो कहते हैं कि विधायक जी वहां गये थे लेकिन वहां कुछ निकला नहीं। तो मा0 मंत्री जी इसको भी कंट्रोल कराइये। इससे विभाग की बड़ी बदनामी होती है। सरकार की भी होती है। इस पर अंकुश लगाइये। क्योंकि अगर छापा पड़ता है तो उसकी तस्वीर जनता के सामने भी आनी चाहिए। मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा। कोई भी मा0 सदस्य अपने–अपने क्षेत्रों में देख लें। सब बैठे हैं। कोई भी कोटेदार ऐसा नहीं होगा जो सरकारी माल को बाजारों में अपने यहां से बेचने नहीं ले जा रहा हो। सबके यहां यही स्थिति है। जो गरीबों का माल आता है वह बेचने के लिए सरेआम कोटेदार बाजारों में ले जाते हैं। और नतीजा यह होता है कि उस गरीब का कोटा मिल नहीं पाता। मंत्री जी ने कहा कि हमने इतने राशन कार्ड बनाये हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसमें भी धांधली हुयी है। जो पात्रता में आता है और जो उसका हकदार है, उसको जरूर उसका हक मिलना चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी आपका मिशन पूरा होगा। जब तक गरीब को नहीं मिलेगा तब तक आपका मिशन पूरा नहीं होगा। उसमें आवश्यक वस्तुओं की जो मैं बात कर रहा था मान्यवर जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है चूंकि यह गरीब से जुड़ा हुआ मामला है उसको कैरोसीन से डबल मार पड़ रही है। कैरोसीन जो ब्लैक किया जाता है, क्या अध्यक्ष जी आप जानते हैं कि कहां जाता है ? जो कैरोसीन ब्लैक किया जाता है वह कैरोसीन ब्लैकियर डीजल में मिश्रण करके किसानों को बेचते हैं, सबको बेचते हैं और उसमें दो जगह मार पड़ती है। यहां से तो गरीब का हक मारा गया, कैरोसीन चला गया और कैरोसीन बिका किस के हाथ, डीजल माफिया के। डीजल पैट्रोल पम्प वाले के और उसने डीजल में मिलावट कर दी। अब जो डीजल के उपभोक्ता हैं, चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे ट्रैक्टर चलाने वाला हो, वह भी मार खा रहा है। उसका इन्जन बैठा जा रहा है। उसकी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है तो मान्यवर बहुत जरूरी हो गया है कि माननीय मंत्री जी इन पर भी लगाम लगायें। माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट में अपनी बात खतम करता हूं यह हम उम्मीद करते है, जैसा इन्होंने शुरू में जिक्र किया तो उस नेता की उस जिज्ञासा को पहचानियें और किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ

मिले, अधिक से अधिक किसानों के धान की खरीद हो, धान के किसान की बहुत हालत खराब हुई है धान के किसान की तो लागत भी नहीं निकली यह स्थिति हो गयी है। गेहूं की फसल तो वैसे ही कुदरत ने चौपट कर दी है। कम से कम जितना गेहूं बचा है किसान को उस पर बोनस भी दें और उनकी अच्छी खरीद की व्यवस्था भी करायें यह माननीय मंत्री जी मेरा सुझाव है। इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि आप बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, अपने विभाग में जरा अधिकारियों को बुलाकर कस दीजिये और यह कह दीजिये कि गरीबों का विभाग है गरीबों की सुरक्षा के लिए है, जब तक गरीब की सुरक्षा नहीं होगी तब तक गरीब का दाना नहीं मिलेगा, उस गरीब का दाना उस तक पहुंचना चाहिए मेरा यह सुझाव है। इसी के साथ अध्यक्ष जी बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

पप्पू जी अभी आपको इसके बाद बुलवाते हैं, जियाउद्दीन रिजवी जी शांतिपूर्ण ढ़ंग से बजट पर बोलें।

'श्री जियाउद्दीन रिजवी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। माननीय खाद्य मंत्री जी ने जो बजट पेश किया उसके समर्थन में मैं खड़ा हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय राजा भइया जी को जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया और जब से यह मंत्री बने हैं, काफी सुधार हुआ है। पहले की सरकारों में जितना इस विभाग का दुरुपयोग हुआ था और हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा। बहुत सारे आन्दोलन भी करने का मौका मुझे मिला। एक रात में राशन की दुकानें निरस्त हो जाती थीं और एक वर्ग विशेष के नाम से आवंटन भी हो जाता था। दूसरे दिन हम लोगों को पता चलता था कि फलाने सिंह की, फलाने पाठक जी की दुकान गयी और फलाने साहब की आ गयी। कोई आरोप भी नहीं होते थे। किसी भी तरह का कोई आरोपी अगर अच्छा दुकानदार की तरह काम करता था तो उसकी भी दुकानें निरस्त हो जाती थी और एक वर्ग विशेष को मौका दिया गया। कम से कम हमारे मंत्री जी ने इसको रोका। आज माननीय अध्यक्ष जी दो बजट एक साथ पेश हुए, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में और दोनों बजट को टी0वी0 पर दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के बजट को सारी जनता ने सराहा, यहां तक उत्तरप्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में कई राज्यों से लोगों के टेलीफोन भी आये कि बहुत अच्छा बजट आपके मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया। एक तरफ केन्द्र सरकार का जो देश मालिक हैं, देश के बादशाह का बजट जिसकी आलोचना सारे मध्यम वर्ग के लोगों ने किया और माननीय अध्यक्ष जी आज तो मुझे ताज्जुब हुआ आज मैंने अखबार में पढ़ा माननीय प्रधानमंत्री जी के सगे भाई महेन्द्र मोदी जी ने इसी खाद्य सुरक्षा को लेकर के जंतर–मंतर पर कल धरना दिया और केन्द्र सरकार की नीतियों की जम कर आलोचना की और प्रधानमंत्री की नीतियों की जम कर आलोचना की। प्रधानमंत्री का सगा भाई जन्तर–मन्तर पर बोलता है कि दिल्ली की सरकार गरीबों की नहीं है, ये देश के गरीबों का कल्याण नहीं कर रही

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, देश के गरीब जो बी0पी0एल0 धारक हैं, ए0पी0एल0 धारक हैं, उसके बारे में नहीं सोचा जा रहा है और केवल कारपोरेट घरानों के बारे में दिल्ली की सरकार सोंच रही है, उनके लिए काम कर रही है, ये मैसेज आज पूरे देश में ही नहीं विदेश तक गया है और सारी मीडिया के माध्यम से भी अब धीरे–धीरे आवाजें आने लगीं हैं आम जनता के बीच में कि जो नारा दिया गया था कि हम 24 घण्टा बिजली देंगे, हम राशन कार्ड बनवा देंगे, क्योंकि हम लोग भी गांवों में जाते हैं, मा0 अध्यक्ष जी आप भी जाते हैं, 80 परसेण्ट लोग गांव के बूढ़ी–बूढ़ी औरतें, बूढ़े–बूढ़े मर्द आ जाते हैं, गाड़ी घेर लेते हैं, उनकी समस्या कुछ दूसरी नहीं होती है, नौकरी नहीं मांगते हैं, वह पैसा नहीं मांगते, वह केवल इतना ही चाहते हैं मा0 अध्यक्ष जी कि हमारी पेंशन बनवा दो, हमारा कार्ड बनवा दो, हमारी राशन व्यवस्था ठीक कर दो और ऐसी मांग तमाम महिलाएं और बुजुर्ग लोग करते हैं और जब हम लोग पता लगाते हैं, इस गरीब का घर उजड़ा हुआ है, झोपड़ी है, कैसे इसको दुरूस्त किया जाय तो मालूम होता है कि उस गरीब आदमी का नाम बी0पी0एल0 सूची में है ही नहीं और यह राज्य सरकार का विषय नहीं है। हम लोग सीडीओ से डीएम से अन्य अधिकारियों से बात करते हैं, मा0 मंत्री जी से बात करते हैं, यह है सेण्टर का मामला और सेण्टर बोर्ड आज भी इस दिशा में कोई कारगर काम नहीं कर रही है। 80 परसेण्ट जनता, 15–20 साल पहले बीपीएल, एपीएल बना और आज तक उसका संशोधन नहीं हो पाया, जबकि 2015 में रिवाइज होना था, मगर 2015 आ गया, लेकिन कहीं भी रिवाइज नहीं हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने मुख्य मंत्री जी को, क्योंकि हमारे नेता की नीयत और नीति साफ है, हमारा नेता खूबसूरत, उसका इतिहास खूबसूरत, उसका भूगोल खूबसूरत और उसकी नीयत सही, आम जनता, गरीब, किसान, अल्पसंख्यक मुसलमान, कामगार, मेहनतकश सारे लोगों के बारे में जो नेता सोंचता हो और जिसके लिए काम करता हो और उसके लिए बजट देकर के उसको पैरों पर खड़ा करने का काम करता है। हमारे यहां गरीब अल्पसंख्यक लोगों को कोई पूछता नहीं था, आज के समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, फिरकापरस्त ताकतों को मजबूत करना चाहते हैं, उन लोगों का झुकाव आज भी कहीं न कहीं केन्द्र सरकार की तरफ है, हम उनकी तरफ इशारा नहीं करना चाहते हैं, हम अपने विषय पर आना चाहते हैं। हमारे नेता की नीयत सही है, हमारा नेता अखिलेश यादव, मा0 मुलायम सिंह यादव, उनकी नीयत सही, उन्होंनें जो भी बजट बढ़ाया गांव के लिए, किसान के लिए, पिछड़ों के लिए, दबे–कुचले लोगों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और इसमें खाद्य सुरक्षा महिलाओं का सशक्तिकरण काफी हुआ, महिलाओं को काफी बल दिया अखिलेश यादव की सरकार ने और आज गांवों में महिलाओं को उनका वाजिब हक दिया यह बात हमारे भाजपा के लोग जानते हैं। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जब उन्होंने लोहिया गांव में लोहिया आवास की घोषणा की, उस समय बीपीएल में जिसका नाम नहीं था, उसको भी उन्होंने आवास देने का काम किया और आज गरीब आदमी के दरवाजे पर सोलर लाईट जल रही है। रिक्शा चालक को रिक्शा मालिक बनाने का काम हमारे नेता, करोड़ों दिलों पर राज करने वाले हमारे मोहम्मद आजम खां साहब ने साबित कर के दिखाया है, इसके लिए उनकी हर जगह सराहना हो रही है। मान्यवर, मैं दो सुझाव देकर के अपनी बात

समाप्त करना चाहूंगा, मा0 मंत्री जी, आपने गुणात्मक परिवर्तन किया अपने विभाग में, हमारे बलिया में जरा देख लीजिए, जो दुकाने शहरी क्षेत्र में रिक्त हैं, आज आपके सीडीओ से हमने बीस बार कहा भाई यह रिक्त पड़ी हैं 5–6 साल से इसको पूरा कर दो, इसका विज्ञप्ति जारी कर दो, वह बहानाबाजी कर के आज तक लटकाये हुए हैं और जो शहर में वाजिब लोगों को आवंटन होना चाहिए उसको जरा दिखवाइये और जो गांव में ए0पी0एल0 का है उसमें फर्क आ रहा है। हमारे जनपद में आप परीक्षण कर लीजिये ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने क्रय केन्द्र चालू किये तो मैं अपने क्षेत्र की भी बात करूं कि एक तूर गांव हमारा है। मा0 मंत्री जी, आप हमारे मंत्री हैं तो जरा हमारी तरफ तो ताकिये। बहुत बड़ा गांव है तूर, बहुत बड़ा गांव है, वहां पर क्रय केन्द्र नहीं खुल पाया है। तूर गांव बहुत बड़ा गांव है, आपका कर्मचारी कल्याण निगम है उसका एक क्रय केन्द्र उस गांव में खुलवाने की कृपा करें। मैं आपके बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं बहुत–बहुत धन्यवाद।

' श्री जय प्रकाश निषाद–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आभार प्रकट करता हूं। मैं डाक्टर अयूब साहब के इस कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात रखता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी बोल रहे थे खाद्य रसद के बारे में। इन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें करीं, इन्होंने बताया कि हमारी सरकार के नेता, इस सदन के नेता मा0 मुख्य मंत्री जी ने उन दुकानों को भी चेक किया और कितनी दुकानें प्रदेश में हैं सबका जिक्र करते हुये इन्होंने बड़ा शानदार बजट रखा है। मैं इनकी प्रशंसा करता हूं, इनके मा0 नेता की प्रशंसा करता हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी की भी प्रशंसा करता हूं और सभी पूरे सदस्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। इस बात की करता हूं मा0 अध्यक्ष जी, हमारे गोरखपुर जिले में 5 लाख 33 हजार 94 कार्डधारक हैं ए0पी0एल0 के। जो ए0पी0एल0 का गेहूं जाता है और ये 5 लाख 33 हजार 94 कार्डधारक हैं लेकिन इसमें से मात्र 01 लाख 62 हजार 141 कार्डधारकों को गेहूं आवंटित किया जाता है। हम इस बात की प्रशंसा करते हैं कि इनके अधिकारी इतने बेखौफ हैं कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी जाकर जांच करते हैं और राशन की दुकानों पर जाकर तोलवाते हैं उसके बाद भी ये दशा है कि यहां पर बाकी 3 लाख 70 हजार 953 लोगों का खाद्य रसद गायब हो जाता है और उसकी चिन्ता यह सरकार नहीं करती है। पूरे एक नहीं अनवरत कई वर्षों से लगातार हमारे मंत्री जी बहुत अनुभवी हैं इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन क्या कारण है कि इसको ये पकड़ नहीं पा रहे हैं और जो वहां के अधिकारी कर्मचारी हैं, वे मालामाल होते जा रहे हैं। ए0पी0एल0 और गरीबों का हक मारा जा रहा है और इसके ऊपर यह सरकार गम्भीर नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका बहुत बड़ा ऊंचा कद है, उस कद को आप जरूर रखाईये और ऐसे लोगों के ऊपर लगाम लगाईये जिनके द्वारा इतना बड़ा घोटाला, कई करोड़ का घोटाला हर महीने किया जा रहा है। गोरखपुर में मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस आफिस का बाबू जो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनवरत कई वर्षों से 20सों साल से लगातार वहां पर कार्यरत हैं। यहां शासन से उनके ऊपर ट्रांसफर का आदेश जाता है लेकिन ट्रांसफर एक घण्टे के अन्दर बदल जाता है। आखिर क्या कारण है, उस बाबू से क्या लगाव है। इस सरकार का क्या लगाव है कि वह बाबू वहां से हट नहीं पाता और वहां जमाने से उस पद पर आसीन है, वहां पर रहकर के इतना बड़ा घोटाला कराने का काम करता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस बात पर मा0 मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि वहां पर क्षेत्रीय निरीक्षक से जब वहां के जनप्रतिनिधि कहते हैं कि भाई, आप देख लो यहां पर ये परेशानी है तो वह क्षेत्रीय निरीक्षक कहता है, अपने यहां कहता है कि आप हमारे अधिकारी नहीं हैं। मान्यवर, जिसे किसी क्षेत्र की इतनी बड़ी जनता जिताकर भेजती है, चुनकर भेजती है। और आपके द्वारा संरक्षण प्राप्त है। प्रदेश के सर्वोच्च सदन के उस सदस्य की बात को कहता है वहां का क्षेत्रीय निरीक्षक और इस बात को लिखकर आपको भी दिया गया है। मान्यवर, आपके कार्यालय में दिया गया है और प्रमुख सचिव साहब को भी दिया गया है। इस विभाग के उच्चाधिकारियों को भी दिया गया है लेकिन आजतक इस पर कार्यवाही नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसकी जांच करा लें कि वह कहता है कि आप मेरे अधिकारी नहीं हैं। अब माननीय मंत्री जी को कह दें कि आप मेरे अधिकारी नहीं हैं। आप मेरे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा सकते, यह बहुत बड़ी गंभीर बात है, मान्यवर, कैसे हनक पैदा होगी ? हनक पैदा नहीं होगी मान्यवर, अगर आप इस पर अंकुश नहीं लगाएंगे तो निश्चित तौर पर घटतौली पर या किसी मामले पर आप अंकुश नहीं लगा पाएंगे। माननीय मंत्री जी आप अनुभवी हैं, आप इस पर संवेदनशील हो और इस पर कार्रवाई करायें। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

'श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने खाद्य रसद विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया, बहुत–बहुत, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में जो बी0पी0एल0 कार्ड और अंत्योदय कार्ड बने हैं अभी यह हुआ था कि इसका कम्प्यूटरीकृत कार्ड बनाया जाए, उसमें भारत सरकार के द्वारा आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था, उसी बीच यह कार्ड की जो फीडिंग होनी थी, कर दी गई है, जबकि पूरे प्रदेश में 80 प्रतिशत गांव में गरीबों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, जिससे वहां के गरीबों का जो राशन कार्ड बनना था आधार कार्ड के न होने के नाते उनका नाम छूट गया है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है। इसको पुनः समय देकर के, बिना आधार कार्ड के बनाए। अभी सुप्रीमकोर्ट में आदेश हुआ है कि आधार कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, गरीबों का आधार कार्ड न होने के कारण उनका नाम छूटा है। इसमें फिर से समय बढ़ाकर, आधार कार्ड के बिना गरीबों का राशन कार्ड बने, इसके लिए आप समय दे दें। माननीय मंत्री जी मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से बताना चाहता हूं अभी बसपा की सरकार में, पिछली सरकार में हमारे क्षेत्र में एक विधायक बसपा के थे, वे हर कोटेदार से 1000

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रुपया महीना लेते थे। माननीय अध्यक्ष जी, आपने भी पढ़ा होगा बगल का जिला है। वहां जब गेहूं की ढुलाई होती थी, उस बसपा की सरकार में, एक ट्रक गेहूं स्कूटर पर लाद दिया गया था, जो नम्बर दिया गया था, वह स्कूटर का था। ऐसी–ऐसी घटनाएं बसपा की सरकार में हुई हैं। ज्यादा न कहकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कार्ड बनाने की सीमा पुनः बढ़ा दें, जिससे गरीबों का नाम अंकित हो सके। धन्यवाद। जय हिन्द, जय समाजवाद।

'श्री रविन्द्र जायसवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे शहर के अन्दर पक्के मकान एक कमरे वाले जिनके–जिनके पास हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। उनसे कहा जाता है कि जिनके कच्चे मकान होंगे उनके बनेंगे, जबकि शहर के अंदर एक दो कमरे के मकान में चार–चार भाई रहते हैं और उनके यहां एक कमरे में दो भाई रहते हैं और उनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि कहीं न कहीं इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिए कि शहर के अंदर जिसका बाप नहीं है, कमाने वाला बेटा नहीं है, लेकिन अगर वह एक छोटे से कमरे में रह रहा है, तो उसका राशन कार्ड बनना चाहिए। कार्ड के लिए चार–चार बार फार्म भराये गए। वर्ष 2002 से लेकर अब तक 13 साल में कार्ड बंट पा रहे हैं और न हीं बन पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रक्रिया को फिर से बनाकर के उनके कार्ड बनाये जायें। मंत्री जी से अभी मेरा निवेदन है कि जो अभी आपने दिखाया भारत सरकार का अनुदान उसमें 2010–11 में दिखा रहे हैं 2485 करोड़, वर्ष 2011–12 में दिखा रहे हैं 1219 करोड़ और वर्ष 2012–13 में दिखा रहे हैं मात्र 39 करोड़, जबकि यू0पी0ए0 में सरकार को समर्थन आपने दिया था। यू0पी0ए0 में समर्थन देने के बावजूद भारत सरकार से अनुदान मात्र 39 करोड़ रुपये मिला, इसका क्या कारण रहा ? वर्ष 2013–14 में मात्र 5 करोड़ था, उसमें भी आपने समर्थन दिया था। वर्ष 2014–15 में मेरी 3 महीने पहले बात हुई थी, प्रदेश सरकार ने अनुदान के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा था। अगर प्रस्ताव भेजा था तो कब भेजा था मेरी जानकारी में है कि प्रदेश सरकार ने अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास अनुदान के लिए भेजा जाय वहां से अनुदान मिलेगा साथ ही साथ जो 13 साल से राशनकार्ड रुके हुए हैं वह बनना चाहिए। शहर के अन्दर जिनके पास रहने का पक्का मकान है उनका कार्ड नहीं बन पा रहा है उनका कार्ड बनना चाहिए। कांशीराम आवास में वह जाते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं कांशी राम आवास वालों को बीपीएल कार्ड नहीं बनाया जा रहा है वह बनना चाहिए।

(श्री अनूप सण्डा का नाम पुकारे जाने और उनके द्वारा न बोलने पर)

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने खाद्य एवं रसद विभाग के बजट के समर्थन पर बोलने की अनुमति प्रदान किया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, खाद्य एवं

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रसद विभाग गरीबों, मजलूमों विपन्नों से जुड़ा हुआ विभाग है और यह सुनिश्चित करता है कि उचित मूल्य और गुणवत्ता पर गरीबों और विपन्नों को खाद्य रसद उपलब्ध हो सके। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो 78 अरब रूपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया है मैं इसके लिए उनको हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने बजट प्रस्तुतीकरण के समय ही कहा था कि जिस तरह से विभाग कार्य कर रहा है आलोचना के लिए कुछ बचता नहीं है और सुझावों का स्वागत है, जिसका परिणाम रहा कि जैसे ही कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष के हमारे माननीय साथी खड़े हुए वह खाद्य रसद पर तैयारी ही करके नहीं आये थे। उन्होंने खाद्य रसद पर तो कुछ बोला ही नहीं बल्कि पूरे सामूहिक विपक्ष की तरफ से और स्लाटर हाउस बनाये जाने की बात रख दी जिसकी हम घोर निन्दा और भर्त्सना करते हैं। मान्यवर, मिनिमम सपोर्ट प्राइज के तहत कृषकों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए खाद्य रसद विभाग कटिबद्ध है और धान की सीधी खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना के माध्यम से कृषकों को शोषण और बिचौलियों से बचाने के लिए भी पिछले 3 वर्षो में खाद्य और रसद विभाग ने अभूतपूर्व काम किया है। मान्यवर, माननीय नेता जी और माननीय मुख्य मंत्री जी के आवाह्न पर और माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जैसे ही सरकार बनी थी सभी मंत्रीगण और माननीय विधायकों ने प्रदेश के सभी खाद केन्द्रों एवं बीज केन्द्रों पर तथा सभी धान क्रय केन्द्रों पर छापामारी की थी और उस समय से जो धमक बरकरार हुई थी वह धमक बदस्तूर आज भी कायम है और धान और गेहूं क्रय केन्द्रों पर बहुत अच्छी तरीके से सभी क्रय कार्य किये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। हम नये सदस्य हैं आप एक बार टोक देते हैं तो दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा।

मान्यवर, गेहूं खरीद एक अप्रैल से शुरू होने वाली है इसके लिए 5000 क्रय केन्द्र पूरे प्रदेश में सुनिश्चित किये जा रहे हैं और यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों की सुविधा के लिए कोई भी क्रय केन्द्र 8 किलोमीटर की परिधि में हो ताकि किसानों को गेहूं खरीदने और बेचने की सुविधा हो सके। मान्यवर, किसानों के धान मूल्य का भुगातान बैंक एकाउन्ट आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से हो रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है और मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने न केवल विभाग में बल्कि विभाग के कर्मचारियों में बहुत ही बेहतर कार्य करने के लिए कोटेदारों का लाभांश और परिवहन व्यय में वृद्धि करने का काम किया है साथ ही बांट माप विभाग में अच्छा नियंत्रण कायम हो और घटतौली कम हो इसके लिए लगभग 108 नये पद सृजित किये गये हैं। सक्षम अधिकारी अगर रहेंगे तो घटतौली पर भी प्रभावी नियंत्रण किया जा सकेगा। मान्यवर, पीडीएस का एन्ड टू एन्ड कम्प्यूटराइजेशन किया जा रहा है और धान एवं गेहू क्रय केन्द्रों पर इलेक्ट्रानिक कांटे लगाये जा रहे हैं जिससे माप तौल में कोई गड़बड़ी की सम्भावना न रहेगी।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

मान्यवर, राशन कार्ड का भी डिजिटाइजेंशन किया जा रहा है और उपभोक्ता हेल्प लाइन तथा ट्रान्सपरेंसी वेब पोर्टल के माध्यम से पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से खाद वितरण किये जाने का काम किया जा रहा है। मान्यवर, खरीद, उठान और वितरण की मात्रा और तिथि का बाकायदा एस0एम0एस0 किया जा रहा है, यह भी एक सराहनीय कदम है। अंत में मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार से जो संरक्षण और सहायता मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल रही है। एफ0सी0आई0 द्वारा धान की खरीद को लेकर बहुत व्यवधान पैदा किया जाता है। खाद्य सुरक्षा योजना की बहुत व्यापक तैयारी माननीय मंत्री जी और इनके विभाग ने की है, इसके बावजूद भी केन्द्र खाद्य सुरक्षा योजना के मानक तय नहीं करती है जिसकी मैं आलोचना करता हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा खाद्य एवं रसद विभाग पर बहुत ही अच्छा, सारगर्भित और शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है, जिसका समर्थन करते हुये उनको बधाई देते हुये मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत धन्यवाद।

' श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खाद्य एवं रसद विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं डाक्टर साहब के कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य रसद विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। विभाग तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, परन्तु गरीबों से जुड़ा हुआ यह विभाग है। माननीय अध्यक्ष जी, खाद्य एवं रसद विभाग उन गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और यह हर व्यक्ति के काम आता है। गरीब से गरीब, अमीर से अमीर इस विभाग से प्रभावित होता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं और मैं इस विभाग से भली–भांति परिचित हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह कहूं कि यदि सबसे ज्यादा कहीं भ्रष्टाचार है, तो वह खाद्य एवं रसद विभाग में है। माननीय अध्यक्ष जी, इस विभाग के अन्तर्गत जो दुकानदार, कोटेदार होते हैं, यहीं से कहानी शुरू होती है, भ्रष्टाचार का पोषक यहां से शुरू होता है। कोटेदार जब अपना कोटा लेने जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें जो कोटा दिया जाता है, जो तेल का ड्राम दिया जाता है, तो उनसे रुपये 200 से लेकर 300 तक की धनराशि प्रति ड्रम ली जाती है और जो खाद्यान्न सामग्री दी जाती है वह पचास किलो न देकर कम दी जाती है और किसी में चालीस किलो, किसी में तीस किलो दी जाती है, इस तरह से भ्रष्टाचार होता है। माननीय अध्यक्ष जी, इस तरह से यह भ्रष्टाचार चलता है, भ्रष्टाचार चलकर के गांव में जब पहुंचता है।

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय सदस्य, कृपया अब आप समाप्त करें।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों पर आपकी कृपा नहीं रहती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आरोप मत लगाया करिये, सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं।

श्री काली चरन सुमन–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा के अंतर्गत श्री रमेश चन्द्र शर्मा, सप्लाई इन्स्पेक्टर बाबू है। वह सप्लाई इन्स्पेक्टर बाबू इतना भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वह 200 रुपये प्रति ड्राम के हिसाब से और खाद्यान्न के हिसाब से वसूली कर रहा है। वह कण्ट्रोल के विषय में अपने आदमियों से प्रार्थना–पत्र दिलवाते हैं और प्रार्थना पत्र की जांच के नाम पर उन दुकानों को निरस्त करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को टारगेट बनाकर शोषण किया जा रहा हैं मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इनकी जांच कराई जाये और इनके विरुद्व कार्रवाई की जाये। धन्यवाद।

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं खाद्य एवं रसद विभाग के प्रस्तुत बजट के संबंध में रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि आप कहते हैं कि किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं लिया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि किसान से नहीं लिया जा रहा है, यह सारा व्यापारी खरीद रहा है। क्रय अधिकारी इतनी ज्यादा गेहूं में खोट निकालते हैं कि माल को लेकर आने वाला बेचारा किसान माल को व्यापारी के हाथ बेंचकर चला जाता है। सबसे पहले अधिकारी कह देता है कि सात दिन बाद माल लेंगे, क्योंकि हमारे पास इस समय पैसा नहीं है। इस तरह के बहाने बनाता है और किसान अपना ढुलाई का खर्च बचाने के लिये 1400 रुपये समर्थन मूल्य की जगह वास्तव में किसान व्यापारी को 700 और 800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेंचकर चला जाता है। दूसरी बात, गेंहू की वितरण की तिथियां बेवसाइटों पर दी जाती हैं, उस गरीब बी0पी0एल0 कार्डधारक को क्या पता कि यह आनलाइन क्या है, यह डब्ल्यू0डब्ल्यू0डब्ल्यू0 डाट काम क्या है, वह यह सब कुछ समझ नहीं पाता। वह बार–बार दुकान जाता है, लौट जाता है इस संबंध में कोई सर्वसुलभ व्यवस्था होनी चाहिये। यह जो आधुनिक वैज्ञानिक तरीके हैं, वह हमीं लोग नहीं समझ पाते तो वह बेचारा किसान बी0पी0एल0 कार्डधारक कहां से समझेगा ? तीसरी बात राशन कार्ड पूरे पांच साल से बन रहे हैं। तीन बार बने और तीन बार निरस्त हो गये। बार–बार बनते हैं और बार–बार निरस्त होते हैं। राशन कार्ड किसी के उपयोग में नहीं आ रहे हैं। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि केवल 1.63 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मिले हैं बाकी इतनी बड़ी जनता को कहां से राशन कार्ड मिल रही है। रोज ही निरस्त होगा तो वास्तविक कार्ड कब बनेगा और कब वह उपभोक्ता के हाथ में मिलेगा, यह एक बहुत अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। आप राशन कार्ड उन लोगों को देते हैं जो बी0पी0एल0 की सूची में हों, मुश्किल यह है कि सच्चा जो आदमी है, जिसे बी0पी0एल0 की सूची में आना चाहिये, वह तो आता ही

नहीं है और उसको कार्ड नहीं मिलता। एक वह औरत, जो घर–घर बर्तन मांजती है, कपड़ा धोती है, झाड़ू लगाती है, पूरे महीने में 3 हजार, 4 हजार कमाती है, उसका एक राशन कार्ड होना चाहिये लेकिन उसका कार्ड नहीं बन पाता। अधिकारी कहता है कि आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड बनवाने जाओ तो कहा जाता है कि राशन कार्ड लाओ, इस तरह न आधार कार्ड बनता है और न राशन कार्ड बनता है और वह बेचारी से भटकती रह जाती है। उसको स्थानीय निवास प्रमाण–पत्र, निवास प्रमाण–पत्र मांगा जाता है। वह जिसके घर की किरायेदार है, वह मकान मालिक उसको निवास प्रमाण–पत्र देता नहीं है। दूसरी बात, उससे कहा जाता है कि कोई भी एक रसीद लाओ, बिजली का, पानी का, किराये का किसी भी चीज का रसीद ले आओ, लेकिन वह मकान मालिक नहीं है और उसके पास कोई रसीद नहीं रहता। इसका परिणाम क्या होता है कि वास्तव में जिसका कार्ड बनना चाहिये, उसका बनता नहीं है। न तो उसका बी0पी0एल0 कार्ड बनता है, न तो राशन कार्ड बनता है, न उसके पास ऐसा कोई प्रमाण है कि वह अपने को स्थानीय घोषित कर सके। इसलिये माननीय मंत्री जी आप ऐसा कोई सहज तरीका निकालिये कि वास्तव में जिसका कार्ड बनना चाहिये, उसका बन जाये।

अन्त में एक बात और कहना चाहेंगे कि आज राशन की दुकानें हमारी जिदंगी की आवश्यक आवश्यकता हो गयी हैं, हम उससे छुटकारा चाहते हैं लेकिन छुटकारा हो नहीं पा रहा है और खाद्य विभाग घूम–घूमकर उसमें भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश में लगा रहता है लेकिन यह विभाग पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। अच्छा होता कि आप अपना दिल थामकर, बड़े गोदामों में जो माल भरा हुआ है, उसके अधिकतम रखने की सीमा को घटा दीजिये, माल को बाजार में फेंक दीजिये, इससे दाम जोरों से गिरेगा और हर आदमी को हर व्यक्ति को सर्वसुलभ दाम पर खाद्यान्न मिलेगा, राशन कार्ड के लिये दौड़–धूप और उसके लिये लाइन बंद हो जायेगी और प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता राशन मिलेगा। आप राशन की दुकान और खुले बाजार प्रतिस्पर्धा करा दीजिये, इसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को सस्ता राशन मिलेगा और आपका खाद्य विभाग उसी समय सबसे ज्यादा सफल माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें और माननीय डा0 साहब दो मिनट में अपना वाइंडअप करिये क्योंकि 3 बजे खत्म करना है।

डा0 मो0 अय्यूब–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं भाषण नहीं बल्कि बिन्दुवार अपनी बांतों को रखूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 बहुत सारे राज्यों ने लागू कर लिया है और केन्द्र के इस सहयोग का वहां के गरीबों को फायदा मिल रहा है इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी आखिरी समयसीमा एक अप्रैल, 2015 केन्द्र सरकार द्वारा रखी गयी है तो प्रदेश सरकार इस अधिनियम को इसी तिथि तक लागू करें जिससे केन्द्र का जो सहयोग हो रहा है, करीब–करीब 80

परसेंट ग्रामीण क्षेत्र में और 65 परसेंट शहरी क्षेत्र में जो गरीबों को सस्ते दाम पर राशन मिलता है, उसका फायदा उनको भी मिल सके।

दूसरी बात, मूल्य समर्थन योजना के तहत जींस, फसलों का जो लाभकारी मूल्य दिया जाता है, वह केन्द्र सरकार तय करती है और उस योजना के तहत प्रदेश सरकार लाभकारी मूल्य देकर किसानों से उनकी उपज खरीदती है, गेहूं, धान के रूप में। बहुत सारे देश के ऐसे प्रदेश हैं जो इसके ऊपर बोनस देकर किसानों की उपज खरीदते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं तो हमारा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है चूंकि जो लक्ष्य 2012–13 में, 2013–14 में सरकार ने निर्धारित किये थे और जो लक्ष्य 2014–15 में निर्धारित किये थे उस लक्ष्य का करीब 25 परसेंट से कम खरीद हुआ है, इसके लिये सबसे बड़ा कारण रहा है कि फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाया है जबकि और प्रदेशों में लाभकारी मूल्य देने के लिये सभी प्रदेश सरकारों को यह स्वतंत्रता है कि वह उन पर बोनस दे सकें समर्थन मूल्य तय कर सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो 25 परसेंट अचीवमेंट हुआ है जो खरीददारी किसानों से हुई है उसकी एक दूसरी सबसे बड़ी वजह रही है वह यह रही है कि जो लक्ष्य रखा गया था उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने क्रय केन्द्र होने चाहिए थे उतने क्रय केन्द्रों की स्थापना सरकार ने नहीं की थी इसलिए किसानों का गेहूं और धान खरीद नहीं हो पाया है और वह बिचौलियों को बेचने के लिए मजबूर हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह थी कि जिन केन्द्रों में व्यवस्था भी थी उन केन्द्रों पर जो तौलने के बहुत सारे अंग होते हैं, तो उसमें हमारा सुझाव है कि हर केन्द्र पर क्योंकि एक अधिकारी या दो अधिकारी रहते हैं और बहुत सारे तौलने वालों का इन्तजाम किया जा सकता है, कांटे लगाये जा सकते हैं इस प्रकार से खरीद केन्द्रों की क्षमता बढ़ाई जा सकती है बहुत सारे कांटे लगा करके और तौलने का इन्तजाम करके इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कह रहा हूं। विपणन में सबसे बड़ी समस्या है कि राष्ट्रीय खाद्य निगम और पी0सी0एफ0 के गोदामों से जो अनाज विपणन के लिए कोटेदारों तक पहुंचता है तो करीब–करीब 50 किलो में दो–तीन किलो की कमी हो जाती है और पहुंचते–पहुंचते आठ से दस किलो की कमी हो जाती है इसको आप कहीं भी चेक करा सकते हैं इसलिए इसे खत्म करने की मैं मांग सरकार से करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं।

'श्री रघुराज प्रताप सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, दुःख होता है जब इस सदन में आंकड़े गलत प्रस्तुत किये जाते हैं या हमने जो बात कही है हमारी ही बात को घुमा करके पेश किया जाता है। मैं आपके माध्यम से डॉ0 अय्यूब से कहना चाहता हूं कि आपकी यह सूचना कि देश के 22 राज्यों में खाद्य सुरक्षा योजना लागू है, यह सरासर गलत है, इसे मैं लिखा–पढ़ी में कह

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सकता हूं और जिम्मेदारी के साथ इस सदन में कह रहा हूं। दूसरा, जब हमने निवेदन किया कि गत वर्ष धान की खरीद में हमने 73 प्रतिशत की खरीद की विषम परिस्थितयों और प्रतिकूल मौसम के बावजूद, इसको भी मैं ऑन रिकार्ड करना चाहता हूं। श्रीमन्, 25 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, 18.18 मीट्रिक टन खरीद हुई है, इसको आप कागज पर जोड़ सकते हैं या हर मोबाइल में कैलकुलेटर है उसमें देख सकते हैं। आपने यह शब्द कहा कि मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं जो सही आंकड़े हैं उन्हें आपके सामने रख रहा हूं। मान्यवर, जब पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार थी और आदरणीय मा0 नेता जी मुख्य मंत्री थे तो मेरा सौभाग्य था कि इसी विभाग का दायित्व उन्होंने मुझे दिया था। उस समय प्रचलन में था कि एक गांव, दो गांव, तीन गांव का कोटा सस्पेंड करके एक किसी कोटेदार के यहां, भले ही वह वहां से पांच–दस किलोमीटर की दूर पर हो, वहां अटैच हुआ करता था। आदरणीय नेता जी के दिशा–निर्देश मिले और यह शासनादेश जारी हुआ कि एक गांव में सिर्फ एक ही कोटा अटैच रह सकता है इस तरह से जो कोटा माफिया संचालित कर रहे थे उन निलम्बित कोटे का, निरस्त कोटे का जल्दी से जल्दी निस्तारण होना था। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है आपके सामने यह कहने में कि पूरे प्रदेश में 76 हजार 886 कोटेदारों में एक भी कोटेदार ऐसा नहीं है जहां एक से अधिक दुकान सम्बद्ध हो, मैं समझता हूं कि यह वितरण के लिए अच्छा है। श्रीमन्, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा सभी मा0 सदस्यों का डॉ0 मो0 अय्यूब साहब, मा0 शमशेर बहादुर जी, डॉ0 अरुण कुमार, श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्री रोशन लाल वर्मा जी, श्री रवीन्द्र जायसवाल जी, श्री जय प्रकाश निषाद जी, श्री काली चरन सुमन जी, आदरणीय ज्योत्सना श्रीवास्तव जी और जिन्होंने बजट के समर्थन में बोला, श्री अभय सिंह जी, श्री अनूप गुप्ता जी, श्री जाहिद बेग जी, श्री राकेश प्रसाद जी, श्री दीपक यादव जी, श्री तेजपाल सिंह जी, श्री रिज़वी साहब, श्री पप्पू निषाद जी, श्री सत्यवीर मुन्ना जी आप सबका आभार। आपके बहुमूल्य सुझाव मिले, हमारा यह प्रयास रहेगा कि आप सबके विचारों को हम अपने आने वाले वर्ष में समावेश करें। सत्ता और विपक्ष का मतलब भी यही होता है। यह पिछली सरकार में हुआ करता था, अभी बहुजन समाज पार्टी के एक माननीय विधायक जी ने एक पत्र भेजा, एक बाबू की शिकायत करी। आज दीर्घा में खाद्य विभाग के अधिकारी भी हैं जब तक आप बाहर निकलेंगे उस बाबू के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी होगी। यह आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने हम लोगों को कार्यशैली में सिखाया है। जब यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे रहते हैं, आप अगर पहली बार आये हों इस सदन में तो मैं नहीं कह सकता लेकिन अगर आपने पिछली सरकारें देखी हैं तो जब ब0स0पा0 शासन काल में यहां आपकी नेता बैठा करती थी तो विपक्ष का एक भी सदस्य, उसको यह अनुमति नहीं थी कि वह यहां आकर अपना दुःख दर्द, अपनी पीड़ा और वेदना कह सके। जब हमारे नेता सदन, मुख्य मंत्री जी यहां बैठते हैं तो आप देखिये। हमारे नेता ने हमको सिखाया है, हमारी मतभिन्नता हो सकती है, विचार अलग हो सकते हैं लेकिन वैमनस्यता नहीं रखते। जितने भी यहां माननीय मंत्री हैं आप अपना काम ले करके किसी भी माननीय मंत्री से मिल सकते हैं, समय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, आपकी पार्टी में इसका बुरा माना जाए, आपके

खिलाफ कार्रवाई हो तो उसके हम जिम्मेदार नहीं हैं लेकिन मंत्री आपसे प्रेम से मिलेंगे और आपकी पूरी बात सुनेंगे।

ख्सत्ता पक्ष की तरफ से बाल विकास एवं पुष्टाहार व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री वसीम अहमद) द्वारा कुछ कहने पर,

श्री अध्यक्ष–

आप टोका–टाकी मत करिये, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

अपनी बात समाप्त करने के पूर्व एक बहुत बड़ी दुविधा है। श्रीमन्, स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे क्षेत्र के हैं मैं कई बार कह चुका हूं। हम सभी लोग जनता से चुन करके आते हैं और सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा मोहब्बत, अपने क्षेत्र के मतदाता से होती है और हमारा उनका वही सम्बन्ध है। लेकिन किन्हीं कारणोंवश वह चले गये, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने स्वयं कटौती प्रस्ताव नहीं रखा, डा0 मो0 अयूब साहब के हवाले किया। डा0 मो0 अय्यूब साहब ने एक पशोपेश में डाल दिया है, इन्होंने कहा कि प्रोटीन, विटामिन और कई डाक्टरी भाषाओं का इस्तेमाल किया। हम पढ़ा करते थे, हमको उतनी जानकारी उस क्षेत्र में नहीं है, डा0 अग्रवाल जी होते तो उनसे पूछ सकते थे। आपने कहा यह कि दाल, सब्जी, रोटी, चावल इससे पर्याप्त पौष्टिक आहार हम लोगों को नहीं मिल पाता। माननीय मुख्य मंत्री जी को देखिये, पूरी तरह से शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ईश्वर उनको आगे भी स्वस्थ रखे, दीर्घायु करे शुद्ध–शाकाहारी हैं और मुझे लगता है कि इस सदन में जितने लोग हैं उन सबसे ज्यादा तेज और सबसे ज्यादा लम्बा दौड़ भी सकते हैं। श्रीमन्, समस्या यह है कि आपने कहा कि स्लाटर हाउस खोला जाए तो इसकी व्यवस्था कोटेदार के यहां कैसे की जाए। (हंसी) इसमें पीठ का निर्देश हो जाए, कोटेदार ब्रॉयलर काटेगा या देशी मुर्गा काटेगा, बकरा काटेगा या भैंसा काटेगा फिर जो काटेगा वह झटका होगा या हलाल होगा। (हंसी) इस विषय में कुछ दिशा निर्देश मिल जाए, बड़ी भ्रम की स्थिति है।

डा0 मो0 अय्यूब–

अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी की दुविधा खत्म कर दूं। मैंने कहा कि जैविक प्रोटीन जो भी शाकाहारी लोग हैं वह दूध, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं जिसमें जैविक प्रोटीन होता है यह सोयाबीन सहित अन्य किसी में नहीं होता है ।

श्री अध्यक्ष–

जब स्वास्थ्य का बजट आए उस समय यह बात रखें।

डा0 मो0 अय्यूब–

उस जैविक प्रोटीन के बिना बाडी का संचालन नहीं हो सकता।

श्री रघुराज प्रताप सिंह–

डाक्टर साहब जिस प्रोटीन की बात कर रहे हैं और बच्चों के कुपोषण की बात करी है इसके लिए सरकार का पूरा ध्यान बाल विकास पुष्टाहार की तरफ है माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में वह फल–'फूल रहा है और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। हमारी

सरकार ने इस वर्ष को किसान वर्ष घोषित किया है किसान हमारी इस सरकार की प्राथमिकता है। आदरणीय नेता जी आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नम्बर एक एजेण्डा पर किसान रहता है। यह विभाग सीधे किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है जो भी सुविधा हम दे सकते हैं केन्द्र से अभी कुछ अनिश्चितता है क्योंकि जिन कांग्रेस शासित या गठबन्धन के राज्यों ने खाद्य सुरक्षा योजना अपने प्रदेश में लागू की है वह लड़खड़ा रही है अभी वह मार्गदर्शी सिद्धान्त स्वयं नहीं तय कर पा रहे हैं। इतना जल्दबाजी भी इसमें न करें हमारा काम पूरा है श्रीमन एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कार्ड कब बन रहे हैं नए कार्ड कब मिलेंगे विधान परिषद् और सभा में भी इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं इसलिए मैं बताना चाहता हूं 2005 में कार्ड बने थे उनका समय 2010 तक था लेकिन अब उनका समय खाद्य सुरक्षा योजना के लागू होने तक बढ़ा दिया गया है। जहां तक बी0पी0एल0 और अन्त्योदय कार्डों का प्रश्न है उन कार्डों की संख्या न तो हम घटा सकते हैं न बढ़ा सकते हैं। केन्द्र सरकार में हमने पिछली केन्द्र सरकार में और मौजूदा केन्द्र सरकार में हमने लिखित मौखिक और मीटिंग में भी हमने बी0पी0एल0और अन्त्योदय कार्डों को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया लेकिन वहां से इनकी संख्या नहीं बढ़ाई गई अब जब खाद्य सुरक्षा योजना लागू हो जाएगी नए कार्ड जारी हो जाएंगे यह सारे कार्ड स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मैं समझता हूं कि अपनी पूरी बात मैंने स्पष्टता के साथ आपके समक्ष रख दी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। एक परम्परा होती है पिछले 23 वर्षों से इस सदन का सदस्य होने का सौभाग्य मिला है इतने बजट देखने के बाद एक परम्परा होती है कि अनुरोध किया जाता है कि आप अपनी कटौती वापस कर लें उसी अनुरोध को मैं फिर दोहराता हूं कटौती अगर वापस न भी ली जाए तो भी प्रचण्ड बहुमत की यह समाजवादी पार्टी की सरकार है बजट तो हम पास करा ही लेंगे लेकिन एक शालीनता, विनम्रता और लखनवी तहजीब कह लीजिए इस नाते मैं अनुरोध करता हूं कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और नई परम्परा कायम करते हुए इसे सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री अध्यक्ष–

डा0 मो0 अय्यूब आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

डा0 मो0 अय्यूब–

मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस नहीं लेता हूं।

श्री अध्यक्ष–मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 78,64,48,67,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख03.04, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–25 गृह विभाग (कारागार)

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 11,75,66,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, कारागार प्रशासन सुधार विभाग इसका नाम है कारागार तो पुराना नाम है। अब इस विभाग के क्रिया–कलापों को देखते हुए इस विभाग का नाम कारागार प्रशासन सुधार विभाग है।

श्री अध्यक्ष–

इसका नाम कारागार प्रशासन सुधार विभाग है।

श्री बलराम यादव–

जी हां मान्यवर, मैं कारागार का ही पढ़ रहा हूं। मान्यवर, कारागार प्रशासन सुधार विभाग। कारागार तो इसका पुराना नाम है लेकिन अब इस विभाग के क्रिया–कलापों को देखते हुए

श्री अध्यक्ष–

कारागार प्रशासन सुधार नाम है आज से।

श्री बलराम यादव–

हां जी। और इसका मतलब मैंनें कारागार का ही पढ़ा है मान्यवर लेकिन इसमें जो बहुत से सुधार आये उसके कारण से इसके नाम में विस्तार किया गया है। मान्यवर, प्रदेश में या देश में, समाज में शांति व्यवस्था रहे, कानून का राज रहे और अपराधिक न्याय प्रणाली को नियंत्रित करने के लिये जिस तरह से मान्यवर, पुलिस का और न्याय पालिका का स्थान है उसी तरीके से इस विभाग के क्रिया कलापों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यवर, कारागार प्रशासन का उद्देश्य कारागार में निरुद्ध बंदियों को जेल मैनुअल तथा शासन के आदेशों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए उनके सुरक्षित रख–रखाव और उनके सुधार कार्यक्रमों से उन्हें इस योग्य बनाना होता है कि जब उनकी रिहाई हो तो समाज में जा करके कुल जो कौशल वहां से सीखते हैं, जो उनको वहां सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है उसके माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जुड़ करके वह समाज में एक अच्छा जीवन बिता सकें यह मान्यवर, कारागार विभाग का क्रिया–कलाप है मान्यवर। आज के परिवेश में मान्यवर, अपराध के स्वरूप बहुत बदले हैं और समाज का ढांचा भी बदला है। हमारी जो जेलें हैं जो 150 से लेकर 200 वर्ष पुरानी हैं और जिस समय इन जेलों को बनाया गया होगा उस समय की जनसंख्या में और आज की जनसंख्या में बहुत अंतर आया है मान्यवर। इसको सुदृढ़ करने के लिये पिछले वित्तीय वर्ष में, हमारी सरकार के पिछले वर्ष में जो बजट इस विभाग को आवंटित

था जिसके माध्यम से बहुत से कार्य सम्पन्न कराये गये थे इस वित्तीय वर्ष में मान्यवर, राजस्व लेखा से 6 अरब, 9 करोड़ 77 लाख और पूंजी लेखा से मान्यवर, 5 अरब, 65 करोड़ 89 लाख का धन टोटल जो मैंने पढ़ा 11 अरब, 75 करोड़ 66 लाख 9 हजार का परिव्यय रखा गया है। मान्यवर, यह पिछले वित्तीय वर्ष से 54.27 प्रतिशत अधिक है (मेजों की थपथपाहट) मैंने कहा कि आज का जो अपराध का परिवेश है न्याय पालिका, कारागार विभाग को उन क्षेत्रों में बहुत काम करना पड़ रहा है और उसी के तहत जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है जेलों में निरुद्ध बंदियों की। हमारी सम्पूर्ण जेलों का जो हमारे पास जेले हैं उनकी बन्दी क्षमता मान्यवर, 52780 की है और बंदी संख्या मान्यवर, 89,764 कुछ ऐसी भी जेले हैं जहां पर बंदियों को शिफ्ट में आराम करने का, सोने का मौका मिलता है। उसकी सुधार करने के लिये मान्यवर, जो नवसृजित जनपद पहले के थे उनके 7 जिलों में जिला कागागार चित्रकूट, अम्बेडकरनगर, कासगंज, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, बागपत और सोनभद्र। इन जनपदों में जो नवसृजित जिले थे पूर्व के, इनमें जेलों के निर्माण का कार्य पूर्णता की तरफ बढ़ रहा है और निश्चित है कि आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में हमें कार्य संचालित करने के लिये लगभग 5,204 क्षमता की यह जेलें बनकर तैयार मिल जायेंगी। हमारे यहां जनपद इलाहाबाद में केवल केन्द्रीय कारागार था वहां पर एक जिला कारागार का उसी के परिसर में मान्यवर, लगभग 2688 बंदियों की क्षमता का एक जिला कारागार वहां पर अलग से बनाया जा रहा है। जो मान्यवर, बढ़ती हुई आबादी के कारण और पुरानी बहुत सी शहरी क्षेत्रों की जेलें जो नगरीय क्षेत्र में सघन आबादी के बीच आवागमन की, सुरक्षा की अनेक कठिनाईयां थीं।

इस तरह से जेलों को, जो शहरी आबादी है उससे बाहर निकालने का काम हो रहा हैं चार कारागारों के कार्य पूरे होने वाले हैं। जिसमें जिला कारागार बरेली, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर इन जेलों का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है और जो हमने प्रस्तावित किया है जहां जमीनें हमें नहीं मिल पाई थीं, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर इन जनपदों में अभी जमीन नहीं मिल पाई थी लेकिन अभी जो हमने बजट प्रस्तुत किए हैं उसमें भी इनके निर्माण का परिव्यय रखा गया है। जिला गौतमबुद्धनगर जहां पर हमारा जिला स्तर का कारागार था मान्यवर पूरे प्रदेश में केवल पांच केन्द्रीय कारागार थे इसके कारण एक बड़ी असुविधा होती थी कि जो सिद्ध दोष बन्दी होते थे उनको जिला कारागारों में नहीं रखा जाना चाहिए जो वर्तमान नियम हैं, उनको केन्द्रीय कारागार में शिफ्ट किया जाता है तो जो हमारी भौगोलिक स्थिति है अगर कोई सहारनपुर का सिद्ध दोष बन्दी है तो उसको आगरा, हमारे कुशीनगर में अगर कोई गोरखपुर का सिद्ध दोष बन्दी है तो उसको नैनी इलाहाबाद में शिफ्ट किया जाना चाहिए। तो केन्द्रीय कारागारों की स्थापना में भी हम लोग आगे बढ़े हैं। जिला कारागार गौतमबुद्धनगर जो जिला कारागार के रूप में उसका निर्माण हुआ था उसका विस्तार करके हम लोग केन्द्रीय कारागार के रूप में उसको विकसित करने का, उसकी क्षमता वृद्धि के लिए भी हमने इस बजट में प्रस्ताव रखा है। मान्यवर, हमारे यहां कारागार का कोई मुख्यालय नहीं था उसके निर्माण के लिए भी मान्यवर, इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने 26 करोड़ रुपये का प्राविधान रखा है उसमें पांच करोड़ इस वित्तीय वर्ष का है। इसी तरह से मान्यवर जैसा

मैंने कहा अब दूसरे ढंग के अपराध होने लगे हैं तो जेलों में सुरक्षित अपराधों का संचालन न हो वहां से उसके नियंत्रण करने के लिए मान्यवर ई–प्रिजन कार्य योजना के लिए 4 करोड़ 29 लाख 78 यह बन्दियों की सूचनाओं को कम्प्यूटरीकृत किया जाएगा और उनकी पूरी की पूरी गतिविधियों पर उनके आचरण पर नजर रखी जाएगी, पूरा लेखा–जोखा ई–प्रिजन कार्य योजना के अन्तर्गत रखा गया है। मुलाकात के लिए भी मान्यवर, लोग कहते हैं कि मुलाकात के बहाने बहुत से लोग ऐसे अवांछित लोग चले जाते हैं तो मुलाकातों की व्यवस्था के लिए, कम्प्यूटीकरण करके जो मिलने जाएंगे उनको ऐसे यंत्र के सामने से गुजरना होगा उसमें उनकी फोटो होगी उनके अंगूठे का निशान होगा तब वह प्रवेश पायेंगे उसका भी डिटेल मिलता रहेगा। हमारे यहां मान्यवर, कुछ इस तरह के बन्दी होते हैं जिनको ले जाने में कठिनाई होती है तो 32 कारागारों में संचालित वीडियो कान्फ्रेन्सिंग अदालतों में जो बंदी 14 दिन के बाद जाते हैं उन बन्दियों की कारागारों में ही न्यायालय की उपस्थिति मान ली जाए इसके लिए मान्यवर वीडियो कान्फ्रेन्सिंग की भी व्यवस्था की गई है और पिछले दस वर्षों में इस तरह से पांच लाख बन्दियों को जेल में रहते हुए जो उनकी रिमाण्ड है वहां से ही पुष्टि करा ली जाती है अदालतों से, जिससे उनको ले जाने का खर्चा और विभिन्न जो आज के समय में घटनायें घट रही हैं उस पर नियंत्रण हो सके। मान्यवर, 23 कारागारों में सी0सी0 टी0वी0, सर्विलांस इकाइयों की स्थापना, और यह जो चालीस वर्ष में किया गया है शेष जेलों में मुख्य मंत्री जी की कृपा से जो हमको धन आवंटित हुआ है शेष जेलों में सी0सी0टी0वी0 और सर्विलांस इकाइयों की स्थापना करने के लिए मान्यवर, धन की व्यवस्था की गई है।.....

मान्यवर, दस कारागारों में विशिष्ट मेटल डिटेक्शन सिस्टम की स्थापना, क्योंकि जेल में कौन सी चीज कहां गई, सुई कहां गई ? अभी तो बहुत चीजें चली गयी हैं। आए दिन अखबारों में निकलता है। यह ऐसा यंत्र है कि कारागारों में जिसकी स्थापना करने से जो यह कठिनाईयां और चुनौतियां आती हैं उनका मुकाबला करने के लिये इस आधुनिक और तकनीकी तरीके का प्रयोग शुरू हुआ है। मान्यवर, हमारे जेल के कर्मचारियों के लिये 808 हैण्डहेल्ड तथा 62 स्टैटिक वायरलैस सेटों की व्यवस्था की जायेगी ताकि वह एक जगह रहकर वह अपने टॉवरों से आपस में संवाद कर सकें और घटित घटनाओं और व्यवस्थाओं का एक–दूसरे से आदान–प्रदान करके नियंत्रण कर सकें। मान्यवर, पिछली बार हमारे एक साथी जब कटौती का सुझाव दे रहे थे, अभी यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं उन्होंने मांग की थी कि यह जो आप मोबाईल ले जाते हैं उसकी जगह पर प्रदेश की सभी जेलों में पी0सी0ओ0 की स्थापना करायी जा रही है और हर बंदी को यह सुविधा होगी कि वह दो नम्बर दे दे। उन दो नम्बरों पर उसकी इस तरह से व्यवस्था करायी जा रही है कि वह जो दो नम्बर देगा तो उन दोनों नम्बरों की कॉल डिटेल सर्विलांस पर होगी। ऐसा नहीं है कि जिसका मोबाईल न पहुंचे वह अपने परिवार से, किसी संबंधी से और अपने किसी वकील से बात न कर सके। इसलिये हमनें प्रदेश की सभी जेलों में पी0सी0ओ0 की स्थापना के लिये हमने वर्ष 2015–16 के इस बजट में धन की व्यवस्था की है। (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) मान्यवर, हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि हम प्रदेश की सभी जेलों में एक साथ

फोन जैमर लगा सकें, लेकिन 11 कारागारों में 73 करोड़ रुपया परिव्यय रखकर 11 जेलों में हम फोन जैमर लगवाने जा रहे हैं जो संवेदनशील जेलें हैं। हम 40 लाख रूपये से मेटल डिटेक्टर की व्यवस्था करने जा रहे हैं। हमारी जो नयी जेलें थीं जो नवसृजित जिलों में नयी जेलें थीं, इन जेलों में कर्मियों के लिये, कारागार के लिये वाहन नहीं थे, हम उसके लिये भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। मान्यवर, यह एक ऐसा विभाग है जो कानून–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, शांति–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इसमें सुधार की नितान्त और निरन्तर आवश्यकता है और उस निरन्तर आवश्यकता की पूर्ति करने के लिये, प्रदेश में समाज का वातावरण अच्छा बनाने के लिये, आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये ही यह परिव्यय मांगा गया है। मैं समझता हूं कि इस परिव्यय के अनुमोदन के संबंध में कटौती आयेगी, सुझाव आयेंगे, उन सुझावों का स्वागत होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि इस सुधार के कार्यक्रम में सदन सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव का अनुमोदन करने की कृपा करेगा। धन्यवाद।

(सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष–

श्री उमेश पाण्डेय जी, कटौती रखें।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, पहले हमारे पूर्व जनपद के रहने वाले हैं। मैं इनको भली–भांति जानता हूं और इनकी संवेदनशीलता को भी जानता हूं इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे जेल का अनुभव नहीं है। मैं कभी जेल नहीं गया, लेकिन बजट के माध्यम से जेल के बारे में जो जानकारी मिली। जो बजट के माध्यम से जानकारी मिली, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली, उसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 171 वर्षों से जेल की व्यवस्था है, 1844 में पहली जेल आगरा में बनायी गयी। मान्यवर, इसके साथ ही देश की पहली खुली जेल सम्पूर्णानन्द जी के नाम से चकिया में बनाई गई। मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है, आज माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अभी मा0 मंत्री जी जो अपना बजट पेश कर रहे थे उन्होंने कहा कि 1894 में अंग्रेजों ने इम्प्रीजन एक्ट बनाया था। मान्यवर, अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए, हमारे देश को आजाद हुए 68 साल हो गए, मान्यवर, किसी जमाने में जेल केन्द्र का विषय हुआ करता था, मान्यवर, अंग्रेजों के शासनकाल में जब सब नीतियां लागू हुईं तो इसको प्रान्त का विषय बना दिया गया। मान्यवर, जेल, कारागार भगवान श्रीकृष्ण की भी जन्म स्थली रही है। महात्मा गांधी जिनके नीचे आप बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाक उल्ला खां, राम नछत्र पाण्डेय, भगत सिंह, सुभाष चन्द्र बोस, चित्तू पाण्डेय, मंगल पाण्डेय जैसे तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश को आजाद कराने के लिए

जेलों के अन्दर यातनाएं सहने का काम किया। उनके पैरों में बेड़ियां डालने का काम हुआ, अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने उनके ऊपर जुल्म, ज्यादती, अत्याचार करने का काम किया लेकिन मान्यवर, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने पथ से विचलित होने का काम नहीं किया और इस देश को आजाद कराने का काम किया। मान्यवर, 2013–14 का बजट मा0 चौधरी साहब ने रखा था, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि हम इस बजट में प्रावधान करना चाहते हैं कि जो हमारे आजादी के दिवाने जिनकी बदौलत आज हम सब बैठकर इस मण्डप में बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि उनके नाम से स्मारक बनाये जायेंगे, उनके नाम से म्यूजियम बनाये जायेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं क्या म्यूजियम बन गए, क्या स्मारक बन गए। मान्यवर, हमें जो जानकारी मिली है, आज तक म्यूजियम की स्थापना नहीं हुई है, जिस तरह से उनको आदर–सम्मान देना चाहिए था, उस तरीके से नहीं मिल पाया है। मान्यवर, इससे लगता है कि इस सरकार की कथनी और करनी में अन्तर है जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता, उनको आदरभाव नहीं दे सकता, ऐसी सरकार से और क्या उम्मीद की जा सकती है। मान्यवर, प्रदेश की कारागारों में बन्द विचाराधीन बन्दियों के रिमाण्ड की बात होती है, अभी हमारे मा0 मंत्री जी कह रहे थे, वीडियो कान्फ्रेसिंग के जरिए कार्य योजना बनायी गयी है, उसके तहत् 5 लाख बन्दियों की वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा उनके रिमाण्ड की बात हुई है लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आज अगर वीडियो कान्फ्रेसिंग की बात हुई होती, उसे सही तरीके से संचालित किया गया होता तो मुजफ्फरनगर न्यायालय में बिक्की त्यागी की हत्या नहीं होती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मंत्री जी मेरा सुझाव है। मैं बहुत जूनियर हूं और दूसरी बार जीत कर आया हूं और पहली बार आपके कारागार बजट पर कटौती का प्रस्ताव रख रहा हूं। मेरा सुझाव है कि इसको आप गंभीरता से लेंगे। आज जेलों में बड़े–बड़े अपराधी बड़ी खूबसूरती से जेलों में बैठकर जेलों को ऐशगाह बनाने का काम कर रहे हैं। जेलों से बड़े–बड़े अपराध कराने का काम कर रहे हैं। आज मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे नौजवान नाली नाबदान के कालेज के छोटे–मोटे झगड़ों में अगर वह में जेल चले जाते हैं तो उनकी मुलाकात बड़े–बड़े माफियाओं बड़े–बड़े अपराधियों से हो जाती है। जब वह लौटते हैं आज अपराध कौन कर रहा है आज जहां पर आप उठा कर देख लीजिए पंद्रह सालॉ बीस साल का नौजवान कर रहा है। वह गलत संगत में पड़ कर गलत रास्ते पर चलने का काम कर रहा है। इसलिए आज इस सरकार का इकबाल घटा है इसलिए आज इतने अपराध भी हो रहे हैं। अगर हम उसकी जड़ तक जाना चाहते हैं तो हमें जेल की तरफ देखना होगा। उसकी जड़ें जेल के अंदर हैं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी जेल मेन्युअल की बात कर रहे थे। मैं सुन रहा था। जेल मेन्युअल 2003 में आया था। पहली बार भारत सरकार के स्तर पर एक जांच कमेटी बनाने के बाद 2003 में लागू हुआ था। क्या सरकार आज जेल मेन्युअल के हिसाब से काम कर रही है ? अभी आपने कहा है सजायाफ्ता कैदी को सरकार केंद्रीय कारागार में रखने का काम करती है। जेल मेन्युअल के मुताबिक काम होता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं सन् 2005 में मेरे भाई की हत्या हुई थी। मा0 अध्यक्ष जी गवाह हैं वह मेरे घर गए थे। तीन–तीन लोगों की हत्या हुई थी। उसमें सजायाफ्ता कैदी को सरकार

बदलते ही सेंट्रल जेल से ट्रांसफर करके मऊ की जेल में रखने का काम क्यों किया गया ? सरकार के पास ऐसी क्या वजह हो गई क्या आफत आ गई थी कि उनको ख ग ग ग , मान्यवर, बड़ी गंभीर बात है अपराध बढ़ेगा नहीं तो होगा क्या ? इसलिए आपको मैं आगाह कर देना चाहता हूं।

श्री सुधाकर–

आपके भाई अपराधी थे।

श्री अध्यक्ष–

छोडिएॅ आप का जब आए तब बोलिएगा।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है। हमारी खैर मनाएं कि आज वह बाहर है। हमने उन लोगों को भेजा नहीं तो आज यह भी होते। इन्हीं की साजिश का शिकार मेरा भाई हुआ था। अगर यह खड़े होकर बोलने लायक है तो हमारे परिवार की देन है। नहीं तो यह बोलने लायक नहीं होते। मा0 अध्यक्ष जी उनको बैठाइये उनको बोलने का हक नहीं है। वह बोलें अपनी बात रखें मैं सुनूंगा। मान्यवर, जेल की एक और विडम्बना है आज जेलों का राजनीतिकरण हो गया है। जब से यह सरकार आई है तब से अपराधियों के मनोबल में इजाफा हुआ है। आज जेलों के औचक निरीक्षण बंद हो गए हैं। इसके पहले जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक और जनपद के न्यायाधीश के साथ एक टीम गठित करके जेलों का निरीक्षण किया जाता था और जब जेलों का औचक निरीक्षण होता था तो जेल में बंद अपराधी दहशत में आते थे भय में रहते थे। आज बंद हैं। अगर आज वह चलता मैं बधाई दूंगा अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी को कि उन्होंने जब भी अपनी सरकार में जेलों का निरीक्षण डी0एम0, एस0पी0 और जनपद के न्यायाधीश के द्वारा कराने का काम किया। जेल की एक और विडम्बना है आज जेल में बंद पड़े किसी बंदी से अगर उसका परिजन मिलने जाता है तो पहले ही गेट पर सुविधा शुल्क की बात होती है। उससे वसूली की जाती है। अध्यक्ष जी आज जेल के एक–एक बैरक में सौ–सौ, डेढ़–डेढ़ सौ लोग रहने को विवश हैं। बैरकों में रहने को विवश हैं। मान्यवर, प्रदेश की कारागारों की क्षमता 52 हजार 780 के सापेक्ष 89 हजार 764 बंदी निरुद्ध हैं। इन बंदियों में 26 हजार 29 सिर्फ सिद्ध दोष हैं एवं 63 हजार 735 विचाराधीन बंदी हैं। मान्यवर, इन 63 हजार 735 विचाराधीन बंदियों में अगर सरकार ओवरलोड को कम करना चाहती है तो मेरा एक सुझाव है कि उसमें जो वृद्ध महिलायें हैं जो 15–20 साल से बंद हैं उनकी उम्र 70–80 साल हो गयी है वृद्ध पुरुष बंदी हैं जो 70–80 साल के बूढ़े हो चुके हैं वह किसी का अहित नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मानवता के नाते इंसानियत के नाते जो 15–20 साल से बंद हैं उनको स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छोड़ने पर विचार करना चाहिए। मान्यवर, जेलों में निरुद्ध निरक्षर को साक्षर किये जाने हेतु प्रदेश की सभी कारागारों में एक पढ़ायी

---

uksV %&[x x x] ;g va'k Jh v/;{k ds vkns'kkuqlkj dk;Zokgh ls fudky fn;k x;kA

तथा नया सवेरा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। वह भी सिर्फ कागजों पर है। मान्यवर, सरकार द्वारा जेलों में निरुद्ध बंदियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनको पारिश्रमिक दिये जाने की व्यवस्था की गयी है लेकिन वह भी बहुत मामूली है। उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। वह भी सिर्फ कागजों पर ही है। आप कभी अंदर कागजों को जाकर देखिये। मैं आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानता हूं। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप हमारे दिये हुए सुझावों पर जरूर एक्शन लेंगे। मान्यवर, जेल मैनुअल के अनुसार बंदियों को मानक के अनुसार भोजन देने की बात की जाती है। जो कि सिर्फ कागजों पर ही है। जो उसमें धनबल, बाहुबल के लोग हैं उनको तो कायदे से भोजन मिलता है। वह जेल के अंदर का भोजन नहीं करते लेकिन उसमें जो निरीह बेबस लाचार लोग हैं उनको कैसा भोजन मिलता है आप जाकर जरा जेल का भोजन चखकर देखिये। मान्यवर, प्रदेश के कारागारों में डाक्टरों की बहुत कमी है। जिसकी वजह से निरुद्ध बंदियों का सही उपचार नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी डाक्टरों की कमी को दूर करने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें। मुख्य सुझाव हो तो दे दीजिए। फिर आगे बढ़ा जाये।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जेलों में अंडर ट्रायल कैदी पड़े हैं उनका बेल बाण्ड न होने के कारण वह जेलों में पड़े रहते हैं। मान्यवर, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, बहुत से अंडर ट्रायल कैदी ऐसे हैं जो बहुत छोटी–छोटी सी रकम भी जमा नहीं कर पाते। और इसलिए जेलों में पड़े हैं। मान्यवर, यह व्यवस्था इस सरकार को करनी चाहिए। मान्यवर, हमारा संविधान भी बहुत साफ कहता है और मा0 उच्च न्यायालय ने भी इस बात को कहा है कि जेलों में निरुद्ध कैदियों को उनकी मौलिक सुविधायें मिलनी चाहिए। जैसे पढ़ने–लिखने की सुविधा, खेलने–कूदने की सुविधा। मान्यवर, विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के बारे में कहा कि सुविधायें उनके मौलिक अधिकार में हैं। मान्यवर, अगर हम समाज का निर्माण करना चाहते हैं, ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं जो परिस्थितिजन्य अपराध करते हैं और जेलों में बन्द हो जाते हैं लेकिन मान्यवर, उनको अपराधी न बनाया जाये। उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सुविधायें मिलनी चाहिए। मान्यवर, इस बजट साहित्य को देखने से पता चलता है कि अगर हम इसमें तुलना करते हैं तो इसमें सिद्ध दोष और विचाराधीन कैदियों को मिलने वाले भोजन के बारे में कहा गया है कि सब कुछ सही है, आटे में अन्तर है। आटे में अन्तर है तो मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मान्यवर उस आटे के अन्तर को बराबर मात्रा में सभी कैदियों को मिले। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि कारागारों का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण हो, नई बैरकों का निर्माण हो, भोजन में कटौती न हो, गुणवत्ता अच्छी हो, रहन–सहन की व्यवस्था अच्छी हो। मान्यवर, बस एक बात कहकर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको संवेदनशील बनना पड़ेगा। आप हैं, फिर इस कार्य के लिए, कारागार जैसे विभाग के लिए

चौधरी साहब आप बड़े विद्वान आदमी हैं, विद्वता की परिभाषा मत निकालिये, मैं भी ब्राहमण हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर संवेदनशील होकर विचार करने की आवश्यकता है। परिवर्तन के लिए अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा, अच्छा रखा लेकिन एक शब्द जो उन्होंने कहा कि सरकारी दामाद, को ट्रान्सफर करके मऊ जेल में ले गये, यह उचित नहीं है। आप इस कार्यवाही को दिखवा लीजियेगा। इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, निकाल दिया जायेगा।

श्री अनूप कुमार गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद। मैं जेल के प्रस्ताव जो माननीय जेल मंत्री जी ने रखा, उस पर बल देता हूं। मान्यवर, बन्दियों की मूलभूत आवश्यकताओं तथा मानवीय गरिमा के अनुकूल इनके अधिकारों के संरक्षण के प्रति सरकार निरन्तर चिन्ताशील है। बन्दियों को मात्र अपराधी समझ कर दण्डित करने की पुरानी मान्यतायें अब समाप्त हो चुकी हैं। मान्यवर, उनको बेड़ी, हथकड़ी लगाकर जो जमाना था वह चला गया। मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है और उसके विरोध में जो कटौती प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है और जो दो चीजें कही हैं कि जेल में डाक्टर नहीं हैं ऐसी कोई भी जेल नहीं होती है कि जहां पर डाक्टर न हो, जिला मुख्यालय पर जेल होती है और वह डाक्टर यदि किसी को कोई गम्भीर बीमारी होती है तो अधीक्षक से मिल करके तुरन्त जिला अस्पताल पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरी बात, मा0 सदस्य ने कही कि जांच नहीं होती है, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला जज मिल करके जेलों का औचक निरीक्षण नहीं करते हैं, जबकि ऐसा कोई दो महीना नहीं बीतता है, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा मकान जेल रोड के ऊपर है, इसलिए मैं देखता हूं हर बार महीने, दूसरे महीने में परमानेण्ट जांच होती है और वहां पर कार्रवाई की जाती है जो चीजें मिलती हैं। मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने जो पी0सी0ओ0 का कार्य किया है जेल के अन्दर पी0सी0ओ0 लगाकर, दो नम्बर ले करके कैदियों के परिवार से जो बात करने का मौका दिया है, यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में मात्र पांच ही केन्द्रीय कारागार हैं, पांच करागार होने की वजह से जिस प्रकार से पूरा सदन चिन्तित है कि क्षमता से दोगुना अधिक कैदी हैं और जब क्षमता से अधिक कैदी है तो उनकी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर भी असर पड़ता है, इस असर का आलम यह होता है कि इनकी दैनिक क्रियाओं से ले करके लैट्रिन, बाथरूम से ले करके चाहे जो भी हो उसमें बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिस प्रकार मा0 मंत्री जी ने कहा कि शिफ्टों में वहां पर रहते हैं, इसलिए केन्द्रीय कारागार न होने की वजह से भी दिक्कते हैं। हमारे यहां का सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई,

शाहजहांपुर का जो भी दोष सिद्ध बन्दी है, उसको बरेली भेजा जाता है, जबकि सीतापुर की जगह भी बहुत ज्यादा है, मैं चाहता हूं कि सीतापुर में भी एक केन्द्रीय कारागार बना दी जाय। दूसरा, पेशी के ऊपर जो कैदी जाते हैं और रोड के ऊपर जो कैदी निकलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहां पर कुछ छींटा–कसी करते हैं, इसलिए अच्छी चीज है कि जेल के अन्दर से ही वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अदालत से उनकी पेशी हो, यह बहुत अच्छा सुझाव है। मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं, जो विपक्ष के हमारे मा0 सदस्यों ने नहीं दिया कि जिस प्रकार से कारागारों में जो भण्डारा होता है, उस भण्डारे में कई कैदी जो आते हैं उनसे खाना बनवाया जाता है और बहुत ही भीषण गर्मी होती है उस भण्डारे के अन्दर उनको बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं मा0 मंत्री जी से भी कहूंगा कि जिस प्रकार से अक्षयपात्र योजना के अन्तर्गत खाना बनाने के लिए साठ–साठ रोटियां एक बार में सिंक जाती हैं, तो जेल के अन्दर बहुत बड़ी समस्या है, तो वहां पर भी अक्षयपात्र की तरह से मशीनें लगाने की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, जो समस्यायें मैंने देखी हैं, दूर से कैदी आते हैं, उनकी मुलाकात के लिए पर्ची नहीं लग पाती है, जिस प्रकार से अन्य प्रदेशों में व्यवस्था है, उसमें एक कमेटी बना करके मा0 मंत्री विचार कर लें, जो सरकार की मंशा है कि हम कैदियों को जो अदालत से दोष सिद्ध हो गये हैं, उनको दूसरी जगह ले जाने का और जो छूट जाते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था करने का काम करें। मैं मा0 मंत्री जी के बजट की सराहना करते हुए बजट के समर्थन को बल देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का अवसर दिया।

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कारागार के बजट के अवसर पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, जो जेलें बनी हैं, उन जेलों में सजायाफ्ता और विचाराधीन दो प्रकार के कैदी हैं। जो सजायाफ्ता कैदी हैं उनसे काम लेना तो ठीक है क्योंकि गुनाह करके आये हैं और जज ने उन्हें सजा भी दी है। उन्हें दण्ड मिलेगा तो कम से कम स्वयं तो सुधरेंगे और दूसरों को भी सुधारेंगे लेकिन उनका क्या दुख है, विचाराधीन में बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें अनजान और झूठे मुकदमों में फंसाया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से हम सब उत्तर प्रदेश के लोगों की चिन्ता करते हैं। हम उन कैदियों के लिये कभी नहीं कहते हैं कि उन कैदियों को अच्छा भोजन मिले। हम तो कहते हैं कि उनको 24 घण्टे में एक बार भोजन दें तो ठीक रहेगा। अब भोजन तो भोजन रहा, उन्हें दारू भी मिल रही है, उन्हें अफीम मिल रही है, उन्हें चरस मिल रही है, उन्हें मुर्गा मिल रहा है, अब कैसे मिल रहा है ये मैं नहीं जानता। अध्यक्ष जी, आप कह रहे थे कि बोल नहीं पाते हैं। जेल नहीं गया हूं, तीन दिन के लिये गया हूं लेकिन कुछ तो बोल ही लेते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं केवल सही कह रहा हूं कि कम से कम....

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, ये जेल नहीं गये हैं, अनुभव नहीं है लेकिन आगे की तैयारी कर रहे हैं इसलिये इनको सुन लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

और ये डाक्टर साहब उसकी योजना भी बना रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

अध्यक्ष जी, मैंने सुना है कि राजनीतिक जेल तो होनी चाहिये तो सो तो मैंने हमारे विपक्ष में जो हमारे साथी बैठे हैं इनकी सुश्री का हमने मायावती जी का पुतला फूंका था तो उसमें मैं जेल गया था तो राजनीतिक जेल में तो तीन दिन जेल गया हूं। अन्य में नहीं गया लेकिन जब मैंने वहां की स्थिति देखी कि गुण्डे करें मौज और बेचारे खायें सजा। जो ऐसे बदमाश थे वास्तव में जिन्होंने जनता को परेशान किया है, जिन्होंने लोगों का मर्डर किया है, जिन लोगों ने लोगों को दुख किया है वे मौज काट रहे हैं। तीन ही दिन में हमने देख लिया। राजनीतिक जीवन में हमको आने–जाने की छूट मिल गई थी कि ये भी देख लो, वो भी देख लो लेकिन वे बेचारे क्या करें जिनका कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष जी, भगवान नहीं देखने आयेगा। जो भगवान श्री कृष्ण पैदा हुये तो जेल से निकल गये, वह जादू का मन्तर तो भगवान ही जानते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कुछ सुझाव दो न इस पर।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, यह सुझाव में ही है। हमको आप 2 मिनट दे दीजिये, 5 मिनट दे दीजिये लेकिन आप हमको टोकें नहीं। पहली बार का विधायक हूं, मैं भूल जाता हूं जब आप टोकते हैं। पांच मिनट, केवल पांच मिनट दे दीजिये। मा0 अध्यक्ष जी, अगर आप कहें तो हम बैठ जायें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं उन बेचारों की बात कर रहा हूं, गरीबों की बात कर रहा हूं, जिनकी कोई नहीं सुनता उनकी बात कर रहा हूं। आपके माध्यम से अगर उन्हें कुछ मिल जायेगा तो मैं समझता हूं अध्यक्ष जी आपकी पीठ से उन्हें लाभ मिल जायेगा और मंत्री जी आप कुछ न कुछ कह डालेंगे। मेरा एक सुझाव है कि इन कैदियों के साथ तो अन्याय हो रहा है लेकिन ये रस–मलाई न खायें। रसमलाई खाते हैं तो वहीं चिट्ठी दे करके माल मंगा लेते हैं। बगैर माल के जेल के नहीं चल रही है। जेल में माल चलता है, रस–मलाई खाते हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूं चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब जानते हैं और कोई बदमाश पालना नहीं चाहता है, कोई मर्डरर को पालना नहीं चाहता है। सब उसका विरोध करते हैं, पूरा सदन उसका विरोध करता है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इतना काम लिया जाये, इतना काम लिया जाये कि न तो उन्हें अखबार मिले, न टी0वी0 मिले लेकिन उन्हें हर चीज मिल रही है, निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन बेचारों को नहीं मिल रहा है। जेल छोटी, जेल 52780 लोगों के लिये है, कैदी कितने हैं 89 हजार

कुछ तो स्पष्ट है। मा0 मंत्री जी, मा0 अम्बिका चौधरी जी सुन रहे हैं और वे बड़े प्यार से लिख भी रहे हैं। मैं सुझाव दे रहा हूं और हमारे यहां कोई मर्डरर नहीं है इसलिये हम वही सुझाव देंगे तीन दिन वाला लेकिन मा0 अध्यक्ष जी मैं कहना चाहता हूं कि जेलों को या तो बढ़ाया जाये अथवा जो विचाराधीन हैं उनकी अलग जेल बनाई जाये। इनसे काम उनसे ज्यादा लिया जाता है, रोटी ये बनावैं, पानी ये भरैं, जूता लात ये सहें, बड़े–बड़े मर्डरर लोगों की मालिश ये करें। उनका न कोई देखईया है न कोई पुछईया है। बहुत से तो ऐसे हैं जो अन्य प्रान्तों के हैं। अन्य प्रांतों के हैं, चोरी में पकड़ा गया। धोखे में काम करने आया किसी के झगड़े में पकड़ा गया, कोई उसका पूछने वाला नहीं है। मंत्री जी, मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं, वह उचित सुझाव होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि हम सब केवल इसलिए आते हैं। इस प्रदेश के रक्षा, इस प्रदेश की सुरक्षा और यह प्रदेश कैसे आगे बढ़े और कैसे आगे जाए इसके लिए हम आते हैं। बहुत गर्व होगा, जब हमारे प्रदेश से हमारे मंत्री जी, जेलों में विचाराधीन पड़े, जिनको कई साल हो गए हैं, जिनकी कोई जमानत लेने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहीं न कहीं कोई ऐसा तरीका निकालें कि वे छूटें और इस सरकार के मंत्री का और सरकार का नाम लें कि एक ऐसी उत्तर प्रदेश की सरकार थी, जो मैं 10 साल से जेल में सड़ रहा था, मैं पैर दबा रहा था, मैं झाड़ू लगा रहा था, मैं पोंछा लगा रहा था, मैं पानी भर रहा था, मैं रोटी बना रहा था, उससे मुझे छुटकारा मिल गया। यह होना चाहिए अध्यक्ष जी, मानवता है हमारी, दानवता हमारी नहीं है। हम मानव हैं, हम लोगों का दुख जानते हैं। हम लोगों का दुख दूर करने के लिए हैं, हम दुख देने के लिए नहीं हैं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं कहना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हिस्सेदारी चल रही है, वह नीचे की हो या ऊपर की हो। चरस, गांजा और ये तम्बाकू कहां से जा रही है, ये तो मंत्री जी जानें, मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, अब समाप्त करें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं इसी के साथ में अपनी कानपुर जेल की भी बात करना चाहता हूं।

(सत्तापक्ष से आवाज आई, बैठ जाओ, बैठ जाओ)

बैठ कैसे जाऊं, अध्यक्ष जी कहेंगे तो बैठ जाएंगे। आप क्या हैं, आप बोलेंगे तो थोड़ा बैठ जाएंगे। हम विपक्ष में हैं, हम उधर आने वाले हैं, हम आपकी बखिया नहीं उधाड़ेंगे, आपकी गलतियों को बताएंगे, आपके भ्रष्टाचारों को नहीं बताएंगे। मैं बैठ जाऊंगा, मैं बैठूंगा अध्यक्ष जी कह दें तो मैं अभी बैठ जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष जी दो मिनट में मैं कानपुर की जेल के बारे में कहना चाहता हूं। कानपुर की जेल में क्षमता कम है, कई बार मैं सुन चुका हूं कि विचार किया जा रहा है कि कानपुर जेल यहां से हटेगी दूसरी जगह जाएगी। सरसौल जाएगी, महराजपुर जाएगी, घाटमपुर जाएगी या भीतरगांव जाएगी हमें मालूम नहीं है। इसका प्रस्ताव कैसे आएगा ? और यहां तक कि कानपुर जेल के सामने एक कॉलोनी बन रही थी। उसका प्लास्टर रोक दिया गया। मैंने पूछा कि यह

क्यों रोक दिया गया, बोले वह जेल दूसरी जगह जा रही है तो बजट का पैसा न लग जाए। जा कहीं नहीं रही है, आना न जाना, केवल ख्वॉमख्वाह जेब का पैसा न जाए, उगाही शुरू, काम कुछ नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, कानपुर जेल एक ऐसी जेल है, उत्तर प्रदेश की कई जेलों में एक प्रमुख जेल है। वहां की बड़ी समस्यायें हैं। हमने तीन दिन में देखा कि सफाई के नाम पर कहीं कुछ नहीं था, जाले लटक रहे थे...

श्री अध्यक्ष–

अब तीन दिन में इतना देख लिए, एक महीना रहते तो कितना देखते आप।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट का समय दे दें। मान्यवर, जिसमें मैं बंद था, वहां यह स्थिति थी कि बाथरूम में जाने की सही व्यवस्था नहीं थी। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से चाहता हूं कि कानपुर जेल साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए, लोगों को समय से सब मिल जाए। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद देते हुए कटौती प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

'श्री जाहिद बेग–

माननीय अध्यक्ष जी, कारागार विभाग का जो बजट पेश हुआ है, वह अपने आपमें एक सम्पूर्ण बजट है और जिस तरह पहले सरकारों में लूट–खसोट थी, जेल में खाना नहीं मिल रहा था, जेल में दवाई नहीं थी, जेल में टाइम से डाक्टर नहीं जाते थे। उस सारी चीज को सही करते हुये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सारी चीज को सही किया, दुरुस्त किया। जेल में रहने वाले कैदियों के लिए पूरी व्यवस्था की। हमारे भाई बोल रहे थे अंग्रेजी हुकूमत के बारे में, हमारा अपना मानना है माननीय अध्यक्ष जी कि अंग्रेजी हुकूमत और बसपा की हुकूमत में कोई फर्क नहीं है। अंग्रेज कैदी बंदियों के साथ ज्यादती और बदले की भावना से काम कर रहे थे और वही हाल बसपा की सरकार का था। अभी कटौती का प्रस्ताव रखते हुए हमारे साथी, हम तो नहीं सुन पाये थे अभी बताया मंत्री जी ने कि दामाद की तरह किसी को इंगित किया नाम तो नहीं लिया किसी को इंगित किया यह समाजवादियों का चरित्र नहीं रहा है। वह हमारे साथ हो चाहे आपके साथ हो, आपके विधायक हो, एम0पी0 हो, मंत्री हो चाहे कार्यकर्ता हो, किसी के साथ बदले की भावना के साथ कार्य समाजवादी पार्टी ने न किया है न करेंगे इस बात को मैं आपको बताये देता हूं। आप किस व्यवस्था की बात करना चाहते हैं अभी लखनऊ के अन्दर शायद भूल गये, नाम ले लिया जाता है तो आपके सुप्रीमों की अन्दर से बस हो जाती है। एन0आर0एच0एम0 घोटाला उसमें कौन जेल गया था हमको नाम याद नहीं शायद आपको याद होगा। बता दीजिये सचान। माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग और कहीं जगह नहीं मिलता तो जेल में जाते हैं और आप हंस के इस सच को झुठला नहीं सकते सचान की हत्या जेल के अन्दर आपके आका के इशारे पर हुई थी आपके सुप्रीमों के इशारे पर हुई थी इस बात के प्रमाण हैं कि

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

जेल बन्दियों के साथ आप कैसे व्यवहार कर रहे थे। उरई में मैं बता रहा हूं मान्यवर, मैं सत्ता पक्ष के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं और यह बजट अपने आप में पूर्ण है इसलिये इसमें कोई सुझाव दे ही नहीं सकता। उरई के अन्दर बन्दियों की हत्या अहमद और नाजिर की हत्या की जाती है। अविनाश गौतम वहां का जेलर था आपके सुप्रीमों के इशारे पर उसकी हत्या की जाती है। यह चरित्र आपकी पार्टी का हो सकता है समाजवादियों का कभी ऐसा चरित्र नहीं रहा है। क्योंकि हमारी पार्टी की उत्पत्ति जेल से हुई है। हमारे नेता भी जेल गये हैं, अध्यक्ष जी, आप भी जेल गये है और हमारे पिता जी भी राजनीतिक बन्दी के रूप में जेल गये हैं मैं भी कई बार जेल गया हूं जेल के कैदियों की पीड़ा समझता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए इस बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

'श्री मुख्तार अंसारी–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जेलों में जो टेलीफोन की सुविधा मुहैया कराई है इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं मैं उनको बधाई देता हूं। इसी के साथ–साथ कुछ सुझाव हैं जो आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं। क्योंकि इधर काफी अरसे से मैं जेल में हूं लगभग 10 वर्ष हो गया है और जेल में रहने के बाद जो अनुभव मुझे हुआ है उस अनुभव को आपको 5 मिनट में बता रहा हूं। माननीय मंत्री जी आपको हम लिखकर भी दे देंगे। सबसे पहले कारागार मंत्री थे राजा भैया जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी और उनसे हमने और बहुत से विधायकों ने यह अनुरोध किया था कि जेलों में जो जाली में मुलाकात कराई जाती है वह व्यवस्था रहने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है और जो मुलाकात के सिपाही और जो मुलाकात के डिप्टी जेलर होते हैं जालियों में मुलाकात कराने में 10 रुपया लेते थे और जालियों से बाहर आमने–सामने बैठाकर मुलाकात कराने में वह एक हजार रुपया लेते थे। इस बात को माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी समझा और आदरणीय चौधरी जी ने भी समझा। उन्होंने आदेश दिया और पूरे प्रदेश की जेलों में जाली की मुलाकात हटा दी गई और कांच की मुलाकात भी हटा दी गई है। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक जगह लखनऊ में बची है और मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि लखनऊ में भी लगभग तीन हजार बंदी हैं और उस दिन होली की मुलाकात के दौरान मैं उस दिन इत्तफाक से वहां पर था, तो मैंने देखा कि वहां 4000 आम लोग अपने परिवारजन बन्दियों से मिलने आये थे, यह चार हजार से भी ज्यादा रहे होंगे और उस दिन सुपरिन्टेण्डेन्ट ने परमीशन दे दी थी कि ठीक है इतनी भीड़ होने के कारण आज आम मुलाकात होगी। उस समय किस तरह मां–बेटा लपट कर रो रहे थे, छोटे–छोटे जो बच्चे थे वह अपने पिता की गोद में खेल रहे थे, उस अनुभव को मैंने वहां देखा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से समस्त उत्तर प्रदेश में जाली की मुलाकात हटा दी गई है और आमने–सामने मुलाकात होती है, सी0सी0टी0वी0 कैमरे की निगरानी में उसी तरह से लखनऊ में भी आदेश देने की कृपा करें जिससे लखनऊ में भी यह व्यवस्था लागू हो। हमने अनुरोध

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

किया था तो उन्होंने बताया कि यहां आतंकवादी बंद हैं इसलिये यह लागू नहीं है। यह एक बहाना है क्योंकि पांच–दस की तादाद में आतंकवादी उत्तर प्रदेश की हर जेलों में बंद हैं, लेकिन उनकी मुलाकात छह महीने, साल भर में मात्र एक–दो आती हैं इसलिये उनकी मुलाकात भले ही उस जाली में अकेले करा दें, लेकिन आम बन्दी को आतंकवादी की कैटेगरी में मानकर जाली में मुलाकात करायें और पैसे की वसूली करें तो यह अच्छी बात नहीं है। इसलिये माननीय मंत्री जी इस पर देख लीजियेगा। इसी के साथ सफाई व्यवस्था की मैं बात करना चाहता हूं। जेल में दो हजार–तीन हजार बंदी होते हैं और सफाई के लिये एक या दो लोग होते हैं, तो उससे सफाई हो नहीं पाती है, फिर जेलर क्या करते हैं कि आम बंदी जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं उन्हीं को यह भेज देते हैं कि फलां का बाथरूम साफ कर दो, तो वह जाता है और दूसरे–दूसरे की लैट्रीन और बाथरूम साफ करता है। तो अगर सफाईकर्मी जेलों में नियुक्त कर लिये जाये, नौकरियों पर रख लिये जायें पांच–दस–पन्द्रह की संख्या में तो समाजवादी सरकार की जो मंशा है कि गरीबों को रोजी और रोटी का इंतजाम हो, तो वह भी हो सकेगा और सफाई भी हो सकेगी और बीमारी भी दूर हो जायेगी, तो अगर कुछ सफाईकर्मी बढ़ा सकते हैं तो जेलों में सफाईकर्मी बढ़ाने के लिये आप विचार कर लीजिये। चौथा बिन्दु बहुत जरूरी है। जेलों में खाना बनाते समय जो बंदी लोग होते हैं उन्हीं को जेल विभाग कह देता है कि यह पचास बन्दी आज खाना बनायेंगे और वह बनाते हैं तो उन्हें अनुभव नहीं होता है, क्योंकि वह खाना बनाना तो जानते नहीं हैं। अगर दो–चार आदमी का खाना बनाना हो तो हम भी बना लेंगे और कोई भी बना लेगा, लेकिन तीन हजार आदमी का बड़े–बड़े डम्पर में कितना नमक डालना और कितना मसाला डालना है, इसका अंदाजा होता नहीं है, तो कभी नमक तेज हो जाता है और कभी नमक रहता ही नहीं है फिर बंदी आपस में झगड़ा करते हैं यह कहकर कि मसाला कम है, तेल कम है। उसमें तेल भी होता है और मसाला भी होता है, लेकिन चूंकि बनाने वाला कोई रसोइया नहीं है इसलिये इस कारण यह विवाद ही खत्म हो जायेगा कि जेल में खाना खराब मिलता है। जब रसोइया बनायेगा, तो उसी हिसाब से बनायेगा जो जेल विभाग द्वारा व्यवस्था दी जाती है और अगर रसोइया रख लिया जाये तो आप रसोइये के नाम पर नौकरी भी दे सकते हैं और उससे बन्दियों को सुविधा भी प्राप्त हो सकती है और जो बंदी काम नहीं जानते हैं वह इससे हट भी जायेंगे। रसोइये के लिये भी आप इस पर ध्यान दे दीजियेगा। अब पांचवां बिन्दु है, अस्पतालों में पैथालाजी, लैब, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउण्ड की मशीन, शुगर की जांच की मशीन आदि रखने की जरूरत है, क्योंकि जेलों में बहुत से बंदी ऐसे हैं जिनको खाली पेट 300 शुगर है, 400 शुगर है, लेकिन वह नपवा नहीं सकते हैं, वह बिल्कुल बीमार पड़े हैं और अक्सर बीमार होते रहते हैं और अस्पतालों में पड़े हैं। तो खून टेस्ट की एक छोटी सी मशीन आती है वह दो लाख रुपये, ढ़ाई लाख रूपये की मिलती है और हर जेलों में हो जाये और बजट भी माननीय मंत्री जी आपने बढ़वा लिया है तो इससे बहुत फायदा हो जायेगा और खून टेस्ट होकर फौरन पता लग जायेगा कि इस बंदी को शुगर है या इस बंदी को क्या बीमारी है। पेशाब का टेस्ट हो जायेगा, बलगम का टेस्ट हो जायेगा, मवाद का टेस्ट हो जायेगा तो इससे सही इलाज हो पायेगा। अब डाक्टर अंदाजे पर दवा देता है कि इसको मलेरिया का बुखार है, कि इसको डेंगू का

बुखार है या इसको स्वाइन फ्लू हो गया है, कोई जांच होती नहीं, एक लैब अगर यह बन जाये, इसका टोटल खर्च कुछ जगह पर लगा है, यहां लखनऊ जेल में है, लेकिन तीनों मशीन खराब हो गई हैं। यह मशीनें एक साल, डेढ़ साल हो गया, खराब चल रही हैं। तो ऐसे ही हर जेलों में यह हाल है। हमारे आगरा की जेल में भी एक्सरे मशीन खराब हो गई है, वह बता रहे थे कि 30 हजार रुपया इसके बनने में लगेगा तो आप स्पेशल तौर पर पूरे प्रदेश की जेलों में यह चेक करा लें कि मशीनें बहुत अच्छी विदेशी मशीने हैं लेकिन 20–30 हजार रुपये का मेन्टीनेंस न हो पाने की वजह से खराब पड़ी हैं। जहां मशीनें नहीं हैं, वहां नई मशीने उपलब्ध करा दी जायें।

छठा हमारा सुझाव है कि अदालत में पेशी पर बंदियों को जब आप कारागार से भेजते हैं तो माननीय मंत्री जी कुछ बंदियों को भेजना जरूरी होता है, आप सभी बंदियों को वीडियो कांफ्रेसिंग नहीं करा सकते हैं, यह न्यायिक प्रक्रिया की बाधा हो जायेगी। क्योंकि कुछ बंदी ऐसे होते हैं जिनको अदालत में कार्यवाही समाप्त कराते हैं जज साहब के सामने। इसके अलावा बंदियों की, मुलजिमों की पहचान होती है कि इस बंदी ने अपराध किया है कि नहीं जो वीडियो कांफ्रेसिंग से संभव नहीं हो सकती है। जो बंदी जाते हैं ऐसी अदालतों पर, उनको नियम है कि एक गाड़ी में 20 बंदियों को ले जाया जाय लेकिन 50, 60, 80 बंदी तक ठूंसकर ले जाये जाते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ नई बसें भी जेलों में जो पुलिस की जाती हैं, वह कुछ बसें और बढ़ाई जायें जिससे कि बंदी सही तरीके से जा सकें क्योंकि वह सुबह जाता है तो शाम को लौटता है, इससे बहुत सही हो जायेगा और अगर आप डाइरेक्ट वीडियो कांफ्रेसिंग से चाहेंगे कि कार्रवाई समाप्त भी करायें तो उसमें जो पेशेवर अपराधी होते हैं, उनको उससे लाभ मिलता है क्योंकि वह अपने आपको टिकुली सटाकर छिपा लेते हैं और वह वीडियो कांफ्रेसिंग की टी0वी0 पर अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि यह आदमी था या नहीं था । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि इस बारे में भी आप गंभीरता से सोचें । माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात है कि जेलों में सरकार की तरफ से एक या दो नाई रखे गये हैं, यह नाई बड़े पैमाने पर रखे जाने चाहिये क्योंकि दाढ़ी बनाना, बाल काटना बंदियों को आता नहीं है और कैदी दाढ़ी–बाल बढ़ाकर मजनू की तरह जेल में रहते हैं, जुयें पड़ी रहती हैं, एक साथ 100–100 बंदी रह रहे हैं तो इससे बीमारी बढ़ती है। इसलिये हर जेल में 15–15, 20–20 नाइयों को अगर आप चाहें तो नौकरी दे सकते हैं और इससे गरीब लोगों को रोजी–रोटी का भी इंतजाम हो जायेगा। इसी के साथ माननीय मंत्री जी, बंदियों को मुलाकात की समस्या जो ज्यादा पैदा हो रही है और जो जेल में रुपया पैसा की खसोट चलती है, अभी यह है कि सप्ताह में दो दिन मुलाकात होगी, अगर आप दो दिन की जगह स्वेच्छा से कर दें कि दो दिन की जगह यह 5 दिन भी मिल सकते हैं, मुलाकात तो पर डे होती है लेकिन हमारी दो दिन होगी, इनकी दो दिन होगी, इनकी दो दिन होगी तो वह पता लगता नहीं है, वह जांच हो नहीं पाती है, सिपाही के पास ही मुलाकात का रजिस्टर होता है, वह क्या करता है कि जिसके पास पैसा है, उसकी मुलाकात तो 5 दिन करा देता है और जो गरीब है, उसकी खाना पूर्ति एक–दो दिन में ही पूरी कर दी जाती है। तो अगर आप 5 दिन मुलाकात कर देंगे तो यह लेनदेन का कारोबार ही बंद हो जायेगा क्योंकि जब कोई पैसा ही नहीं देना, मुलाकात फ्री है, जब

जाइये, मुलाकात 5 दिन हो सकती है विचाराधीन बंदियों की, तो ऐसे बंदियों की मुलाकात का जो समय दो दिन है सप्ताह में, तो उसको 5 दिन का समय करने की कृपा करें। माननीय मंत्री जी एक बहुत बड़ा सुझाव है कि यहां आपने एक आदर्श जेल बनाई है और इसी तरह घुरमा में बनाई थी, मिर्जापुर के पास, जिसमें आपने यह सुविधा दी थी कि जो आदर्श बंदी हों, जिनको जेल में सजा हो गयी हो और जो अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहते हों, तो वह अपने बीबी–बच्चों के साथ भी रह सकते हैं, ऐसे बहुत से जेल में बंदी हैं, हम मिले हुये हैं, एक अशफाक साहब हैं, मुरादाबाद के, उनको सजा हुयी है, 24 साल से वह हैं और वह घुर्मा जेल में कैद थे, पांच साल वह रहे, उनके दो बच्चे हैं, जेल में पत्नी के साथ और इसकी परमीशन मिली। मेरा सुझाव है कि इस तरह से आदर्श जेल में भी कर दें क्योंकि यह बहुत अच्छी व्यवस्था है। किसी एक ने जुर्म किया है किसी की पत्नी और बेटे ने जुर्म नहीं किया है तो पत्नी को सजा किस बात की मिले इसलिए पत्नी को सुविधा देने के लिए हर कमिश्नरी में एक आदर्श जेल बनानी चाहिए जहां पर आदर्श बन्दी, जो अच्छा बन्दी हो उसको छांट करके, जेल सुपरिटेन्डेंट उसका कैरेक्टर जानता है कि यह बन्दी इस लायक है उसको वह भेजे और वहां वह अपने परिवार, अपनी पत्नी के साथ 10 दिन, 15 दिन जो समय देना चाहें दे दें और वह रह सके। एक–दो प्वाइन्ट और बचे हैं, एक और प्रस्ताव है मा0 मंत्री जी कि जेलों में एम्बुलेंस आपने कई सालों से नहीं दी है लगभग 11 साल हो गया है एम्बुलेंसेज नहीं दी गई हैं जो एम्बुलेंसेज हैं वह खराब हो गई हैं, गल गई हैं। आप सभी जेलों में चेक करा लीजिए जिन जेलों में एम्बुलेंसेज खड़ी हो गई हैं वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था करा दें क्योंकि इमरजेंसी में बन्दी को ले नहीं जाया जाता है। मैं आगरा में था तो वहां एम्बुलेंस खराब थी और एक बन्दी को हार्ट–अटैक हुआ और डॉक्टर ने कह दिया कि इनको पी0जी0आई0 ले जाइये तो 30 हजार रुपए में एक एम्बुलेंस एक दिन के लिए लेनी पड़ी। यदि हर जेल में एम्बुलेंस होगी तो कम से कम बन्दी अस्पताल तक तो अपने से जा सकेगा, इससे जेल का खर्चा भी बचेगा और मरीज आसानी से अस्पताल जा करके चेकअप करा करके वापस आ जायेगा। एम्बुलेंस की सुविधा भी जरूरी है और इसे करना चाहिए। एक और बहुत बड़ी मांग है मा0 मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं और आप इस पर गम्भीरता से विचार कीजिएगा कि समस्त उत्तर प्रदेश में जितने सजायाफ्ता कैदी हैं जो 60 वर्ष की उम्र क्रास कर चुके हैं और 14 वर्ष की सजा काट चुके हैं ऐसे बन्दियों को छांट करके, जेल सुपरिटेन्डेंट से उनका आचरण मंगा करके, यदि उन्होंने 14 वर्ष तक अच्छे आचरण को पेश किया है तो ऐसे बन्दियों को, जैसे हिन्दुस्तान के ही 14 सूबे में यह व्यवस्था लागू है, 14 वर्ष काटने के बाद, 60 वर्ष की उम्र पूरा होने के बाद उन बन्दियों को उम्रकैद की सजा मानकर छोड़ दिया जाता है, दया याचिका के नाम पर, ऐसे बन्दियों को भी छोड़ने पर आप विचार कर लीजिए। मान्यवर, इसमें ज्यादा कैदी नहीं छूट रहे हैं बल्कि अधिकारी भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमने सारी जांच कराई है पहली बार तो 12 या 13 सौ बन्दी छूट रहे हैं और उसके बाद साल में पूरे प्रदेश में सौ से डेढ़ सौ बन्दी हर साल छूटेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन, जो हिन्दुस्तान के अन्य सूबों में छोड़े जाते हैं। इस व्यवस्था को यदि आप लागू कर देंगे तो धीरे–धीरे जो जेलों में संख्या बढ़ गई है वह कम भी होगी और जो बूढ़े हो जाते हैं,

बीमारी के कारण मर जाते हैं, परेशान रहते हैं, उससे भी छुटकारा मिल जायेगा। इसके अतिरिक्त मैं महिलाओं के लिए कहना चाहता हूं कि जो महिलाएं 8 साल की सजा काट चुकी हों और 50 वर्ष की उम्र हो चुकी हो, ऐसी महिलाओं को जो बेचारी दहेज उत्पीड़न में बन्द हैं, 50 वर्ष की उम्र पूरी हो चुकी है और गलती से उनसे कोई गुनाह हो गया है तथा वह 8 साल की जेल काट चुकी हैं तो ऐसा नहीं है कि वह फिर जा करके किसी बहू को जला देंगी, उन्हें भी दया याचिका के तहत् छोड़े जाने पर विचार कर लीजिएगा, यही मेरा सुझाव है। मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका तहेदिल से शुक्रगुजार हूं। मैं आपके माध्यम से एक गम्भीर विषय को मा0 मंत्री जी से कहूंगा कि उरई जेल में बसपा सरकार में गाजीपुर के दो बन्दी थे।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला जांच कमेटी में है उसमें अभी जांच पूरी नहीं हुई है।

श्री मुख्तार अंसारी–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जांच का आदेश दिया है लेकिन हाईकोर्ट ने भी जांच के लिए आदेश दिया था और जज साहब ने उसकी जांच की है और वह जांच कम्प्लीट हो करके कारागार विभाग में आ गई है, यह है जांच की कापी और पैसा दे करके अधिकारियों ने वह जांच रिपोर्ट दबवा रखी है। वह जांच रिपोर्ट जिस दिन पटल पर आयेगी या सार्वजनिक होगी या अदालत को चली जायेगी जहां मुकदमा रुका हुआ है। जहां मुकदमा रुका हुआ है तो उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जायेगी। उस जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा गया है और हाईकोर्ट के आदेश से, जज ने जांच की है कि बंदी को पेशाब पिलाया गया, पानी की जगह पर और लाठी–डंडों से मारकर उसकी हत्या की गयी है। दोनों बंदी यह समाजवादी पार्टी का पेपर यह है जिस पर आन्दोलन किया था, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लाठी चार्ज करके मारा गया था। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आज पुनः इसके लिए कह दें कि उस जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर या जहां भी लाकर, उसका संज्ञान लें और उसमें दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

'श्री विक्रम सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, आदरणीय उमेश पाण्डेय जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं लेकिन उस सुझाव देने के पहले एक विशेष बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए थे तब हमारे सम्मानित सदस्य वर्मा जी ने कुछ कहा था इसको लेकर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक टिप्पणी की थी, वह टिप्पणी निंदनीय भले ही न हो लेकिन स्वाद में बहुत अच्छी नहीं थी। मैं समझता हूं कि अध्यक्ष जी, अगर उसको

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

कार्यवाही से निकलवा देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। पहले का विषय है उनके चेहरे–मोहरे और रंग को लेकर टिप्पणी की गयी थी। अध्यक्ष जी इसको दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

हम जानते हैं, इसको देख लेंगे।

श्री विक्रम सिंह–

अध्यक्ष जी, बड़ा सम सामयिक शब्द सुधार जोड़ा गया है कारागार के साथ। इस शब्द के जुड़ने से बहुत सारे विचार जो अभी सम्मानित साथी ने रखे हैं यहां पर, वह उसमें आ गये हैं। मैं दो–तीन बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। लगभग 75 जिलों में 50 जिले ऐसे हैं जो शहरीकरण की जद में आ गये हैं जहां पर कारागार शहरी जद में आ गये हैं और अब समय के रहते यदि कोई निर्णय ले लिये जायेंगे, जमीनें एक्वायर कर ली जायेंगी तो आने वाले समय में यह आसान हो जायेगा नहीं तो आप जानते हैं कि जमीनों के लिए किस तरह से परेशानी हो रही है, जमीनें मिलने वाली नहीं हैं। दूसरा अध्यक्ष जी, जो कानून की व्यवस्था है, हम सब देख रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, संसाधनों पर भार बढ़ रहा है, आबादी के साथ जो अमीरी और गरीबी का एक रिश्ता है वह लगातार खिंचाव भरा होता जा रहा है। उसके तहत अपराध कम होने वाले नहीं हैं। बड़े पढ़े लिखे देशों में भी अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में भी अपराध कम नहीं हुए हैं और वहां की 18 से 20 प्रतिशत जनता जेलों में रह रही है। जेलों के अन्दर जो बता रहे थे कि सोने की जगह नहीं है, बेड नहीं है तो इस सब संसाधनों के ऊपर इस आबादी का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि अभी से इस विषय पर सोचने की शुरुआत की जायेगी तो आने वाले समय में इसके प्रति हम लोग जवाब दे पायेंगे। एक विषय अध्यक्ष जी, यह है कि सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग जेलों में हो तो एक वैकल्पिक ऊर्जा जो हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वह मेरे ख्याल से उसकी भरपायी होगी और ऊर्जा के संसाधनों के ऊपर जो भार है वह कम होगा। सुधार शब्द चूंकि लिया गया है तो पुनर्वास योजनायें जरूर लागू करें, जो लोग जेल से सजा काट कर बाहर निकलते हैं उसको कौशल मिशन से जोड़कर अगर चलेंगे तो जेल से बाहर आने के बाद में व्यक्ति के पास यदि कोई विधा होगी, कोई हुनर होगा तो वह कोई कार्य करके जीविकोपार्जन करेगा और इस लाइन से निकलकर किसी और लाइन में आयेगा। इसके अलावा अभी मंत्री जी आपने कहा था कि 11 जेलों में 73 करोड़ रुपये से जैमर की व्यवस्था कर रहे हैं। चूंकि संसाधनों की कमी है इसलिए आप जेलों में जैमर नहीं लगा पायेंगे। मैं समझता हूं कि 73 करोड़ के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपया एक जैमर का खर्च आपका आ रहा है यह ज्यादा है इसका आप पुनरीक्षण करें, बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गयी हैं, इज़राइल, जापान और दुनिया भर के देशों में उपलब्ध है जहां जैमर 01 करोड़ से भी कम कीमत में लग जाते हैं। इससे आपका धन भी बचेगा और उसे आप दूसरे उपयोग में लगा पायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह–

वीडियो कान्फ्रेसिंग की जो व्यवस्था है उसके दो आस्पेक्ट हैं अध्यक्ष जी एक आस्पेक्ट उसका यह है कि वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट कम करें। लोगों से मिलें कम इसको कम करने की व्यवस्था है। अभी यहां साथी बता रहे थे जेल से कचेहरी के लिए कुछ लोगों को जाना ही पड़ेगा तो एक या दो जजों के चेम्बर की व्यवस्था यदि कारागार के पास हो जाए तो जाने आने पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। मेरा सुझाव है आप मानें या न मानें आपके हाथ में है वीडियो कान्फ्रेसिंग में बहुत बड़ा खर्चा मंत्री जी नहीं है। वीडियो कान्फ्रेसिंग में एक कमरे की व्यवस्था दस लाख में होती है । प्रदेश के 70 जिलों में इसको तीन से छह महीने में किया जा सकता है। मेरा आपसे आग्रह है।

'श्री देवनारायन उर्फ जी0एम0 सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से एक सुझाव देना चाहेंगे मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मंत्री जी जेलों में प्राब्लम होता है एक आदमी जब ज्यादा समय तक एक ही जेल में रहता है तो उसकी मिली–भगत हो जाती है। उनको एक साल में हटा देंगे तो वह पैसा लेकर किसी को पीटने का काम नहीं करेंगे। मंत्री जी यह बहुत बड़ा प्राब्लम है। दूसरा प्राब्लम यह है कि हर जेलों में आप इंडिया मार्क हैण्ड पम्प की व्यवस्था करवा दीजिए। यह बहुत सी जेलों में नहीं है वहां के लोग मांग करते हैं आप लगवा दें बहुत कृपा होगी। हर जेलों में इंडिया मार्क टू हैण्डपम्प लगवाने की घोषणा कर दें। बहुत–बहुत धन्यवाद।

'श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी आपने कारागार विभाग पर जो कटौती का प्रस्ताव आया उस पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें कहना चाहूंगा जनपद शाहजहांपुर की जो जेल है वह जनपद के बिल्कुल बीचोबीच है कलेक्ट्रेट से लगी हुई है यह बहुत पुरानी जेल है उसकी एक दीवार गिर गई है दीवार गिरने के बाद वहां पर काफी कठिनाई आई और दीवार को बनवाया गया उसी से लगा हुआ एक रामलीला मैदान है वहां अधिकतर पोलिटिकल कार्यक्रम रैली वगैरह होती हैं पूर्व में जेल को शहर के बाहर करने के लिए प्रस्ताव भी यहां आया था और जमीन अधिग्रहण के लिए शायद धारा चार का प्रकाशन भी किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इसका वह संज्ञान ले लें और चूंकि वह बहुत पहले की जेल है क्षमता से तीन गुना ज्यादा कैदी उसके अन्दर बन्द हैं। शहर के अन्दर पोलिटिकल कार्यक्रम होते हैं गाड़ियां आती हैं वहां कोई और घटना न घटे इसलिए मैं चाहूंगा कि इस जेल को बाहर कराने की मंत्री जी व्यवस्था करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

पाण्डे जी आप सब बोल तो चुके हैं अब क्या बोलेंगे। सारी बातें मुख्तार जी ने कह दीं।

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात रह गई है। मान्यवर, सत्तापक्ष से माननीय अनूप गुप्ता जी, भाजपा के सदस्य माननीय रघुनन्दन सिंह भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी से बेग साहब, हमारे बड़े भाई मुख्तार अंसारी साहब, लोकेन्द्र जी भाजपा जी0एम0 सिंह बसपा, नीरज कुशवाहा इन तमाम साथियों के सुझाव आए अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज बाल बन्दीगृहों की स्थिति बद से बदतर है। मान्यवर, मीडिया का संज्ञान सदन में नहीं लिया जाता लेकिन आपने देखा होगा कि आज बच्चे अपने प्राणों की परवाह किए वगैर जेलों से भागने का काम कर रहे हैं जेलों से भाग रहे हैं तमाम घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं इससे प्रतीत हो रहा है कि बाल बन्दी गृह के प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है मेरा सरकार से अनुरोध है कि बाल बन्दी गृहों की व्यवस्था को सुधारने के लिए कि बाल बंदी गृहों की व्यवस्था को सुधारते हुए...

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

उमेश जी, यह जो आप कह रहे हैं यह कारागार विभाग में नहीं आता है। आप जो कटौती रखे हैं उस विभाग की कहिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप खत्म करिये उमेश जी, आ गई बात।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करिये।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर कारागारों में शौचालयों की भारी कमी है जिसकी वजह से कारागारों में जो हमारे महिला और पुरुष बंदी निरुद्ध हैं, शौचालय न होने के कारण काफी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। मान्यवर, कारागारों में महिला बंदी हो या पुरुष बंदी हो, गर्मी के दिन आ रहे हैं वहां पर वाटर प्लान्ट लगाया जाय और पीने के लिये स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बेबस लाचार लोग हैं, उनकी पीड़ा कहना चाहता हूं मान्यवर, उनके लिये पीने की शुद्ध जल की व्यवस्था नहीं है इसलिये वह आये दिन बीमार रहा करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

बैठिये, बैठिये सारी बातें आ गई हैं। उमेश जी अब खत्म करिये।

बार–बार उसी बात को दोहरा रहे हैं।

श्री उमेश पाण्डेय–

मान्यवर, बस खत्म कर रहा हूं। आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसलिये आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद।

श्री बलराम यादव–

मान्यवर, जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो हमने कहा था कि कारागार विभाग में इन–इन कमियों को सुधार करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। जो बातें हमारे आदरणीय उमेश पाण्डेय जी जिन्होंने कटौती रखी और पक्ष विपक्ष के जितने भी सम्मानित सदस्यों ने अपनी बात रखी बहुत सकारात्मक सुझाव दिया, तथ्यात्मक सुझाव दिया। उन सुझावों पर हम लोग, हमारा विभाग, माननीय मुख्य मंत्री जी और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विचार करेंगे। बहुत ही अच्छे सुझाव हमारे मुख्तार जी ने दिया है और सभी लोगों ने दिया है, हम उन सुझावों को लागू करने के लिये साधन के अनुसार प्रयास भी करेंगें क्योंकि समाजवादी पार्टी में रहते लोग समाजवादी आन्दोलन को तेज करने के लिये, गरीबों में चेतना पैदा करने के लिये इमरजेन्सी से लेकर अनेक सत्याग्रह आन्दोलनों में भाग लेने का काम किया है, जेलों की व्यवस्था को देखा है। हमें इस बात की खुशी है कि हमारे कुछ साथी जब देवरिया में किसानों पर गोली चली थी और देवरिया में हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की गिरफ्तारी हुई थी तो किस तरह से हम लोगों को हमारे नेता को, बनारस से सेन्ट्रल जेल में ले जाया गया था, किस तरह से जेलों की व्यवस्था थी और आज भी मान्यवर, उसमें सुधार तो हो रहे हैं लेकिन जितने सुधार की आवश्यकता है, उतने सुधार नहीं हैं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। इसके लिये प्रयत्न हो रहे हैं। इस बड़े सदन में किसी बात को छिपा करके हम जनहित नहीं कर सकते। जितनी जिम्मेदारी हमारी उन जनहित के कामों को लागू करने की है उतनी ही जिम्मेदारी आप लोगों की भी है कि उसमें सहयोग करें और सुझाव दें। आप सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, जब नेता जी से मैं मुलाकात करने गया तो उन्होनें कहा कि जेल विभाग का बजट है, उसमें शौचालयों की व्यवस्था देखें क्योंकि जब अक्टूबर के महीने में से सेन्ट्रल जेल में 12 साथियों के साथ 12 दिन बिताये थे मान्यवर, ऐसी बैरक में रखे गये थे जिसमें कभी जुलाहेगिरी का काम होता था, बुनाई का काम होता था, खूब जाले लगे थे और हम जो अन्य साथी उनके साथ गये थे स्वर्गीय ईसदत्त यादव जो राज्य सभा के सदस्य थे हीरा लाल जी जो एम0एल0सी0 थे। आदरणीय हमारे लोक सभा के सदस्य रहे पडरौना के बालेश्वर यादव, जब हम लोग जेल गए, और जब हमने कहा कि जेलों की हालत खराब है हम इसमें नहीं रहेंगे तो वहां पर उन्होंने हमें जीवन जीने की शैली 12 दिनों में सिखा दी,एक बरगद के पेड़ के नीचे शौचालय बने थे, बारिश के बाद पीपल के पत्तों के नीचे से सांप रेंगते हुए, जो गगरी, जो मिट्टी का बर्तन लेकर जाते थे वहां पर पानी भी शौचालय में पूरा नहीं होता था, वह पीड़ा हमारी थी। इसलिए जितने भी सुझाव आए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं उन सुझावों को अमल करने के लिए निश्चित तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, लोगों ने जिस तरह से सहयोग देकर के इस विभाग के कामों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाव दिए आपके सभी सुझाव सकारात्मक रहेंगे। हमारे आदरणीय मुख्तार साहब ने कहा, कि सत्तर वर्ष से ऊपर के, जितने बन्दी हैं, सिद्ध दोष बन्दी,यह नियम तो विद्यमान है आज जो रिहाई का नियम है मुख्य मंत्री जी संस्तुति करते हैं महामहिम राज्यपाल अनुमति देते हैं लेकिन उस पर मान्यवर, मा0 सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, मद्रास के उस राजीव गांधी हत्याकांड में जो जनहित की याचिका हुई थी और उस प्रकरण को उन्होंने

कांस्टीट्यूशनल बेंच को सौंपा है और कहा जिस दिन कांस्टीट्यूशन बेंच का फैसला आ जाएगा हम निश्चित तरीके से जो सुझाव आया जिस हालत में हैं, सत्तर वर्ष से ऊपर के बंदी, एक दिन अगर आप जेलों में चले जाएं तो उनकी दशा देखकर पत्थर से पत्थर दिल व्यक्ति भी पिघल जाएगा।

श्री मुख्तार अंसारी–

मान्यवर, 65 वर्ष के लिए तो पूर्व की सरकार ने भी आदेश दिया था कि 65 वर्ष के सजायाफ्ता बन्दियों को रिहा किया जाए। यह समाजवादी पार्टी की सरकार है कुछ तो आपको सोचना ही होगा।

श्री बलराम यादव–

इस तरह के 70 बरस के ऊपर जो हमारे बंदी हैं यह 1542 पुरुष हैं पूरे प्रदेश में और 93 महिलायें हैं। मान्यवर, जो इन्होंने सुझाव दिए हैं उसको मैं स्वीकार करता हूं न तो नाई हैं और न सफाई कर्मी हैं। (मेजें थपथपाई गईं।) मैं प्रयास कर रहा हूं अपने विभाग के लोगों से कहा भी है मेरे विभाग में सभी अधिकारी बैठे हैं मैं उनसे अपेक्षा करूंगा और मैंने कहा भी है कि बहुत से पद ऐसे हैं जो अनुपयोगी हैं उन पदों को खत्म करके हम रसोइया की और सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करेंगे। (मेजें थपथपाई गईं।) इन्हीं शब्दों के साथ जितने भी सुझाव, सभी महानुभावों के, चाहे पक्ष के मा0 सदस्य हों, चाहे विपक्ष के मा0 सदस्यों के हों,उन पर विचार करेंगे। आपने कानपुर की बात कही है कानपुर में जमीन दिला दीजिए कल से काम शुरू हो जाएगा प्रयास हो रहा है कानपुर नगर की हालत बहुत खराब है।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

जमीनें मिल जाएंगी जमीनों की कमी नहीं है सरकार किसानों का पूरा पैसा दे जमीनें मिल जाएंगी बहुत जमीन हैं।

श्री बलराम यादव–

जो जमीनों में व्यवधान आया था कल ही कैबिनेट ने फैसला ले लिया है कि हम किसानों की जमीन उनकी इच्छा के अनुसार ले करके अब जो रेट हम देने जा रहे हैं, जब इतना बड़ा एक्सप्रेस–वे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस–वे किसानों की सहमति से, जमीन लेकर के, निर्माण कराने का काम शुरू कर दिया है। कल जो हमारी कैबिनेट ने पास किया है उसके आधार पर जमीनों का मिलना तय होगा और जो जमीनें शहरी क्षेत्र में हैं उन पर विचार किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों से बाहर निकल कर उनको अन्यत्र स्थापित किया जाएगा।

(मेजें थपथपाई गईं)

श्री बलराम यादव–

मैंने सब लिख लिया है और आपके इस सुझाव को एक दस्तावेज के रूप में रखकर जितना भी उसमें सुधार करना होगा करेंगे। हम अपराधों पर भी नियंत्रण करना चाहते हैं इसीलिये इस समय की जितनी भी प्रचलित तकनीक हैं उसका हम प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–25–गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 11,75,66,09,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख06ण19, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–43 परिवहन विभाग

'परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,55,46,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, परिवहन निगम उत्तर प्रदेश में जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से हमनें इसको और मजबूत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास में सड़क परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सामाजिक सेवा के रूप में विभाग द्वारा जनसामान्य को परिवहन जैसी मूलभूत सुविधा व अन्य कार्यों के साथ–साथ सड़क सुरक्षा की योजना का कार्यान्वयन करने तथा राजस्व एजेंसी के रूप में राजस्व का संग्रह किया जाता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजस्व की वसूली हेतु निर्धारित लक्ष्य रुपया 3950.00 करोड़ के सापेक्ष माह फरवरी, 2015 तक रुपया 3466.48 करोड़ की वसूली की जा चुकी है जो गत वर्ष 2013–14 के सापेक्ष रुपया 23.27 करोड़ अधिक है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में राजस्व वसूली का लक्ष्य रुपया 4658.00 करोड़ निर्धारित किया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि परिवहन विभाग को अनुदान संख्या–43 के अन्तर्गत 2014–15 में कुल राजस्व एवं पूंजीगत मद में प्राविधानित रुपया 198.10 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2015–16 में रुपया 215.47 करोड़ का प्राविधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त परिवहन निगम हेतु भी रुपया 140 करोड़ का प्राविधान वर्ष 2015–16 हेतु प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वित्त वर्ष 2015–16 में परिवहन निगम की कई योजनाएं मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से संचालित कराई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए आयोजनागत पक्ष में परिवहन आयुक्त संगठन की योजनाओं हेतु रु0 79.52 करोड़ और राज्य सड़क परिवहन निगम में अंशपूंजी विनियोजन हेतु रु0 140.00

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करोड़ अर्थात् कुल रु0 219.52 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह भी आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा और उनकी प्रेरणा से रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गयी है। मा0 मुख्य मंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप नगर निगम वाले शहरों में 24 घण्टे उपलब्ध सुरक्षित एवं स्तरीय आवागमन हेतु नागरिकों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विभाग ने रेडियो टैक्सी संचालित करने की एक महत्वाकांक्षी योजना बनायी है। इस योजना के अन्तर्गत लखनऊ महानगर में सर्वप्रथम इसका शुभारम्भ स्वयं मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 22–11–2013 को किया गया था। वर्तमान में 05 आपरेटर्स द्वारा 124 रेडियो टैक्सी का संचालन लखनऊ में कुशलतापूर्वक किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त वाराणसी तथा आगरा में भी एक–एक ऑपरेटर द्वारा यह योजना प्रारम्भ कर दी गयी है, जो 24 घन्टे यात्रियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि उपर्युक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि लखनऊ एवं कानपुर महानगर हेतु एक–एक ऑपरेटर्स द्वारा इस योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है, जिसके पक्ष में एल0ओ0आई0 (लेटर ऑफ इन्टेन्ट) जारी किया जा चुका है। माननीय अध्यक्ष जी, परिवहन विभाग में कम्प्यूटरीकरण की योजना एक ऐतिहासिक योजना है। उत्तर प्रदेश के 76 परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के अन्तर्गत डिजिटाइजेशन ऑफ लिगेसी डाटा ऑफ ड्राइविंग लाइसेन्स, डिजिटाइजेशन ऑफ लिगेसी डाटा ऑफ पंजीयन प्रमाण–पत्र तथा वाहन सॉफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट योजना हेतु वर्ष 2015–16 में कुल रु0 475.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सड़क सुरक्षा योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। उसके अन्तर्गत रोड सेफ्टी फण्ड का गठन किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद का गठन हुआ है। जिसकी समय–समय पर बैठक आहूत की जा रही है। सड़क सुरक्षा के उपायों से संबंधित कार्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कोष के गठन का भी निर्णय लिया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि वर्ष 2015–16 में सड़क सुरक्षा कोष के गठन हेतु कुल रु0 25 करोड़ के व्यय हेतु एवं रु0 25 करोड़ कोष में अन्तरण हेतु बजट प्राविधान प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं यह भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि रोड सेफ्टी फण्ड का उपयोग सड़क सुरक्षा के उपायों से सम्बन्धित कार्य और यातायात शिक्षा से सम्बन्धित कार्यों पर भी व्यय किया जायेगा। साथ–साथ मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार लाने के उददेश्य से लोक निर्माण विभाग, गृह विभाग एवं परिवहन विभाग हेतु कतिपय कार्यों के सम्बन्ध में सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित बिन्दुओं पर रुपये 50 करोड़ तक का वित्त पोषण परिवहन विभाग को किये जाने पर सहमति हुई है।

(इसी मध्य 04 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुये)

मा0 अधिष्ठाता जी मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उक्त योजनाओं पर विश्व बैंक द्वारा सहायता उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आहरित एवं उपयोग की जायेगी। इसके अतिरिक्त उक्त रुपये 50 करोड़ की धनराशि 5 वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई जायेगी। इस वर्ष 2014–15 में रुपये 20 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है तथा आय–व्ययक वर्ष 2015–16 में रुपये 10 करोड़ का बजट प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि सम्भागीय तथा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के भवनों के निर्माण एवं विस्तार हेतु परिवहन विभाग अपने विभागीय कार्य–कलापों को वर्तमान में 76 क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लखनऊ स्थित परिवहन आयुक्त कार्यालय के माध्यम से संपादित करता है। विभाग में इन कार्यों के सम्पादन हेतु कुल अपने 51 भवन उपलब्ध हैं तथा एक कार्यालय निर्माणाधीन है। इस प्रकार 52 सरकारी कार्यालय भवन उपलब्ध हैं। अवशेष 24 कार्यालय भवनों का निर्माण भी प्रस्तावित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कार्यालय भवन हेतु भूमि क्रय अथवा भवन निर्माण मद में रुपये 18.52 करोड़ का बजट प्राविधान के सापेक्ष 03 सम्भागीय परिवहन कार्यालय जैसे मेरठ, मुरादाबाद एवं फैजाबाद में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राईविंग लाईसेन्स हेतु सारथी हाल का निर्माण कार्य कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्भागीय एवं सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय गाजियाबाद, सहारनपुर एवं बाराबंकी में अभिलेखों के रख–रखाव हेतु रिकार्ड रूम के निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त अवमुक्त की गयी है। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2015–16 में सम्भागीय तथा उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के भूमि क्रय एवं भवन निर्माण मद में रुपये 1074.78 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है। जिसमें सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय प्रतापगढ़, लखीमपुर एवं शाहजहांपुर के भवन निर्माण हेतु रुपये 816.68 लाख के अतिरिक्त फैजाबाद, गोण्डा एवं हाथरस में सारथी हाल के निर्माण हेतु रुपये 258.10 लाख की धनराशि सम्मिलित की गई है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि लखनऊ में इन्सपेक्शन एण्ड सर्टिफिकेशन सेन्टर की स्थापना में प्रदेश में बढ़ती हुई व्यावसायिक वाहनों की संख्या के दृष्टिगत वाहनों को फिटनेस प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व इनका पूर्ण रूप से टेस्ट किया जाना आवश्यक है। ऐसे परीक्षण हेतु एक पूर्ण रूप से आधुनिक मशीनों एवं अन्य उपकरणों से सुसज्जित कार्यशाला स्थापित किये जाने हेतु रुपये 182 लाख का प्रावधान स्वीकृत है तथा वर्ष 2015–16 में रुपये 200 लाख का बजट प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है। मा0 अधिष्ठाता महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है, क्योंकि ड्राइवर को समय–समय पर ट्रेनिंग देना जरूरी है इसलिए इसे मुद्दे नजर रखते हुए हमने वर्तमान में वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान निजी संस्थाओं, व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। जिनकी गुणवत्ता में सुधार के दृष्टिकोण से शासन द्वारा जनपद रायबरेली में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से हमने, सरकार ने निशुल्क 11.755 एकड़ भूमि संस्थान के निर्माण हेतु उपलब्ध करायी है तथा भारत सरकार द्वारा उस पर निर्माण लागत तथा प्रथम वर्ष के संचालन पर व्यय

वहन किये जाने के क्रम में वर्ष 2014–15 में रु0 150.00 लाख का बजट प्रावधान स्वीकृत है। साथ ही वर्ष 2015–16 में रु0 200.00 लाख का प्राविधान कराया जाना प्रस्तावित है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में परिवहन निगम की अच्छी भूमिका रही है। क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और मा0 मुख्य मंत्री जी की कृपा से हमने उसे तरक्की के रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया है। परिवहन निगम द्वारा इस वर्ष प्रखर समाजवादी श्री राम मनोहर लोहिया जी के नाम से ग्रामीण जनता को अधिक से अधिक यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा का शुभारम्भ किया गया। जिसमें अधिकतम 25 प्रतिशत किराये में छूट प्रदान की गयी है। जो साधारण किराया है उसमें से 25 प्रतिशत छूट करने का काम किया है। ग्रामीण अंचलों में इसकी सराहना की जा रही है। मान्यवर, वर्ष 2014–15 में बस स्टेशनों के निर्माण एवं लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा संचालन हेतु रु0 156.85 करोड़ का प्रावधान स्वीकृत है। मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि वर्ष 2015–16 में रुपये 140 करोड़ का अंशपूंजी विनियोजन परिवहन निगम के लिए प्रस्तावित है। इससे नयी बसों का क्रय व बस स्टेशनों के निर्माण पर व्यय किया जाना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि निगम द्वारा 2014–15 में अब तक 50 करोड़ यात्रियों को यात्रा सेवा प्रदान की गयी और आने वाले इसी महीने के अंत तक हम उसको 54 करोड़ करने का काम करने जा रहे हैं। जो कि निगम के इतिहास में एक कीर्तिमान है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं आरामदायक वातानुकूलित सेवा 'पिंक बस सेवा' एवं पर्यटन विकास को गति देने के लिए वाराणसी से काठमाण्डू के लिये भारत–नेपाल मैत्री वोल्वो बस सेवा का संचालन भी प्रारम्भ किया गया है। मान्यवर, वर्ष 2014–15 में अब तक निगम द्वारा रु0 122.69 करोड़ का नगद लाभ अर्जित किया गया। निगम की वर्ष 2013–14 की शुद्ध हानि रु0 131.54 करोड़ थी जिसको अब रु0 12 करोड़ तक सीमित किया गया है तथा हानि में रु0 119 करोड़ की कमी लायी गयी है। हमारा प्रयास है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक उक्त 12 करोड़ की हानि को शून्य स्तर तक लाया जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि निगम द्वारा 38.25 करोड़ के निवेश से आई0टी0एम0एस0 योजना लागू की गयी है। इसमें आनलाइन आरक्षण, ई–टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड पास, जी0पी0एफ0 ट्रैकिंग, यात्री सूचना प्रणाली एवं यात्री सुरक्षा हेतु गति नियंत्रण किया जा रहा है। निगम द्वारा इसी प्रणाली के उपयोग से अपनी कार्ड प्रणाली मेट्रो तथा रेल आदि अन्य साधनों से जोड़ने का प्रयास देश में प्रथम बार किया जा रहा है। इसी आधार पर भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से निगम को देश में आधुनिक तकनीक के उपयोग में श्रेष्ठ होने का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि निगम को न्यूनतम संचालन लागत प्रति किलोमीटर के आधार पर भी देश में श्रेष्ठ होने का पुरस्कार प्रदान किया गया। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि बहुत जगह ऐसे स्टेशन हैं जो खराब थे, उन्हें नया बनाने का संकल्प हमने किया है। इस वर्ष भिनगा, राबर्टसगंज, फतेहपुर, बांगरमऊ बस अड्डों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आजमगढ़, मुबारकपुर, इटावा एवं मैनपुरी के बस अड्डों का शिलान्यास किया गया जिसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शमशाबाद, आगरा,

बेल्थरा रोड, बिजनौर, बहराइच एवं माती कानपुर देहात बस अड्डों की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है जिस पर निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि अगले पांच वर्षों में अधिकांश बस स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जाना प्रस्तावित है। निगम के बस बेड़े में अनुबन्धित बसों सहित कुल 9415 बसें हैं। वर्ष 2014–15 के अन्त तक बेड़े में सम्मिलित नई बसों की संख्या 700 हो जायेगी, जिनमें से 500 लोहिया ग्रामीण बसें होंगी। वर्ष 2015–16 में 1500 नयी बसें निगम बेड़े में जोड़ी जानी प्रस्तावित हैं जिनमें यात्रियों की मांग के अनुसार लोहिया ग्रामीण बसें भी होंगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की कृपा से हमने परिवहन निगम को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया है। हमने जनता को सुविधा देने का काम किया है। ऐतिहासिक योजना लागू करके जो आज तक कभी नहीं हुआ, किसी शासन में नहीं हुआ था हमने उसको इस योजना में लाने का काम किया है। साथ–साथ यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारे माननीय सदस्यों का बहुत सुझाव आता है, जिस तरह से बस अड्डा, जहां से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, यह महत्वपूर्ण सुझाव है, हम उसको सम्मिलित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम और बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाकर उनको बनवाने की व्यवस्था करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और लोहिया ग्राम योजना सेवा ए0सी0 बस चलाकर, जनरथ बस चलाकर जनता को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि हमारे सदस्य मिलकर इसे सर्व सम्मत से पास करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री रमेश बिन्द जी कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अधिष्ठाता जी, औपचारिकता के लिए कटौती रखनी है तो रख लें, मेरा अनुरोध दूसरा है, परिवहन का काम तेज गति से चलना है, तो परिवहन के बजट पर भी मान्यवर, थोड़ा तेज गति से चलें ।

श्री अधिष्ठाता–

लेकिन मा0 मंत्री जी, इतनी तेज भी न चलें कि दुर्घटना हो जाय।

डा0 रमेश चन्द्र बिन्द–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे परिवहन विभाग के अनुदान मांगों पर कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आशा करता था कि मा0 मंत्री जी, हमारे बगल के हैं, मैं मिर्जापुर से बिलांग करता हूं, हमारे मा0 मंत्री जी बगल के हैं और जब बजट मा0 मंत्री जी पेश करेंगे तो पूरे प्रदेश के साथ–साथ हमारे पूर्वान्चल पर ज्यादा नजर रही होगी। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मा0 मंत्री जी ने जो बजट आज पेश किया है, मा0 मंत्री जी और परिवहन विभाग

को बहुत गम्भीरता से लेना चाहिए था, लेकिन परिवहन विभाग के प्रति सरकार ने जितनी सम्वेदनहीनता बरती है, वह आप हम सभी लोग देख रहे हैं। मा0 अधिष्ठाता जी, परिवहन विभाग, प्रदेश के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, प्रदेश में परिवहन सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक होना बहुत जरूरी है। मा0 अधिष्ठाता जी, परिवहन के अन्तर्गत रेलवे विभाग, वायु मार्ग की सेवायें तो केन्द्र सरकार के पास हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में जो परिवहन विभाग है और दूसरा जो सड़क का ट्रान्सपोर्टेशन है, मैं अपना सुझाव रखना चाहूंगा, मा0 अधिष्ठाता महोदय, मुझे आशा थी कि मा0 मंत्री जी परिवहन विभाग में व्याप्त समस्याओं के समाधान हेतु कोई न कोई योजना लायेंगे, परन्तु मा0 मंत्री जी ने न तो इसमें कोई दिशा दी है और न ही कोई कार्य योजना प्रदर्शित की है। श्रीमन्, परिवहन विभाग के आर0टी0ओ0 द्वारा जो उत्पीड़न किये जा रहे हैं, उसके सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा, न ही डग्गा मार वाहन के सम्बन्ध में कुछ कहा है। श्रीमन्, जो दुर्घटनायें होती हैं, उसके लिए दुर्घटना बीमा होता है, उसको बढ़ाने के लिए भी मा0 मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है। मेरा कहना है कि महत्वपूर्ण विषयों पर मा0 मंत्री जी का जो बजट रहा है, उस पर मा0 मंत्री जी मौन रहे हैं। आज प्रदेश में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित जो लेखा आया हुआ है, उसके अनुसार 183774 किमी0 का पक्का मार्ग गाड़ी चलाने योग्य है। इन मार्गों में से 26729 किमी0 राष्ट्रीकृत मार्ग हैं, इन राष्ट्रीयकृत मार्गों में से लगभग 09 हजार किमी0 ओवर लेपिंग है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकार कुल राष्ट्रीयकृत मार्गों की शुद्ध लम्बाई 17229 किमी0 है, जो आज पक्की सड़कों का लगभग 9.65 प्रतिशत है। इसके विपरीत देश के कुछ प्रान्त महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध प्रदेश, गुजरात व हरियाणा के लगभग शत–प्रतिशत मार्ग राष्ट्रीय हैं। आज मा0 अधिष्ठाता जी, इस बजट में किसी प्रकार के समाधान हेतु जिक्र नहीं किया गया है, आज पूरे प्रदेश में जो लगभग 22 करोड़ जनता है, आज हमारे यहां प्रदेश का जो परिवहन विभाग है।

जनता के अनुपात में बहुत कम साधन हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, इसके पूर्व में जब हमारी सरकार थी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी मुख्य मंत्री थीं। आपने देखा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नाम पर प्रदेश में बस चलाने का काम किया। इतना ही नहीं गांव से, जिले के मुख्यालय से गांव तक कम रेट में यात्रियों को जाने का मौका मिलता था लेकिन आज आदरणीय लोहिया जी के नाम से वर्तमान सरकार उन्हें चलाने का काम कर रही है लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने अभी बनारस से नेपाल तक भी बस चलाने का काम किया है। प्रदेश में कई जगह चलाने का काम किया। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मैं कहना चाहता हूं कि जो आज बसें चल रही हैं, आज जो पीछे के डग्गामार वाहन हैं उनमें कोई चलने को तैयार नहीं है। सभी लोगों को यह चाहिये कि आज वोल्वो बस की मॉग है इसीलिये हम, आप कोई उस बस पर नहीं चल पा रहे हैं। मैं मा0 मंत्री जी से चाहूंगा कि क्या प्रदेश में वोल्वो बस चलाने की कृपा करेंगे। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश में डग्गामार बसों से ए0आर0टी0ओ0 की अवैध वसूली है। आज मैं लखनऊ से मिर्जापुर की तरफ जाता हूं तो जैसे ही नेशनल हाईवे पकड़ता हूं वैसे ही करीब–करीब 10–10,

15–15 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। कहीं लाल बत्ती हूटर बजाते हुये आती है तब पर भी कहीं जाम नहीं खुलता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, हम सबको रास्ता चेन्ज करके जाना पड़ता है। कहने का आशय यह था कि प्रदेश में जो भी बसें चल रही हैं उनसे अपने सही टाइम पर जाने का काम नहीं हो पा रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, हम अपने जनपद मिर्जापुर की कुछ बातें रखना चाहते हैं। राज्य परिवहन मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–68 के द्वारा व्यवसाय करने वाले को न ही सदस्य नामित किया जाता है लेकिन मिर्जापुर में एक व्यक्ति को नामित किया गया है जिसके पास 20 से 25 गाड़ी हैं और वह सीधे डी0पी0वाई0 के नाम से अपना लोगो बनवा करके गाड़ी पर अवैध रूप से चलने का काम कर रहा है जिससे सीधे मा0 मंत्री जी के ऊपर आक्षेप लग रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, जब इससे पहले हमारी सरकार थी तो ऐसा नहीं था लेकिन प्रदेश में ए0आर0टी0ओ0, पी0टी0ओ0 के द्वारा धारा–207 का दुरुपयोग आज की डेट में हो रहा है। पहले जैसे कोई बस जा रही है या मान लेते हैं कि कोई ट्रक जा रही है जिसमें पशु हैं, वे पकड़े जाते हैं, जेल में जाते थे तो जिसका माल था तो उसको वापस किया जाता था, गाड़ी अन्दर जाती थी। आज वह गाड़ी सीधे अन्दर, सामान भी अन्दर लेकिन जो पूर्व की सरकार में था कि जो उसका जुर्माना होता था तो वह माल वापस करने के बाद उनको जुर्माना दिया जाता था लेकिन आज उसको अन्दर करके जुर्माना वसूला जा रहा है अवैध रूप से। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, इधर हमारा चन्दौली बार्डर है, आप देखते हैं कि चन्दौली बार्डर से मिर्जापुर के बीच में आये–दिन, हमेशा जाम लगा रहता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, मेरे कहने का आशय है कि जहां हमारा जनपद मिर्जापुर छोटा सा जनपद है, जहां पहले एक ए0आर0टी0ओ0 रहता था आज वहां पर 03 ए0आर0टी0ओ0, 01 पी0टी0ओ0 है, वहां चारों तरफ से हमेशा जाम लगा रहता है। मा0 अधिष्ठाता महोदय जी, आज यहां पर कटौती प्रस्ताव रखने का आपने जो मौका दिया है तो मेरा कहना है कि हमारे विद्यार्थियों के मासिक पास की दूरी जो 35 किलोमीटर थी तो मैं मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि उसको 60 किलोमीटर कर दिया जाये। दूसरी बात यह है कि दुर्घटना में 50 हजार रुपये जिन व्यक्तियों की मृत्यु पर था उसे 2 लाख करने की मांग करता हूं। बाकी जब मंत्री जी का भाषण आयेगा तो उस पर अपनी बात को रखेंगे। धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं कटौती प्रस्ताव रखने वाले आदरणीय रमेश बिन्द की बात को सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि रमेश बिन्द भाई साहब मिर्जापुर के रहने वाले हैं। हमारे जनपद इलाहाबाद से सटा हुआ जनपद है वह हमारे मिर्जापुर और इलाहाबाद के सम्बन्ध में कुछ बातें बताएंगे, कुछ सुझाव देंगे, परन्तु उन्होंने अपना कोई सुझाव प्रस्तुत नहीं किया। कहीं डी0पी0आई0 बस की बात कही और कहीं आर0टी0ओ0 को बता दिया कि आर0टी0ओ0 वाले जाम लगाते हैं। उनको यह दिखाई नहीं दिया कि हमारी सरकार हमारे परिवहन मंत्री जी ने अगर लोकतंत्र सेनानियों के लिए मुफ्त में बस में आने–जाने के लिए कोई व्यवस्था की तो हमारी सरकार समाजवादी पार्टी ने किया था। आपकी सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, लोकतंत्र सेनानियों को आने–जाने की सुविधा

आपकी सरकार ने बंद कर दिया था। हमारी सरकार ने उसे पुनः चालू कर दिया। हमारी सरकार में जो आप कह रहे थे कि कोई आर0टी0ओ0 रास्ता जाम कर देता है, वसूली के चक्कर में, मैं तो यह नहीं जानता पर मैं केवल पूछना चाहता हूं कि इलाहाबाद से मिर्जापुर के बीच में लगभग 110 बसें रोडवेज की चल रही हैं। हमको तो कोई जाम दिखायी नहीं देता इसलिए क्योंकि हमारे यहां से मेजा रोड, मान्डा रोड और कोरांव की बसें चलती हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था अपने माननीय मंत्री जी से, अपने परिवहन मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता था कि हमारे यहां कुंभ लगता है, हमारे यहां विन्ध्याचल देवी का बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसके लिए रोडवेज की बसें हमको उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे जीरो रोड बस स्टेशन जो शहर के अंदर है, जो जीरो रोड डिपो है उसको नैनी में शिफ्ट कर दिया जाए तो जमुनापार, रीवा जो तमाम हमारी बसें मध्य प्रदेश को आया–जाया करती हैं, उनको पुल इस पार आना नहीं पड़ेगा और उससे सहूलियत हो जाएगी। मैं मंत्री जी से और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां पहले बहुजन समाज पार्टी के राज के पहले हमारे नेता जी मुलायम सिंह की सरकार थी तो हमारे यहां माण्डा इलाहाबाद से, मदरा इलाहाबाद से परानीपुर, इलाहाबाद से कोरांव बसें चला करती थीं। इलाहाबाद से मिर्जापुर, सिल्सा से हमारी बनारस बसें चला करती थीं। बहुजन समाज पार्टी का राज आने के बाद यह बसें समाप्त कर दी गईं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी विधान सभा में, जमुनापार में जो सरकारी बसें चला करती थीं। बहुजन समाज पार्टी के राज में जो बंद हो गई थीं, उन्हें चलवाने की कृपा करेंगे जिससे कि हमारी क्षेत्र की जनता को आने–जाने की सुविधा हो। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कोरांव का बस स्टेशन है, जो इलाहाबाद से 70 किलोमीटर दूर है, हमारी विधान सभा नहीं है। आदरणीय विपक्ष में बैठे हुए श्री राजबली जैसल जी की विधान सभा है। उस बस स्टेशन की हालत बड़ी खराब है, मैं चाहता हूं कि एक बस स्टेशन वहां बड़ा बना दिया जाए। मेजा रोड और इलाहाबाद और मिर्जापुर के बीच में कोई बस स्टेशन नहीं है। सैकड़ों बसें आपकी रोडवेज की चलती हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेजा रोड में एक नया बस स्टेशन बना दिया जाए और यहां ड्राईवरों के लिए एक ट्रेनिंग सेन्टर की व्यवस्था मेजा रोड में कर दी जाए। जो शहर पर दबाव पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए अगर ट्रेनिंग सेन्टर मेजा रोड में स्थापित हो जायेगा तो आपको बड़ी सहूलियत होगी। मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारा क्षेत्र है, जो बसें हमारे यहां चला करती थीं उसमें इलाहाबाद से मदरा, इलाहाबाद से परानीपुर, इलाहाबाद से माण्डा खास, इलाहाबाद से भारतगंज और इलाहाबाद से चौकी जाया करती थीं, उन बसों को पुनः चलाने की कृपया आप कष्ट करेंगे। मैं इस बजट के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और इस पर बल देते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन हमारे छोटे–छोटे सुझावों को मान लिया जाए। जय हिन्द, जय समाजवाद।

(श्री सुरेश राणा का नाम पुकारे जाने पर और उनके द्वारा बोलने के लिए तैयार न होने पर)

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मान्यवर, जय हिन्द और जय समाजवाद के बाद अब क्या बचा प्रश्न उपस्थित कराइये।

श्री सुरेश राणा–

भदौरिया जी आप बोलें।

श्री अधिष्ठाता–

भदौरिया जी आप बैठ जायें अभी आप बोले थे आप बैठ जायें, आपको बुलवा देंगे। सुरेश राणा जी आपका नाम आया था मैने आपको बुलाया आप बोले नहीं ट्रांसफर करने को अधिकार नहीं है। यह पावर डेलीगेशन नहीं है। संजय कपूर जी आप बोलें।

(श्री सुरेश राणा द्वारा बोलने के लिए तैयार होने पर)

श्री सुरेश राणा जी आप संजय कपूर जी के बाद बोल लीजिएगा, मैंने पहले आप ही को बुलाया था।

'श्री संजय कपूर–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, हिन्दोस्तान, जिस तरीके से दुनिया तरक्की कर रही है हिन्दोस्तान तरक्की कर रहा है उत्तर प्रदेश को भी उसी कदम से आगे चलना पड़ेगा। लेकिन जो बसों के हालात हैं उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूं कि इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज वोल्वों बसों की बहुत कमीं है लोग यात्रा करना चाहते हैं सहूलियत से यात्रा करना चाहते हैं उस सहूलियत के लिए जब तक हम कम्पटीशन में नहीं आयेगें उन्हें सहूलियत नहीं देंगे तब तक मैं समझता हूं उसका लाभ नहीं मिल पायेगा। एक बात खास तौर से कहना चाहता हूं कि जो डग्गामार बसें हैं जब तक उन पर अंकुश नहीं लगेगा तब तक मैं समझता हूं जिस तरीके से परिवहन निगम घाटे में जा रहा है उसको सुदृढ़ करने का मौका नहीं मिल पायेगा क्योंकि डग्गामार बसों का परिवहन विभाग के लोगों से सांठ–गांठ रहती है। वह बसे प्राइवेट बसें डग्गामार बसें आगे चलती है और परिवहन निगम की बसें पीछे चलती हैं उसके तहत बड़ा नुकसान और घाटा होता है। इस पर जब तक हम अंकुश नहीं लगायेंगे तब तक हम परिवहन विभाग को मजबूत नहीं कर सकते। एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर रखना चाहूंगा बड़े दुर्भाग्य की बात है मैं पिछली बार भी विधायक था तब भी मैं बराबर प्रयास करता रहा मैं रामपुर जनपद से बिलासपुर तहसील से आता हूं जो उत्तराखण्ड की सीमा से जुड़ा हुआ है। वह आखिरी स्टेशन है उसके बाद उत्तराखण्ड शुरू हो जाता है रुद्रपुर से। पिछली बार जब मैं विधायक था तो उसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गयी थी बिलासपुर में परिवहन विभाग के लिए राजस्व की जमीन, पूरे सरकार ने भी मान लिया लेकिन जब पैसा देने का नम्बर आया तो परिवहन निगम ने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। उस समय नहीं हुआ उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हमारी आशाएं बहुत बढ़ गयीं मैंने कहा कि चलो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने कुछ नहीं करा मगर मुझे उम्मीद है कि जनता की भावनाओं का आदर करते हुए समाजवाद का ख्याल रखते हुए

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

समाजवादी पार्टी बिलासपुर में बस अड्डे का निर्माण जरूर करायेगी क्योंकि उसका लाभ था, लाभ है उसका, जो पहाड़ से नैनीताल से, अल्मोड़ा से, रानीखेत से जो टूरिस्ट उतरता है वह रुद्रपुर से बिलासपुर में जब रोडवेज का बस अड्डा होगा तो पंजाब और हरियाणा और दिल्ली जाने वाला जितना भी पहाड़ी है उसको वह लाभ मिल सकता है, उसका फायदा परिवहन विभाग को मिलता परिवहन विभाग को लाभ पहुंचता। मैं बराबर प्रयास करता हूं जब–जब विधान सभा का सत्र चलता है मैं बराबर प्रश्न लगाता हूं और जवाब यह आता है कि भूमि का प्रयास कर रहे हैं कहते हैं कि 12 साल में तो घूरे के भी दिन फिरते हैं इसको तो 12 साल से ज्यादा हो गये। आपका आश्वासन है आपने विधान सभा में आश्वासन दे रखा है कि हम बिलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा बनायेंगे मगर काम के नाम पर कोई नहीं है कुछ काम नहीं हो रहा है सिर्फ बातों से काम चलाया जा रहा है मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे 8 साल परमानेन्ट हो गये इस प्रश्न को उठाते हुए हर बार पिछले बजट में भी आपने आश्वासन दिया था अगली बार आपके विलासपुर में रोडवेज का बस अड्डा जरूर बन जायेगा जमीन ढूंढने का काम हो जाता है और जब पैसा देने का नम्बर आता है तो कहते है कि परिवहन निगम के पास पैसा नहीं है। सब तय हो चुका है उसके बाद भी सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है मुझे बड़े अफसोस के साथ इस बात को रखना पड़ रहा है सरकार लाभ के लिए काम नहीं करेगी इसमें उसका लाभ हो रहा है उससे रेवन्यू आयेगा उससे फायदा पहुंचेगा जनता को भी फायदा पहुंचेगा और निगम को भी फायदा पहुंचेगा अगर बार्डर पर बिलासपुर में बस अड्डा बनेगा। मैं इसके अलावा आपसे कहूंगा कि जो आर0टी0ओ0 की नीति है उसमें सुधार की आवश्यकता है और उनमें अन्य प्रदेशों की तरह अपने आपको इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर हम अपने आपको इसके साथ नहीं जोड़ेगे तो हम बहुत पीछे रह जायेंगे और जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेण्ट है, उसमें भी सुधार लाने की जरूरत है। अन्य प्रदेशों में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का बहुत बड़ा प्रदेश है और इसे भी सोचना पड़ेगा कि हम काम करें तभी हम आगे चल सकेंगे। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जैसे पिछले बजट में भी इन्होंने घोषणा की थी तो खाली घोषणा ही न करके इसको अमली जामा पहनाने के लिये बिलासपुर बस अड्डे के संबंध में काम करायेंगे, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिन्द।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने आय–व्ययक 2015–2016 के अनुदान संख्या–43 पर हो रही चर्चा के संबंध में मेरी भागीदारी सुनिश्चित की है, इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं, मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। साथ–ही–साथ मैं प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करता हुआ उल्लेख करना चाहूंगा कि प्रथम बार बसों का संचालन परिवहन विभाग द्वारा 15, मई 1947 को किया गया। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा–3 के अनुसार उत्तर प्रदेश राजकीय रोडवेज की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के नाम से 01 जून, 1972 को की गई। मान्यवर, ध्यान आकर्षित करूंगा कि जनपद पीलीभीत में बीसलपुर की ओर, बीसलपुर एक ऐसा उत्तर प्रदेश के मानचित्र में केन्द्रीय स्थल है जहां से उत्तर प्रदेश में पीलीभीत 39 किलोमीटर,

दक्षिण में शाहजहांपुर 50 किलोमीटर, पूरब में खुटार 32 किलोमीटर और पश्चिम में बरेली 43 किलोमीटर है। चारों ओर से नगरों से घिरा हुआ यह बीसलपुर केन्द्रीय स्थल है। मान्यवर, यह भी मैं बताना चाहूंगा कि बीसलपुर परिक्षेत्र ऐसा है जहां पर राजाओं की खान रही है, राजा बलि, राजा बेन, राजा मोरध्वज, राजा नीलध्वज, ताम्रध्वज, राजा वसु इनके नाम ही से बीसलपुर बसा हुआ है। यह ऐसा पयर्टन केन्द्र है जहां पर टूका स्पाट, इला देवी का मन्दिर, शिव सरोवर, लिलहर यह ऐसे सब पयर्टन स्थल हैं, जहां पर पयर्टकों का बहुत भारी संख्या में आना–जाना रहता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि जो लोहिया ग्रामीण बस सेवा प्रारम्भ की गई है, जिसमें 25 प्रतिशत किराया कम है, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि इन सारे पयर्टक स्थलों के लिये लोहिया ग्रामीण बस सेवा प्रारंभ कर दी जाये, तो मुझे लग रहा है कि रोडवेज की आय में बहुत बड़ी वद्धि होगी। मान्यवर, मैं एक बात आपसे और अनुरोध करना चाहूंगा कि जो विकलांग लोग होते हैं उनको शासनादेश संख्या–227/65–दो–2008–185/1997, दिनांक 22–04–2008 को निर्गत करके विकलांगों को बस में सारी सुविधायें दी गई, लेकिन इस समय जो भी विकलांग वायुशीतल, शयनयान, वातानुकूलित या वीडियोयुक्त बसों में यात्रा करते हैं प्रदेश से बाहर या अंदर उनसे किराया वसूल कर लिया जाता है। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर हमारे माननीय विकलांग कल्याण मंत्री जी ने विकलांगों को बहुत सारी सुविधा दे रखी हैं, तो बसों में विकलांगों को जो असुविधा दी जा रही है और उनसे कटौती कर किराया वसूल किया जा रहा है, यह प्रदेश के लिये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, मैं एक अनुरोध यह भी करूंगा कि बीसलपुर में एक बस अड्डा है, जो लगभग तीन एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर है। बहुत दिनों से इसके लिये डिपो बनाने की योजना प्रस्तावित है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहूंगा कि बरेली परिक्षेत्र में पांच डिपो थे जिसमें से एक डिपो शाहजहांपुर काटकर हरदोई में जोड़ दिया गया, अगर बीसलपुर के बस अड्डा को भी डिपो घोषित कर दिया जाये और यहां वर्कशाप बना दिया जाये तो पूर्ववत् बरेली परिक्षेत्र की स्थिति स्थापित हो जायेगी। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि मान्यवर, एक बात और आपसे कहना चाहूंगा कि दुर्घटना जो होती है, मुझे लग रहा है कि वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गयी है और इसके कारण आये दिन दुर्घटनायें होती हैं, यद्यपि राज्य सुरक्षा नीति के अन्तर्गत राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्, राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की गयी है लेकिन मुझे लग रहा है कि जो बजट की व्यवस्था है, दुर्घटना में मदद करने के लिये, वर्ष 2015–16 में मात्र 25 करोड़ की व्यवस्था की गयी, जो बहुत ही कम है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, अब आपका समय समाप्त हो गया। आपने काफी कह दिया, अब आप बैठ जायें। माननीय सत्यवीर मुन्ना जी को बुला लिया गया है।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया, इस हेतु आपको धन्यवाद देना चाहूंगा । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने 3 अरब 55 करोड़ रुपये से ऊपर का बजट प्रस्तुत किया है, उसके

लिये वह बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, परिवहन के विषय में एक ब्रिटिश फिलोस्फर ने कहा था कि फाइनेंस इज ब्लड फार एनी सिस्टम एज वेल एज रोडवेज इज वेंस आर यू कैन से लाइफ लाइन फार एनी स्टेट आर कंट्री । अर्थात् अगर वित्त किसी भी सिस्टम के लिये खून का काम करता है तो रोडवेज उसकी नसों और उसके लिये जीवनरेखा का काम करता है। मान्यवर, वित्त वर्ष 2015–16 में परिवहन विभाग के माध्यम से बहुत ही अच्छी रेडियो टैक्सी योजना शुरू की गयी। अमूमन बहुत से निजी संचालक होते थे, वह यात्रियों का, पर्यटकों का दोहन करते थे और जो भी पर्यटक आते थे, वह बहुत परेशान होते थे। लेकिन अब यह रेडियो टैक्सी योजना के माध्यम से आप मोबाइल से एक फोन करिये, एक एस0एम0एस0 करिये और आपके दरवाजे पर गाड़ी पहुंच जायेगी, यह बहुत ही सराहनीय काम है इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का और परिवहन विभाग का हृदय से आभार, बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, जहां इस विभाग में कम्प्यूटरीकरण हो रहा है, वह भी सराहनीय है और लगभग 36 जनपदों में पूरी तरह से कम्प्यूटराइज्ड हो चुका है। साथ ही स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही अच्छी योजना है, इसके पहले ड्राइविंग लाइसेंस एकदम गत्ते की तरह रहता था, जेब में जब पड़ा रहता था तो बड़ी परेशानी होती थी, अब बिल्कुल ए0टी0एम0 कार्ड की तरह स्मार्ट कार्ड आपको उपलब्ध हो सकेगा और बहुत सी जगह उसका प्रयोग होता है, आपके प्रमाण–पत्र के रूप में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है। यह भी बहुत सराहनीय कदम है। साथ ही सड़क सुरक्षा योजना यह बहुत ही आवश्यक था, आज हाईवे बन गये हैं और अच्छी सड़कें बन गयी हैं और नेशनल हाई–वे, स्टेट हाईवे और जिस तरह से अच्छी सड़कें बनी हैं, अभी आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस–वे एक बहुत ही बड़ा हाईवे बन रहा है, ऐसी बहुत सी अच्छी सड़कों के कारण लोगों की और जिस तरह से सड़कों पर भार बढ़ा है, गाड़ियां बढ़ी हैं, उससे बहुत से एक्सीडेंट की भी संभावना रहती है, इसलिये सड़क सुरक्षा योजना और रोड सेफ्टी फण्ड की व्यवस्था की गयी है, वह बहुत ही सराहनीय कदम है। मान्यवर, लोहिया ग्रामीण बस सेवा बहुत ही शानदार सेवा है, इसके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे सोरांव विधान सभा क्षेत्र जो इलाहाबाद जनपद के जनपद मुख्यालय से दूरस्थ प्रतापगढ़ को छूती है, वहां दूरस्थ क्षेत्र में एक मिनी बस अड्डा सोरांव विधान सभा क्षेत्र में बनवा दिया जाय तो इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करूंगा। मान्यवर, इस बजट के माध्यम से एक बहुत ही उल्लेखनीय चीज भी सामने आई कि 50 करोड़ यात्रियों का प्रतिवर्ष परिवहन हो रहा है, इस वर्ष 2015–16 में इसे 54 करोड़ प्रतिवर्ष करने का लक्ष्य है और यह स्वतः ही प्रतीत करता है कि परिवहन विभाग किस तरह से बेहतरी के लिये काम कर रहा है। मान्यवर, निगम में खासतौर से घाटे और हानि में कमी की गयी है और लाभ में वृद्धि की गयी है यह भी एक आश्चर्यजनक पहलू है जो स्वतः दर्शाता है कि परिवहन विभाग और मा0 मंत्री जी बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। जी0पी0एस0 ट्रैकिंग सिस्टम तथा ऑनलाइन टिकटिंग बहुत ही क्रान्तिकारी कदम हैं, जिससे यात्रियों को और जो हमारे पर्यटक आते हैं उनको बहुत ही सुविधा होगी। पूरे देश में न्यूनतम संचालन लागत उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की है यह अपने आप में एक सराहनीय उपलब्धि है, यह स्वतः प्रदर्शित करता है कि परिवहन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोहिया

ग्रामीण सेवा जिसमें 25 प्रतिशत की छूट टिकट में की गई है यह बहुत ही सराहनीय कदम है। अपने विधान सभा क्षेत्र सोरांव के लिए मैं मा0 मंत्री जी से एक–दो बसों के लिए आग्रह करूंगा कि फाफामऊ–मलाका–हरहर होते हुए मलाक चतुरी से सरांय लाल खातून होते हुए जूड़ापुर दांदू–कृष्णापुर से शास्त्रीनगर तथा फाफामऊ–सरांयचन्दी–सिकन्दरा से बहरिया होते हुए दांदूपुर तक बसें लोहिया ग्रामीण परिवहन सेवा के माध्यम से चलाने की कृपा करे। इसके अलावा इलाहाबाद से कौशाम्बी होते हुए महेवा घाट तक लोहिया ग्रामीण बस सेवा का संचालन करने की कृपा करें। साथ ही इलाहाबाद–लखनऊ वोल्वो बस सेवा को और बेहतर किया जाए और साथ ही इलाहाबाद से बनारस और इलाहाबाद से कानपुर के लिए भी वोल्वो बस सेवा शुरू की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परिवहन विभाग के शानदार बजट का समर्थन करते हुए तथा परिवहन विभाग को अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदस्य श्री पूरन प्रकाश के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

मा0 अध्यक्ष जी ने जो व्यवस्था दी है उसी के अनुसार चल रहा है।

'श्री गजेन्द्र सिंह–

मा0 अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, परिवहन विभाग के बजट को मैंने पढ़ा, देखा, विभाग लाभ में होने के बाद जितनी गाड़ियां चलनी चाहिए उतनी गाड़ियां नहीं चलाई जा रही हैं जबकि प्राइवेट तौर पर जो गाड़ियां चलती हैं उनके मालिक लाभ कमाते हैं और एक गाड़ी का मालिक साल दो साल बाद दूसरी गाड़ी का मालिक बन जाता है लेकिन परिवहन विभाग अपने बजट में बड़ा कम लाभ दिखा रहा है यदि परिवहन विभाग पूरा ध्यान दे तो काफी लाभ लिया जा सकता है उसका कारण है परिवहन विभाग की जो गाड़ी चलती हैं वह प्राइवेट वालों से सांठगांठ करके चलती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो सबसे पहली बार मेरे जनपद बुलन्दशहर में मेरी विधान सभा क्षेत्र में सबसे पहली बार रोडवेज बस चली थी। उस टाइम पर प्राइवेट वालों ने दबाव बनाया कि रोडवेज गाड़ियां न चलें, उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन उस टाइम पर सरकार ने अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए वहां पर रोडवेज की गाड़ी चलाईं और वह हर रूट पर चलीं। उस टाइम पर अलीगढ़–अनूपशहर से आहार और मुरादाबाद से अनूपशहर होते हुए जगींरवा होते हुए दिल्ली और आहार–जगींरवा होते हुए औरंगाबाद होते हुए मेरठ और हमारे यहां अनूपशहर से असीदी–दिल्ली, क्योंकि अनूपशहर ऐसा स्थान है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में गंगा जी के नाम से जो कि छोटी काशी है, लोग वहां प्रत्येक दिन लाखों की संख्या में गंगा स्नान करके मन्दिरों में दर्शन करने के लिए जाते हैं वहां पर रोडवेज की बसें चलती थीं लेकिन वर्तमान में वहां की रोडवेज बसें धीरे–धीरे समाप्त हो गई हैं अब कहीं गिनी चुनी रोडवेज की बसें चल रही हैं। आहार

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

जो हमारा रूट है, आहार होते हुए धनिगवां–दिल्ली सिर्फ एक गाड़ी रह गई है। जब बसपा की सरकार थी तो यहां पर सात गाड़ी चलने का काम होता था आहार से दिल्ली के लिए। अनूपशहर से जो बुलन्दशहर होते हुए जो दिल्ली जाती थी वहां हर दस मिनट के बाद गाड़ी चलती थी क्योंकि अनूपशहर एक ऐसा स्थान है जहां प्रदेश ही नहीं बल्कि देश से कोने–कोने से लोग गंगा में स्नान कर धार्मिक स्थलों के दर्शन करते हैं। अब वहां की स्थिति यह हो गई है कि मात्र पांच या छः गाड़ी रह गई हैं और उन्हें भी प्राइवेट वालों से सांठगांठ करके धीरे–धीरे बन्द किया जा रहा है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे क्योंकि रोडवेज जो किसी भी प्रदेश या देश को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है इसलिए यदि रोडवेज चलनी बन्द हो जायेगी तो जो प्राइवेट बस संचालक हैं वह जनता के साथ मनमानी करते हैं। हमारे यहां वर्ष में तीन बार मेला लगता है और उन मेलों के टाइम पर जब रोडवेज की गाडियां नहीं चलती तो प्राइवेट गाड़ियों की आपाधापी के कारण कई बार बड़ी–बड़ी दुर्घटनायें होती हैं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सरकार वहां पर जो पुराने बहुजन समाज पार्टी के समय में अनूपशहर और जहांगीराबाद में रोडवेज डिपो सैंक्शन हो गयी थी जिसके लिए जमीन भी हम लोगों ने उपलब्ध करा दी थी, वह डिपो पता नहीं अब तक क्यों नहीं बन पाये। तो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहां जहांगीराबाद और अनूपशहर में दोनों जगह रोड़वेज का डिपो बनवाया जाए तथा हमारे यहां बसों की संख्या बढ़ायी जाए और खुर्जा से दिबियाना होते हुए अनूपशहर तक रोडवेज चलती थी, उसे चलवाया जाए। अलीगढ़ से आहार तक जो मिनी रोडवेज चलती है उसको चलवाया जाए और अनूपशहर से जहांगीराबाद होते हुए जो दिल्ली के लिए गाड़ी चलती थी उसको चलवायी जाए। आज भी हमारे यहां हजारों पर्यटक बाहर से आता है तो दिल्ली में भी अनूपशहर के लिए गाड़ी लगती थी तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, दिल्ली में भी अनूपशहर के लिए गाड़ी लगनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करिये। श्री श्याम बहादुर सिंह यादव जी अब आप बोलिये।

श्री गजेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है, बड़ा महत्वपूर्ण मामला है। अनूपशहर भारत वर्ष में गंगा के नाम से प्रसिद्ध है और वहां पर लोग आज परिवहन की वजह से परेशान हैं, सरकार उस ओर ध्यान नहीं दे रही है। धन्यवाद।

'श्री श्याम बहादुर सिंह यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये शानदार बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं। 3 अरब, 55 करोड़ के इस बजट का समर्थन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

सूबा देश के सबसे बड़े आबादी का सूबा है उसमें परिवहन और उसके संचालन से जो डेवलपमेंट करने का हमारे माननीय मंत्री जी और सरकार की जो सोच है उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। रेडियो टैक्सी की योजना जो है उसकी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करना चाहता हूं जो विश्व स्तरीय योजना के रूप में हमारे माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी ने और अधिकारियों ने मिल करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है। विभाग का कम्प्यूटरीकरण करने से भ्रष्टाचार और अनियमित्ता और जो लोग इसमें लिप्त होकर नियम कानून की धज्जियां उड़ाते थे, लूट, डकैती का काम करते थे। कम्प्यूटरीकरण करने से इसमें बड़े पैमाने पर कमी आयी है। इस कम्प्यूटरीकरण करने पर भी अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इसी तरह से सड़क सुरक्षा योजना है, एक्सीडेंट को लेकर जो एक टीम बनायी गयी, एक कमेटी बनायी गयी जहां पर हमारे सड़क सुरक्षा के साथी नियुक्त किये गये हैं, उनकी देखरेख में यह चल रहा है उसके लिए भी मैं बहुत बधाई व धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी जल्दी जो इस वित्तीय वर्ष के पहले ही लोहिया बस सेवा का संचालन हुआ है उसके लिए मैं निगम को और माननीय मंत्री जी को और सरकार का बहुत–बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि 25 प्रतिशत कम भाड़े पर ग्रामीण इलाकों से बस चलायी जा रही है, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट सुनने में आ रहा है और ग्रामीणों, कमजोर, मजलूमों को, किसानों को इसका बेहतरी से लाभ मिल रहा है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो बस माफिया हैं, यहां दीर्घा में अधिकारी भी बैठे हैं, हालांकि उसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो बस माफिया हैं जनपदों में बड़े–बड़े हैसियत के लोग हैं कहीं न कहीं यह लोहिया बस के संचालन में व्यवधान पैदा कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनके ड्राइवरों व कंडक्टरों को प्रभावित कर रहे हैं तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसको सख्ती से दिखवा लें कि यह जो लोहिया बस का संचालन है वह पूरी सरलता और शुचिता से हो सके। दूसरा मैं, यह कहना चाहता हूं कि न्यूनतम जो संचालन है पूरे देश के अंदर, न्यूनतम संचालन का मतलब टिकटों का जो रेट है पूरे देश में, सबसे कम रेट पर यहां पर निगम के द्वारा यात्रा करायी जा रही है। मैं उसका भी साधुवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र की कुछ समस्या है उसे भी रखकर बहुत ज्यादा न बोलते हुए अपने क्षेत्र की फूलपुर–पवई मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में जो फूलपुर है वह नगर पंचायत भी है, तहसील मुख्यालय भी है, ब्लाक मुख्यालय भी है, टाउन एरिया भी है मैं माननीय मंत्री जी से चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में टाउन एरिया के स्तर पर एक मिनी बस अड्डे का आजमगढ़ से शाहगंज करीब 70 कि0मी0 की दूरी है लखनऊ मार्ग पर स्थित है कोई रोडवेज नहीं है मैं चाहता हूं कि फूलपुर में एक मिनी बस स्टेशन का निर्माण कराया जाय। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं मैंने पहले भी लिखकर दिया है लेकिन दुर्भाग्यवश अभी नहीं हो पाया मेरे क्षेत्र में मिट्ठूपुर बड़ी बाजार है जो हमारे जनपद का बार्डर है जलालपुर जो अम्बेडकर नगर में पड़ता है रसूलपुर जो सुल्तानपुर में पड़ता है वहीं बार्डर से वह गांव शुरू होता है वहां से करीब 85 कि0मी0 जनपद मुख्यालय की दूरी है मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मित्तूपुर से पवई होते हुए माहुल फूलपुर और आजमगढ़ के लिए एक लोहिया बस और एक बस खैरुद्दीनपुर से पवई से माहुल,

अम्बारी, फूलपुर होते हुए आजमगढ़ मुख्यालय के लिए दो लोहिया बसों का संचालन माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि कराने की कृपा करेंगे। मैं अन्त में मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

'श्री पूरन प्रकाश–

माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं आपका आभारी हूं कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने का अवसर दिया।

महोदय हमारा लगभग साढ़े तीन खरब का परिवहन का बजट है वास्तव में माननीय मंत्री जी बहुत सज्जन हैं बहुत नेक हैं हमारे जनपद मथुरा के प्रभारी भी हैं मैं उनका बड़ा आदर और सम्मान करता हूं। जहां तक परिवहन विभाग का सवाल आता है क्या कारण है कि अगर चार बसें खड़ी हों हरियाणा की खड़ी हो, दिल्ली की खड़ी हो, मध्य प्रदेश की खड़ी हो, राजस्थान की खड़ी हों और दूसरे प्रदेश की खड़ी हों तो हमारे जितने भी पैसेंजर हैं उत्तर प्रदेश की बसों को छोड़कर अन्य प्रदेश की बसों में बैठना क्यों पसन्द करते हैं। कारण है अगर दिल्ली से आगरा आना है सारी बसें ढाई घण्टे में पहुंचा देती हैं यू0पी0 रोडवेज की बस पांच घण्टे में पहुंचती है। इतना ही नहीं बस का इंजन कब फेल हो जाए कोई अता–पता नहीं है। माननीय अधिष्ठाता जी इतना ही नहीं देश और प्रदेश में जितने भी संभागीय परिवहन कार्यालय हैं अगर मैं अकेला किसी काम से जाऊं तो तीन और पांच चक्कर लगाने पड़ते हैं अगर हम दलाल ले लें तो दो घण्टे में लाइसेंस बनकर हाथ में आ जाता है। यह स्थिति हमारे संभागीय कार्यालयों की है। जो बसों की हालत है वही कारण है कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला अपनी बसों में न बैठकर अन्य प्रदेशों की बसों में बैठता है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तमाम बसों का जिक्र किया मान्यवर, मथुरा जनपद ऐसा है यहां पर बीसों हजार श्रद्धालु रोजाना आते हैं। सवारियों की कमी नहीं है खाली बसों की कमी है। हमारा आगरा का ताजमहल है फतेहपुर सीकरी है आगरा की, मथुरा का नन्दगांव बरसाना हो, बृंदावन हो, गोकुल हो, गोवर्धन हो, बलदेव हो, दाऊ जी हो कोई बस की व्यवस्था नहीं है। उसके कारण डग्गेमार बसें इन रूटों पर बराबर चल रही हैं। कोसी हो, छाता हो मथुरा हो आपकी बस चल रही है। मैंने पहले ही बताया कि माननीय मंत्री जी हमारे प्रभारी मंत्री भी हैं मैंने उनसे कहा भी था। मथुरा शहर में बीचोंबीच बस स्टैण्ड है पूरा का एरिया इंक्रोचमेंट से ग्रसित रहता है दुकानें हैं इससे बस स्टैण्ड तक पहुंचने में आधा घण्टा लगता है। माननीय मंत्री जी का पिछली बार भी जवाब आया था कि मथुरा के बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित कर रहे हैं लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी अमल में नहीं ली जा रही है। इतना ही नहीं मान्यवर, मथुरा–आगरा एन0एच0 2 है। दिल्ली से आगरा एन0एस0 टू फरै पड़ता है, फरै में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति से बस स्टैण्ड बना हुआ है लेकिन बस का कोई ठहराव नहीं है, कोई स्टाप नहीं हैं उसी तरह से राया है बस स्टैन्ड की पूरी बिल्डिंग बनी हुई है करोड़ों की जगह है लेकिन वहां पर भी कहीं बसों का एन्ट्रेंस, बसों

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का ठहराव नहीं है। न ही कोई कर्मचारी रहता है। इतना ही नहीं मान्यवर, हमारे माननीय मंत्री जी बैठे हैं, परिवहन विभाग के अधिकारी बैठे हैं, सुन रहे होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि बस के अंदर लिखा रहता है महिला सीट, विधायक सीट, सांसद सीट, विकलांग सीट मान्यवर, जब अंदर बैठने जाते हैं, अगर कोई विकलांग आता है या आपका कोई फ्रीडम फाइटर आता है तो उसको कन्डक्टर सीट एवलेबिल नहीं करा पाता है। इतना ही नहीं मान्यवर, सारी स्टेटों में चाहे ड्राइवर हो, कन्डक्टर हो, सबकी ड्रेस होती है, लेकिन हमारे यू0पी0 में.....

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आप तो डेढ़ घंटे यही कहते रहेंगे।

(इस समय 05 बजकर 50 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये।

श्री पूरन प्रकाश–

अध्यक्ष जी, अभी पूरा नहीं हुआ है। मेरी बात रह गई है। माननीय मंत्री जी को सजेशन देना चाहूंगा कि हमारे मथुरा में जितनी भी बसें चल रही हैं उनकी स्थिति काफी खराब है, उनके स्थान पर नई बसों की व्यवस्था, जो मैंने बस स्टैण्डों की बात कही है उनकी दशा सुधारने और जो राया और फरै में जो आपके बस स्टैण्ड हैं उन पर रात्रि विश्राम, बसों के रुकने की व्यवस्था हो। मैं कुछ सजेशन्स दे रहा हूं माननीय मंत्री जी को और आपके माध्यम से आशा करता हूं कि परिवहन विभाग जैसा बड़ा विभाग है, इसमें जरूर कुछ कार्रवाई करें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब नहीं, बहुत हो गया, अभी और भी बजट है, अब और नहीं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मान्यवर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

नीरज जी अभी आप कारागार पर भी बोले थे। अभी और बजट पर नहीं चलना है क्या ?

'श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे परिवहन विभाग के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं बहुत कम समय में। माननीय अध्यक्ष जी, आपका सम्मान हमें मिल गया है, आपने हमें प्यार दे दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से उन गरीबों के लिये बात

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

करना चाहता हूं जो परिवहन विभाग में एक आध गाड़ी वाले हैं आपके आर0टी0ओ0 उनकी गाड़ी बन्द कर देते हैं 207 में अर्थात् सीज कर देते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनसे पैसा मत लीजिये, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका विभाग है, आप चाहे तो उस गाड़ी को बन्द करिये क्योंकि वह ओवर लोडेड है। ओवर लोड कौन करा रहा है आप समझ रहे हैं। यानि जहां से लद रही है वह लदवा रहा है और आपका विभाग पकड़ रहा है चलेगा लेकिन कम से कम उस गाड़ी को तुरन्त चालान करके छोड़ दें और जब वह अपने स्थान पर पहुंचे तो आपका पैसा जमा कर दे।

श्री अध्यक्ष–

भदौरिया जी, लिखकर दे दो जो कह रहे हो। लिखकर रहेगा तो आ जायेगा। आप नहीं मान रहे हैं।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

आपका पैसा मिल जायेगा, वह लेकर नहीं जायेगा और नहीं तो जब वह फिटनेस कराने जाये तो उसकी गाड़ी को वहां खड़ा करा लें। अगर आप ऐसा कर देंगें तो मैं समझता हूं कि कुछ गरीबों का हित हो जायेगा। जो बड़ी गाड़ी वाले हैं, ज्यादा गाड़ी वाले हैं उनका तो काम चल जाता है। मैं गरीब गाड़ी वालों की बात करता हूं और परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ सम्भालने का, बहुत कुछ देने का है। उत्तर प्रदेश का विकास परिवहन से ही होता है क्योंकि हर काम परिवहन करता है। मैं अपनी बात नहीं सबके सामने उन गरीबों की बात करना चाहता हूं। एक आध गाड़ी वाले हैं 207 में सीज कर देते हैं वह पैसा देकर छुड़ाते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 207 खत्म करें क्योंकि वह गाड़ीवाले कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वह आपसे बंधे हैं आपके यहां फिटनेस, आपके यहां उनको सब कुछ कराना है आपकी वजह से वह चल रहे हैं इसलिए 207 समाप्त करके उनके ऊपर चालान अगर किया जाए तो कम से कम उस समान का पैसा आधा बेचकर आधा जेब से आपको दे सकें, उसकी गाड़ी बराबर चले वह अपनी गल्ती महसूस करे। आठ–आठ, दस–दस दिन गाड़ी खड़ी रहती है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

मान्यवर, आधा मिनट और दे दें। थाने में क्या होता है स्टेपनी खोल ली जाती है, डीजल निकाल लिया जाता है, थाने में उगाही ली जाती है आर0टी0ओ0 तो चालान की मांग करते हैं तीस हजार, चालीस हजार, थानों में भी चार हजार, पांच हजार ले लेते है। बड़ा लम्बा नुकसान उनका होता है समय आप कम दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कुछ अच्छाई भी बता दें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया–

कानपुर के लिए जरूर कर दें, कानपुर का जो हमारा आर0टी0ओ0 आफिस है वह बाहर न किया जाए, कम से कम फिटनेस के लिए रोजाना बाहर कर दिया जाए,

चूंकि शहर के अन्दर जाते हैं तो यातायात पर अवरोध लगा है जगह–जगह उसको समय दिया है रात में गाड़ी ले जाए, निकाले कैसे ? कम से कम फिटनेस के लिए रास्ता खोल दीजिए। उसका लाभ सबको मिल जाए। 24 घंटे आपको लाभ मिल जाए। आर0आई0 हैं आप आर0आई0 को वहां लगा दीजिए। मेरा यह सुझाव है इस पर आप विचार करेंगे तो कानपुर का बड़ा हित हो जाएगा। बहुत–बहुत धन्यवाद्

श्री अध्यक्ष–

एक सरकारी दल का भी बोल लेने दें या तो इसी पर बजट पर बोल लो आगे बजट ऐसे ही बगैर चर्चा के पास करा देंगे।

डा0 अजय कुमार–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। पुरानी बातों का जिक्र न करते हुए कुछ सुझावों की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। (शोर)

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी से विशेष अनुरोध है कि आजादी के पहले से इलाहाबाद के क्षेत्र में जो पुरानी बस, नई तो नहीं, बहुत सी जो इलाहाबाद में पुरानी चीजें थीं वह समाप्त हो गईं। मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें पुनः चालू करने की कृपा करें। हमारा क्षेत्र बारा विधान सभा क्षेत्र है, वह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला क्षेत्र है। सुदूर पहाड़ी क्षेत्र है और सुदूर पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वहां के लोगों को शहर आने–जाने के लिए कचहरी आने के लिए, बस स्टैन्ड आने–जाने के लिए, रेलवे स्टेशन आने–जाने के लिए, तरह–तरह के कामों के लिए आने– जाने के लिए काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में बहुत दिन पहले से, इलाहाबाद से लालापुर की बसें चला करती थीं, लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह बन्द कर दी गईं, मंत्री जी इसको भी चलवाने की कृपा करेंगे। मान्यवर, इसी तरह से इलाहाबाद से लालापुर, इलाहाबाद से मानपुर, इलाहाबाद से ढियोरा यह बिल्कुल पहाड़ी और सुदूर क्षेत्र है और लगभग इलाहाबाद से जो हमारे विधान सभा क्षेत्र की दूरी है वह 60–65 किलोमीटर की दूरी है।मैं नहीं समझता कि सरकारी साधन के अलावा गरीब लोग क्षेत्र से शहर आ–जा पाएंगे। तो मैं पुरजोर गुजारिश करूंगा, यह अनुरोध भी करूंगा कि उन्हीं बसों को, अगर नई दे सकें तो अच्छी बात है, अगर नई बसें नहीं दे सकते हैं तो उन्हीं बसों को पुनः चालू करायेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इलाहाबाद के सारे विधायकों का, मेरे ख्याल से एक मत होगा कि इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा कचहरी में बस अड्डा हुआ करता था। वह बस अड्डा, हमारे इलाहाबाद के वकील साथी बहुत बहादुर हैं उस बस अड्डे पर उन्होंने जबर्दस्ती कब्जा कर लिया और वहां कई सरकारी कार्यालय भी बन गए हैं तो वहां पर एक बस अड्डा बन जाए लोगों को जो देहात से बसें आती हैं चाहे वह किसी तरफ से आएं जो देहात से बसें आती हैं वह काफी दूर उतार देती हैं। वहां लोगों को रिक्शे के माध्यम से या और किसी साधन से जाना पड़ता है। तो जितना पैसा लोगों को देहात से शहर आने में लग जाता है उतना ही पैसा रिक्शे अथवा अन्य साधन से वहां पहुंचने में लग जाता

है। मैं समझता हूं कि जो बहुत ग्रामीण अंचल है और सही मायने में अगर देखा जाये तो पूरे उत्तर प्रदेश की गरीबी अगर कहीं देखना है तो मैं समझता हूं कि इलाहाबाद का जो बारा विधान सभा क्षेत्र है वहां के लोगों को देखें तो आपको लगेगा कि इलाहाबाद में गरीबी कहीं समझ में आती है कहीं दिखाई पड़ती है। मा0 निराला जी ने भी इस पर टिप्पणी की है कि किस तरह गरीबी इलाहाबाद के शंकरगढ़ के पहाड़ों पर दिखाई पड़ती है। मैं समझता हूं कि मा0 मंत्री जी ने इतना अच्छा बजट रखा है तो अगर इसी बजट की पुनरावृत्ति कर दें तो मैं समझता हूं काफी लाभ होगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री ममतेश शाक्य–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मा0 परिवहन मंत्री जी हमारे जनपद कासगंज से ही आते हैं और जनपद कासगंज में एक हमारा रोडवेज बस अड्डा है जो शहर के बीचोबीच स्थित है और वह बस अड्डा बहुत पुराना और जर्जर स्थिति में है। जब बरसात के मौसम में उसमें कई–कई फुट पानी भर जाता है। इस प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और जनपद–कासगंज से जब हमारे राज्य मंत्री जी परिवहन मंत्री बने तो जनपद के लोगों को बड़ी उम्मीद जागी कि हमारे जनपद में नया रोडवेज बस अड्डा बनेगा, लेकिन तीन साल के बावजूद भी हमारे जनपद में रोडवेज में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। जनपद–कासगंज के साथ–साथ जनपद–एटा में भी शहर के बीचोंबीच रोडवेज का एक बस अड्डा है और आए दिन दोनों जनपदों कासगंज और एटा में जाम की स्थिति बनी रहती है। मैंने बीच में विधान सभा में नियमों के तहत प्रश्न भी लगाया था और प्रश्न में मैंने मांग की थी कि शहर के बीचोंबीच में तमाम प्राइवेट बस अड्डे जैसे रोडवेज के बस अड्डे शहर के बीचोंबीच स्थित हैं और इन बस अड्डों की वजह से शहर में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा सदन को गुमराह किया गया और गलत जवाब देकर हमको संतुष्ट कर दिया गया कि शहर के सारे प्राइवेट बस अड्डे जनपद–कासगंज और जनपद–एटा के बस अड्डे शहर से बाहर कर दिये गये हैं, लेकिन धरातल पर यदि देखा जाये तो कोई भी प्राइवेट बस अड्डा शहर से बाहर नहीं किया गया है। इसलिये मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनपद–एटा व जनपद–कासगंज के जितने भी प्राइवेट बस अड्डे हैं वह शहर से बाहर करवाये जायें जिससे दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति से हमको और आपको निजात मिलेगी। इसके साथ–साथ मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जनपद–कासगंज में जो आपने ग्रामीण सेवा बसें चलाने की बात कही है कि दो–तीन बस हैं, सहावर से एटा तीन–चार बसें चलवाई जायें, इसके साथ–साथ सोरों से सहावर, सहावर से गंजडुडवारा और पटियाली–अलीगंज होते हुये भी तीन–चार ग्रामीण बसें चलवाई जायें। चूंकि आप वहां के परिवहन मंत्री हैं इसलिये वहां की जनता को आपसे लाभ की काफी उम्मीद है। इसलिये मा0 मंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आए दिन प्रतिदिन देखा जाता है कि हमारे एटा और कासगंज के बस स्टैण्ड पर जहरखुरानी की घटनाओं की तादाद बढ़ती जा रही है और प्राइवेट रोडवेज बस के

कंडक्टर और ड्राइवर उन जहरखुरानी के शिकार यात्रियों को बीच रास्ते में उतार कर चले जाते हैं और उनको इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसी स्थिति में इसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था की जाये, साथ ही ऐसे मरीज को बीच में न उतार कर उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

अरे मा0 नीरज जी, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हो, मा0 परिवहन मंत्री जी से परिवहन पर बात कर लीजियेगा।

'कुंवर कौशल सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, हमको इसमें कुछ सुझाव देना है। हमारे सिनौली से दिल्ली के लिए और सिनौली से जयपुर के लिए भी बसों का संचालन होता है और काठमांडू से दिल्ली भी संचालन हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है कि काठमांडू से बनारस का भी उसने संचालन किया। हम मंत्री महोदय से चाहेंगे कि हमारे सिनौली से लखनऊ के लिए और सिनौली से बनारस के लिए अगर वोल्वो बस चलाते हैं, जिससे फार्नर्स आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जापानी आते हैं, लुम्बिनी पर्यटक स्थल पर आते हैं, जिनको सुविधा मुहैया हो, लेकिन बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमने मंत्री जी को, प्रमुख सचिव और सारे जिले के अधिकारियों को लिखकर दिया। डग्गामार बसें दर्जनों चलती हैं और नेपालियों को, सैनिकों को पकड़ करके उसमें जबर्दस्ती ठूस दिया जाता है, जिसकी आएदिन शिकायत आती है और हम लोगों को घर छोड़कर बस अड्डे पर जाना पड़ता है, वह बसें रोडवेज के किनारे लादती है, गोरखपुर में भी और सिनौली में भी, कम से कम उनको एक किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे सुचारु रूप से रोडवेज की व्यवस्था सही सलामत चले। ठूठीबारी से गोरखपुर, सिनौली से गोरखपुर दर्जनों बसें चल रही हैं, जिसके लिए कई–कई बार लिखा गया है। हालात यह है कि जो पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़कें बनायी गयी हैं, उन सड़कों पर एक हजार, बारह सौ फीट गिट्टी और बालू, सीमेंट लाद करके देहातों में लोग जा रहे है। जो सड़कें पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग बना रहा है, उसको ओवर लोड के द्वारा उन सड़कों को 2 महीने में क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। हम लोग वोट मांगने जाते हैं, कहते है कि साहब आपने ऐसी सड़क बनवाई जो दो महीने में टूट गयी। इसलिए मैं चाहूंगा कि उस पर एक अंकुश लगाया जाए और ऐसी सड़कों पर हल्के वाहन चलाये जायें और इन डग्गामार बसों को बन्द करवाया जाए जिससे सरकार को लाभ हो, धन्यवाद।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, भाई रमेश विन्द जी द्वारा जो परिवहन विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव रखा गया है, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात रख रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग जो कि गांव, गरीब से जुड़ा हुआ विभाग है और आज आजादी के 67 साल में भी हम गांव के लोगों को ऐसी सेवा नहीं दे पाए जिससे

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कि वह अपने गांव से चलकर अगर वह अपने जिला मुख्यालय पर जाते हैं, अपने घर शाम को लौट पायें और मान्यवर, इस विभाग की उदासीनता की वजह से ही तमाम ऐसे डग्गामार वाहन चल रहे हैं जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती है, उनमें 25, 30, 40 लोग सवार होकर जाते हैं। जो दुर्घटनाएं हो रही हैं तो मेरा एक सुझाव है क्योंकि परिवहन विभाग के बारे में जब भी कोई भी सरकार रही हो, यह निकल कर आता है कि जो बसें चल रही हैं, यह नुकसान में चल रही हैं और नुकसान में चलती हैं, निगम घाटे में चल रहा है, इसलिए वह उसको दुरुस्त नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार बसों का संचालन करती है, उसी तरह से भारत सरकार रेलवे और हवाई जहाज का संचालन करती है और आप सब लोग जानते हैं कि कई बार एयर इण्डिया अगर घाटे में आई तो सरकार ने उसको पैसे देने का काम किया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी सरकार में हैं, अगर निगम घाटे में जाता है तो उसको सरकार से अनुदान देकर, पैसा देकर उसकी प्रतिपूर्ति करायें लेकिन इसकी जो सेवाएं हैं, वह बाधित न होने पायें। मान्यवर, हमारे यहां शहर में भी सिटी बसें चलायी जाती थी, आज सिटी बसों की हालत बड़ी खस्ता है। जबकि हमारे ही देश में बाम्बे के अन्दर बस सर्विस चल रही है जिसे प्राइवेट संचालन कर रही है तो सरकार इसे क्यों नहीं चला पा रही है और आज शहर के अन्दर लोग अपने वाहनों से निकलते हैं और ऐसा जाम लगता है कि आदमी को शहर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने में उसका दिन–दिन खराब हो जाता है। मान्यवर, जैसे मैट्रो यहां पर बनाई जा रही है, अगर हमारी सिटी बसें भी अच्छी हो जायें तो शायद लोग जो प्राइवेट वाहन चला रहे हैं, उनको किनारे कर दें और वह सिटी बसों से सफर करें। पर्यटन की दृष्टि से भी बाहर के, देश के तमाम पर्यटक हमारे यहां आते हैं, चाहे उन्हें श्रावस्ती जाना हो, संकिसा जाना हो, आगरा जाना हो, बनारस जाना हो, लेकिन मान्यवर, वह सरकारी बसों से वहां जाने का काम नहीं करते हैं। वह प्राइवेट ट्रांसपोर्टर से लक्जरी गाड़ियां लेकर वहां जाते हैं तो इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से हम टूरिज्म को बढ़ाने के लिए हम अपने ट्रान्सपोर्ट को दुरुस्त करें और अभी हमारे साथी ने आरटीओ आफिस की व्यवस्था के बारे में कहा, उसको भी माननीय मंत्री जी संज्ञान में ले करके वहां जो लोग बाहर कुर्सी–मेज लगा लोग बैठते हैं, इस व्यवस्था को समाप्त करने का काम किया जाए और अन्त में मान्यवर, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जिस तरह से रेलवे के अन्दर जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको किराये में छूट दी जाती है। मा0 मंत्री जी इस पर गौर करें कि जो हमारे सीनियर सिटीजन उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों से सफर करना चाहते हैं उनको किराए में छूट देने का काम किया जाए। जिससे सबको यह सहूलियत मिल सके।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिए बहुत हो गया। अब कुछ नहीं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य–

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

आपको कुछ कहना है आप गाजियाबाद नोएडा से आते हैं। नहीं अब कुछ नहीं। मा0 मंत्री जी बोलिए। आप बैठिए। लिखकर दे दीजिए मैं लिखवा दूंगा।[४]

(श्री अमरपाल शर्मा और श्री अजय कुमार 'लल्लू' के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आपको पढ़ कर बताना हो तो बैठ जाइए। सबको धन्यवाद दीजिए बैठ जाइए। लिखकर दे देना हम प्रोसीडिंग में लिखवा देंगे।

परिवहन मंत्री (श्री दुर्गा प्रसाद यादव)–

मान्यवर 2014–15 में जो मा0 सदस्य ने कहा है कि यह घाटे में है मैं साफ बता देना चाहता हूं कि 2013 के पहले घाटा था और इस बार हमने उसमें 122.29 करोड़ का नकद लाभ अर्जित किया है और उस घाटे को हमने पूरा किया। जिसमें 12 करोड़ रुपये का घाटा बाकी रह गया है जिसे हम अगले महीने तक पूरा करने का काम कर देंगे। हमारे साथियों ने अच्छे सुझाव दिए हैं क्योंकि हम भी गांव से आए हैं और इसी उद्देश्य से मा0 मुख्य मंत्री जी ने ग्रामीण लोहिया बस चलाने का काम किया है और 25 प्रतिशत कम के रेट पर चलाया है। पहली बार उसमें छूट दी गई है। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। साथ–साथ जिस तरह से श्री रमेश चन्द बिन्द जिन्होंने यह कटौती की है वह हमारे बगल के ही रहने वाले हैं मैं उनसे यह कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे मा0 सदस्यों ने कहा कि ओवर लोडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। मा0 मुख्य मंत्री जी का सख्ती से निर्देश है उसका पालन हमारे परिवहन विभाग के अधिकारी करते हैं। जिन्होंने नहीं किया वह दण्डित किए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माह फरवरी 2015 तक 2ॉ44ॉ358 वाहनों का चालान किया गया जिसमें 1ॉ55ॉ382 वाहनों को विभिन्न थानों में बंद करते हुए परिशमन शुल्क के रूप में 211.45 करोड़ की धनराशि वसूली गई। इसीलिए हम कहना चाहते हैं विशेष अभियान चला कर चेकिंग कराई है और गाड़ियों को बंद कराने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं वह सत्तापक्ष के हों या विपक्ष के हों सभी लोग अपनी विधान सभाओं से चुनकर आते हैं मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आपका सुझाव हमें मिला है हम उस पर गंभीरता से विचार करेंगे। जहां भी आवश्यकता पड़ेगी बस चलाने की हम वहां बस चलायेंगे। मांग के अनुसार जहां पर बस स्टेशन नहीं है अगर हमें जमीन मिली है और जमीन है तो हम उसे स्वीकृत करने का भी काम करेंगे। हमारे मा0 मंत्री जी बैठे हैं। कासगंज में एक जमीन उपलब्ध है। इस बस अड्डे को भी स्वीकृत करने का काम किया जायेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सरकार जनहित के लिए कृतसंकल्प है। इसलिए हम घाटे–मुनाफे की बाद में सोचते हैं। बहुत सी रोड ऐसी हैं जिनमें लोड फैक्टर कम आता है। इसके बाद भी हम निगम की बसें चलाने का काम करते हैं और जनता को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए

---

४ (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 295–301 पर)

हम कहना चाहते हैं कि साथियों आप सबके सुझाव पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। मा0 सदस्य ने जो सुझाव दिया है उस पर हम गंभीरता से विचार करके कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं रमेश चन्द बिन्द से निवेदन करूंगा कि यह जो निगम है यह जनता को साधन देता है। परिवहन निगम की बसों पर जनता का विश्वास है इसलिए उनकी ज्यादा उम्मीद है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अबकी बार हमने जो लोहिया ग्रामीण बस दो सौ के लगभग खरीदी हैं अबकी बार इसी वर्ष हम उसमें 700 बस और जोड़ने का काम कर रहे हैं और 2015–16 में हम 1500 बसें और खरीदेंगे जिसमें लोहिया ग्रामीण बस की संख्या ज्यादा रहेगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सर्वसम्मति से इस बजट को पास कराने की कृपा करें।

श्री प्रदीप माथुर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी ने 10 करोड़ रुपये पिछले बजट में मथुरा के बस स्टेण्ड को शिफ्ट करने के लिए स्वीकृत किया था और अब उसके लिए भूमि भी उपलब्ध हो गयी है। वह मथुरा का बस स्टेण्ड शिफ्टिंग के बाद कब तक बनवा देंगे ?

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय माथुर जी, एम0डी0 साहब के सामने भी हमारी आपकी बात हुयी थी। जमीन मिली हुयी है। हम उसको जितना जल्दी हो सके करायेंगे। क्योंकि मथुरा एक ऐतिहासिक स्थान है एक धर्मस्थली है। हमारे निगम ने चाहे कुम्भ का मेला रहा हो, चाहे हरिद्वार का मेला रहा हो हर जगह चाहे बड़े–बड़े त्योहार रहे हैं हर जगह बढ़–चढ़कर बसें देने का काम किया है और जनता को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां जरूरत पड़ेगी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि एन0एच0 28 पर रोज ट्रकों का जाम लगा रहता है। रोज एक्सीडेंट होता है और इसकी सूचना भी हमने पूर्व में भी दी है। वह ट्रकें जो अनधिकृत रूप से लगाकर आये दिन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं क्या आप ऐसे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

अब बैठिये। मा0 मंत्री जी एक मेरी भी गुजारिश है कि हमारे यहां से इटवा से मुम्बई के लिए बस चलती है और रोज एक–दो बस जाती हैं और भरकर लोग जाते हैं। अगर वह जाना रुक जाएगा तो यात्री नहीं जा पायेंगे। लेकिन उसमें यह है कि जितना उसमें सवारी नहीं है उसका चार गुना सामान लादते हैं। यह बड़ा–बड़ा दरवाजा, फाटक, मोटरसाइकिल यह सब मुम्बई से लादकर लाते हैं। हमने प्रयास भी किया। तो मेरा आपसे आग्रह है कि इसको दिखवा लीजिए। पांच बार ओवरलोडिंग से एक्सीडेंट हो चुका है करीब पच्चीसों लोग मर गये हैं। मुम्बई में जब पहाड़ पर बस चलती है तो उलट

जाती है। एक्सीडेंट हो जाता है। तो अपने विभाग को देख लेंगे तो वह यह सब देख लेंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मा0 अध्यक्ष जी, आपका आदेश सर्वोपरि है। आपका जो निर्देश है मैं इसको गंभीरता से लेते हुए जल्द ही इस पर कार्रवाई करूंगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–43–परिवहन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,55,46,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख06.22, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–45 पर्यावरण विभाग

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मै श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 10,75,53,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अध्यक्ष–

श्री राजेश त्रिपाठी जी आप संक्षेप में कटौती प्रस्ताव रख दीजिये।

'श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रूपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, कटौती प्रस्तुत करने वाले के भाषण में कटौती कर दीजिये और प्रश्न उपस्थित करवा दीजिये।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय मंत्री जी, मैं हमेशा आपका सम्मान करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाषण में भी कटौती कर दूंगा। माननीय मंत्री जी जो आज पर्यावरण का प्रस्ताव लेकर

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

आये। पर्यावरण, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ हो, अगर पर्यावरण हमारा संरक्षित नहीं है तो इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं।

'क्षिति जल पावक गगन समीरा,
पंच तत्व से बना शरीरा'

न सिर्फ शरीर पूरी सृष्टि की रचना ही, पूरी कायनात की रचना ही इन पांच तत्वों को मिलकर हुई और जब भी इन पांच तत्वों का बैलेंस बिगड़ता है तो उसे पर्यावरण को डिसबैलेंस करना कहते हैं। माननीय मंत्री जी कोई एक तत्व अगर गड़बड़ होगा तो हमारी स्थिति विकट होगी। अगर आप वेदों की बात करें, पुराणों की बात करें चूंकि आपने कहा कि कम बोलना है तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता मगर, वेद, पुराण, स्तुतियां जितने भी हिन्दू ग्रन्थ हैं, उनमें भी लगातार इस बात को कहा गया है कि हमे जल के लिए, पृथ्वी के लिए, गगन के लिए, अग्नि के लिए हमें कहां–कहां सम्मान करना है। अगर हम पवित्र कुरान की आयतों की तरफ जायेंगे तो वहां भी कहा गया है कि पेड़ के नीचे अगर शौच भी करते हैं तो आपको नर्क मिलता है। यहां तक कहां गया है कि अगर आप एक बूंद पानी की बचाते हैं तो उस एक बूंद का जो सबाब मिलता है वह हजारों नेकियों से कहीं ज्यादा है। यह कुरान भी कहता है, यह वेद भी कहता है, अगर आप गौतमबुद्ध की बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे वहां भी यह बात है मैं इसलिए कह रहा हूं कि सारे धर्म हमें यह बताते है कि हमें जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश जो भी है, पांचों तत्वों को संरक्षित करना है। वह विभाग आपका है, जिसका बजट आप लाये हैं। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं इतना महत्वपूर्ण विभाग, जिसके लिए भारत का संविधान भी यह कहता है कि जब उसमें 42वां संशोधन किया गया था, तो उसमें यह बात कही गयी थी कि 'राज्य यानी आप प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उन्नयन के लिए प्रयास करेंगें। जंगलों, जीव–जन्तुओं की रक्षा करेंगे।' मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि वेद कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करिये, कुरान कहती है कि पर्यावरण की रक्षा करिये, बौद्ध धर्म कहता है कि पर्यावरण की रक्षा करिये, दुनिया के सारे धर्म कहते हैं, यहां तक कि भारत का संविधान भी आपको यह अधिकार देता है कि आप पर्यावरण की रक्षा करिये। हमारे मौलिक कर्तव्यों में पहली बार जब संविधान ने जोड़ उसमें 51–ए के आलेख में कहा गया कि ''भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण की रक्षा करेगा। उनमें उन्नति और सुधार करेगा। वन, झील, जीव–जन्तु, जीवित प्राणियों की श्रद्धा का भाव भरेगा।'' यह बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूं कि जिन बातों को संविधान भी करने के लिए कहता है, आप बजट कितना लेकर आयें हैं माननीय मंत्री जी, 10,75,53,000 रूपये। माननीय अध्यक्ष जी यह विभाग यहां भी दम तोड़ रहा है, बजट प्रस्तुत करते समय आज जब पहला बजट खाद्य रसद विभाग का आया तो खाद्य रसद विभाग का बजट 7864 करोड़ का पेश किया गया, दूसरा बजट जब पेश किया गया तो 1175 करोड़ का पेश किया गया, तीसरा बजट जब पेश किया गया वह 355 करोड़ का किया गया, चौथा बजट जो पेश किया जायेगा इसके बाद वह 358 करोड़ का किया जायेगा। मैं कहना यह चाहता था हजारो, सैकड़ों, करोड़ में यह बेचारा पर्यावरण विभाग जिसकी वजह से हमारी आपकी सांसें चल रही हैं, उसके लिए 10 करोड़ रुपये आप

लेकर के आये हैं। आप यह कह रहे हैं कि 10 करोड़ रूपये में क्या–क्या करेंगे आप, तो हास्यास्पद लगता है मुझे। मैं संक्षेप में दो–तीन बातें कह कर के अपनी बात समाप्त करूंगा। पर्यावरण का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, मा0 खनन मंत्री जी यहां बैठे हैं, इसके बाद इनके विभाग का बजट है, इसलिए मैं उस पर बहुत बात नहीं करूंगा, उस पर हमारे साथी बात करेंगे, सबसे ज्यादा खतरा यहां से उत्पन्न हो रहा है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, तो पहला तत्व है पृथ्वी, जमीन की हालत यह है, अवैध खनन चाहे वैध खनन, वह तो आप जानेंगे कितना वैध खनन हो रहा है कितना अवैध खनन हो रहा है, इस पर हमारे साथी बोलेंगे, मगर पत्थरों का खनन और बालू का खनन हमारी धरती को बरबाद कर रहा है और हालत यह है कि भूकम्प के झटके हमारे आपके बीच आ रहे हैं। मैं जिस पूर्वान्चल से आता हूं, भूकम्प का रेडियेटर यह कहता है कि हम लोग आने वाले 15–20 वर्षों के अन्दर जो भू–वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सबसे बड़ा झटका गोरखपुर परिक्षेत्र नेपाल लिये हुये, वह आने की सम्भावना है, यह रही धरती की हालत। दूसरे पानी की बात जो आप कर रहे हैं, जल प्रदूषण का आलम यह है कि नदियों से गैनिटिक डाल्फिन जिन्हें हमारे यहां सूस कहा जाता था जो सबसे बड़ा प्राकृतिक जमादार हुआ करता था, वह नदियों के कचरों को साफ करता था, वह पूरी तरह से नदियों से खत्म हो चुका है, कछुए जो हमारे लिए प्राकृतिक जमादार का काम करते थे, वह भी पूरी तरह से नदियों से खत्म हो चुके हैं, मछलियों की हालत यह है कि पानी इतना जहरीला हो चुका है, जैसे हमारे यहां राप्ती का पानी है, आमी का पानी है या गंगा के लिए पूरा देश चिन्तित है, उसका असर सरयू और घाघरा जैसी नदियों पर पड़ रहा है, हालात यह हैं कि मछलियां मर रही हैं। फैक्ट्रियों का जो कचरा है वह पूरा का पूरा जहरीला पानी नदियों में जा रहा है, वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट केवल सफेद हाथी बन कर रह गये हैं और जो आपने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाय है, सच्चाई यह है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड खुद ही प्रदूषित हो गया है, मुझे लगता है कि उसको खुद ही इसकी आवश्यकता है कि मा0 मंत्री जी इस प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के भी प्रदूषण को हटाइये। उनका काम केवल धन उगाही रह गया है। अधिकारियों तक में प्रदूषण है, कार्यों पर प्रदूषण है। अधिकारियों की अट्टालिकायें बन रही हैं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की, वह कैसे छापा डालते हैं, वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट कैसे चेक करते हैं, उनके जाने के पहले वाटर ट्रीटमेण्ट प्लाण्ट शुरू हो जाता है, आने के बाद बन्द हो जाता है। मैं यह देख रहा हूं कि जल प्रदूषण की स्थिति काफी दयनीय है। तीसरा मा0 अध्यक्ष जी मैं अग्नि की बात कर लूं, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ जहरीला धुंआ, पूरे वातावरण को चौपट कर रहा है और अभी परिवहन विभाग का बजट मा0 मंत्री जी ने पेश किया, मेरे पास जो आंकड़ा है, जो सरकार की तरफ से है, लगभग 01 करोड़ 60 लाख छोटे–बड़े वाहनों का जो धुंआ निकल रहा है सड़कों पर, वह हमारे फेफड़ों तक पहुँच रहा है, वह वातावरण तक पहुंच रहा है।

मान्यवर, जो पहले कचरे हुआ करते थे, वह गोबर होते थे, खाद होती थी या पत्ते होते थे, अब कचरे क्या हो गये इनके अलावा अब मोबाइल हो गया, कम्प्यूटर हो गया, फ्रीज हो गया, लैपटॉप हो गया, इलेक्ट्रानिक उपकरण हो गये, इनसे जो रेडियो तरंगे निकल रही हैं, वह पूरे वातावरण को प्रदूषित कर रही हैं। प्लास्टिक की जो हालत है उस पर सरकार भी बार–बार चिन्ता कर चुकी है, प्लास्टिक का बढ़ता प्रकोप हमें सीधे

मौत के मुंह में लेकर जा रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आसमान की जो हालत है वह आपके सामने है। सूरज इस साल तपा है, 48 डिग्री सेल्सियस तापमान इस बार गया है। कहीं–कहीं अखबारों में आया कि 50 तक पहुंचा है। हालात यह हैं कि यही हालात रहे तो हम झुलसेंगे, हमारे बच्चे झुलसेंगे। ऐसे ही जो न्यूनतम तापमान गया है वह 2.4 तक गया है हमारे प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। हालात ये हैं कि आसमान से पूरी तरह से मौत बरसे जा रही है, अगर हमने पर्यावरण प्रदूषण पर रोक नहीं लगाई। मैं खत्म कर रहा हूं बस आखिरी पैरा है। मा0 अध्यक्ष जी, जो हमारे उपग्रह छोड़े जा रहे हैं अभी मा0 सदस्य ने जो कहा कि विकास के लिये ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, बालू खनन करना, उपग्रह छोड़ना, टी0वी0 लगाना। बिल्कुल जरूरी है लेकिन पर्यावरण से खतरनाक वहीं से शुरू हुआ जिस दिन से हमने विकास शुरू किया। मगर इसका विकल्प भी हम आपको ही बनाना होगा, मात्र यह कह देने से कि आसमान में, अंतरिक्ष में जो ओजोन की परत है उसमें छेद हो रहा है, इस बात से आप भी वाकिफ हैं इसका एक मात्र उपाय हो सकता था वृक्षारोपण। पिछली सरकार ने एक करोड़ से ऊपर वृक्ष एक दिन में लगा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकार्ड्स में नाम कमाया था। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा और मा0 मंत्री जी आप जवाब देंगे कि जब एक करोड़ से ऊपर वृक्ष एक दिन में लगाकर के पूरी दुनिया में उत्तर प्रदेश ने अपना नाम कमाया था तो यह जानना जरूरी है कि आज की तारीख में विभाग उन पेड़ों की रखवाली कितनी कर पाया, कितने पेड़ बच पाये जो कि हमारी सांसों के लिये, हमारे जीवन के लिये बहुत ही जरूरी हैं। मा0 अध्यक्ष जी, दूसरा मैं पेड़ों की बात कर रहा था जो हवा से सम्बन्धित है। मैं यह कह रहा था कि वृक्षारोपण जितना मस्ट है उतनी ही उनकी रक्षा भी। आज ये जो नदियों की स्थिति है उसमें जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसको देकर के आप जायेंगे या नदियों में बी0ओ0बी0 की जो स्थिति बन रही है उसको आप देखेंगे। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि मा0 मंत्री जी जो यह बजट लेकर आये हैं और हम स्वाइन फ्लू से जूझ रहे हैं, हम बर्ड फ्लू से जूझ रहे हैं, हम मस्तिष्क ज्वर जैपनीज इन्सेफ्लाइटिस से जूझ रहे हैं, हम विभिन्न बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं, भू–स्खलन से जूझ रहे हैं। ठीक है, हमारे यहां समन्दर नहीं है मगर यह देश सुनामी से भी जूझ रहा है। ये सारी चीजें मा0 मंत्री जी पर्यावरण से जुड़ी हैं। इतना महत्वपूर्ण विभाग पर्यावरण का है और आप 10 करोड़ 53 लाख रुपये लेकर आते हैं। मा0 मंत्री जी, संविधान कह रहा है कि जनता को जागरुक करिये और जनता को जागरूक करने के लिये आप पैसा कितना दे रहे हैं 75 लाख रुपया। 75 लाख रुपये में आप साल भर में जनता को कैसे जागरुक करेंगे। 5 करोड़ रुपया आपने प्राधिकरण को दिया, उसका क्या करेंगे, उसका कोई जिक्र इसमें नहीं है। आप उसको बतायेंगे कि वह 5 करोड़ रुपया प्राधिकरण को देकर के 75 लाख रुपया आपने जागरुकता के लिये दिया है तो यह बजट बहुत ही अपर्याप्त है। पूरे मानव जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। हमारी सॉसों से जुड़ा यह बजट है, हम नहीं होंगे, हमारे मंत्री जी का विभाग भी नहीं होगा। इस नाते हम कहेंगे कि सरकार इस बजट की गम्भीरता को देखते हुये, पर्यावरण विभाग की गम्भीरता को देखते हुये, जीवन को देखते हुये, हमारी आपकी सांसों को देखते हुये इस बजट को बढ़ाये और पर्यावरण पर पूरा का पूरा ध्यान दे वरना आपकी

सड़कें, आपकी बिजली, आपके पुल ये सारी विकास की चीजें धरी की धरी रह जायेंगी। हमारे आपके बच्चों को, हमारी आपकी अगली पीढ़ी को पीठ पर आक्सीजन की टंकी लेकर घूमना पड़ेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाये, सरकार पर्यावरण विभाग का बजट बढ़ाये, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं, धन्यवाद।

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य राजेश त्रिपाठी जी ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुये कहा कि खराब पर्यावरण के कारण जो भयावह स्थिति जनजीवन की होने वाली है, उसके बारे में विस्तृत चर्चा की और कटौती पेश करते हुये मा0 त्रिपाठी जी ने कहा कि सम्पूर्ण धनराशि जो 10 करोड़ कुछ मिला है, उसको घटाकर 1 रुपया कर दी जाए। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह इनकी मन की भावना नहीं थी। यह सचमुच जानते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इस समस्या का निराकरण केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में ही और पूरी दुनिया में खोजा जा रहा है, देश और दुनिया में इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। मान्यवर, प्रदेश के सीमित संसाधनों में प्रदेश की सरकार ने अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए कुछ सुधारात्मक कदम उठाने का काम किया है। उन्हीं चीजों को लेकर के यह बजट मान्यवर, आज आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होता है। पर्यावरणीय शोध और क्रियान्वयन कार्यक्रम के माध्यम से भी जागरूकता पैदा की जाती है। पर्यावरणीय शिक्षा प्रशिक्षण और जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला योजना में मिले धन से भी जिलों में आयोजित होता है। सभी जनपदों के विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों में स्थानीय प्रजाति के वृक्षों का लगाना, नदी संरक्षण हेतु विशेष अभियान ये तमाम योजनाएं हैं। मान्यवर, इसी पर्यावरण के बिगड़ने के कारण एक समस्या के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण बनाकर शोध किये जाते हैं। मान्यवर, इसका कारण है कि जो वर्षा ऋतु के अलावा अभी–अभी बारिश के कारण अभी हमारी फसलें नष्ट हुई हैं, जब हमारी खरीफ की आई थी, तो प्रदेश के कुछ हिस्से में हुदहुद का प्रभाव दिखा था, यह पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने के कारण ही क्षति हुई है उसको देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ और इस वित्तीय वर्ष में एक प्राधिकरण बनाकर हमारे वैज्ञानिक शोधकर रहे हैं। फसलों के फसल चक्र में किस तरह से परिवर्तन हो कि कब बारिश में कौन–सी चीजें बोई जायें जिससे हमें अन्न मिल सके। इन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। यह सही बात है कि पर्यावरण के बिगाड़ने में हमारे जो कल–कारखाने हैं, उनसे निकलने वाला धुआ है। हमारे परिवहन की गाड़ियां हैं, जो सड़कों पर चलती हैं। उन सब चीजों से पर्यावरण प्रदूषण होता है। मैं समझता हूं कि यह धारणा तब सही थी, जब मनुष्य ने पत्थर से पत्थर रगड़कर अग्नि पैदा की थी, तब इतनी जनसंख्या न देश में थी, और न इतनी जनसंख्या दुनिया में थी। आज के समय में तमाम अपनी सुविधाओं के लिए मैं उन चीजों को नहीं कहता कि आप हमारे खनन मंत्री जी की तरफ आप इशारा कर रहे थे कि खनन दोषी है लेकिन विन्ध्य पहाड़ी 6 पहाड़ों का विन्ध्य हमारा पहाड़ था और तीन पहाड़ों का लाकर आपने लखनऊ और नौएडा में लगा दिया तिवारी जी, उससे भी पर्यावरण हमारा प्रभावित

हुआ है। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। यह बहुत ही जागरूकता का है, जन–जन के सहयोग के माध्यम से हम पर्यावरण को शुद्ध बनाकर अपने प्रदेश और देश की जनता के जीवन को सुरक्षित रखें। मानव जीवन का हम ठीक से उपभोग कर सकें। इस महत्वपूर्ण विषय पर आपने जो चर्चा में सुझाव दिये हैं, अच्छे दिये हैं और आपने अंत में मुझे अपने वचन से यह कह दिया कि इस पर जो बजट है वह कम है। अगले वित्तीय वर्ष में इसको बढ़ाकर इस कठिन समस्या के निराकरण के लिए कदम भी उठाएंगे। मेरी विनती है इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन इसको सर्वसम्मति से आज पास कर दे। यह चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि इसमें लगने का है कि इस समस्या का निराकरण कैसे हो, प्रत्येक जन–जन का इस पर्यावरणीय व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सहयोग की अपेक्षा है। आपने जितने ढंग से पुराने ग्रंथों का और पुराणों का और सब ढंग का उदाहरण देकर इस भयानक परिस्थिति की तरफ इंगित किया है, उसे मुझे भरोसा है, मैं प्रार्थना भी यही करूंगा कि आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लें।

श्री राजेश त्रिपाठी–

माननीय मंत्री जी ने एक बात कही कि 10 करोड़ है और आप एक रूपया कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि जब 10 ही करोड़ देना है तो इससे बढ़िया है एक रुपया कर दीजिए। दूसरा, जो माननीय मंत्री जी ने कहा एक बात जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने कहा आपको बहुत कम बोलना है माननीय विकलांग कल्याण मंत्री ने कहा कि शार्ट करिये तो मैंने शार्ट किया लेकिन एक बात का इशारा करना चाहूंगा अपने अधिकारियों तक, आपके अधिकारियों तक आपके माध्यम से बात पहुंचाना चाहूंगा आपने बजट दिया है 10 करोड़ 53 लाख मैं कोई इशारा नहीं कर रहा बस यह कहना चाहूंगा अपने अधिकारियों से कहियेगा माननीय मुख्य मंत्री जी का पर्यावरण विभाग का बजट पढ़ लेंगे उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है यह बतायेंगा कि विभाग माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट के अनुसार जब प्रस्तुत किया माननीय मुख्यमंत्री जी के उसके अनुसार भी नहीं चला है यह माननीय मुख्य मंत्री जी के साथ छल कहूंगा या जनता के साथ कहूं बहरहाल मैं अपनी कटौती पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–45–पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 10,75,53,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख06.42, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान–अनुदान संख्या–22 खेल विभाग

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,58,59,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष–

इसमें विवाद नहीं होना है ।

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2016 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–22–खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 3,58,59,88,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

वस्त्र उद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 3,47,05,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, हरकरघा उद्योग कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला कुटीर उद्योग है। यह उद्योग अपनी परम्परागत कलात्मकता एवं अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। (टोकाटाकी होने पर)

श्री अध्यक्ष–

कटौती रखवा कर पास करा लें। लेकिन डा0 साहब कटौती रख दीजिए भाषण नहीं होगा।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी आपकी अनुज्ञा से मद संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमीं करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार ने अभी अपने बजट प्रस्तुत करते समय यह माना है कि कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला हथकरघा उद्योग है और ऐसा महत्वपूर्ण उद्योग जो सबसे ज्यादा गरीब की रोजीरोटी से जुड़ा हुआ है उसके ऊपर चर्चा न हो मतदान न हो, तो मैं समझता हूं कि उन मजदूरों और उन बुनकरों के साथ अन्याय होगा और उन्हीं के साथ नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के साथ अन्याय होगा, इसलिये हथकरघा उद्योग चूंकि कषि के बाद सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाला है, विशेषकर गरीबों को रोजगार देने वाला है, एक समाज के लिये नहीं बल्कि उस समाज के सभी वर्ग के गरीबों को रोजगार देने वाला है, इसलिये बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

डा0 अयूब जी, आप भाषण मत करिये, बल्कि सरकार को सुझाव दीजिये।

डा0 मो0 अयूब–

माननीय अध्यक्ष जी, बुनकरों के विकास के लिये आज समग्र विकास की जरूरत है, जिस तरीके से किसान के विकास के लिये सरकार द्वारा समग्र विकास की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से बुनकरों का समग्र विकास किये जाने की जरूरत है। बुनकरों को हथकरघा लगाने के लिये या पावरलूम लगाने के लिये जो ऋण की आवश्यकता होती है, उस ऋण की व्यवस्था सरकार ने समुचित ढंग से नहीं किया है। मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि जिस तरीके से कृषि उद्योग के साथ दुग्ध उद्योग की लिये इकाई लगाने के लिये 80 परसेण्ट ऋण की व्यवस्था की गई है, उसी तरीके से बुनकरों के लिये भी 80 परसेण्ट ऋण की व्यवस्था की जाये और कृषि के लिये ऋण पर जो 04 परसेण्ट ब्याज दर की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार बुनकरों के लिये भी 04 परसेण्ट ब्याज की व्यवस्था की जाये ताकि उनके पास रोजगार का अवसर हो और बेरोजगारी दूर हो। मैं सिर्फ सुझाव दूंगा, कोई भाषण नहीं दूंगा। मान्यवर, जिस तरीके से कृषि के लिये खाद, बीज, पानी आदि की व्यवस्था की गई है ताकि फसलें अच्छी हो और किसानों को लाभ मिले उसी तरीके से आपके माध्यम से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जनता सरकार की गवर्नमेण्ट में सहकारी समितियों द्वारा जिस तरीके से सूत की व्यवस्था हो रही थी, जिस तरीके से ऋण की व्यवस्था हो रही थी और जिस तरीके से हथकरघा और पावरलूम की व्यवस्था हो रही थी, उसी तरीके की व्यवस्था सरकार करें ताकि बुनकरों को पावरलूम लगाने में और उत्पादन करने में आसानी हो जाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बिजली की व्यवस्था किए जाने की मांग करता हूं, चूंकि पावरलूम बिजली से चलता है और बिजली से उसको रोजी–रोटी मिलती है, तो आपके माध्यम से मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरीके से सभी कुटीर उद्योग तथा अन्य उद्योगों को 22 घण्टे बिजली अनवरत दी जाती है, अच्छे वोल्टेज में दी जाती है ताकि वह उद्योग चल सके, उसी तरीके की व्यवस्था बुनकरों के लिये की जाये ताकि उनकी रोजी–रोटी की व्यवस्था हो सके, उनके लिये लाइट–पंखे की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष जी, बिजली के मामलें में सरकार ने अपने इस बजट में लिखा है कि बिजली का उपादान दिया जाता है, छूट का उपादान दिया जाता है, मगर बिजली का जो बिल आता है, जितना बिल बुनकर जमा करता है, उसके बाद जो उपादान की राशि है, वह भी उसको बकाये का बिल आता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकष्ट करना चाहता हूं कि उन बुनकरों का बकाया अगर आज दस रूपये है, तो दूसरे महीने में 12 रुपये हो जाता है और सरकार से लगातार उपादान का धन नहीं जा रहा है और सरकार उपादान की धनराशि मुहैया नहीं करा रही है, इसलिये सारे बुनकर उपादान देने के बाद भी बिजली कंपनियों के ऋणी हो जाते हैं, उनका बकाया हो जाता है उनपर। अध्यक्ष जी, विपणन सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सरकार अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने कार्यालयों के लिये ओपेन मार्केट से वस्त्र खरीदती है, आपके माध्यम से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि इन बुनकरों का जो माल है जिस

तरीके से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर गेहूं और की खरीदारी होती है, उसी तरीके से सरकार लाभकारी मूल्य दे करके बुनकरों के माल को खरीदे और उसका इस्तेमाल वह सरकारी महकमे में करे, वस्त्र और विभागों में करे।

श्री अध्यक्ष–

बुनकरों की काफी समस्या आपने रख दी, अब रहने दीजिये।

'पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जब बजट प्रस्तुत करने के लिये खड़े हुये और अपनी मांगों को उन्होंने रखा, उसके साथ ही तुरन्त आपकी पीठ से और कई सदस्यगण की इच्छा के अनुसार उनको यह निर्देश हुआ कि आप इसको छोड़ दीजिये, तो उन्होंने उसे वहीं रोक दिया। आपने जैसा कहा है, उसके अनुसार बाकी के सुझाव अगर लिखित आ जायें तो मंगवा लीजिये। समय को देखते हुए ऐसा करना बेहतर रहेगा, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

अब हो गया। अब माननीय मंत्री जी इसका जवाब दे दीजिये। अब आप लोग लिखित सुझाव दे दीजिये, मैं इसको शामिल करवा दूंगा।[४]

डा0 मो0 अयूब–

अध्यक्ष जी, मैं यह कह रहा था कि बुनकरों के प्रशिक्षण पर सरकारा का पूरा ध्यान नहीं है क्योंकि यह प्रतिस्पर्धा सिर्फ इस देश और प्रदेश में नहीं है, बल्कि विदेशों से भी प्रतिस्पर्धा है बुनाई का, वस्त्र का। इसलिये आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि बुनकरों का प्रशिक्षण हो, नई तकनीक आवे ताकि इनका वस्त्र सस्ते दाम पर बेहतर बने और यह प्रतिस्पर्धा में टिक सकें। अध्यक्ष जी, आखित में यह कहना चाहता हूं कि बुनकरों का बीमा नहीं होता है, बुनाई के अलावा उनके पास कोई रोजगार नहीं है, आपके माध्यम से मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिये 5 लाख का बीमा किया गया है, उसी तरीके से गरीब बुनकर जो किसान से भी बदतर हालत में है, उनको भी 5 लाख का बीमा किया जाय और जिस तरह से गरीब मजदूरों के लिये स्मार्ट कार्ड से स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की गयी है, उसी तरह से बुनकरों के लिये भी स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था की जाये, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बुलवाये जाने का अनुरोध किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग लिखकर दे दीजिये, तो उसे कार्यवाही में शामिल करवा दिया जायेगा।[४]

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री शिव कुमार बेरिया)–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[४] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 295–301 पर)

[४] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 295–301 पर)

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा था कि बुनकर उद्योग हमारे प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण हथकरघा उद्योग के अन्तर्गत आता है और यह जो कला है यह हमारे प्रदेश की बहुत मशहूर कला रही है जिसमें बनारस की सिल्क की साड़ियां, सीतापुर की दरियां, गाजीपुर का परदा, गोरखपुर के बेडकवर, गाजियाबाद का टेली टावल, यह हमारे प्रसिद्ध उत्पाद थे, जिनकी न सिर्फ देश और प्रदेश के अंदर डिमांड थी बल्कि विदेशों में भी इसकी डिमांड थी। मान्यवर, कोई भी प्रदेश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वहां के बेरोजगार नौजवानों को काम न दिया जा सके और बेरोजगारों को आप काम देंगे कैसे। हमारे महान नेताओं ने भी कहा था कि अगर किसी देश या प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ेगी तो वह देश या प्रदेश अराजकता की ओर जायेगा। जब से माननीय मुख्य मंत्री जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, तब से लगातार बुनकरों के उत्थान के लिये काम किया जा रहा है और उनके लिये योजनायें भी बनाई जा रही हैं। मान्यवर, हम बुनकर का उत्थान आखिर किस तरह करें, बुनकर की जो हमारी कला थी, इतनी महान और उत्कृष्ट कला थी कि मुगल बादशाह, शहजादे और शहजादियां भी उस जमाने में हाथ का बुना हुआ कपड़ा पहनते थे, यह इतिहास में इंगित है। यहां तक कि नेपोलियन बोनापार्ट की जो पत्नी थी, वह भी हमारे प्रदेश के बुनकरों के हाथ का बुना हुआ शाल ओढ़ती थी, यह उस जमाने में भी हमारा जो प्रदेश था वह बुनकर कला में बहुत आगे था। पिछली सरकारों के चलते प्रदेश में जो साढ़े चार लाख बुनकर थे उनकी संख्या घटकर ढाई लाख रह गई है। आखिर बुनकरों का उत्थान कैसे करेंगे, इसके लिए मार्केट बनायेंगे क्योंकि वह जो माल बनायेंगे उसे कहां बेचेंगे, उसके लिए कोई जगह प्रदेश में नहीं थी और न ही किसी सरकार ने इसके लिए काम किया न तो पिछली सरकार ने और न ही इससे पिछली सरकारों ने। मा0 मुलायम सिंह यादव जी ने, हमारे नेता जी ने इस पर काम किया था, अब मा0 मुख्यमंत्री जी जनपद आजमगढ़ के मुबारकपुर में हथकरघा से उत्पादित सामान, हस्तकला से उत्पादित सामान को बेचने के लिए एक नया मार्केट बनाने जा रहे हैं जिसकी प्रथम किस्त के रूप में हमने 490 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान कर दी है और सी0 एण्ड डी0एस0 के माध्यम से यह काम हो रहा है। निकट भविष्य में हमारा मार्केट बनकर तैयार हो जायेगा और जो भी हमारा उत्पादन है हथकरघा के माध्यम से जो भी बुनकर भाइयों का उत्पादन है उस उत्पादन को बेचने के लिए हमने यह मार्केट तैयार कराया है। मान्यवर, हमने इतना ही नहीं किया है बल्कि हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने क्रय अनिवार्यता किया कि चाहे हमारा खादी हो या हमारे बुनकरों के द्वारा बना हुआ माल हो, यह माल हमारे दूसरे विभाग चाहे हमारा जेल हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे बेसिक शिक्षा विभाग हो, चाहे रेलवे में सप्लाई करना हो, जहां भी खपत होती है सभी विभागों को मा0 मुख्य मंत्री जी ने क्रय अनिवार्यता के माध्यम से क्रय करने के लिए कहा है। अभी हमारे मा0 डॉक्टर साहब जो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे उन्होंने विद्युत का सवाल उठाया। हमारी सरकार ने विद्युत पर जिस तरह से पॉवरलूम के बुनकरों को विद्युत पर छूट दी, पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में बुनकरों को एक हार्सपॉवर पर 72 रुपए की छूट दी है यानी कि 72 रुपया

बुनकर देगा और बाकी जितना पैसा आयेगा उसे सरकार अदा करेगी, यह पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ है। मान्यवर, नई वस्त्र उद्योग नीति हमारी बनने जा रही है जिसमें 2014 से 7 वर्ष तक 7 प्रतिशत ब्याज की दर से धन दिया जायेगा जो लोग भी यूनिट लगायेंगे। मान्यवर, धागा, अगर हम धागा बुनकरों को नहीं दे पायेंगे तो उद्योग की उन्नति जो हम करना चाहते हैं वह नहीं हो पायेगी इसीलिए 7 वर्ष तक 7 प्रतिशत की दर पर हम पैसा देंगे। और खाली बुनकरों को ही नहीं, जो बनियान बनायेंगे, तौलिया बनायेंगे, अंडरवियर बनायेंगे, जो छोटे–छोटे रूमाल बनायेंगे, इस पर भी 5 प्रतिशत ब्याज पर 5 वर्ष तक छूट रहेगी, यह काम भी सरकार करने जा रही है। हमारे मा0 सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की है पक्ष या विपक्ष, जो भी सदस्य बुनकरों के उत्थान के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं वह जो भी सुझाव बुनकरों के हित में देंगे, मैं पूरे सदन को विश्वास दिलाता हूं कि यथासम्भव सारे काम किये जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूँ कि मा0 सदस्य अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें और बुनकरों के हित के लिए सर्वसम्मति से इस बजट को पारित करायें।

श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भइया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग विभाग में जो सहायक निदेशक हथकरघा, मऊ हैं उनके द्वारा जो पैसा बुनकरों को मिलना चाहिए था जो पैसा बुनकरों की समितियों को जाता है, जिसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से पैसा मिलता है उसमें बहुत बड़ा एक घोटाला सामने आया है उस घोटाले की जांच के लिए लिखा गया है, जिसमें मा0 मुख्य मंत्री जी के सचिव श्री राकेश गर्ग के पत्रांक सं0–पी0जी0ओ0/5312262 दिनांक 06–07–2013 को विजिलेंस सतर्कता जांच फाइल नं0–5069/11 सतर्कता–4 के माध्यम से एक साल बाद 30 जून, 2013 व 29 जनवरी, 2015 को प्रारम्भ हुई। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, इसमें इसको इंगित नहीं किया गया है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनको निलम्बित करके, उनके विरुद्ध जांच करके मा0 मंत्री जी कब तक कार्रवाई करेंगे।

श्री शिव कुमार बेरिया–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि यह बड़े विद्वान सदस्य हैं इसका बजट से कोई लेना–देना नहीं है। अगर किसी अफसर के खिलाफ शिकायत है और यह बहुत चिन्तित थे तो आज तक हमारे पास क्यों नहीं आये ? एक चिट्ठी भी नहीं दी कि जांच करा दीजिए। यह खाली हाउस में भाषण करने के लिए चिन्तित हैं। मैं चाहूँगा कि यह लिख करके मुझको दे दें, मैं इसकी जॉच करवा दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–06–उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 03 अरब, 47 करोड़, 05 लाख रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

ख07.02, वित्तीय वर्ष 2015–2016 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण), अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्रम मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न हो गया है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि एक माननीय सदस्य ने एक भ्रष्टाचार पर प्रश्न पूछा।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं बता रहा हूं, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, मैंने आगे ले लिया है। माननीय मंत्री जी बजट रखें।

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री शाहिद मंजूर)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,82,96,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 75,04,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के अपने आसन पर खड़े रहकर कुछ कहते रहने पर तथा सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर व्यवधान की स्थिति बनी रही)

श्री अध्यक्ष–

बैठ जाईये अखिलेश प्रताप सिंह जी, हम आगे बढ़ गये हैं अब व्यवस्था का प्रश्न कहां रह गया, बैठिये। माननीय मंत्री जी आप बजट पर अपनी बात रखिये।

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से वर्ष 2015–16 का श्रम विभाग का आय–व्ययक प्रस्तुत करते हुए विभाग की कार्ययोजना और उपलब्धियों की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। प्रदेश के लोकप्रिय एवं ऊर्जावान मुख्य मंत्री उद्योग धन्धों की स्थापना करने एवं श्रमिक हितों के प्रति कटिबद्ध है। मा0 मुख्य मंत्री जी की प्रेरणा से उद्यमियों और श्रमिकों के बीच प्रभावी सामन्जस्य बनाया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखकर कार्य किया जा रहा है कि प्रदेश में उद्योगपतियों को उद्योग धन्धे स्थापित करने में श्रम कानूनों को लेकर, कोई असुविधा न होने पाये। इसके साथ ही इस बात का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है कि श्रमिकों के मूलभूत एवं विधि–संगत हितों को संरक्षित किया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

उत्तर प्रदेश में स्थित विभिन्न उद्योगों क्रमशः होटल एवं रेस्टोरेण्ट उद्योग, 50 या 50 से अधिक श्रमिकों के नियोजन वाले इंजीनियरिंग उद्योगों, डिस्टीलरी उद्योग तथा चीनी उद्योग में वेतन पुनरीक्षण करने हेतु श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है। इंजीनियरिंग उद्योग में अभी तक कोई सार्थक निर्णय न हो पाने के कारण कार्यरत सभी श्रमिकों को अंतरिम राहत दिलाये जाने की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।

(श्री अखिलेश प्रताप सिंह के लगातार खड़े होने एवं सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों द्वारा इस बात का विरोध करने के कारण व्यवधान बना रहा)

होटल एवं रेस्टोरेंट उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों को अन्तरिम राहत दिलाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष जी मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त न्यायमूर्ति जे0आर0 मजीठिया आयोग का गठन किया गया था उनकी सिफारिशों को श्रम विभाग अक्षरशः लागू करने का प्रयास कर रहा है। मजीठिया आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद मुझे उम्मीद है कि इस प्रदेश के पत्रकारों को उनके मालिकों से निजात मिलेगी और जो मनमाने तरीके से उन पत्रकारों को अखबारों के मालिक उनको हटाने का उनको निकालने का षडयंत्र करते हैं निश्चित रूप से तमाम पत्रकारों को सुविधा मिलने का उनको संरक्षण मिलने का काम होगा। माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में पूरे प्रदेश में चारों तरफ उद्योगों में शांति बनी हुई है। कहीं भी अशांति का माहौल नहीं है। प्रदेश के श्रमिक पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं और कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं भी आन्दोलन नहीं हो रहा है। उसका कारण यह है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ है हमारे तमाम साथी अपने–अपने विभागों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। अपने विभाग के कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए

जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश में कहीं भी कोई मजदूर आन्दोलनरत नहीं है। इसके अतिरिक्त भी जो श्रम कानून हैं उनको लागू करने के लिए जहां आवश्यकता पड़ती है निश्चित रूप से लागू करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी न्यूनतम वेतन को लागू करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है और कहीं पर भी इस विषय पर कोई ऐसा आन्दोलन या मजदूरों और मालिकों के बीच कोई ऐसा आन्दोलन नहीं चल रहा है जिसमें प्रदेश में कोई असुविधा हो। मान्यवर, वर्तमान में जो श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के श्रमिकों के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका प्रदेश में सार्थक रिजल्ट आया है और मजदूरों में बहुत ही लोकप्रिय हुई हैं। हम जो धन सेस के रूप में विभिन्न स्कीमों में इकट्ठा करते हैं सेस के रूप में उससे मजदूरों के हित के लिए जहां तक हो सकता है श्रम विभाग पूरी तरह से लागू करता है और मजदूरों को उनका हक दिलाने में उनको फायदा पहुंचाने में उनके बच्चों की शिक्षण संस्थाएं बच्चों के इलाज की व्यवस्था कराने में श्रम विभाग पूरी तरह से तत्पर है। जब से हमारी यह लोकप्रिय सरकार आई है मान्यवर आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं आपको मालूम है कि श्रम विभाग इस प्रदेश का एक महत्वपूर्ण विभाग है सरकार के आने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी से बहुत सारे निर्देश हम लोगों को मिले हैं। उनके अनुपालन में मजदूरों के हितार्थ में अनेक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो प्रदेश में चल रही हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी योजनाएं हैं उनमें पंजीकृत मजदूरों को साइकिल के अलावा मात्रहित योजना शिशुहिताय योजना है मेधावी छात्र के लिए पुरस्कार योजना है बालिका मदद योजना है किसी भी मजदूर की पुत्री के विवाह में अनुदान योजना है अन्त्येष्टि योजना और दुर्घटना अध्यक्ष जी अक्सर यह देखा गया कि जब किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती थी तो मृत्यु होने के उपरान्त उसकी अन्त्येष्टि के लिए पूरे समाज में पैसा और चन्दा इकट्ठा करके अन्त्येष्टि होती थी। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में हमने इस योजना को लागू किया। अगर कोई मजदूर मर जाता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी अन्तयेष्टि के लिये 15 हजार रुपये उसके घर पर पहुंचा दिये जाते हैं इतना ही नहीं हमारे यहां जो पंजीकत मजदूर हैं अगर उसकी मत्यु हो जाती है डेथ के उपरान्त एक लाख रुपया विभाग की तरफ से उसको दे दिया जाता है। इसके अतिरिक्त भी अगर कोई आंशिक रूप से विकलांग है तो उसको दो लाख रुपये विभाग की तरफ से अनुदान के रूप में दिये जाते हैं। अगर कोई परमानेन्ट विकलांग है तो उसको 3 लाख रुपये श्रम विभाग की तरफ से दिये जाते हैं। अगर किसी पंजीकृत मजदूर की डेथ हो जाती है, अगर एक्सीडेंट में उसकी मत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपये उसको विभाग की ओर से दिये जाते हैं। अगर हमारे यहां कोई पंजीकृत मजदूर है तो उसको मकान बनाने के लिये एक लाख रुपये और उसको मकान की मरम्मत के लिये 15 हजार रुपये और अगर उसके विवाह योग्य पुत्री है तो उसकी शादी के लिये चालीस हजार रुपये, (मेजों की थपथपाहट) 6 महीने अगर उसके रजिस्ट्रेशन पूरे हो जायं तो अच्छी क्वालिटी की जो ब्रान्डेड साइकिल है वह एक साइकिल दी जाती है। अगर उसके रहने के लिये मकान है, जमीन है तो उसके मकान के लिये एक सोलर लाइट दी जाती है। मुझे लगता है कि श्रमिकों को जो पूरे प्रदेश में साइकिल वितरण का काम है, वह पक्ष और विपक्ष दोनों के

ही क्षेत्र में बिना किसी भेद–भाव के हो रहा है। (मेजों की थपथपाहट) महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पिछली सरकार थी बहुत सारी योजनाओं का लाभ विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता था लेकिन जबसे हमारी सरकार आई है चाहे लैपटाप बंटे हों, चाहे कन्या विद्या धन दिया गया हो, बेरोजगारी का भत्ता हो, साइकिल हो या, सोलर लाइट हो, इसमें आज तक कहीं भी किसी के साथ भेद–भाव नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूरे सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि निकट भविष्य में हम अपने रजिस्टर्ड मजदूरों को मध्याह्न भोजन देने का प्रोग्राम देंगे। इसके लिये पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में हम लखनऊ में काम करने जा रहे हैं। हमारी इस सम्बन्ध में बात चल रही है, कल हमारी बात हुई है अगर वह मजदूरों को खाना देने के लिये 10 रुपये में वह पूरी व्यवस्था कर देंगें तो हम पूरे प्रदेश में मजदूरों को दोपहर का भोजन रियायती दर पर देंगे और माननीय मुख्य मंत्री जी का निर्देश है कि इसको 10 रुपये से भी घटाकर कम से कम दामों में दिया जाय। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष जी, इसके अतिरिक्त एक बात और है अगर देखा जाय तो मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई–लिखाई का कोई इंतजाम नहीं है। जहां पर जिस साइट पर वह काम करते हैं वहां उनके बच्चों की पढ़ाई–लिखाई का कोई माकूल इंतजाम नहीं होता है। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में इस प्रदेश में उन जनपदों में जहां ज्यादा श्रमिक हैं, या जहां ज्यादा रजिस्ट्रेशन हैं श्रम विभाग में तमाम जनपदों में श्रमिकों के बच्चों के लिये एक–एक स्कूल की स्थापना करने जा रहे हैं जो कि इसी वर्ष हम चालू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष–

सेवायोजन भी रख दिया है ना आपने।

श्री शाहिद मंजूर–

जी हां।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, अब कट मोशन रखने दीजिये। बाकी बाद में बोल लीजियेगा। पहाड़िया जी आप कट मोशन रखिये।

'श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद। आपने मुझे श्रम विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने..

श्री अध्यक्ष–

अरे पहले कटौती रखिये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी से....

श्री अध्यक्ष–

दूसरा वाला भी रख दीजिये ना।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, आपने मुझे अनुदान संख्या–77 के कटौती के प्रस्ताव पर....

श्री अध्यक्ष–

नेता विरोधी दल कहां से चुनकर लाए हैं। कटौती का प्रस्ताव रख ही नहीं पा रहे हैं।

(शोर)

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या–77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी से ताल्लुक रखने वाला यह श्रम विभाग बहुत महत्वपूर्ण है। मा0 मंत्री जी ने जो अपने विभाग की रूप–रेखा सदन के सामने पेश की देश की आजादी के 66 वर्ष बीत गए हैं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

बोलने दो भई।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

लेकिन आज भी मजदूर की दशा बद से बदतर है। आज दो टाइम की रोटी का इंतजाम भी नहीं हो पा रहा है। जिस साइकिल वितरण की बात मंत्री जी कर रहे हैं ।हमारी यू0पी0ए0टू की सरकार ने भवन निर्माण कर्मकार संरक्षण अधिनियम, 2002 लागू किया, उसमें सरकार भेदभाव पूर्ण तरीके से साइकिलों का वितरण कर रही है। यदि सरकार विपक्ष के विधायकों के किसी क्षेत्र में साइकिल बांटने के कार्यक्रम को साबित कर दे तो हम कटौती का प्रस्ताव वापस भी ले लेंगे। (शोर) मा0 अध्यक्ष जी, वर्ष 2014–15 के आय व्ययक के अनुदान जो हमारी आय थी वह 304.18 लाख थी, जो पहले वित्त वर्ष 2014–15 में 334 लाख और इससे अगले इयर में 304 लाख घटी। आज 2015–16 में जो इनके फर्जी आंकड़ों में जो दर्शाया गया है वह 297.04 है। मान्यवर, लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति बहुत कम है इसे घटाया गया है जबकि बजट की राशि 15 परसेन्ट बढ़ाई गई है। मा0 अध्यक्ष जी इन्होंने जो राजस्व का घाटा किया है इससे महसूस होता है कि इनका विभाग और माननीय मंत्री जी संवेदनशील नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, उ0प्र0 दुकान वाणिज्य कर अधिनियम, 1962 बहुत पुराना है इसको बदलने की आवश्यकता है। इन्होंने वेज बोर्ड बनाने की बात कही है आज तक उसकी कोई बैठक नहीं हुई है। माननीय

अध्यक्ष जी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 7–2–2002 के अनुपालन में न्यायमूर्ति जी0 आर0 मजीठिया आयोग की संस्तुतियां जो आज तक लागू नहीं हुई हैं मान्यवर, निरीक्षण के नाम पर श्रम विभाग लेबर इंस्पेक्टर धन उगाही में लगे हैं माननीय अध्यक्ष जी, आज जो निरीक्षण के द्वारा प्राप्त शुल्क पिछले तीन वर्षों से गिरावट में आ रहा है विभाग के हित में नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी इन्होंने, बाल श्रमिक, विधान सभा के किसी छोर पर चले जाइए, मैं आज सुबह आ रहा था आठ–आठ, छः–छः साल के बच्चे बर्तन साफ कर रहे थे मैंने रोका, दुकानदार डंडे से पीट रहा था यह सरकार की संवेदनशीलता है। अध्यक्ष जी, मेरा कहना है आपके माध्यम से सरकार से मेरा कहना यह है कि दुकानदार यह कृत्य करता है और मां–बाप बच्चे को स्कूल नहीं भेजते हैं...

एक सदस्य–

इन्होंने बाल श्रमिकों को देखा और इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

जो मां–बाप बच्चों से काम करवाते हैं उनको भी दंड की श्रेणी में लाया जाए। (शोर)

मान्यवर, मेरा सरकार से आग्रह है कि जो मां–बाप पढ़ने वाले बच्चों को धन के लालच में दुकान पर नौकरी कराते हैं उन अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 पहाड़िया जी, कायदे से धीरे–धीरे कहिये न।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मान्यवर, इन्होंने बुलन्दशहर, आजमगढ़, मिर्जापुर, सहारनपुर, भदोही, रामपुर, शाहजहांपुर, कानपुर में कितने स्कूल खोले हैं तो पूरे प्रदेश में खोले जाएं, लेकिन वाराणसी, बरेली, जौनपुर, सोनभद्र, उन्नाव, सीतापुर, लखीमपुर खीरी में इन्होंने स्कूल बन्द किये हैं और कोई कारण नहीं बताया गया है। मा0 अध्यक्ष जी, बीड़ी श्रमिकों के लिये आवासीय राशि इन्होंने घटाकर 500 लाख से 200 लाख की है और यह श्रमिकों के हित की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इनकी चार बार सरकार रही और लोक सेवा आयोग द्वारा इन्होंने जो 1991 में जिला सेवायोजन अधिकारी भर्ती किये थे आज तक उन्हें ए0सी0पी0 का लाभ नहीं दिया है न ही उनके प्रमोशन किये। विभाग कितना गम्भीर है ? फिरोजाबाद में कांच उद्योग और खुर्जा में पॉटरी उद्योग में आज तक सभी धर्मों के लोग काम करते हैं। यह सरकार खुद धर्मों की ठेकेदार बनती है। मान्यवर, पांच लाख से ऊपर लोगों को सांस की बीमारी, आकस्मिक दुर्घटना, चूड़ी जुड़ाई, चूड़ी कटाई, चूड़ी ढलाई, चूड़ी मुड़ाई, उनके स्वास्थ्य की कोई योजना यह सरकार लेकर नहीं आई है। बिना जनसहभागिता के कोई भी योजना, कोई भी विभाग तरक्की नहीं कर सकता है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस विभाग में जनप्रतिनिधियों की कोई सहभागिता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हो चुका है अब आप बैठें।

'श्री तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे श्रम विभाग के बजट के पक्ष में बोलने का अवसर दिया, मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं सबसे पहले यह कहना चहता हूं कि जबसे उत्तर प्रदेश में मा0 श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है जो उत्तर प्रदेश का मजदूर तबका है, जो उत्तर प्रदेश का किसान तबका है, जो उत्तर प्रदेश के मजदूरी करने वाले लोग हैं उनको हर प्रकार की सहायता देने का काम आज समाजवादी पार्टी की सरकार और श्रम विभाग ने किया है। मान्यवर, पूरे प्रदेश में जो मजदूर हैं जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, जिनके पास चलने के लिये साधन नहीं था, जिनके पास रहने और खाने की व्यवस्था तक नहीं थी आज उनके परिवार के पालन–पोषण की जिम्मेदारी श्रम विभाग ने पूरे प्रदेश में निर्वहन करने का काम किया है। आज हम इस बात को इस पूरे सदन के बीच में बहुत मजबूती से कहना चाहते हैं कि आज अगर किसी मजदूर के यहां जिसका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे की पूरी दवा की जिम्मेदारी, खाने–पीने की पूरी जिम्मेदारी श्रम विभाग द्वारा ली जाती है। श्रम विभाग द्वारा उसको पैसा दिया जाता है कि उसका लालन–पोषण सही से हो सके और उस मां का भी रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है तो श्रम विभाग द्वारा उसकी मां के लिये भी 24 हजार रुपये की व्यवस्था की गयी है। ऐसी व्यवस्था आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी। अगर उसका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छे विद्यालय में जाता है, अच्छे तरीके से पढ़ता है और पढ़ लिख कर अच्छे नम्बर लाता है तो श्रम विभाग उस बच्चे की पढ़ाई–लिखाई, उस बच्चे की फीस की पूरी व्यवस्था करेगा। यह काम उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया है। आज हम कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा मजदूर है, आज जो हमारे काम करने वाले लोग हैं श्रम विभाग में कम से कम 40 प्रकार के ऐसे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास चलने के लिये कोई साधन नहीं है। झोपड़ी में रहने वाले बहुत गरीब परिवार के लोग, लेकिन अगर उनकी अपनी जमीन है तो उनके मकान को पक्का बनाने के लिये श्रम विभाग ने एक लाख रुपये का प्राविधान किया है। अगर उनका कच्चा मकान है तो उस मकान को प्लास्टर करने के लिए 15 हजार रुपये देने की पूरी व्यवस्था की। आज माननीय मंत्री जी अभी साइकिल की बात कर रहे थे, हम अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहते हैं, पूरे प्रदेश में 3 साल के अन्दर श्रम विभाग के द्वारा जितने मजदूरों को, कामगीरों को, काम करने वालों को साइकिल देकर उनकी यात्रा को सुगम बनाने का काम इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने श्रम विभाग के द्वारा किया है, यह उत्तर प्रदेश के मजदूरों के लिए, कामगीरों के एक ऐतिहासिक कदम है, इसकी हम सराहना करना चाहते हैं। मान्यवर, मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट की बात हुई, अभी विपक्ष के साथी जो कटमोशन रख रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं लागू नहीं हुई है। हम यह कहना चाहते हैं, उत्तर में मा0 मुख्य मंत्री, अखिलेश यादव जी की सरकार बनने के बाद आज जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनका जीवन–यापन किस तरह से होता है, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं तो

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बधाई दूंगा, उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री, अखिलेश यादव जी को उन्होंने मजीठिया कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया और कुछ अखबारों में लागू भी हुई, जिससे मीडिया कर्मियों को उसका लाभ मिलने का काम हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने आज चौतरफा काम करने का काम किया है। आज हम कहना चाहते हैं, अगर आज गरीब, किसान, मजदूर जिसका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, अगर दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाए तो 5 लाख रुपये देने का काम हमारा श्रम विभाग करता है, अगर आंशिक रूप से घायल हो तो 01 लाख रुपया देने का काम करता है, उसके दाह–संस्कार के लिए 15 हजार रुपये देने का काम करता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज यह मानवीय संवेदनाएं अगर किसी के अन्दर हैं तो समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री, आदरणीय अखिलेश यादव जी के अन्दर हैं, हमारी पार्टी के अन्दर हैं क्योंकि आजादी के 68 वर्षों बाद किसी भी सरकार ने इस काम को नहीं किया है। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बहुत–बहुत बधाई, धन्यवाद।

श्रीमती बिमला बाथम–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत अच्छे–अच्छे नए प्रावधान अपने बजट में किए हैं, उन्हें जानकर बहुत प्रसन्नता हुई क्योंकि मैं उद्योग जगत से आती हूं और मजदूरों की समस्याओं के बारे में बहुत अच्छे से मुझे ज्ञान है। लेकिन वह तभी कारगर होंगे जब उनका अमलीजामा पहनेगा। ऐसे सिर्फ अगर कागजों पर कोई बात कहते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगर यह स्कीमें कारगर हो जाती हैं, वह अमलीजामा पहन लेती हैं तो मैं मानूंगी कि सरकार की उपलब्धियां कम से कम श्रमिक क्षेत्र में बहुत अच्छी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1937 में कानपुर में जो सबसे पहला कार्यालय बना था श्रमिकों का, वह बहुत नींव का पत्थर श्रमिकों के लिए साबित हुआ और वहीं से श्रमिकों के अधिकारों की बात शुरू हुई। अमरीका में 8 मार्च को 100 साल पहले श्रमिक महिलाओं ने वहां पर अपने मालिक का घेराव करके तनख्वाह बढ़ाने की बात की थी और जुल्म समाप्त करने की बात की थी जो हम आज भी अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऐसा नहीं है, नयी बात नहीं है, यूरोप में बहुत पहले से यह बात शुरू हुई और उसके बाद पूरे यूरोप में वह बात आई और भारत में भी उसका असर हुआ, जसके फलस्वरूप 1937 में कानपुर में एक कार्यालय बना। इसके बाद बाल मजदूरी करने वालों के लिए जो एक्ट 1996 में बना वह भी एक बहुत अच्छा ऐक्ट था लेकिन अभी भी मैं उस विषय में कहना चाहूंगी, जो बालिकाएं हैं, श्रम मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी जो बालिकाएं घरों में काम करती हैं, लेकिन उनके लिए अभी कोई पाबन्दी नहीं है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। अभी जो इन्डस्ट्रियल एरिया है, जैसे हमारा नोयडा क्षेत्र है, वहां पर कोई भी 18 साल से कम का बच्चा काम नहीं कर सकता है, ऐसा बाहर लिखा है और बहुत सख्ती से लागू हो रहा है। लेकिन हम बालिकाओं को काम करने से नहीं रोक पा रहे हैं और मां–बाप थोड़े से लालच की वजह से बालिकाओं से चौका–बर्तन कराते हैं और स्कूल नहीं भेजते हैं, जो बहुत चिन्ता का विषय है, इसके लिए आप संज्ञान लीजिए। मान्यवर, श्रमिकों के लिए आवास की व्यवस्था नहीं होती है, इन्डस्ट्रियल शहर आप बसा देते हैं, नोयडा का उदाहरण मैं दूंगी, एक मालिक होता है, उसके पीछे 50 या 100 श्रमिक होते हैं लेकिन होता क्या है कि श्रमिकों के आवास नहीं,

वह झुग्गी–झोपड़ी बना कर रहते हैं, गन्दी नालियों में उनके बच्चे खेलते हैं, न उनके स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था है, न कुछ। अभी नोयडा में जो श्रमिक कुंज बने हैं, वह भी बहुत दयनीय हालत में हैं। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

जो श्रमिक कुंज हैं, वह टूटे हैं, प्लास्टर नहीं हैं, उनके यहां पानी नहीं आता, बिजली नहीं आती। आप एक बार वहां का दौरा मेरे साथ करें और स्वयं देखें कि वह किस स्थिति में रह रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि श्रमिकों को फैक्ट्री लगने से पहले उनके लिए आवास की व्यवस्था हो बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जैसे ईएसआई की व्यवस्था है वैसे ही उसकी भी व्यवस्था हो ताकि उनके बच्चे भी अच्छी जिन्दगी गुजार सकें नालियों में न खेल सकें। अगर किसी क्षेत्र में फैक्ट्री लगाएं जैसे नोएडा में बसाया लेकिन वहां पर कोई व्यवस्था इन्होंने श्रमिकों के लिए नहीं की थी। यह बड़े दुःख और चिन्ता की बात थी। 1996 से मैं इस बात को प्राधिकरण कार्यालय में उठा रही हूं लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज इस सदन में मुझे अपनी बात कहने का मौका मिला है इसलिए मैं अपनी बात रख रही हूं। मान्यवर, श्रमिक कार्यालयों की हालत बहुत खस्ता है। वहां जाने वाले मालिकों की बैठने की व्यवस्था अलग कराई जाए और जब वहां वाद–प्रतिवाद होता है तो श्रमिकों के लिए भी बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और चाय की व्यवस्था करा दी जाए तो उन्हें भी बहुत प्रसन्नता होगी। ई0एस0आई0 की बात मैं करूंगी। एक बार हमारा श्रमिक मर गया उन्होंने रेफर नहीं किया। आल इण्डिया में या कहीं भी उसको रेफर करना चाहिए था। वह अपने यहां उसका इलाज करते रहे और बाद में कह दिया कि यह हमारे बस का नहीं है उसी रात उसकी मौत हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छे अस्पताल बनाए हैं ई0एस0आई0 के लेकिन वहां डाक्टरों पर कोई अंकुश नहीं है। उन पर अंकुश लगाइए ताकि डाक्टर सेवा भाव से मरीजों की सेवा करें। दो–दो महीने एक एक्स–रे के लिए या किसी अन्य चीज के लिए इंतजार करना पड़ता है। तब तक तो श्रमिक की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वह हार कर प्राइवेट अस्पताल में जा कर अपना इलाज कराते हैं। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। श्रम बन्धु की बैठक हर जिले में होती है। यह एक बहुत अच्छा काम सरकार के द्वारा किया गया है। उसकी मैं प्रशंसा भी करती हूं हालांकि आपके समय से पहले की है लेकिन जो भी है वह चल रही है और डी0एम0 की अध्यक्षता में वह बैठक होती है जहां श्रमिक अपनी समस्या रखते हैं और उसका निस्तारण भी कहीं हद तक होता है। एक वेबसाइट की बात मैंने इसमें पढ़ी है अगर वह बन जाए तो बहुत अच्छा हो। हमारे यहां तीन तरह के मजदूर हैं कुशल, अकुशल और अर्द्धकुशल। कुशल और अर्द्धकुशल लेबर नहीं मिलते हैं। उनके लिए आई0टी0आई0 बड़ी संख्या में बनाई जाए और उस वेबसाइट के द्वारा तीनों तरह के मजदूरों का उसमें डाटा फीड हो जिससे श्रम विभाग की वेबसाइट से हम उन मजदूरों का नाम ले लें और हमारा इंडस्ट्री का काम चलता रहे। वेबसाइट का लागू होना बहुत अच्छा काम होगा।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री विमला बाथम–

मान्यवर, पत्रकार वाली बात जो हमारे एक भाई ने अभी कही थी। वह सही बात है। मा0 अध्यक्ष जी कुछ पत्रकार हमारे पास भी आए जिन्हें उनके मालिकों ने निकाल दिया। उन्हें मैं कोई भी आश्वासन नहीं दे पाई। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है कि आपने इस मुद्दे को लिया है। पत्रकारों के साथ न्याय होना चाहिए। इसके लिए आपको बधाई। बहुत–बहुत धन्यवाद।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

रूबी प्रसाद। देखिए उनके सोनभद्र जिले में मजदूर हैं इसलिए वह बोल रही हैं।

'श्रीमती रूबी प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आपने मुझे 2015–16 के श्रम विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया। उत्तर प्रदेश एक विशाल प्रदेश है और हमारे मा0 मुख्य मंत्री और मा0 श्रम मंत्री जी ने समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो मजदूर हैं उनके आंसुओं को पोछने का काम किया। आज तक कितनी सरकारें आई गईं लेकिन किसी का ध्यान मजदूरों की ओर नहीं गया। हमारे मजदूर हमारे समाज की नींव होते हैं। चाहे वह घर का भवन बनाना हो, सड़क बनाना हो हर जगह मजदूरों का काम लिया जाता है। हर जगह मजदूरों से काम लिया जाता है। लेकिन उनके आंसू पोंछने का काम सिर्फ मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी और मा0 श्रम मंत्री श्री शाहिद मंजूर जी ने किया। मा0 अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूं कि वर्तमान में कारखाना अधिनियम के अंतर्गत लगभग 16 हजार 119 कारखाने पंजीकृत हैं। हमारे यहां बहुत इंडस्ट्री हैं। हिण्डाल्को, जे0पी0 सीमेंट, शक्तिनगर बीजपुर, लेन्को पावर प्लांट, अनपरा ओबरा। जबसे मैं विधायक हूं उससे पहले भी मेरे संज्ञान में कभी नहीं आया कि किसी मजदूर ने कहीं वहां हड़ताल की हो। इससे प्रमाणित होता है कि हमारी सरकार मजदूरों के प्रति बहुत गंभीर है उनके आंसुओं को पोंछने का काम करते हैं। उस क्षेत्र में जो असंगठित मजदूर है, 10 हजार मजदूर हिण्डाल्को प्लांट में काम करते हैं। मैं वहीं रेनूकूट में निवास करती हूं। मैं देखती हूं कि मजदूर लोग हमारी सरकार की तारीफ करते हैं। मजदूरों के आंसुओं को पोंछने का समाज में अगर किसी ने काम किया है तो उत्तर प्रदेश के युवा मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने किया है। मैं सबसे पहले अपने विन्ध्याचल मण्डल की बात करना चाहती हूं। 2010–11 का यदि हम देखें तो वहां पंजीकृत मजदूरों की संख्या 6.18 लाख था और अब 2014–15 में देखें तो 20 करोड़ 90 लाख का पंजीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से हमारे मा0 मंत्री जी को मैं इस सदन के माध्यम से धन्यवाद देती हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पंजीकरण अगर कहीं हुआ है तो जनपद सोनभद्र के दुद्धी विधान सभा में 31432 मजदूर पंजीकृत हुए जिसमें से साइकिल वितरण 3769 मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुआ। सौर ऊर्जा 1286, शिशु हित लाभ योजना

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

90, मातृत्व हित लाभ योजना 89, निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना 17, मृत्यु एवं अन्त्येष्टि सहायता योजना 5, दुर्घटना सहायता योजना 3, औजार क्रय हेतु आर्थिक सहायता योजना 975। इस प्रकार पूरे उत्तर प्रदेश में मा0 मुख्य मंत्री जी ने साइकिल वितरण करने का काम किया और सौर ऊर्जा वितरण करने का काम किया है। इसके लिए निश्चित तौर पर श्रम मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं कि सोनभद्र जैसे पिछड़े क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा साइकिल देने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्रीमती रूबी प्रसाद–

मा0 अध्यक्ष जी, हम इस बजट का समर्थन करते हैं और विपक्ष के लोग आरोप लगाते थे कि भेदभाव किया जाता है। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहती हूं कि मैंने जब अपने विधान सभा क्षेत्र में मजदूरों को पंजीकृत किया तो निश्चित तौर पर सरकार का लाभ मिला और मा0 मंत्री जी ने सौर ऊर्जा, साइकिल देने का काम किया।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठो। हो गया। अब आपका नहीं लिखा जाएगा। बैठो न, बैठो।

श्री राजबली जैसल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मा0 पहाड़िया जी के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसके समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से मैं मा0 श्रम मंत्री जी से सिर्फ इतनी जानकारी चाहता हूं कि यह सही है कि मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में या जनहित की योजनाओं को समझ कर उसको संचालित करने के लिए यह व्यवस्था की जिसमें चाहे वह मध्याह्न भोजन वितरण की योजना रही हो चाहे आवासीय विद्यालय की योजना रही हो। चाहे सोलर लाइट की योजना रही हो, तमाम योजनाओं को संचालित करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है। स्वयं माननीय मुख्य मंत्री जी इसको 19 सितम्बर, 2014 को अपने आवास से इन्होंने बखूबी पूरे प्रदेश में लागू करने की घोषणा की थी लेकिन हमें नहीं पता माननीय मंत्री जी जानते होंगे इस बात को कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच थी, उस सोच के मुताबिक पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी योजना को संचालित करने का आदेश आज तक निर्गत नहीं हुआ। आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि आप द्वारा इन योजनाओं को संचालित करने के लिए एक भी पत्र सम्बन्धित अधिकारी को नहीं गया होगा लेकिन आपके द्वारा इन योजनाओं को बन्द कराने के लिए लगभग दर्जनों पत्र गया होगा, यह इस बात को साबित करता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री के आदेश को भी माननीय मंत्री जी द्वारा नहीं माना जा रहा है। जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच थी, जो जनहित की सोच थी, तमाम योजनाओं का लाभ देने की सोच थी, आज तक वह धरातल पर नहीं उतरीं। इसलिए हम बार–बार यह कहते हैं कि बजट की व्यवस्था की जाती है, हम मानते हैं, स्वीकारते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है लेकिन कोई भी बजट

चाहे जितना रख दें लेकिन जब तक किसी चीज को आप धरातल पर नहीं उतारेंगे, उससे जनता को कोई फायदा नहीं होगा। इसका कोई मतलब नहीं होता। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि जितनी मुझे निजी जानकारी है कि जब इसके पहले जो प्रमुख सचिव थे उस समय कई योजनाओं को संचालित करने की योजना भी बना ली थी और लखनऊ में योजनाओं को शुरू करने का निर्देश भी दिया जा चुका था लेकिन जैसे इस अपने पद से यहां ट्रान्सफर होते हैं फिर उसके बाद उन सारी योजनाओं को बन्द करने का निर्देश माननीय मंत्री जी का चला जाता है और एक बार नहीं, लगभग 4–4 बार जाता है। इससे मालूम होता है कि जो उत्तर प्रदेश का श्रमायुक्त है, जिनके खिलाफ विजिलेन्स जांच भी चल रही है, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में एक भी योजना को लागू कराने का मन नहीं है और न ही माननीय मंत्री जी द्वारा कोई भी योजना लागू करने का निर्देश पत्र द्वारा गया है। इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वास्तव में अगर इस उत्तर प्रदेश में डी0एल0सी0 का जो लेबर सेस है लेबर सेस के रूप में 1600 करोड़ रुपये की धनराशि मजदूरों के हितों में तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए संचालित करने के लिए प्रावधान रखा जायेगा। माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या उन योजनाओ को धरातल पर उतारने के लिए आप सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर इसको कार्यरूप में परिणित करने का काम करेंगे या नहीं। हम श्री पहाड़िया जी ने जो कटौती प्रस्ताव रखा है उस पर बल देते हुए अपनी बात खत्म करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पहाड़िया जी, दो मिनट में अपनी बात कह दो, घुमा फिरा कर मत कहना।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि संगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या क्या है ? असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या क्या है और अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मेरा सुझाव है सरकार को कि मनरेगा के मजदूरों को कृषि के साथ जोड़ दिया जाये तो मनरेगा से मिलने वाली मजदूरी किसान भी देगा और मनरेगा के मजदूर को, जो हमारी सरकार कानून लाई थी। अभी हमारी एक सदस्य कह रही थी, राजबली जैसल साहब ने बताया कि पवन संघ निर्माण कर्मकार संरक्षण अधिनियम, 2009 जिसकी हम बात कर रहे हैं कि साइकिल बांट रहे हैं वह हमारे डा0 मनमोहन सिंह की योजना है। फूड सिक्योरिटी बिल जिसको लागू नहीं कर रहे हैं जो ज्यादातर 75 परसेण्ट सारे देश की आबादी को मिलेगा, जिसमें 90 परसेण्ट मजदूर लोग होंगे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप किताब मत उठाइये।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी नीति बिना जनमानस के लागू नहीं हो सकती, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि की न तो इसमें कोई भूमिका है, न

कोई भागीदारी है। जहां तक मा0 अध्यक्ष जी, रैन बसेरा की बात है तो इन्होंने रैन बसेरा कागजों पर बहुत बनाये हैं, आज गांव से मजदूर पैदल आता है, उसे मजदूरी नहीं मिलती, उसके लिए इनकी कोई योजना नहीं है। आज फुटपाथों पर सोने के लिए, सड़क पर सोने के लिए मजदूर भटक रहा है, इन्होंने मजदूर को मजदूर बनाकर छोड़ दिया है।

(सदस्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया का माइक आफ कर दिये जाने के कारण शेष भाषण सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाएं, आप बोल चुके, अब क्या बाकी बचा है। जो आपने कहा उसका जवाब ले लें।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

मा0 अध्यक्ष जी, आज मजदूरो की हाजिरी रजिस्टरों पर नहीं भरी जा रही है, ये पूंजीपतियों को बल देते हैं।

(माइक आफ किये जाने के बावजूद भी सदस्य श्री बंशी सिंह पहाड़िया बोलते रहे, लेकिन उनका भाषण सुनाई नहीं दिया।)

श्री अध्यक्ष–

अब इनका भाषण लिखा नहीं जायेगा। अब आप बैठ जाएं, आप चाहे जितना बोलें, अब कुछ लिखा नहीं जायेगा और न ही कार्यवाही का अंग बनेगा। अब आपका कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है, चाहे जितना बोलो, बोलते रहो। अनुग्रह नारायण सिंह जी आप इनको समझायें, यह लिखा नहीं जायेगा, न तो कार्यवाही का अंग माना जायेगा, चिल्लाते रहो ऐसे ही। आप बैठ जाएं नहीं तो हमें प्रस्ताव लाना पड़ेगा। लम्बा प्रस्ताव ला दूंगा तो ठीक हो जाओगे। मा0 मंत्री जी, प्रस्ताव लाइये, अभी हम इनकी छुट्टी कर देंगे। आप बैठेंगे कि आपको निकालें। सब लोग परेशान हैं दूसरा बजट लेने के लिए। पहले तो इधर–उधर घूम रहे थे, जब बोल रहे थे, तो यहां थे ही नहीं, यहां मिनिस्टरों के यहां चक्कर काट रहे थे, अब दुनिया भर की बात याद आ गई। मा0 मंत्री जी, आप अपनी बात रखें।

श्री शाहिद मंजूर–

माननीय अध्यक्ष जी, जो मैंने आज यहां पर श्रम विभाग का बजट रखा है, उस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। इधर से हमारी बहन श्रीमती विमला बाथम जी, हमारे भाई पवन पाण्डेय जी, श्रीमती रूबी प्रसाद जी, श्री राजबली जैसल जी ने अपनी बात रखी और कटौती का प्रस्ताव आदरणीय पहाड़िया जी ने रखा है। जिन साथियों के सुझाव आये हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं और यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मजदूरों के हित में जो भी योजनाएं श्रम विभाग द्वारा बनाई जा सकती हैं, संचालित की जा सकती हैं, निश्चित रूप से उनको कराने का काम करेंगे। जहां तक आरोप–प्रत्यारोप की बात है, जैसल जी ने आरोप लगाया कि हम मा0 मुख्य मंत्री जी के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं, निश्चित रूप से जैसल जी को लगता होगा। अगर पिछली सरकार के द्वारा जैसे काम किये जा रहे थे, जो उस समय

श्रम विभाग ने काम किये हैं और जो उनका हश्र है कि बगैर सोचे समझे योजनाओं को लागू कर दिया जाये तो निश्चित रूप से मेरा स्थान भी वहीं होगा जहां पर पिछले वाले मंत्री जी का है। मैं तो कोशिश कर रहा हूं और मा0 मुख्य मंत्री जी हमको निर्देशित कर रहे हैं कि ऐसा कोई काम न हो जाये कि हमें भी वहीं जाना पड़े जहां पर पिछली सरकार के श्रम मंत्री नहीं बल्कि शर्म मंत्री जी अपना वक्त बिता रहे हैं मुझे वे काम न करने पड़ें इसलिये बहुत सोच समझ कर काम हो रहा है। शर्म मंत्री जी, वहीं हमारे पड़ोस में गाजियाबाद में ही हैं। अब विस्तार में बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक अभी पहाड़िया जी का एक प्रश्न था कि कितने श्रमिक पंजीकृत हैं तो ये असंगठित क्षेत्र में 4 लाख 46 हजार और अभिन्नर्जित श्रमिक के रूप में 2 करोड़ 12 लाख हैं। ये 6 करोड़ 58 लाख के करीब मजदूर हमारे यहां पंजीकृत हैं दोनों क्षेत्रों में। एक बात और सामने आयी कि कुछ योजनायें नहीं चल रही हैं। निश्चित रूप से तमाम योजनायें जो मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित की गई हैं वे तमाम योजनायें चल रही हैं लेकिन उनको चलाने से पहले कोई भी योजना ऐसी नहीं है जिसका बारीकी से परीक्षण करके न चलाया गया हो। निश्चित रूप से सारी योजनायें जो मजदूरों के हित में हैं वे निश्चित रूप से चलेंगी। अभी रैन बसेरे की बात आई। मैंने खुद कहा कि जहां पहाड़िया जी होंगे वहां मक्खी–मच्छरों का प्रकोप तो होगा ही। आपकी कटौती हो और मक्खियां न आयें ऐसा कैसे हो सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करूंगा। आप मेरी पृष्ठ भूमि अच्छी तरह से जानते हैं, कहां मैं पैदा हुआ हूं, किसकी औलाद हूं। आप अच्छी तरह जानते हैं, यहां सदन में शायद कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते होंगे। अपने जीवन काल में जब से मैंने होश संभाला है, मजदूरों के प्रति, श्रमिकों के प्रति, गरीबों के प्रति जो मैंने अपने घर में देखा है उसी को अपने ऊपर अंगीकार किया है। मैं अपनी स्टूडेण्ट लाइफ से निराला जी की एक कविता को अपने दिल में साक्षात रूप में रखता हूं। वह यह है कि–

श्वानों को मिलते दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं,
मां की हड्डी से ठिठुर–चिपक जाड़े की रात बिताते हैं,
स्त्री की लज्जा, वस्न बेच जब ब्याज चुकाये जाते हैं,
मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं।

और मा0 पहाड़िया जी, खासतौर से कांग्रेस के लोगों को सदन में या कहीं समाज में बोलने से पहले सोचना चाहिये। आपकी 65 साल की गवर्नमेण्ट में आखिर मजदूरों की ये स्थिति है तो इसका कारण क्या है, कौन इस सबका जिम्मेमदार है ? कांग्रेस जिसने आज तक देश और प्रदेश के लेवेल पर एक भी नीति ऐसी नहीं बनाई जिससे मजदूरों का भला होता।

श्री बंशी सिंह पहाड़िया–

आपके पिता जी भी कांग्रेस में रहे हैं।

श्री शाहिद मंजूर–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे पास हर बात का जवाब है। मेरे पास इस बात का भी जो अभी मा0 पहाड़िया जी ने कहा कि कांग्रेस में रहे हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस में पिता जी रहे हैं लेकिन कांग्रेस में रहते हुये भी कभी अपना सत्यनिष्ठ आचरण नहीं छोड़ा और अगर तुम में हिम्मत है तो जो तुम मुझसे सुबह कह रहे थे वही बात यहां सदन में कह के दिखाओ। जो कहा था कि मैं आपके बजट का समर्थन तो करता मगर मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है कि मुझे कटौती के प्रस्ताव में बोलना पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं। आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि श्रम विभाग में तमाम योजनायें ईमानदारी के साथ लागू होंगी और मजदूरों का हक, एक–एक पैसा मजदूरों का पहुंचाने के लिये समाजवादी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। मैं मा0 पहाड़िया जी से आग्रह करूंगा कि आप मजदूरों के हित में अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लें और हमारे बजट का समर्थन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–76–श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 2,82,96,14,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–77–श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 75,04,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख07.57, वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा एवं मतदान–अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खाद्य एवं खनिज)

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)–

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–04–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 36,26,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा विभाग जो है, हम तो देते हैं अध्यक्ष जी, गरीबों किसानों, मजदूरों, खेत–खलिहान इस सबके लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए। जिस तरीके से पूरा कलेक्शन करके हमारा विभाग उत्तर प्रदेश को बढ़ाने का काम करता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से सरकार बनते ही उसके पहले के जो हालात थे, विभाग के वह इतना खस्ता हालात थे माननीय अध्यक्ष जी, कि इनके 385 करोड़ पूर्व की सरकार में सिर्फ राजस्व की वसूली हुई थी और उसके बाद सबसे अधिक राजस्व की वसूली इनकी 5 साल में 653 करोड़ हुई थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशानुसार, जिस तरीके से वसूली की गई वर्ष 2012–13 में 727 करोड़। माननीय अध्यक्ष जी, उसके बाद वर्ष 2013–14 में 912 करोड़ रुपये की वसूली हुई। 1100 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2014–15 में माननीय अध्यक्ष जी अभी फरवरी बाकी है 888 करोड़ की वसूली की है (मेजों की थपथपाहट)। इस तरीके से पूर्व की सरकार के लोगों ने जिस तरह से पूरे विभाग को बर्बाद किया था और जो ये लोग अवैध–अवैध करते हैं.. (विपक्ष के माननीय सदस्यों के बीच में टोका–टाकी करने पर) सुनिये जवाब देंगे, ये अवैध की बात करते हैं, पूरे विभाग को बदनाम करते हैं, सरकार को बदनाम करते हैं ये लोग। माननीय अध्यक्ष जी, इनकी सरकार में परिवहन प्रवर्तन में वसूली सिर्फ 5 करोड़ हुई है। एक वर्ष में सिर्फ 5 करोड़ वसूली किये है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने वर्ष 2012–13 में 31 करोड़ की वसूली की है। 5 हजार करोड़ के परिवहन की संख्या जबकि 9708 वाहन पकड़े हैं वही पर इनके वाहन 3874 हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल में इसलिए मैं शार्ट में कह रहा हूं। 5 साल में इनका अधिकतम वर्ष वह 2011–12 में है और जिसमें यह सिर्फ 16 करोड़ पकड़े हैं लेकिन अध्यक्ष जी, हम लगातार कर रहे हैं, अभी भी हमारा फरवरी तक बाकी है अभी 8404 गाड़ियां पकड़ी हैं, 24 करोड़ की और 29 करोड़ रुपये की वर्ष 2013–14 में हमने 8612 पकड़ी थीं।

अध्यक्ष जी, जिस तरीके से हमारा लक्ष्य हैं इतना ज्यादा दिये है पूरा प्रदेश नहीं देश को चैलेन्ज करते हैं हण्ड्रेड परसेन्ट रिजल्ट किसी ने नहीं दिया है। अध्यक्ष जी, पूरा उत्तर प्रदेश 75 जनपद से बना हुआ है और हमारे विभाग में जबकि 32 पद स्वीकृत है खान अधिकारियों के उसमें से सिर्फ 19 खान अधिकारी हमारे हैं जो काम करते हैं, सिर्फ 19 एक–एक खान अधिकारी 3–3, 4–4 जनपद में काम करता है। माननीय अध्यक्ष जी इसी तरीके से खनन मोहर्रिर जो होते हैं बाबू के वह 75 जनपद में 75 पद तो स्वीकृत हैं लेकिन सिर्फ 20–20 पद पर ही काम करते हैं 20 बाबू हैं बकाया नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह से खनिज मोहर्रिर के और खान निरीक्षक के भी कुल 99 पद रिक्त हैं। (टोकाटाकी होने पर) सुन लीजिए रोजाना का चक्कर न पालिये, सुन लीजिए, रोजाना बहस करते हैं रोजाना प्रश्न लगायेंगे, तो सुन लीजिए ।

माननीय अध्यक्ष जी, इतने कम संसाधन में मुख्य मंत्री जी ने 99 पद सृजन किया। हम रोजगार भी दे रहे हैं। पद जिसमें ज्येष्ठ खान अधिकारी के 4, खान अधिकारी के 22, खान निरीक्षक के 29 पद, सहायक लेखाधिकारी का एक पद, खनन मोहर्रिर के 25 पद, कनिष्ठ लिपिक के 18 पद इस तरह से 99 पद नये सृजन किये हैं। इस तरह से रोजगार भी माननीय मुख्य मंत्री जी दे रहे हैं ताकि कुछ लोगों को रोजगार मिले और विभाग भी आगे प्रगति के काम करें।

अध्यक्ष जी, पूर्व की सरकार में 18 मृतक आश्रित के लोग थे उनकी नियुक्ति किये थे वह अस्थाई थे माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए और आप सबको बधाई देना चाहिए। मृतक आश्रित जैसे लोगों को आपने स्थाई नहीं किया माननीय मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से उन 18 लोगों को स्थाई नौकरी दे करके उनके परिवार को चलाने का काम किया। इस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से हमने किसानों के लिए, कभी किसान के लिए कोई छूट नहीं थी हमने यह किया है कि 10 ट्राली मिट्टी किसान अपने घर मे या कहीं यूज कर सकता है उसको 10 ट्राली मिट्टी की छूट दी है। छोटे कुटीर उद्योग धन्धे के लिए चाहे वह तालाब मत्स्य पालन का हो उसकी खुदाई करे चाहे किसान खेत का समतलीकरण ऊंचा–नीचा टीला है या गड्ढा है उससे खेत को बराबर समतलीकरण करे उसमें कहीं से रायल्टी या कहीं से, मान्यवर, उसको छूट दी गयी है इसी तरीके से जैसा हमारे कुछ साथी कह रहे थे अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश किसान प्रदेश है और सबसे ज्यादा हमें किसान की चिन्ता है। समाजवादी पार्टी किसान की पार्टी है हमारे माननीय नेता जी हमेशा किसान की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की नौजवानों की बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, 25 हजार जहां पर जुर्माना होता था हमने राजस्व को न देखते हुए एक हजार रुपये हमने जुर्माना तय करने का काम किया है। हमने किसान के हित में काम किया है वही पर केन्द्र की जो सरकार है जो हमारे साथी बैठे हैं जो अच्छे दिन की बात करते थे कि अच्छे दिन आयेगें और अच्छे दिन वाले अभी 2 महीने पहले अध्यादेश जारी किये। अध्यक्ष जी जो 25 हजार रुपया ट्रक पर था वाहन पर वह एक लाख रुपया कर दिया गया और जो सजा 2 वर्ष की थी कि जो अवैध खनन में पकड़ा जायेगा उसको 2 वर्ष की सजा होगी उस किसान के लिए 5 साल की सजा आप लोगों ने करने का काम किया है। इस तरीके से आप किसान की बात करते हैं और किसान के हितैषी हैं पूछिये ट्रैक्टर कितने का आता है अध्यक्ष जी यह फसाने का और किसान को बरबाद करने की नीति आप लाये है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विकास के लिए पूर्व की सरकार में 60 हजार में ट्रक थी 70–70 हजार में ट्रके मौरंग की बिकती थीं आज लखनऊ में यहीं पर रेट ले लीजिए वही 60 हजार 65 हजार की आज 32 हजार 35 हजार के अन्दर मौरंग की ट्रक मिल रही है। आधे और सस्ते दाम पर हम मौरंग और गिट्टी और सभी चीजे मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव लायेंगे हम उम्मीद करेंगे कि वह कटौती प्रस्ताव न लायें और इसको सर्वसम्मति से पास करें।

'श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–4–उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये, कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने इस बजट भाषण में जो बातें कही हैं उसमें उन्होंने कहा है कि बसपा शासन में वर्ष 2011–12 में 16 करोड़ वाहन पकड़े गये थे और हमने 24 करोड़ पकड़े हैं, हमने राजस्व की बढ़ोत्तरी की है और बसपा शासन में राजस्व की कमी थी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और माननीय मंत्री जी ने जो कहा है तो बताना चाहता हूं कि खनिज विभाग उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। इस खनिज विभाग के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश का चाहे किसी भी विभाग के अंतर्गत कोई भी चीज आती हो, बिना खनिज विभाग के उस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खनिज विभाग की महत्ता उत्तर प्रदेश के गांव से लेकर शहरों तक की इसका उपयोग उत्तर प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं में महत्वपूर्ण योगदान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण हो, सड़क निर्माण हो, पुल निर्माण हो या किसी भी संबंधित का निर्माण हो, बिना खनिज विभाग के नहीं हो सकता। इसलिये खनिज विभाग का तथा इसके साथ–साथ खनिज से मिलने वाली राजस्व से सरकार के विकास में भारी योगदान होता है, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसे मात्र अपने कार्यकर्ताओं के लिये धन वसूली का विभाग बनाकर रख दिया है, जबकि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बालू, गिट्टी, मौरमा, खंडा खनिज पदार्थों का भरपूर भण्डार है और सरकार अगर सही तरीके से ईमानदारी से खनिज विभाग का कार्य करे और सही तरीके से राजस्व की वसूली करें तो एक बड़ा खजाना सरकार के बजट में मिल सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि खनिज विभाग के कर्मचारियों का एक ही काम है वसूली का। जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि मैंने जो ट्रैक्टर का जो जुर्माना 25 हजार रुपये में ट्रैक्टर छोड़ा जाता था, अब 1000 रुपये कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वो कौन से ट्रैक्टर हैं, जो 1000 रुपये में छूटते हैं। यह वह ट्रैक्टर हैं जो अवैध रूप से खनिज का काम करते हैं और माननीय मंत्री जी के माध्यम से कुछ ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, वो मालामाल हो रहे हैं और अवैध ट्रैक्टरों के माध्यम से खनिज की वसूली हो रही है, खनिज का दोहन किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, खनन विभाग के माध्यम से किसानों को दो मीटर की मिट्टी खोदने की परमीशन दे रखी थी, लेकिन इसके बाद भी खनिज विभाग के जो भी कर्मचारी हैं, वह उन किसानों को मात्र दो मीटर भी मिट्टी खोदने के लिये लगातार उनके ट्रैक्टर पकड़–पकड़ कर उनको बंद करने का काम करते हैं और किसानों को परेशान करने का काम किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहां बुन्देलखण्ड में खनिज का अकूत

---

* oDrk us Hkk"k.k dk iquohZ{k.k ugha fd;kA

भण्डार है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस संपदा की खनिज माफियाओं द्वारा लूट हो रही है एवं प्रशासन की मिली–भगत से मनमाफी लूट हो रही है और सम्पूर्ण प्रदेश का यही हाल है।

मान्यवर, प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति प्रदान किये जाने की आवश्यकता है जिससे खनिज आधारित औद्योगीकरण तथा बहुमूल्य खनिजों की संभावना वाले स्रोतों की खोज का उपयोग समय से किया जा सके । हमारे प्रदेश में खनिज की निकासी के प्रयास किये जायें तथा जो भी प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित हैं, उनकी सही पैरवी करवाई जाये।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में सोनभद्र में सीमेंट श्रेणी के चूने, पत्थर, सैण्डस्टोन, डोलोमाइट, चाइना क्ले, सिलिमिनाइट का व्यवसायिक बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है। सोने की खोज का मामला भी सोनभद्र के हरदी बागीसोती क्षेत्र के विन्ध्याचल कांग्लोमरेट के पश्चिमी ब्लाक एवं ललितपुर में चल रहा है। जनपद ललितपुर में पाइरोफिलाइट, डायस्सोर, रॉक–फास्फेट, सिलिका, प्लेटिनम धातु, कम्बरलाइट, डायमण्ड आदि के भंडार भरे पड़े हैं। जनपद बांदा में प्लेसर हीरा की खोज हुयी है और हीरे के मामले भी निकले हैं। जनपद इलाहाबाद में सिलिका सैण्ड के भंडारों को वैज्ञानिक ढंग से विकसित कर उनके दोहन हेतु परिहार पर स्वीकृति प्रदान की जाय जैसे बिजनौर नजीबाबाद गांव भागुवाला में 35.40 स्टोन क्रेशर पर पूरा माल अवैध खनन द्वारा आ रहा है। जनपद झांसी, महोबा, ललितपुर में सोने धातु की खोज हो रही है। जनपद चित्रकूट में पोटाश की मात्रा 3.12 प्रतिशत से लेकर 6.71 प्रतिशत तक पाई गयी है जिसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जा सकता है। जनपद झांसी के बड़ागांव मऊरानीपुर क्षेत्र में एस्वेस्टस ट्रोमोलाइट तथा खजुराहा बुजुर्ग में रेयर अर्थ एलीमेंट्स की औसत मात्रा 190 से 220 ग्राम प्रति टन पायी गयी है। इस दिशा में ठोस कदम उठाकर इसका उपयोग किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में मैगनीशियम, ग्रेनाइट, डायमंड एवं अन्य माइनिंग धातुयें हैं जिनका सही प्रकार से सुनियोजित उपयोग किया जाय तो बात बन सकती है एवं सरकार को अरबों रुपये की राजस्व की प्राप्ति हो सकती है जिससे प्रदेश के विकास को और गति प्रदान की जा सकती है एवं स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया जा सकता है जो सरकार की प्राथमिकता है और लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जा सकता है।

मान्यवर, यह विभाग बहुत बड़ा विभाग है एवं कोई भी प्रदेश तभी विकसित एवं खुशहाल हो सकता है जब सरकार की नीयत एवं नीतियां जनहितकारी, समतामूलक एवं सर्वजन हिताय–सर्वजन सुखाय पर आधारित हों। हमारे पूरे प्रदेश में खासकर बुन्देलखंड में खनिज एवं वन क्षेत्र अत्यधिक मात्रा में हैं और बंजर भूमि भी असीमित है इसलिये खनिज एवं खान से संबंधित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये लेकिन ऐसा सरकार के इस बजट में कहीं भी शामिल नहीं है कि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ बुन्देलखंड के किसी भी जनपद में कोई बड़ा उद्योग स्थापित किया जायेगा जबकि बुन्देलखंड का जनपद झांसी एक ऐसा केन्द्र है जहां पर रेलवे एवं सड़क परिवहन का

बहुत बड़ा जंक्शन है जहां से इस प्रदेश के साथ ही साथ सम्पूर्ण देश के लिये सुलभ एवं समुचित यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध हैं और कई खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्यों से सीधे जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार द्वारा इस पिछड़े क्षेत्र की उपेक्षा बार–बार अपने बजट में की जा रही है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, सवा आठ बज गया है, अभी माननीय मंत्री जी भी अपनी बात कहेंगे और कुछ माननीय सदस्यों को भी आप अपनी बात रखने का मौका देंगे और आगे एक विधेयक भी लगा है। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह थोड़ा संक्षेप कर लें।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, सबसे मालदार विभाग है, इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य राजपूत जी, अब जो आपकी बात रह गयी हो, वह आप अपने उत्तर भाषण में कह लीजियेगा। आपको एक–दो सुझाव जो देने हों, वह आप दे दीजिये ।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में जी0टी0 टैक्स यानी कि गुण्डा टैक्स के माध्यम से वसूली हो रही है।

श्री अम्बिका चौधरी–

लिया जाता था।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत –

अभी भी लिया जा रहा है।

श्री शाहिद मंजूर–

मान्यवर, जब आपने मुझे निर्देश दिया तो हम बजट पढ़ करके बैठ गये लेकिन मैं देख रहा हूं कि आपके निर्देश के बाद भी मा0 सदस्य बैठ नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें, 10 मिनट से ज्यादा समय हो गया है, अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मा0 अध्यक्ष जी, आज भी बुन्देलखण्ड में गुण्डा टैक्स जी0टी0 टैक्स के रूप में प्रति ट्रैक 25 सौ रुपए से तीन हजार रुपए लिया जा रहा है। प्रदेश में सिंडीकेट की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि खुलेआम राजस्व की हानि हो रही है और गुण्डा टैक्स के नाम पर बिना रसीद के 25 सौ रुपए से 3 हजार रुपए तक की वसूली की जा रही है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार की मिली–भगत है और जबकि इस समय प्रदेश

में खनिज पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया गतिमान है लेकिन यह समानान्तर व्यवस्था लगातार अवैध खनन कर रही है, जिससे प्रदेश का भारी नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब बाद में कह लीजिएगा, अभी मौका मिलेगा। अगर आप जबानी बोलते तो कम शब्दों में बोल लेते लेकिन आप इतना लिख करके लाये हैं।

श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत–

मान्यवर, रोटी कपड़ा तो हर व्यक्ति अर्जित कर लेता है लेकिन पिछले तीन वर्षों में खनिज वस्तुओं के बढ़े हुए मूल्य से आम आदमी का मकान बनाने का सपना धराशाही हो गया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में खनिज मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। एक तरफ सरकारी राजस्व और दूसरी तरफ उससे भी बड़ी बात यह है कि मा0 मंत्री जी का व्यक्तिगत राजस्व संकलन जिसे जी0टी0 कहते हैं, लूट का आलम यह है कि सरकारी राजस्व से कई गुना ज्यादा मा0 मंत्री जी के नाम पर प्राइवेट लोग लूटने का काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता पता नहीं यह सब मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है या नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सहारनपुर के मा0 सदस्य खनिज पर बोलना चाहते हैं वह बोल लें।

श्री सुरेश राणा–

मान्यवर, सूची से बुलवा लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

सूची के अनुसार मा0 राणा जी, आप अपनी बात रखें।

'श्री सुरेश राणा–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत द्वारा भू–तत्व एवं खनिकर्म विभाग पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए मुझे अवसर दिया। मान्यवर, मैं पिछले काफी समय से देख रहा हूं कि कुछ हमारे मित्रों की रुचि है कि इस पर चर्चा न हो। मान्यवर, यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और मैं यह भी जानता हूं और मैं इस बात को भी दोहराता हूं कि आपका दौरा पूरे प्रदेश में लगातार हुआ है, 10 साल से तो मैं देख रहा हूं इसलिए सारी समस्याओं से तो आप भलीभांति परिचित हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हथिनीकुण्ड बैराज है, वहां जा करके चाहे सरकार एक समिति बना ले और अध्ययन करे क्योंकि वहां सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। इस अवैध खनन के कारण आज हथिनीकुण्ड बैराज तिरछी हो गई है और पूरा क्षेत्र जो सहारनपुर से ले करके यमुना का जो पूरा क्षेत्र है, कैराना क्षेत्र में कल ही टेलीफोन आया, 10 दिन पहले लोग आये और बताया कि यमुना ने रुख बदल दिया है, यमुना ने मुंह मोड़ दिया है। हरियाणा में अवैध खनन पर भारी पाबन्दी लगा दी गई है इसलिए यमुना ने मुंह मोड़ करके उत्तर प्रदेश के किसानों की तरफ

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घुमाव कर लिया है। हजारों किसान परिवार बरबाद हो गये हैं। एक काम इन्होंने बड़ा होशियारी का किया कि कुछ विद्वान लोगों को जो इसके एक्सपर्ट थे, उन लोगों को समाजवादी पार्टी के लोग ऑन डेपुटेशन ले आये हैं। बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं सहारनपुर के अन्दर वह एक्सपर्ट हैं खनन के, उन एक्सपर्ट को ऑन डेपुटेशन ला करके और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी ने उनको संरक्षण दे करके, जो इन्होंने 11 सौ करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है, मैं स्पष्ट जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि 11 सौ करोड़ रुपए प्रतिदिन की उगाही इस विभाग के द्वारा हो रही है। मान्यवर, 11 सौ करोड़ रुपए प्रतिदिन की उगाही है। जितना पूरे उत्तर प्रदेश का बजट है उस उत्तर प्रदेश के बजट के बराबर अकेले इस विभाग के द्वारा उगाही की जा रही है। आप जानकारी कर लें, जानकारी आपके पास है। कैराना क्षेत्र में यह आलम है अवैध खन्न पर कर क्या रहे हैं ? दरोगा के ऊपर ट्राली चढ़ा दी, बी0पी0 यादव नाम का दरोगा उसके 16 टांके आये किस बात के लिए कि खनन माफियाओं ने ट्राली ही ऊपर चढ़ा दी। दुर्गा नागपाल का प्रकरण क्या उत्तर प्रदेश भूला है ? पूरे देश के अंदर जिस प्रकार दुर्गा नागपाल प्रकरण की चर्चा हुई, वह कारण क्या था ? केवल अवैध खन्न था। उसके अलावा और कोई कारण नहीं था। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर) सुनिये, जरा तसल्ली से सुनिये। मेरा अपना अनुभव है कई बार आदमी को सीखने का मौका मिलता है, जब सीखने का मौका मिलता है तो जो अपने से सीखता है वह बुद्धिमान हो जाता है, और दूसरा कई बार यदि सिखाने की कोशिश करता है उससे सीखता है तो वह वास्तव में महान होता है। एक अवसर आया था, वह अवसर था दुर्गा नागपाल के समय का। उस अवसर को सरकार ने कैच कर लिया होता, उन खनन माफियाओं पर नकेल लगा दी होती तो निश्चित रूप से खनन का जो अवैध कारोबार है इस पर कुछ न कुछ रुकावट लगती। आज हालत यह है ख्रागग, (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर शोर) सुनिये। भाषण नहीं मैं बजट पर बोल रहा हूं, सुबह अध्यादेश आया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, अध्यादेश के ऊपर माननीय अध्यक्ष जी, हमें वेल में आना पड़ा। यदि भ्रष्टाचार समाप्त करने का इतना शौक है ...

श्री अध्यक्ष–

शांत रहिये, जब आप बोलिएगा तब जवाब दीजिएगा, पहले सुनिये तो क्या कह रहे हैं।

श्री सुरेश राणा–

नगर निगम पर अध्यादेश लाये..

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी, हम धैर्यपूर्वक और शांति से पूरी बात सुनने के लिए तैयार हैं क्योंकि विपक्ष का अधिकार भी है और हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं इसको हो–हल्ले में पास करवा कर जाने की कोशिश में नहीं हैं लेकिन शब्दों के चयन में जरूर इतनी सावधानी रखे जाने की आवश्यकता है कि कौन से शब्द उच्चरित किये जायं कौन से शब्द न उच्चरित किये जाय। कभी भी पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर साहब ने उत्तर प्रदेश के सड़कों को किसी हीरोइन के गाल की तरह नहीं कहा था यह किसी दूसरे प्रदेश में हुआ था,

दूसरी बात आप मुहावरे गढ़ने में सीमाओं का उल्लंघन नहीं हो कि मंत्री का गाल हीरोइन जैसा हो गया, इसके फिर दूसरे जवाब आयेंगे तो अनुचित होगा। आप आलोचना करिये लेकिन शब्दों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

यह वाक्य निकाल दिया जायेगा, यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा।

श्री सुरेश राणा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जब उधर से कोई बात आती है तो बहुत अच्छी है, वह नियमों के विरुद्ध नहीं है, नियमों के अनुसार है। खाता न बही, जो उधर से कही जायेगी वह सही। वह कह देंगे कि टी0राम के गालों जैसी, मुझे आज तक याद है, पूरा सदन इस बात का गवाह है। उधर से कहा गया था कि टी0राम के गालों जैसी सड़क को बना देंगे, इस बात को भी नकार दें। आज गालों की बात हुई तो बड़ा दर्द हुआ। मेरा केवल यह कहना है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता।

श्री अध्यक्ष–

विषय पर अपनी बात बोलिये।

श्री सुरेश राणा–

मेरा निवेदन आपसे यह है कि इस अवैध खनन के कारण पूरा पर्यावरण असंतुलित हो गया है, पर्यावरण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और जितना भारी राजस्व उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त कर सकती थी वह राजस्व की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। आज प्रदेश को विकास के पथ पर माननीय मुख्य मंत्री जी ले जाना चाहते हैं, हो सकता है कि यदि सही से राजस्व की प्राप्ति हो, साधनों की प्राप्ति हो, लाखों करोड़ रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो तो, हो सकता है कि कहीं न कहीं विकास का सपना पूरा हो जाए। इसीलिए मैं सुझाव दे रहा हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने कानून सख्त कर दिया हमने सजा बढ़ा दी, हमने ट्रैक्टर का जुर्माना और तमाम चीजें बढ़ा दी। हमने क्यों बढ़ाया, केन्द्र सरकार ने बढ़ाया इसलिए कि केन्द्र सरकार मजबूर हो गयी जब केन्द्र सरकार ने देखा कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है तो केन्द्र सरकार मजबूर हुई और तब केन्द्र सरकार ने बढ़ाया और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी मुझे खतरा है, मुझे भय है मैं पढ़ रहा था कि ललितपुर के अन्दर कुछ सोने की खानें हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से गिट्टियों और तमाम चीजों का व्यापार चल रहा है इस स्वर्णिम धातु पर मेहरबानी रखना यह प्रदेश की दुर्लभ सम्पदा है यह प्रदेश के काम आए यह निवेदन करते हुए कि उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का हम सबका लक्ष्य है हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश में ईमानदारी के साथ काम करें तो किसी भी क्षेत्र में अभाव नहीं हो सकता है यदि यह विभाग ईमानदारी के साथ काम करे तो तीन लाख या पौने तीन लाख करोड़ का बजट पूरी सरकार का है उससे ज्यादा राजस्व केवल इस विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। मैं सुझाव दे रहा हूं मै केवल आलोचना नहीं

कर रहा हूं सरकार कहती है कि वित्तीय संसाधनों का अभाव है हम लोग प्रार्थना–पत्र देते हैं तो सरकार कहती है कि वित्तीय संसाधनों का अभाव है लेकिन कोई वित्तीय संसाधनों का अभाव नहीं है अगर आप ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें इन बातों को कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।

'श्री अभय सिंह–

आदरणीय अध्यक्ष जी, हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं अभी इसके पूर्व हमारे बहुजन समाज पार्टी के साथी ने अपने विचार रखे हैं और इस पर लगातार बोला कि बहुत मालदार विभाग है अध्यक्ष जी हम आपको बताना चाहते हैं कि मालदार विभाग यह उसके लिए जिसने इससे माल कमाया। हमारे समाजवादी पार्टी के यशस्वी मुख्य मंत्री ने उपखनिज परिहार नियमावली में 37वां संशोधन किया यह संशोधन उन्होंने बालू मौरंग के पट्टों के चयन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने के लिए किया। वर्षों से जो बालू मौरंग के पट्टाधारकों का चयन आर्थिक स्थिति और अनुभव के आधार पर किया जा रहा था। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देशन में इसकी पूरी प्रक्रिया बदल दी गयी। अब पट्टा धारक इस आधार पर चयनित किया जा रहा है कि वह रायल्टी के अतिरिक्त कितनी अतिरिक्त धनराशि सरकार को देगा जिससे सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। इसके अच्छे परिणाम भी सामने आये। पट्टा प्राप्त करने के लिए आयोजकों द्वारा बड़ी धनराशि के प्रस्ताव भी लगातार मिल रहे हैं। जो रायल्टी देगा वह अलग से और सरकार को अलग से राजस्व देगा। मान्यवर, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा बनाए गए संशोधन से अधिनियम से ढाई सौ करोड़ की अतिरिक्त आय उत्तर प्रदेश को होगी। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि मालदार यह आपके लिए है क्योंकि आपकी सरकार में हर नाले पर जगह–जगह बैरियर लगाया हुआ था। जो मौरंग उस सरकार में 60 हजार और 70 हजार की मिलती थी आज वह हमारी सरकार में समाजवादी पार्टी की सरकार में 32 हजार से 35 हजार रुपये की मिल रही है। हम आपसे यह भी कहना चाहते हैं पूरे लखनऊ में अगल–बगल मिट्टी खोदी गयी और हमारी गोमती नदी जो पवित्र नदी है उसको पाट दिया गया हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि क्या आप लोगों ने कोई रायल्टी दिया बहुजन समाज पार्टी के पांच साल के कार्यकाल में महापुरुषों के नाम पर आप लोगों ने जो नदी की पटाई की किनारों की पटाई की क्या रायल्टी दी गयी उसकी एक रुपये अगर कहीं रायल्टी दी गई हो तो बता दीजिए। इतना बड़ा आप लोगों ने घोटाला किया घपला किया। हम इस सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी सरकार की खनिज के मामले में बहुत बड़ी उपलब्धि रही। ललितपुर और सोनभद्र में सोने की उपलब्धता पाई गई इसके शोध के लिए हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार इसका प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेज रही है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अभय सिंह–

' वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारी सरकार ने खोजा आपने क्यों नहीं खोजा। हम आपको बताना चाहते हैं कि जनपद ललितपुर में प्लेटीनम की उपलब्धता पाई गई है जो गोवा, नागालैण्ड और तमिलनाडु जैसे राज्यों से ज्यादा प्लेटीनम हमारे प्रदेश के ललितपुर जैसे जिले में उपलब्ध है। हमारी सरकार की उपलब्धि रही कि हम लोगों ने उस पर काम किया। सोनभद्र में चाइना–क्ले के लिए तीन पुनर्वेक्षण लाइसेंस स्वीकृत किए गए हैं इन उद्योगों के स्थापित होने से हमारी सरकार द्वारा बहुत से नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। हम यह बताना चाहते हैं जिस तरह से आप लोगों ने इसको एक मालदार विभाग समझा। बोलने से आपकी मानसिकता समझ में आती है। आप अपने दल का प्रतिनिधित्व करके बोल रहे हैं। आपकी मानसिकता समझ में आती है, आप इसको मालदार समझ कर इसमें काम किया है। हमारी सरकार ने इस पर अच्छी तरीके से काम करके और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये, प्रदेश में और खनिजों की खोज करने के लिये बहुत ही कीर्तिमान स्थापित किया है और एक नया आयाम स्थापित करने जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपने बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये हम आपके बहुत–बहुत आभारी हैं।

'श्री नदीम जावेद–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर और इस बजट पर मुझे बात करने का, कटौती मोशन के पक्ष में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि संसदीय भाषा का प्रयोग यहां पर होना चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि अपनी जो बात कहूं वह संसदीय मर्यादाओं में और संसदीय भाषा में ही कहने का प्रयास करूं। अध्यक्ष जी, आज जब सुबह सदन की चर्चा शुरू हुई थी तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात से शुरू हुई थी। एक राजनैतिक दल ने राज्य सरकार के कैबिनेट का जो प्रस्ताव था उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया और यह कहा कि जब प्रस्ताव महानगर पालिका और नगर निगम....

श्री अध्यक्ष–

वहां कहां पहुंच गये, बजट पर बोलिये ना। आप इतने विद्वान होकर कहां भाग रहे हैं। बजट पर बोलो ना।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैं उसी पर आ रहा हूं और उस पर संसदीय कार्य मंत्री ने यह कहा था।...

श्री अध्यक्ष–

आप बोलना नहीं चाहते हैं क्या ? आप जो खनन का बजट है, उस पर बोलिये ना। उन्होंने क्या कहा था, उससे क्या मतलब है।

श्री नदीम जावेद–

आपका संरक्षण चाहता हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह देखिये अनुदान है ना। यह जो जनरल डिबेट होता है बजट पर, साधारण बजट पर, राज्यपाल के अभिभाषण पर। यह अनुदान है, अनुदान तक सीमित रहिये।

श्री नदीम जावेद–

अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश का पालन करते हुए अक्षरशः बात करूंगा वही और केवल विषय पर ही बात करूंगा। लेकिन बार–बार जो सवाल इस सदन में उठता है और खास तौर खनन नीति को लेकर उठता है अध्यक्ष जी। हम सवाल केवल इसलिये नहीं उठाते हैं अध्यक्ष जी कि हम कोई आरोप किसी सरकार के ऊपर लगायें। अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है कि जो जनता के सवाल हैं और प्रदेश का सवाल जो हमारी तरफ देख रहा है उसको हम विधान सभा में उठायें। तो हमें ऐसा लगा अध्यक्ष जी कि सुबह तो बड़ी ईमानदारी की बात हुई वो बड़ा किसी का कीमती शेर है **कि जनाबे शेख का यह फलसफा जो मेरी समझ में न आ सका कि यहां पियो तो हराम है वहां पियो तो हलाल है।** अध्यक्ष जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ सवाल है और हमारे मित्रों ने इस बात की तरफ इशारा किया है। अध्यक्ष जी इन्वायरमेंट असेसमेंट कमेटी की रिपोर्ट और यह रिपोर्ट अध्यक्ष जी आई है जब उत्तरकाशी और उत्तराखंड में बाढ़ की बड़ी भीषण त्रासदी पिछले वर्ष हुई थी। अध्यक्ष जी, इसमें जो मूल कारण है वह यह है कि जब बालू निकाली गई और जब बालू के साथ जो छोटे पत्थर थे वह निकाले गये अध्यक्ष जी, तो उसकी वजह से जो नदी है उसने बहाव की दिशा को बदलने का काम किया। अध्यक्ष जी, जब पहाड़ टूटे तो पहाड़ टूटने के बाद पेड़ कटे, पेड़ कटे तो अध्यक्ष जी रेती बह गई और उसकी वजह से एक ऐसी त्रासदी आ गई कि एक मानवता पर खतरा हो गया। इसलिये अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि जो पॉलिसी है वह यह कहती है कि जो बालू है अगर वह निकाला जाता है तो उतना ही बालू अपने बहाव में नदी लेकर आती है। उससे ज्यादा निकाला जायेगा तो कहीं न कहीं यह इस नेचर के साथ शोषण होगा जिस पर पूरी मानवता टिकी हुई है। तो राज्य में जो महत्वपूर्ण सवाल बार–बार हो रहा है कि इस अवैध खनन के पीछे अगर राज्य को राजस्व प्राप्त हो रहा है अध्यक्ष जी एक रुपये का और कहीं न कहीं पांच रुपये का नुकसान हो रहा है तो उसको मॉनीटर करने का सिस्टम होना चाहिए। हर आदमी, हर व्यक्ति यह सवाल कर रहा है और अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि जो ट्रक गुजरती है उनसे दो हजार से पांच हजार रुपया वसूला जा रहा है, यह मैं नहीं कह रहा अध्यक्ष जी, यह लोग कह रहे हैं। इसलिये अध्यक्ष जी, यह हमारी सदन में जिम्मेदारी है कि कौन से ऐसे कारण हैं ? और कौन ऐसे लोग हैं। मैं यह नहीं कहता कि राज्य सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन किसी न किसी जगह के लोग शामिल हैं और यह काम हो रहा है, इसको रोकने की आवश्यकता है। अध्यक्ष जी, एक बात और है, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि सोना, हीरा भी निकल रहा है। तीन जगह रिपोर्ट आई है कि हीरा निकला है। हीरा भी निकल रहा है, सीमेन्ट निकल रही है। अध्यक्ष जी, खनन पर जो रिसर्च वर्क होना चाहिए मैं एक बुकलेट पढ़ रहा था ज्योलोजी की जो सर्वे, या जो एजेन्सी बनाकर उस पर जो सांइटिस्ट रिसर्च करें कि हमारी जमीन के नीचे क्या–क्या है, क्या–क्या खनिज पदार्थ हैं। केवल ट्रक पर बालू जायेगा और गिट्टी जायेगी और लूट होगी अध्यक्ष जी, इस विचार से, इस रीजन से

बाहर निकल कर सोचने की जरूरत है कि क्या–क्या खनिज सम्पदा है, उसका इस्तेमाल हम राज्य में कैसे कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इस बजट में लिखा है कि 50 पद हैं अध्यक्ष जी, केवल 11 पद भरे गये हैं, 39 पद खाली हैं, यह राज्य सरकार की रिपोर्ट है मैं पढ़ रहा था अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह है कि खनिज बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, हो सकता है कि कुछ लोगों को ओबलाइज करने के लिये सरकार काम कर रही हो लेकिन इसकी एक प्रॉपर नीति बनाकर पूरी ईमानदारी और विवेक के साथ जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइड लाइन्स हैं उनको फॉलो करते हुए उस पर फॉलो करते हुए इस पर काम होना चाहिए। आपने मुझे कट मोशन के पक्ष पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं।

'श्री रामपाल यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूं। भू–तत्व और खनिज विभाग, ऐसा विभाग है जिससे गांव में चाहे छोटी सी कोठरी से लेकर हाइ–वे बनाना हो, उसमें खनिज विभाग की जरूरत पड़ती है। बिना खनिज के न तो घर बन सकता है न सड़क बन सकती है और न प्रदेश में कहीं विकास हो सकता है। इसके लिए हमारी सरकार के मंत्री जी ने पूरे आंकड़ों सहित बताया है, क्या राजस्व की प्राप्तियां पहले थीं और क्या राजस्व की प्राप्तियां आजकल हैं, हमारे साथी, सारे साथी कह रहे हैं अवैध खनन–अवैध खनन, मैं पूछना चाहता हूं कि अवैध खनन की परिभाषा क्या है और वैध खनन की परिभाषा क्या है इसका इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। हमारी सरकार ने मान्यवर, अभी तक जो पट्टे इनकी सरकार में दिए गए थे, अभी तक जो इनकी सोच थी अभी तक कोई नया पट्टा नहीं दिया गया है इन्हीं के सभी पट्टे चल रहे हैं इन्हीं के माफिया सब लगे हुए हैं, भू–माफिया, खनन माफिया सब इन्हीं के लगे हुए हैं। अगर सरकार कोई नीति बनाती है, सरकार कोई संकल्प लेती है तो उसके खिलाफ मान्यवर उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लोग चले जाते हैं, इन्हीं के द्वारा जो प्रस्तावित पट्टे हैं उन्हीं पर काम हो रहा है। अभी तो हमारी सरकार द्वारा कोई पट्टा नहीं दिया गया है। यह जो अवैध वसूली की बात कर रहे हैं या कहीं ट्रक ओवरलोड जा रहे हैं तो या तो कहीं आर0टी0ओ0 ने रोका होगा, या कहीं किसी अन्य विभाग द्वारा रोका गया होगा, खनन विभाग के द्वारा कोई वसूली नहीं हो रही है। यह इनका कहना बिल्कुल असत्य है। अभी राणा जी कह रहे थे, कई जगह का उदाहरण दिया, उत्तराखंड का उदाहरण दिया क्या उत्तराखंड में कभी हम लोगों की सरकार रही है ? मान्यवर, इनकी सरकार रही, और अवैध खनन इन्हीं की सरकार में हुआ था। जिसकी वजह से इतनी भारी तबाही मची। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई कांग्रेस ने भी यही किया और आज इतने सारे लोग एक साथ मिल करके हमारी सरकार को बता रहे हैं कि अवैध खनन करा रही है जबकि इसके दोषी बहुजन समाज पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इन्हीं के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवैध खनन हुआ है और सबसे ज्यादा लूट हुई है

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिसके आंकड़े अभी मा0 मंत्री जी ने बताये हैं। इसी के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष–

एक ही व्यक्ति तो बोलेगा।

श्री विक्रम सिंह–

मान्यवर, 100 किलोमीटर गंगा और 100 किलोमीटर जमुना, इससे बड़ा कोई क्षेत्र नहीं हैं यह इतना बड़ा विषय है इस पर आपका संरक्षण चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग आपस में तय कर लीजिए आपकी पार्टी का कौन बोलेगा।

'श्री विक्रम सिंह–

यहां हम लोग अपने विषय की बात नहीं कर रहे हैं यह जो विषय है यह आप लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें कोई बुराई की बात नहीं है अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पता चल जाता है हम लोगों के यहां प्रश्न रखने से कि राजस्व की चोरी हो रही है इस सदन के बाहर, भ्रष्टाचार के इस क्षेत्र में, पर्टिकुलर इस क्षेत्र में, सार्वजनिक ज्ञान का विषय है, इसमें कोई ऐसा ज्ञान हम लोगों के पास नहीं है जो विशेषकर हम लोगों के पास हो, एक सार्वजनिक ज्ञान होने के नाते इतने बड़े राजस्व की चोरी हो रही है इस क्षेत्र में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो 12 हजार से 18 हजार मौरंग थी, अब 32 हजार पर आकर रुक गई है, पीछे नहीं जाएगी आगे ही यह जाएगी, बहुत सारी चीजों पर इससे प्रभाव पड़ रहा है।

मान्यवर, आबकारी क्षेत्र से ज्यादा राजस्व इस माईन के अकेले मौरंग और गिट्टी के क्षेत्र में हो सकता है होने की सम्भावना है, लेकिन वह कहीं न कहीं यदि उसको सत्ता में बैठे हुये लोग नहीं कर रहे हैं तो कौन कर रहा है ? इस पर शोध की आवश्यकता है। किनका प्रश्रय ऐसे लोगों को प्राप्त है जो एक कार्टल बनाकर इस क्षेत्र में हावी हैं इस पर शोध की आवश्यकता है। यह कोई लड़ाई का विषय नहीं है। आपके पास पैसा ज्यादा आयेगा, तीन लाख करोड़ के बाद में आप चार लाख करोड़ का विषय निकालकर लाईये, पांच लाख करोड़ निकालकर लाईये बजट में, आप ही की व्यवस्थायें ज्यादा बढ़िया होंगी। यह मूल उद्देश्य जो है उसका यह तात्पर्य है। मा0 अध्यक्ष जी, फतेहपुर में एक गॉव है कुर्राकनक जो यमुना के किनारे है और जो खनन माफिया हैं वह एक्सकेवेटर के माध्यम से मौरंग निकाल रहे हैं और एक्सकेवेटर के माध्यम से मौरंग निकालने के कारण सुरंग जैसी स्थिति बन जा रही है। एक अध्ययन बताता है कि लगभग तीन मीटर से नौ मीटर तो वैसे भी यमुना जी नीचे चली गयी हैं, लेकिन बारिश के वक्त में उस सुरंग में जब पानी जायेगा और ऐसा दो–तीन गांवों के पास हो चुका है तो बहुत सारी जमीन धंस जाती है, जानमाल का और रेवेन्यू की जमीन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऐसे खनन के ऊपर तो कृपया मंत्रालय अपने लोगों को भेजकर रोक

' वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लगा सकता है। दूसरा मा0 अध्यक्ष जी, जो राजस्व खनन से प्राप्त होता है और जो खनन की स्थिति है तो विभिन्न राज्यों जैसे झारखंड में और छत्तीसगढ़ में खासकर यदि आप देखेंगे जहां पर कोयला और लौह भारी मात्रा में रहा है वहां पर यह स्थिति रही है कि वह आज तक विकास की रेस में पिछड़े रहे हैं। यही स्थिति उन गांवों की है जिनके बगल में राजस्व की पूरी यह खनन की व्यवस्था होती है चाहे वह मिर्जापुर में हो, चाहे फतेहपुर में हो, चाहे इटावा, चाहे औरैया, चाहे जालौन में हो, जितनी ये नदियां हैं चाहे बेतवा हो, चम्बल हो, सेंगुर हो, पाण्डु हो, गंगा हो, जितनी भी नदियां हैं सबसे गरीब यदि आपको किसान और गांव मिलेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों के आसपास मिलेंगे जहां खनन हो रहा है यानी उसी क्षेत्र से लूट हो रही है और उन्हीं लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। वह राजस्व लखनऊ आ रहा है और विभिन्न मदों में उसको खर्च किया जा रहा है। यह एक बहुत नीतिगत प्रश्न है इस पर बहुत संवेदना के साथ और बहुत संजीदा होकर आप लोगों को सोचना पड़ेगा और सारे लोगों को सोचना पड़ेगा कि वह जो राजस्व आ रहा है उसका पहला हकदार कौन है ? वह गांव क्या उसके पहले हकदार नहीं हैं ? आप लोगों की तरफ से किसानों का वर्ष है। क्या वह गांव पहले हकदार नहीं हैं जिनको खोदकर, जिनमें धूल–मिट्टी फैलाकर, जिनके अन्दर के बच्चों के खेती के रोजगार को चौपट करके आप लोग वहां से निकल रहे हैं, ट्रक निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं। उसके बाद उन गांवों की दुर्दशा यह कि वहां बिजली नहीं, वहां सड़क नहीं, वहां पानी नहीं है। सबसे ज्यादा गरीबी वहां है। बुन्देलखण्ड की जितनी नदियां हैं उनके आसपास आपको डकैत मिलेंगे, इनके आसपास ही आपको कच्ची शराब बनती दिखायी पड़ेगी और उन्हीं के आसपास सबसे कम विकास है। सड़के नहीं गयी हुयी हैं। लॉ एण्ड आर्डर जिसको हम कहते हैं, जो लोकतंत्र का एक आखिरी तंत्र है कि यहां तक हमारा लॉ एण्ड आर्डर है। पिछले जमाने में चौकियां स्थापित की जाती थीं तो यह माना जाता था कि मेरा राज यहां तक आ गया। चौकियों की और थानों की स्थिति यह है कि सरकारें वहां तक अपना राज पहुंचाने में सक्षम नहीं हैं। जब क्राईम हो जाता है तो छह घंटे, आठ घंटे बाद लोग पहुंचते हैं और शायद यही कारण है, बुन्देलखण्ड की यही विपदा है कि वहां पर डकैत, वहां पर क्रिमिनल इतनी आसानी से घूमा करते हैं, इतनी आसानी से गायब हो जाया करते हैं कि उनके ऊपर कानून का कोई बस नहीं है। यह समस्या हल हो जायेगी यदि खनन व्यवस्था को सड़कों से जोड़कर इन नदियों के आसपास सड़कें बना दी जायें ताकि यह कानून–व्यवस्था समुचित हो जाये। इसके अलावा एक बात जो आती है वह यह है कि बहुत सारे साथी कानपुर से लखनऊ के लिये आते होंगे और आप देखिये कि कानपुर से लखनऊ आने वाली जो बायें हाथ की सड़क है। मा0 अध्यक्ष जी, यह बहुत सिम्पल शोध है इसमें कोई वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है। बायें हाथ वाली सड़क झांसी तक देख लीजिये और उस सड़क के अन्दर पड़े हुये गढ्ढों को देख लीजिये, वह ओवर लोडिंग की एक जीती–जागती मिसाल है, कहानी है और लखनऊ से वापस जाने वाली सड़क को देख लीजिये, वह आपको बिल्कुल साफ मिलेगी, बिल्कुल अच्छी मिलेगी। ओवर लोडिंग नहीं हो रही है यह कहकर सरकार बच नहीं सकती है। आप लखनऊ से कानपुर कभी किसी एक व्यक्ति को किसी छोटी सी गाड़ी में बैठाकर भेज दीजिये, एक हजार से दो हजार ट्रक, मैं पिछली सरकार

की नहीं जानता, पिछली सरकार ने गलत किया और आप उससे ज्यादा गलत करें यह राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत कोई बहुत बड़ी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो ट्रक खड़े होते हैं उनसे साफ तौर से यह जाहिर हो जाता है न सिर्फ ओवर लोडिंग आपको दिखायी देगी, उन ट्रकों के लोगों से आप बात करेंगे तो भ्रष्टाचार की जो बू है जो बाकी लोग कह रहे थे वह साबित होगी। अपनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजीव गुम्बर–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे खनिज पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, यह कोई छोटा–मोटा विषय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी बजट हैं, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि इससे 2015–16 में 1100 करोड़ का आंकलन है, विभाग को मिलने वाला है। मेरा अनुरोध है, मंत्री जी, यह केवल 1100 करोड़ यदि आपकी दया–दृष्टि इस विभाग पर सही प्रकार से पड़ जाये, यदि सरकार इस विभाग पर सही प्रकार से ध्यान दे दे, यदि सरकार मा0 न्यायालय द्वारा जो भी व्यवस्थाएं इस विभाग की कमियों को दूर करने के लिए दी गई हैं तो यह 1100 करोड़ रूपये से यह विभाग 50 गुना और 100 गुना तक के राजस्व को प्राप्त कर सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं सहारनपुर से चुना सदस्य हूं और सहारनपुर अवैध खनन का जीता–जागता उदाहरण है। अभी एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि अवैध खनन क्या होता है? यदि मान्यवर, आपको अवैध खनन देखना है तो आप सहारनपुर चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार प्रति दिन डेढ़ से दो हजार ट्रक और ट्रैक्टर ट्राली वहां से खनन करते हैं, जब कि आपके राजस्व के रिकार्ड के मुताबिक वह शायद 40 या 50 ही होंगे और वह जो 40 और 50 राजस्व देते हैं, जिसकी आपके यहां खानापूर्ति है, वह 400–500 रुपया तक प्रति ट्रक या ट्राली आता होगा, जबकि उन ट्रक और ट्राली के अन्दर 300 कुन्तल से लेकर 500 कुन्तल तक माल ले जाया जाता है और 10 से 15 हजार रुपये तक की अवैध रायल्टी वसूली उन ट्रकों के माध्यम से हो रही है। मान्यवर, सरकार का ध्यान कभी–कभी कमी पर होना चाहिए कि आखिरकार कमी कहां है। अभी मा0 मंत्री जी ने कहा कि हमारे 75 जिलों के अन्दर मात्र 19 अधिकारी नियुक्त हैं, मात्र 75 जिलों में 20 बाबू हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राजीव गुम्बर–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसा विभाग है, जिस पर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार चर्चा होती है और उस विभाग के अन्दर अधिकारी नहीं हैं, बाबू नहीं हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों के अन्दर खनन हो रहा है, वहां सीसी टी0वी0 कैमरे लगाये जायें, परन्तु सरकार की उदासीनता या भ्रष्टाचार को संरक्षण कह लें, वहां सीसी टी0वी0 कैमरे लगाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मान्यवर, उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि जिलाधिकारी और खनन

अधिकारी प्रत्येक माह उसके अन्दर जाकर जांच करेंगे और उसकी रिपोर्ट शासन को देंगे, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

अध्यक्ष जी, सरकार की उदासीनता के कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है, सत्ता पार्टी के लोग पूर्व की सत्ता पार्टी के लोगों के साथ मिल कर और हमारे यहां के एक एमएलसी अवैध खनन में शामिल है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राजिव–

माननीय मंत्री जी, लोग कह रहे हैं कि विधायक और सांसद इस खनन में लगे हुए हैं, माननीय मंत्री जी, उन विधायकों और सांसदों के नाम सदन के अन्दर रखें। उनके नाम को उजागर करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

(शोर–शराबे के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप कालीचरन जी दिन भर बोलते हैं कोई बात होती है तो आप पहले खड़े हो जाते हैं। श्री रामहेत भारती ने नहीं बोला है। दो मिनट उनको बोल लेने दीजिए आप तो मंत्री रहे हैं।

श्री रामहेत भारती–

मा0 अध्यक्ष जी आपने कटौती प्रस्ताव पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चूंकि मैं जनपद सीतापुर से सम्बन्ध रखता हूं। विधायक श्री राम पाल यादव मा0 अध्यक्ष जी आपने बहुत स्पष्ट रूप से बहुजन समाज पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्व की सरकार में जो बहुजन समाज पार्टी को पट्टे दिए गए थे आज वही लोग खनन कर रहे हैं। मान्यवर मैं सदन में बड़ी गम्भीरता, विनम्रता और सत्यता के साथ यह बात रखना चाहता हूं क्योंकि अगर यह बात न आती तो मैं आपसे समय न लेता। बहुजन समाज पार्टी को जोड़ते हुए आपने यह बात रखी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के कौन से लोग हैं ? आप अपने जनपद सीतापुर का बता दीजिए वे कौन से लोग हैं जिनको पट्टा दिया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने और आज वही उत्खनन करा रहे हैं। आप अगर जानकारी रखते हैं मा0 मंत्री जी अभी अपना स्पष्टीकरण देंगे तब तक हमारे मा0 विधायक जी उनको बता दें वे कौन से पट्टेधार हैं कौन–से ऐसे लोग हैं।

श्री अध्यक्ष–

ऐसा नहीं है वह सीतापुर के नहीं थे।

श्री रामहेत भारती–

मान्यवर, मैं पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूं मैं यह जानना चाहता हूं कि सीतापुर के अंदर वह कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनको पट्टा दिया गया था बहुजन समाज पार्टी की सरकार में और आज यह समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत मेहरबान है। मैं यह बात व्यक्तिगत जानकारी से कहना चाहूंगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र हरगांव है और तीन साल से मैं देख रहा हूं बहुत बड़े ढेर लगा दिया जाते हैं। तब पट्टा नहीं दिया जा रहा था। सुन लीजिए हमारी बात को और ढेर लगा करके उसके बाद में उनसे यह कह दिया गया कि आप उठान ढलान कर लीजिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर)

मेरी बात सुन लीजिएगा। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

आप उनका भी सुन लीजिए।

श्री रामहेत भारती–

मा0 अध्यक्ष जी मैं जनपद सीतापुर से ताल्लुक रखता हूं मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैं आपकी सदाशयता को दाद दूंगा। आप उन पट्टेधारों का खुलासा कर दीजिए। बहुत सी सड़के हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी बनाई गई थी अवैध खनन से आज वह धराशाई हो गई है। उन सड़कों का खस्ताहाल हो गया है। मान्यवर हमारे जनपद से बालू खोद कर खेतों से नहरों से चौका नदी है खेतों से बालू खोद करके ट्रकों में ऐसे जाता है जैसे सीमेन्ट जा रहा हो चीनी जा रही हो। इस प्रकार से उसको बंद करके रात में ग्यारह–ग्यारह बजे ले जाया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त कर दें।

श्री रामहेत भारती–

मा0 अध्यक्ष जी सुन लीजिए मैं बोलता नहीं हूं। मेरा आरोप नहीं है मैं तो बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका कि मा0 मंत्री जी से रिपोर्ट ले लीजिएगा। वह कौन से ऐसे लोग हैं और फिर आप मेहरबान क्यों हैं ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

भारती जी अब समाप्त करिए। अब आपने अपनी बात कह दी।

श्री रामहेत भारती–

मा0 अध्यक्ष जी हमारा आरोप नहीं है लेकिन ऐसे माफियाओं को छूट क्यों दी गई।

श्री अध्यक्ष–

अब खत्म करिये। 9.00 बज गया। आपने इतनी बात कह दी।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

बैठिये।

श्री रामहेत भारती–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी ने कहा कि हम एक हजार रुपये ट्रैक्टर ट्राली पर जुर्माना लेते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी जानकारी में है एक किसान अपनी ट्रैक्टर ट्राली में भरकर अपने काम के लिए मिटटी लाया था और उसको बंद कर दिया गया। मैंने एस0डी0एम0 साहब, लहरपुर से कहा कि एक किसान है एक ट्राली मिटटी अपने काम के लिए लाया है। उस किसान पर 17 हजार रुपये जुर्माना किया गया। मेरी जानकारी में है। मा0 अध्यक्ष जी, मैंने विधान सभा में एक प्रश्न लगाया। उस दिन जब यह रिपोर्ट आयी तब 8–10 ट्रालियों को पकड़ा गया। और उनको बाद में छोड़ दिया गया और यह कहा गया कि असेम्बली क्वेशचन हो गया है।

श्री अध्यक्ष–

अब बैठ जाओ भई।

श्री रामहेत भारती–

मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो कहा गया है उसका खुलासा किया जाना चाहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब नहीं। बहुत ज्यादा बोल चुके हो। अब बैठो। स्पष्टीकरण में पूछ लेना।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 मंत्री जी को बुलवा लें।

भू–तत्व एवं खनिकर्म मंत्री (श्री गायत्री प्रसाद)–

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य, मा0 सुरेश राणा जी, मा0 पाल जी, विक्रम जी, मा0 राजीव गुम्बर जी, मा0 रामहेत भारती जी। मा0 सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिये।

(इस बीच कई सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

लिख दो, मैं लिखवा दूंगा। प्रोसीडिंग में आ जाएगा।[४]

श्री गायत्री प्रसाद–

निश्चित तौर से जिस तरीके मा0 सदस्य ने अवैध खनन की बात कही और यह सरासर असत्य है।

श्री अध्यक्ष–

अरे बैठ जाओ। मा0 मंत्री जी को बोलने दो। बैठ जाओ न।

---

[४] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 295–301 पर)

श्री गायत्री प्रसाद–

क्योंकि जो ट्रक जहां से चलती है वह स्थान बताइये जहां से चलती है वह पट्टा है कि नहीं है। अगर रायल्टी लेकर न चले तब अवैध खनन माना जाता है।

(व्यवधान जारी)

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों का इरादा नहीं है। मैं बार–बार अनुरोध कर रहा हूं। शांत रहें।

श्री गायत्री प्रसाद–

यह कहा जाता था कि अवैध खनन सोनभद्र। अभी एक साथी ने आरोप लगाया। हमारे सहारनपुर के हैं। अवैध खनन की जांच चल रही है। मैं जांच के खुलासे की बात करते हुए पूरे हिन्दुस्तान को चैलेंज करके कह रहा हूं कि कहीं दिखा दीजिए अगर मा0 सदस्य जी, पौने पांच करोड़ रुपये एक दिन में सोनभद्र में वसूली करवाया हूं और यह पेपर में सोनभद्र में खबरें छपी हैं। पौने पांच करोड़ एक दिन में और एक जनपद में वसूली कराने का काम किया हूं। यह मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

श्री गायत्री प्रसाद–

माननीय अध्यक्ष जी, कहना आसान है आरोप लगाना आसान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मा0 सदस्य जी ने इस बात को अवैध खनन पर कहा कि जांच चल रही है। इसलिए मैंने उसी सोनभद्र की जांच के बारे में कहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि वह जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं लाखों की आर0सी0 उसकी कटी हुयी है और हमने वसूली कराने का काम किया है। लाखों की उसकी आर0सी0 कटी थी और यह पूर्व की सरकार की देन है। पूर्व की सरकार का बकायेदार है हमारी सरकार का नहीं। तो इसलिए इस तरह से आरोप लगाना यह बहुत गलत है और सुरेश राणा जी ने कहा कि ग्यारह सौ करोड़ प्रतिदिन । मा0 राणा जी, मैं सदन के सामने कह रहा हूं। आप वहां 11 करोड़ प्रतिदिन की बात वहां सिद्ध करा दीजिए तो आप जो कहो मैं वह सरकार में करने के लिए तैयार हूं। मैं यह आपसे कह रहा हूं। 11 सौ करोड़ कहकर कि प्रतिदिन वहां से आया, ऐसे सदन को गुमराह मत करिये पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। अध्यक्ष जी, इसलिए इतना तो धन्यवाद दूंगा माननीय भाजपा के सुरेश राणा जी ने इतना तो स्वीकार किया कि यह किसान के हितैषी नहीं हैं। यह 25 हजार से अभी हम एक हजार की बात माननीय भारती जी कह रहे थे कि एक हजार मैंने दिया तो इन्हे इतनी तकलीफ हो रही है, सत्रह की बात कर रहे हैं लेकिन 25 हजार को बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाये। यह आप स्वीकार कर रहे हैं कि हमने किया और हमने आज तक एक भी किसान को सजा नहीं दिया है हमने और आप 05 साल की सजा जैसे कठोर कार्यवाही की बात कर रहे हैं। आप किसान विरोधी है, यह सदन में सिद्ध हो गया और समाजवादी पार्टी किसान हितैषी पार्टी हैं। हम किसानों के लिए संघर्ष करते हैं। किसानों के दम पर यह सरकार यहां पर आयी है। माननीय नेता जी, माननीय मुख्य मंत्री जी किसान के हित की बात करते हैं, इसीलिए यह वर्ष किसान वर्ष के रूप में मना रहे हैं। इसी तरीके से नदीम भाई अभी कह रहे थे तो आप जो सुझाव दे रहे थे, एन0जी0टी0 का तो हम भी स्वीकार करते हैं लेकिन यह देन किसकी है ? हमारी है, यह पूर्व की सरकार की देन है। यह जो नदी की बात बता रहे है, कोर्ट ने संज्ञान लिया, हमने भी जवाब दिया कोर्ट में पूर्व की सरकार

जिस तरीके से चलाती थी क्या आपको नहीं पता ? सिन्डीकेट किस तरीके से चलता था ? आज आप सिन्डीकेट की बात कर रहे हैं ? इसी तरीके से माननीय अध्यक्ष जी भाजपा के हमारे साथी विकास निधि की बात कर रहे थे, 05 प्रतिशत विकास निधि विकास के लिए सही है, एक साथी ने हमारे कहा कि होना चाहिए था। यह विकास निधि समाप्त पूर्व की सरकार ने किया है और अगर आज 1100 करोड़ का 05 परसेन्ट हमें मिलता तो यह पहले नियम था, माननीय नेता जी ने व्यवस्था की थी लेकिन पूर्व की सरकार ने 05 करोड़ कर दिया है। 05 करोड़ कौन सी सड़क कौन सा विकास कर देंगें तो 05 प्रतिशत अगर हम पाते जितना वसूलते तो यह व्यवस्था नहीं होती। इस तरीके से आप जो आरोप लगा रहे थे, माननीय अध्यक्ष जी 12000 ट्रक का भाड़ा नहीं है। 12000 में कोई ट्रक लखनऊ से नहीं जा सकती है झांसी या ललितपुर जहां की आप बात कर रहे हैं तो 12000 में आप मौरंग बेच देंगे। जिस तरह से माननीय अध्यक्ष जी मंहगाई बढ़ गयी, इसलिए आज पूर्व की सरकार की भांति अगर आधे के अन्तर पर सामान मिल रहा है क्योकिं हमारी सरकार ने किसान के हित में काम किया है। सी0सी0टी0वी0 कैमरे की बात कर रहे थे, बिना बिजली के सी0सी0टी0वी0 कैमरा, हमने कोर्ट में जवाब दिया है। बिना बिजली के सी0सी0टी0वी0 कैमरा उस नदी में जहां खुदाई होगी, वहां कैसे व्यवस्था करेंगे। यह कोर्ट का विषय है और यह मैंने कोर्ट को बता दिया है कि नदी में बिना बिजली के नदी में सी0सी0टी0वी0 कैमरा कैसे लगायेंगे। जहां जहां खोदेंगे, यह सुझाव है आपका कि सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगे। जो विचार अच्छे आयें है, उन पर हम जरूर अमल करेंगें और हम चाहेंगे कि आप पुनः कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और विकास के वास्ते ही चूंकि आपने स्वीकार किया है कि इस पैसे से अधिक राजस्व होगा तो प्रदेश विकास के रास्ते पर जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–4 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए 36,26,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

कोई बोलेगा इस पर ?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कोई संशोधन इसमें नहीं है। आप कृपया इसे पारित करायें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड–2 से खण्ड–51 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015

उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, एवं उससे सम्बन्धित दन्त विज्ञान, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं कालेज ऑफ फार्मेसी, जो सैफई, इटावा में स्थित है, को हस्तान्तरित करके उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के नाम से एक आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करने एवं उससे सम्बन्धित एक आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे।

परिभाषाएं

2–इस अधिनियम में, –

(क)''विद्या परिषद'', ''व्यवस्थापक बोर्ड'' और ''कार्य परिषद'' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के विद्या परिषद, व्यवस्थापक बोर्ड और कार्य परिषद से है ;

(ख) नियत दिनांक का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के दिनांक से है;

(ग) 'दन्त चिकित्सा' और 'चिकित्सा' के अर्थ वही होंगे जो उनके लिए क्रमशः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 और भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1956 में समनुदेशित है

(घ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है;

(ङ) 'छात्र निवास' का तात्पर्य छात्रों के निवास हेतु एक ऐसी इकाई से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित या मान्यता प्राप्त हों;

(च) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(छ) 'रजिस्ट्रीकृत स्नातक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी स्नातक से है;

(ज) 'परिनियम', 'अध्यादेश और 'विनियम' का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश और विनियम से है;

(झ) 'अध्यापक' का तात्पर्य ऐसे अध्यापक से है जो विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षण या अनुसंधान कार्य में मार्गदर्शन या संचालन के लिए नियोजित हो;

(ञ) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा से है।

अध्याय–दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन

3–(1) ऐसे नियत दिनांक पर और से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई, इटावा के नाम से एक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) यह विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय को चिकित्सालय का अन्तरण और आस्तियों का उपयोग

4–(क) नियत दिनांक पर, –

इटावा जिले के सैफई में स्थित उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा के समस्त चिकित्सालय, मेडिकल कालेज, पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, कालेज आफ नर्सिंग, कालेज आफ फार्मेसी, ट्रामा सेन्टर एवं सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय जो राज्य सरकार में निहित है, वे विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित हो जायेंगे।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(ख) संस्थान के समस्त अधिकारी, अध्यापक एवं अन्य कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकारी, अध्यापक एवं कर्मचारी के रूप में पदस्थापित होंगे जैसा कि विहित किया जाये।

5–विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

(क) चिकित्सा और दन्त चिकित्सा, पैरामेडिकल विज्ञान, नर्सिंग एवं फार्मेसी में ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करना और उसमें दक्षतापूर्ण एवं व्यवस्थित शिक्षण, अध्यापन, प्रशिक्षण और अनुसंधान सुनिश्चित करना;

(ख) विद्यमान संस्थाओं को उन्नत करके एक बहुआयामी अति विशिष्ट हास्पिटल एवं ट्रामा सेन्टर की व्यवस्था करना और उन्हें आकृष्ट केन्द्रों के रूप मे स्थापित करना एवं हास्पिटलों में रोगियों के उपचार की व्यवस्था करना;

(ग) अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक केन्द्र स्थापित करना;

(घ) पैरामेडिकल मानव संसाधन हेतु एक पैरामेडिकल प्रशिक्षण केन्द्र का विकास करना;

(ड़) पैथालाजी प्रयोगशालाओं, डाइग्नोस्टिक सेन्टरों और रक्त बैंकों एवं अन्य परिसरीय विशिष्ट चिकित्सालय सम्बन्धित सेवाओं एवं सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए अस्पतालों का प्रशासन, प्रबन्धन और नियंत्रण करना;

(च) मेडिकल एवं सर्जिकल विशेषज्ञताएं एवं उपविशेषज्ञताओं के निष्पादन के लिए विशिष्ट एवं व्यष्टिक विभागों की स्थापना करना जैसे ही और जब आवश्यकता हो।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और कर्तव्य

6–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात् :–

(क) चिकित्सा और दंत चिकित्सा, पैरामेडिकल कालेज, नर्सिंग कालेज एवं कालेज ऑफ फार्मेसी की ऐसी शाखाओं में अध्यापन और प्रशिक्षण संस्थित करना, जैसा विश्वविद्यालय उचित समझे और उन शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि और प्रसार के लिए अनुसंधान की

व्यवस्था करना;

(ख) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य शैक्षिक विशिष्टियां संस्थित करना और प्रदान करना;

(ग) विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश देना और परीक्षाएं और परीक्षणों को संचालित करना और उसके सम्बन्ध में शर्तो को अधिकथित करना;

(घ) ऐसे व्यक्तियों के लिये परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियां या अन्य शैक्षिक विशिष्टियां स्वीकृत और प्रदान करना जिन्होंने, –

(एक) विश्वविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो;

(दो) विश्वविद्यालय में शोध कार्य किया हो;

(ङ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तो के अधीन मानद उपाधियां या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों के लिये जो विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, ऐसे डिप्लोमा प्रदान करना, और ऐसे व्याख्यानों और अनुदेशों की व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों तथा ऐसे प्रयोजनों के लिये सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें;

(ज) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधिछात्रवृत्तियां (यात्रा करना, अधिछात्रवृत्तियों को सम्मिलित करते हुये) विद्यावृत्तियां, छात्र सहायता वृत्तियां, पदक और पारितोषकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(झ) किसी उपाधि या डिप्लोमा हेतु अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या डिप्लोमा को अपनी उपाधि के समतुल्य या, किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(ञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये शिक्षण और शोध संस्थानों, अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ट) छात्रावासों की स्थापना अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिये आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(ठ) अध्यादेशों के अनुसार फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(ड) निवासियों का प्रवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय संस्थानों के छात्रों के अनुशासन विनसमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्धन के लिये व्यवस्था करना;

(ढ) श्रेष्ठ एवं अनुसंधान कार्यो के प्रकाशन का जिम्मा लेना;

(ण) अपने अस्पतालों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये व्यवस्था करना;

(त) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये यथावश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हो;

(थ) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, पैरामेडिकल या नर्सिंग महाविद्यालय को ऐसे रीति से और ऐसे निबंधों और शर्तो पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना, जैसे विहित किये जाये और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय के कार्यो का मार्गदर्शन और

नियंत्रण करना;

विश्वविद्यालय सभी जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के लिए होगा

7– जाति, वर्ग, मतावलम्बियों या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगाः

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय, –

(एक) विश्वविद्यालय के अध्ययन के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता तय कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त राज्य सरकार की किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण जाँच और परिदर्शन

8–(1) राज्य सरकार को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा वह निर्देश दे, विश्वविद्यालय जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कर्मशाला तथा उपस्कर है और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षा, अध्यापन कार्य तथा अन्य कार्य का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में जाँच कराने का अधिकार होगा।

(2) जहां राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जांच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देंगे, और ऐसे निरीक्षण या जांच में परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जांच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी जो उन्हें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने के लिये तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के निमित्त बाध्य करने के प्रयोजनार्थ प्राप्त है और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उसके समक्ष कार्यवाही भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के प्रति निर्देश कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, राज्य सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्य सरकार की सलाह कार्य–परिषद को संसूचित करेगा।

(5) कुलपति तब ऐसे समय के भीतर, जिसे राज्य सरकार नियत करे उसे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने के लिये प्रतिस्थापित कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्रतिधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करे तो राज्य सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्रतिधिकारी प्रस्तुत करे, विचार करने के पश्चात ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिये

बाध्य होंगे।

(7) राज्य सरकार कुलाधिपति को, उपधारा (1) के अधीन कराये गये प्रत्येक निरीक्षण या जाँच की ओर उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की और ऐसे निदेश पालन करने अथवा न करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या जानकारी, की प्रतियां भी भेजेगी।

अध्याय–तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति;

(ख) कुलपति;

(ग) प्रति–कुलपति;

(घ) वित्त अधिकारी;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) संकायों का संकायाध्यक्ष;

(ज) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(झ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

कुलाधिपति

10–(1) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर, विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे।

(3) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये परिनियमों द्वारा अधीन प्रदान की जाये।

(4) सम्मानिक उपाधि या विशिष्टियां प्रदान करने की प्रत्येक प्रस्थापना कुलाधिपति द्वारा पुष्टि के अध्याधीन होगी।

(5) कुलाधिपति, यदि उपस्थित होंगे, डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किये जाने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे।

कुलृपति

11–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा जिनके नाम उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उसे प्रस्तुत किये गये हों।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्–

समिति का पदेन अध्यक्ष

(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव	संयोजक
(ग) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय	सदस्य
(घ) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	सदस्य
(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक व्यक्ति	सदस्य

(3) उपधारा (7) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पद त्याग के कारण, कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति की तारीख से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी भी कुलाधिपति द्वारा अपेक्षा की जाये और ऐसी तारीख के पूर्व जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलाधिपति को कम से कम तीन ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी जो कुलपति का पद धारण करने के उपयुक्त हो। समिति कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान–क्रम उपदर्शित न करेगी।

(4) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किये जाने के उपयुक्त नहीं समझता है अथवा सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हो और कुलाधिपति का चयन तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो तो वह समिति से उपधारा (3) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां थी अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया जिसके सम्बन्ध में बाद में यह पाया जायें कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(6) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि पर्यन्त पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्यागपत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होगीं जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करें।

(8) कुलपति के रूप में अपनी सेवाओं के सम्बन्ध में, कुलपति किसी पेंशन, बीमा या भविष्यनिधि के फायदे का हकदार न होगा।

(9) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने का एकमात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होगा) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः माह से अनधिक पदावधि के लिए जैसा वह विनिर्दिष्ट करें, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेगा :–

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना संभाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरंत दी जायेगी ;

(ख) जहां कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात में :

परन्तु यह कि कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति के पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को समय–समय पर बढ़ा सकेगा किन्तु इस प्रकार कि ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(10) कुलपति की अनुपस्थिति में, प्रति कुलपति, यदि कोई हो, अथवा जहां प्रति कुलपति न हो विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(11) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरूपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते है।

(12) किसी जांच के लंबित या विचाराधीन रहने के दौरान कुलाधिपति यह आदेश दे सकते है कि जब तक अन्यथा आदेश न दिया जाये,–

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा किन्तु उसे वह उपलब्धियां प्राप्त होती रहेगी जिनके लिए वह अन्यथा उपधारा (8) के अधीन था;

(ख) कुलपति के पद के कार्य का संचालन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

कुलपति की शक्तियां तथा कर्तव्य

12–(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और,–

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चय को कार्यान्वित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालयों के किसी दीक्षांत समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का विद्या सत्र समुचित तारीख को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) वह कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य–अध्यक्ष होगा।

(3) उसे विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्ण अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् तथा वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु यह कि वह विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला है जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए इस अधिनियम द्वारा या के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही ना की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम के मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अधिनियमों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उस ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी किन्तु ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगाः

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्व उस तारीख से जब उसे ऐसे कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में की किसी बात से कुलपति को कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिए सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक रूप से प्राधिकृत न हो और जिनकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(8) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा अधिकथित की जाये।

प्रति कुलपति

13–(1) यदि कुलपति आवश्यक समझे तो विश्वविद्यालय के आचार्यो में से किसी एक को प्रति–कुलपति नियुक्त कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति–कुलपति अपने कर्तव्यों का पालन आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

(3) प्रति–कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति को कार्य परिषद द्वारा संस्तुत मानदेय मिलेगा।

(5) प्रति कुलपति, ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जिन्हें कुलपति समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट करें तथा कुलपति की अनुपस्थिति में वह विश्वविद्यालय के अधिवेशनों का सभापतित्व करेगा और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे या प्रत्यायोजित किये जायें।

वित्त अधिकारी

14–(1) विश्वविद्यालय के एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा करेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

(3) वित्त अधिकारी कार्य परिषद के समक्ष बजट (वार्षिक अनुमानों) और लेखाओं का विवरण प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालयों की ओर से निधियों को निकालने और वितरित करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे, –

(क) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनियोजन से भिन्न) कोई व्यय जो बजट में प्राधिकृत न हो, न किया जाय;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के

निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमिततायें न की जाय और लेखा परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कार्यवाही करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा विनिधानों का सम्यक रूप से परिरक्षण और प्रबंध किया जा रहा है।

(6) वित्त अधिकारी की पहुँच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जो उसकी राय में उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(7) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा।

(8) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य ऐसी होंगी जैसी निहित की जाय।

(9) जहां वित्त अधिकारी किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति वित्त अधिकारी के पुनः कार्यभार सम्भालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

कुल सचिव

15–(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) कुल सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर की जायगी जैसी विहित की जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कार्य परिषद् का पदेन सचिव होगा और वह कार्य परिषद् के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा विहित किये जायें या अपेक्षित हों किन्तु वह, इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(5) कुल सचिव को विनियमों द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिए कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) कुलसचिव की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगी जैसी विहित किये जांय।

(7) जहां कुल सचिव किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या कुल सचिव का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति, कुल सचिव के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा

नियुक्त किया जायेगा।

16–(1) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा। परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त जानकारी प्रस्तुत करने को बाध्य होगा जो उसके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी पालन करेगा जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें या जो कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों, किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार न होगा।

(4) कुलपति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों के ऊपर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा और उसे इस सम्बन्ध में कुल सचिव की सभी शक्तियां प्राप्त होगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षणाधीन रहते हुये परीक्षा नियंत्रक परीक्षाओं का संचालन करेगा और उसके लिए सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और तत्सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को, राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सिवाय विश्वविद्यालय में किसी काम के लिये कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उसके पद के समस्त कर्तव्यों का पालन यथास्थिति परीक्षा नियंत्रक के पुनः कार्यभार संभालने या रिक्ति के भरे जाने तक ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा जिसे कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाय।

(8) परीक्षा नियंत्रक की अन्य शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होगें जैसे विहित किये जायें।

17–कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई नियुक्त हो, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की वही शक्तियां होंगी जो विहित की जायें। अन्य अधिकारी

19–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे, – व्यवस्थापक बोर्ड का गठन

(क) कुलाधिपति;	अध्यक्ष,
(ख) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार	उपाध्यक्ष
(ग) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव या सचिव अथवा उनके द्वारा नाम–निर्दिष्ट व्यक्ति जो सरकार के विशेष सचिव के स्तर से निम्न का ना हो;	सदस्य
(घ) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन विख्यात व्यक्ति;	सदस्य

सदस्य

(ङ) तीन शिक्षाविद् या चिकित्सा व्यवसाय के विख्यात व्यक्ति जिसमें से दो भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा और अन्य दन्त चिकित्सा परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट होगा;

सदस्य सचिव

(च) कुलपति;

व्यवस्थापक बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य

20–(1) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य शासी निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का यदि वे इस अधिनियम या परिनियम या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हो, पुनर्विलोकन करना;

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना;

(ग) विश्वविद्यालय के बजट, वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखा को अनुमोदित करना और वार्षिक सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर विचार करना;

(2) व्यवस्थापक बोर्ड समय–समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा।

कार्य परिषद्

21–(1) कार्य परिषद् में निम्नलिखित होंगें :–

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) प्रति–कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) संकायों के अध्यक्ष;

(घ) विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठतम आचार्य (संकायाध्यक्षों से भिन्न);

(ङ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट चिकित्सा व्यवसाय से राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के विख्यात तीन व्यक्ति;

(च) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश;

(छ) कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट किसी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का प्रधानाचार्य;

(ज) निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ;

(झ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली अथवा किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए उसके द्वारा नामित उस संस्थान का एक आचार्य;

(ञ) कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अथवा नामित व्यक्ति।

(2) कार्य परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(3) कोई व्यक्ति कार्य परिषद् का सदस्य चुने जाने और बने रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका संबंधी विश्वविद्यालय में अथवा उसके निमित्त किसी कार्य के लिए कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल प्रदान करने की या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डेन अथवा प्राक्टर या ट्यूटर के रूप में किन्ही कर्तव्यों के लिए अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिए कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण –इस धारा में ''नातेदार'' का तात्पर्य कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा–6 में परिभाषित ''नातेदारो'' से है और इसके अंतर्गत पत्नी (या पति) का भाई, पत्नी (या पति) का पिता, पत्नी (या पति) की बहन, भतीजा और भतीजी भी है।

कार्य परिषद् की शक्तियां और कर्तव्य

22–(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विशिष्ट प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के व्ययनाधिकार से रखी गई किसी निधि का प्रशासन करना;

(तीन) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(चार) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियां, अधि–छात्रवृत्तियां निर्धन छात्रवृत्तियां, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(पांच) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तो को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(छः) परीक्षकों की फीस, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों में परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन को विनियमित और प्रवर्तित करना;

(आठ) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(नौ) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिनके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय–समय पर ठीक समझें या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिहित करना और समय–समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(दस) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(बारह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिदान, दान या अन्यथा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुमास किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न, सिवाय राज्य सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायक अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से, उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) राज्य सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा राज्य सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तें वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिए वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद् और सम्बन्धित संकायों के बोर्डो के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद, अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं और उपलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद्, प्रशासकीय परिषद् के प्रत्येक संकल्प पर सम्यक विचार करेगी और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझें और सभा को, यथास्थिति, की गयी कार्यवाही या संकल्प स्वीकार न करने के कारणों की रिपोर्ट देगी।

(8) कार्य परिषद्, परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को, अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझें, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(9) कुलसचिव कार्य परिषद् का सचिव होगा।

विद्या परिषद्

23–(1) विद्या परिषद्, विश्वविद्यालय की मुख्य विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए :–

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले शिक्षण, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर जिनके अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद् को सलाह दे सकेगी, और;

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे, जो विहित किये जायं।

(2) विद्या परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे,अर्थात् :–

(एक) कुलपति, जो इसका अध्यक्ष होगा;

(दो) संकाय या संकायों के संकायाध्यक्ष;

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य जो विभागाध्यक्ष न हो;

(पांच) शिक्षा क्षेत्र में प्रख्यात पांच व्यक्ति जो विहित रूप से समायोजित किये जायेंगे;

(छः) पांच अध्यापक जिनका विहित रीति से चयन किया जाना है;

(सात) छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष;

(आठ) विश्वविद्यालय के पुस्तकालयाध्यक्ष।

वित्त समिति

24– (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) कुलपति, जो इसके अध्यक्ष होंगे;

(ख) राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रमुख सचिव;

(ग) राज्य सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;

(घ) प्रतिकुलपति, यदि कोई हो;

(ङ) कुल सचिव;

(च) परीक्षा नियंत्रक;

(छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव भी होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय साधनों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिये कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्यय की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद् पर आबद्धकर होगी।

(4) वित्त समिति की ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे, जो विहित किये जायें।

25–(1) विश्वविद्यालय में पाँच संकाय होंगे, अर्थात् चिकित्सा और दन्त, पैरामेडिकल विज्ञान, नर्सिंग और फार्मेसी।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग होंगे जो विहित किये जायें और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसे अध्यादेश द्वारा सौंपे जायें।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (जिसके अन्तर्गत उसके सदस्यों की पदावधि भी है) तथा शक्तियाँ और कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यो में से चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा।

संकाय

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह–

(क) संकाय के विभागों में अध्यापन तथा अनुसंधान कार्यों के संगठन तथा संचालन; और

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक पालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय के प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष अपने विभाग में अध्यापन के संगठन के लिये संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसकी अन्य शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे जो अध्यादेशों में उपबन्धित किये जायें।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार, अध्ययन बोर्डों को गठित किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड को एक से अधिक विषय सौंपे जा सकेंगे।

अन्य प्राधिकारी

26– विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ तथा कर्तव्य वही होंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय–पाँच

अध्यापकों तथा अधिकारियों की नियुक्ति तथा सेवा की शर्तें

अध्यापकों की नियुक्ति

27–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक कार्य परिषद् द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतद्पश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति जो उपधारा (3) के अधीन की गई नियुक्ति न हो प्रथम एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर होगी जिसे कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिये बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु यह कि परिवीक्षा की अवधि के दौरान या समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् कार्य परिषद् आदेश न दे दे :

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जायेगाः

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाये तो परिवीक्षा अवधि तब तक के लिये बढ़ जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद् का अंतिम आदेश न दे दिये जायें।

(3) आचार्य से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की दशा में संकाय के संकायाध्यक्ष और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष और कुलाधिपति द्वारा इस निमित्त नाम.निर्दिष्ट एक विशेषज्ञ के परामर्श से, कुलपति किसी अध्यापक को छुट्टी मंजूर किये जाने के कारण हुई रिक्ति पर चयन समिति को निदेश किये बिना दस माह से अनधिक की कालावधि के लिये स्थानापन्न नियुक्ति कर सकेगी किन्तु अन्य पद जिसको छः माह से अधिक की कालावधि के लिये होना सम्भाव्य हो ऐसे निदेश के बिना नहीं भरेगी।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे,–

(एक) कुलपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(दो) सम्बन्धित विभाग का विभागाध्यक्ष;

(तीन) किसी आचार्य या सह.आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ जो कुलाधिपति द्वारा नाम. निर्दिष्ट किये जायेंगेः

परन्तु यह कि जहाँ कुलाधिपति का यह समाधान हो जाय कि मामले की विशेष परिस्थितियों में पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है वहाँ वह ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं जैसी वे उचित समझें।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझे, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनाएगा, उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम.निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वहीं व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया हो।

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण–(1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को जिससे स्नातकोत्तर उपाधि के लिए पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण–(2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम–निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति के अधिवेशन के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से जिसका नाम–विनिर्दिष्ट क्रम में उससे ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो।

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी चयन समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगीः

परन्तु आचार्य या सह.आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिये एक या एकाधिक किन्तु तीन से अनाधिक नामों की सिफारिश करें।

(9) किसी अध्यापन की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्य.परिषद् उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह कि यदि कार्य परिषद् चयन समिति के अधिवेशन की तारीख से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करे, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार–विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिये चयन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार.पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाय जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

सहयुक्त आचार्य एवं आचार्य के पद पर पदोन्नति

28–(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय में पदोन्नत कोई सहयुक्त आचार्य, जिसकी उतनी सेवा की अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सहयुक्त आचार्य, सह.आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति धारा–27 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी विहित की जाय, दी जायगी।

विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति संविदा

29–(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय को कोई वैतनिक अधिकारी और अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायगा।

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसे विस्तार तक के सिवाय, यदि कोई हो, और ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, प्राइवेट चिकित्सा व्यवसाय (प्रैक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

30–विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा समय.समय पर सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, पेंशन एवं भविष्य निधि नियमावली को लागू करेगा।

अध्यापकों के पारिश्रमिकीय अतिरिक्त काम की अनुज्ञेय सीमा

31–(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय सम्बन्धी शर्तें वही होंगी जो विहित की जायें।

(2) कोई अध्यापक अध्यापन सम्बन्धी कर्तव्यों या किसी परीक्षा सम्बन्धी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण :–''पारिश्रमिकीय पद'' शब्दों के अन्तर्गत छात्रावास के वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद भी हैं।

मध्यस्थम् अधिकरण

32–(1) किसी नियुक्ति संविदा से उठने वाला कोई विवाद मध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा। जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य सम्बन्धित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नाम–निर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर अबद्धकर होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) मध्यस्थम् अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, –

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, पुनर्नियुक्त करने का आदेश देना; और

(ग) ऐसी आय काटने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) मध्यस्थम् से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन मध्यस्थम् पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा मध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिए अपेक्षित होः

परन्तु यह कि उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानो वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय–छः

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

परिनियम

33–इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टितया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का निर्वाचन, नियुक्ति, पदावधि, जिसके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों को पद पर बना रहना भी है, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों की पूर्ति और इन प्राधिकारियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य सभी विषय के लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों का वर्गीकरण, भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी हैं) उनके द्वारा विद्या सम्बन्धी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण. नियम और उनकी परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा.निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी है);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव भी है) और उनकी परिलब्धियां और उनकी सेवा की शर्तें (जिसमें अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी है);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के फायदे के लिए पेंशन या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियां तथा डिप्लोमा संस्थित करना;

(ज) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियां और डिप्लोमा, प्रमाण.पत्रों तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टिताओं का वापस लेना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका आमेलन, उत्सादन और पुनः संगठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनः संगठन;

(ड) विश्वविद्यालय के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या, न्यूनतम अर्हतायें और अनुभव, परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें, जिसमें सेवा निवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवा निवृत्ति से सम्बन्धित उपबन्ध भी हैं, और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) स्नातकों के रजिस्टीकरण की अर्हतायें, शर्तें और रीति और रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(त) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, करना; और

(थ) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे

34–(1) विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा बनाये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद् नए या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद्, किसी ऐसे परिनियम के प्रारूप की प्रस्थापना तब तक नहीं करेगी, जिससे विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की प्रास्थिति, शक्तियाँ गठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार राय लिखित रूप में होगी तथा कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नया परिनियम या किसी परिनियम में परिवर्धन या किसी परिनियम में संशोधन या निरसन कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर और विचार करने के लिए कार्य परिषद् को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियम उस तारीख से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसी पश्चात्वर्ती तारीख से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें, प्रभावी होगा।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अध्यापकों की अर्हताओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए अपने द्वारा अध्ययन, शिक्षण या अनुसंधान के हित में या अध्यापकों, विद्यार्थियों या अन्य कर्मचारिवृन्द के लाभ के लिए किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों को संशोधित करने या निरसित करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद् को राज्य सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनाये गये परिनियमों को संशोधित या निरसित करने या ऐसे परिनियमों से असंगत नये या अतिरिक्त परिनियम बनाने की शक्ति नहीं होगी।

अध्यादेश

35–(1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामावलियत होना और इस प्रकार बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमाओं के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम और विश्वविद्यालय की अन्य विद्या संबंधी विशिष्टतायें;

(ग) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और डिप्लोमाओं में प्रविष्ट किया जायगा तथा वे ऐसी उपाधियों तथा डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियां, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा पोषित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे और छात्रावासों की, जो विश्वविद्यालय द्वारा पोषित न हों, मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और दण्ड की व्यवस्था करना;

(ज) फीस जो विश्वविद्यालय द्वारा ली जा सके;

(झ) परीक्षण निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तों और रीति तथा उसके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यो में नियोजित व्यक्तियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक तथा जिसके अन्तर्गत यात्रा और दैनिक भत्ते भी हैं;

(ठ) अन्य सभी विषय जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन उपबन्ध किये जाने हों अध्यादेश द्वारा किये जायें।

अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे

36–(1) कार्य परिषद् समय .समय पर नये अथवा अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी। परन्तु कोई अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा,–

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षायें अथवा विश्वविद्यालय की उपाधि पाठ्यक्रम प्रवेश के लिये धारा 46 की उपधारा (1) में वर्णित अतिरिक्त अर्हताओं को विहित करें जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रतिस्थापित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति और उनके कर्तव्य तथा परीक्षाओं का किसी पाठ्यक्रम के संचालन या स्तर पर पड़े जब तक कि वह सम्बद्ध संकाय की प्रस्थापना के अनुसार न हो या जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रास्थापित न किया गया हो; या

(ग) जिससे कि विश्वविद्यालय के अध्यापको की संख्या, अर्हताओं तथा उपलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े, जब तक कि उसका प्रारूप राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(2) कार्य परिषद् को इस धारा के अधीन विद्या परिषद् द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद् को पूर्णतः अथवा भागतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधन के साथ वापस कर सकेगी जिसका कार्य परिषद सुझाव दें।

(3) कार्य परिषद् द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश ऐसी तारीख से प्रभावी होंगे जैसे वह निर्देश दे और कुलाधिपति को यथाशक्ति शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(4) कुलाधिपति किसी समय कार्य परिषद् की उपधारा (1) के परन्तुक खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को कार्य परिषद् को अननुज्ञात करने को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद् को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना प्राप्त की तारीख से ऐसे अध्यादेश शून्य हो जायेंगे।

(5) कुलाधिपति यह निर्देश दे सकेगा कि उपधारा (1) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन तब तक के लिये निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश की तारीख से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा।

विनियमन

37–(1) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या निकाय निम्नलिखित के लिये विनियम बना सकेगा :–

(क) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिये अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करने;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना जो अधिनियम परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना जिनका संबंध केवल ऐसे प्राधिकारी या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियम और अध्यादेश में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की अधिवेशनों की तारीखें और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसे अधिवेशनों में किये जाने वाले काम.काज का अभिलेख रखने की व्यवस्था करेगा।

(3) कार्य परिषद विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे पदाधिकारी या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को रद्द कर दे या उनमें ऐसे रूप में संशोधन कर दें जैसा निदेश में विर्निदिष्ट किया जाय और तदुपरान्त ऐसा प्राधिकारी या, निकाय तद्नुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा।

(4) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे विद्या परिषद विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम संबंधित संकाय के बोर्ड द्वारा उसके प्रारूप प्रस्थापित किये जाने के पश्चात ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद् की उपधारा (4) के अधीन संकाय के बोर्ड द्वारा प्रस्थापित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति न होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ और विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय–सात

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

वार्षिक रिपोर्ट

38–(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार की जायेगी और उसे वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा और सभा अपने वार्षिक अधिवेशन में उस पर विचार करेगी।

(2) प्रशासकीय परिषद संकल्प द्वारा ऐसी रिपोर्ट के सम्बन्ध में सिफारिश कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी, जो उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह ठीक समझे।

लेखा तथा संपरीक्षा

39–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र कार्य परिषद के निदेशाधीन तैयार किये जायेंगे और किसी श्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोदभूत समस्त धन और ऐसी रकमें जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो विश्वविद्यालय द्वारा रखी गयी लेखा में प्रविष्ट की जायेगी।

(2) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जो उसकी संपरीक्षा करेगी।

(3) वार्षिक लेखा और तुलनपत्र की संपरीक्षा हो जाने के पश्चात् उन्हें मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियां संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रति कार्य परिषद द्वारा व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायेगी।

(4) कार्य परिषद ऐसी तारीख के पूर्व, जो विहित की जाय आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित रकम से अधिक हो जिसे बजट में सम्मिलित करने की प्रस्थापना हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद जो वित्त समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) वार्षिक लेखा, तुलनपत्र तथा संपरीक्षा रिपोर्ट पर व्यवस्थापक बोर्ड अपनी वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगी और व्यवस्थापक बोर्ड उसके सम्बन्ध में संकल्प द्वारा सिफारिशें कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित करेगी।

(8) कुलपति या कार्य परिषद द्वारा कोई ऐसा व्यय उपगत करना वैध न होगाः–

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात राज्य सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को अनुदान विधियों की दशा में, ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो :

परन्तु यह कि धारा 12 की उपधारा (7) के किसी बात के होते हुये भी अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति रु0 एक लाख से अनाधिक ऐसा अनावर्ती व्यय उपगत कर सकेगा और ऐसे सभी व्यय की सूचना वह अविलम्ब राज्य सरकार को देगा।

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन तात्पर्यित कुलाधिपति या राज्य सरकार के अधीन किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमें के संबंध में हो।

अधिभार

40–(1) धारा 16 के खण्ड (ख) से (झ) में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी विश्वविद्यालय के किसी धन या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन के लिए अधिभार का देनदार होगा, यदि ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन उसकी उपेक्षा या अवचार के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हो।

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

अध्याय–आठ

प्रकीर्ण

प्राधिकारियों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति करने की रीति

41–(1) इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन, से भिन्न रीति से चुने जायेंगे।

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमों में चक्रानुक्रम से या ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हताओं के अनुसार किसी नियुक्ति के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होंगी जो विहित की जाय।

(3) जहां इस अधिनियम में निर्वाचन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो ऐसा निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा संचालित किया जायेगा और जहां परिनियमों में निर्वाचन के लिये उपबंध किया गया है तो वह ऐसी रीति से होगा जैसी परिनियमों द्वारा उपबन्धित हो।

(4) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

42–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करनी है चुना गया हो और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिये होगा जिसके लिये वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो अन्य किसी निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य हो चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी, तब तक ऐसे प्राधिकारी में अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहे।

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधि मान्य न होना

43–(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय अथवा समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि :–

(क) उसमें कोई रिक्त अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या

(ख) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या

(ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम.निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या

(घ) उसकी कार्यवाही में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

44– व्यवस्थापक बोर्ड, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई मत किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता सम्बन्धित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ है अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी है अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिए अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण.पत्र वापस ले सकती है।

कुलाधिपति को निर्देश

45–यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय या यथाविधि निर्वाचित या नियुक्त सदस्य या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या परिनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से सम्बन्धित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निदिष्ट किया जायगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगाः

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश :–

(क) उस तारीख के जब प्रश्न पहली बार उठाया जा सकता था, तीन मास से अधिक के पश्चात;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा व्यथित व्यक्ति से सिवाय नहीं किया जाएगाः

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में,–

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में वर्णित कालावधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा।

(दो) जहां निदिष्ट विषय का सम्बन्ध निर्वाचित के बारे में किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचन व्यक्ति की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

46–(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा यथाविधि अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही या संकल्प अथवा दस्तावेज के अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार के लिए साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण की जाएगी जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गई होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या सेवक से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्ष न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषय तथा व्यवहार को सिद्ध करने के लिये साक्षी के रूप में उपस्थित होने की जब तक अपेक्षा न की जाएगी, जब तक कि सभा विशेष कारण से आदेश न दे।

अध्याय–नौ

संक्रमणकालीन उपबन्ध

प्राधिकारियों का गठन

47–(1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,–

(क) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम.निर्दिष्ट किये जायेंगे तथा उनका कार्यकाल तीन वर्ष अथवा इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार व्यवस्थापक बोर्ड के गठन होने तक रहेगा ;

(ख) प्रथम कार्य परिषद, प्रथम वित्त समिति तथा प्रथम विद्या परिषद का गठन कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये अथवा धारा 19 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उक्त निकायों के गठन होने तक के लिये किया जायेगा; और

(ग) प्रथम कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, जो तब तक पदधारण करेगा, जब तक कि धारा 11 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कोई नियमित नियुक्ति न कर दी जाय।

विश्वविद्यालय के संकाय अधिकारियों और गैर संकाय अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तों एवं वेतन.भत्तों आदि का निर्धारण

48–विश्वविद्यालय में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर.शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) की सेवा शर्तें, योग्यतायें, अनुभव, वेतनमान एवं भत्तें आदि की सुविधायें संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों (शैक्षणिक एवं गैर.शैक्षणिक कर्मचारिवृंद) के अनुरूप अनुमन्य होगी।

उद्देश्य व कारण

49–(क) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के रूप में परिवर्तित होने के उपरान्त भी किसी अधिनियमिति के अधीन की गयी सभी नियुक्तियां, दिये गये आदेश, प्रदत्त उपाधियां या डिप्लोमा अथवा जारी किये गये प्रमाण.पत्र, मंजूर किये गये विशेषाधिकार अथवा की गयी कोई अन्य बातें (जिसके अन्तर्गत स्नातकों का रजिस्ट्रीकरण भी है) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन तत्समान उपबंधों के अधीन क्रमशः की गयी, जारी की गयी, प्रदत्त, मंजूर या की गयी समझी जाएगी और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन जब तक कि वे इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य आदेश में अधिक्रांत न कर दिये जाय, प्रवृत्त बनी रहेगी।

(ख) इस संस्थान के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी विश्वविद्यालय के अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे।

(ग) इस संस्थान के अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर वही नियम एवं शर्तें लागू होंगी जो कि पूर्व से लागू हैं तथा उन्हें जब तक किसी आदेश के अन्तर्गत राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा संशोधित/परिवर्तित नहीं कर दिया जाता।

(घ) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को विशिष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, निःशुल्क और ग्रामीण जनसंख्या को विशिष्ट चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने की व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई अधिनियम, 2005 में की गयी थी, को इसके विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने पर बनी रहेंगी।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

50–(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को, विशिष्टताः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, जहाँ तक संस्थाओं का संबंध है, के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के सम्बन्ध में, दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हो, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगेः

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाये जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा में निदिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन्, 2005 का निरसन और अपवाद

51–(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई, इटावा अधिनियम, 2005 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय उपधारा (1) के अधीन निरसन उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा–6 के सामान्य रूप से प्रवृत्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–51 तक, खण्ड–1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ख09.06, नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18–03–2015 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 63 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री प्रदीप माथुर की है। (मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

ये उपस्थित नहीं है इसलिये इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

दूसरी सूचना श्री संजय कपूर की है। (मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर) ये उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

तीसरी सूचना श्री बृजलाल सोनकर की है। (सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

ये भी निरस्त, ये भी उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

चौथी सूचना श्री भगवान सिंह कुशवाहा की जनपद आगरा रसूलपुर, सराय ख्वाजा, वी0आई0पी0 रोड, थाना–शहगंज निवासी प्रीतम सिंह कुशवाहा की दिनॉक 27.01.2015 को रहस्यमय ढंग से हुई मौत की जॉच कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पांचवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की जनपद अलीगढ़ से होकर निकली काली नदी में वेव डिस्टलरी शराब फैक्ट्री से बिना शोधित किये गन्दा पानी डाले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

छठी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की जनपद देवरिया में खुखुन्दु को ब्लॉक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

श्री अखिलेश प्रताप सिंह–

मान्यवर, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत कर लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है।

सातवीं सूचना श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय की जनपद इलाहाबाद के विधान सभा क्षेत्र मेजा में 100 बेड का अस्पताल बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की उ0प्र0 में डिप्लोमा फार्मासिस्टों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

नवीं सूचना श्री मुकुट बिहारी वर्मा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र कैसरगंज में दिनांक 09–09–2013 को गणेश पूजन के समय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

दसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की है। (मा0 सदस्य के अनुपस्थित रहने पर)

ये उपस्थित नहीं हैं इसलिए इनकी सूचना नहीं ली जायेगी।

ग्यारहवीं सूचना श्री सुरेश बंसल की जनपद गाजियाबाद के राहुल बिहार वार्ड–6 में किशनलाल के मकान से जवाहर लाल वर्मा के मकान तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

बारहवीं सूचना श्री बंशी सिंह पहाड़िया की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र खुर्जा के कतिपय ग्रामों के ऊपर से गुजर रही हाई टेन्सन विद्युत लाइन को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

तेरहवीं सूचना श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के विकास खण्ड ईशानगर के ग्राम समैसा से अन्धपुर तक की कच्ची सड़क को खड़ंजा/पक्की बनाये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौदहवीं सूचना श्री राधेलाल रावत की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के अन्तर्गत न्योतिनी में स्थित आश्रम पद्धति विद्यालय को यथाशीघ्र संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

पन्दहवीं सूचना श्रीमती विमला बाथम की वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति/जनजाति की महिलाओं हेतु बनाये गये हॉस्टल को बिना भेदभाव के सभी जातियों की महिलाओं को आवासीय सुविधा हेतु उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सोलहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र छावनी अन्तर्गत कतिपय मोहल्लों में जे0एन0एन0आर0यू0एम0 योजना के अन्तर्गत डाली गई पेयजल की लाइन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चार मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं, इनके स्थान पर अस्वीकृत मा0 सदस्यों की सूचनाओं को ले लेंगे।

(श्री अध्यक्ष द्वारा सदस्य श्री जियाउद्दीन रिजवी, श्री आरिफ अनवर हाशमी, श्रीमती रूबी प्रसाद, श्री जगपाल सिंह, श्री राधेश्याम जायसवाल, श्री विजय कुमार पासवान का नाम पुकारे जाने एवं इन सभी म0 सदस्यों के सदन में उपस्थित न रहने पर)

श्री दलजीत सिंह है ?

श्री दलजीत सिंह–

मान्यवर, मैं सदन में उपस्थित हूं।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, आपकी सूचना स्वीकर की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :––

1–श्री जियाउद्दीन रिजवी, 2–श्री आरिफ अनवर हाशमी,
3–श्रीमती रूबी प्रसाद, 4–श्री जगपाल सिंह,
5–श्री राधेश्याम जायसवाल, 6–श्री विजय कुमार पासवान,

श्रीमती बिमला सिंह सोलकी है, चलिये, ठीक है। श्री रामहेत भारती का एक ले लिया, ये कम देते है चलिये, तीन हो गया, एक और कोई ले लें जो बताओ। अच्छा चलिये, एक राजबली जैसल का हो गया जाइये।

शेष मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई–

श्री सुदेश शर्मा, श्री पंकज गुप्ता, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री धर्मपाल सिंह, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री अगयश रामसरन वर्मा, श्री अमित गौरव यादव, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री अमरपाल शर्मा, श्री गुटियारी लाल दुबेश, श्री अजय कुमार लल्लू, श्री मदन चौहान, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्री अरुण कुमार, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्रीमती सीमा, श्री अनिल कुमार, श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत, डा0 धर्म सिंह सैनी, श्री रविन्द्र भड़ाना, श्री योगेन्द उपाध्याय, श्री पूर्णमासी देहाती, श्री राम मगन रात, श्री अनीसुर्रहमान, श्री भीम प्रसाद सोनकर, श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री रामचन्द्र यादव, श्री रविन्द्र कुमार मोलहू, श्री ममतेश शाक्य, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, श्री सतीश महाना, श्री कालीचरन सुमन, श्री संजय प्रताप जायवाल, श्री बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री गजेन्द्र सिंह।

श्री अध्यक्ष–

अब यह संख्या–12।

उत्तर प्रदेश के अशासकीय वित्तपोषित बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अबिका चौधरी)–

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी अपनी सूचना में उल्लेख किया गया है कि उ0प्र0 बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा.....

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

सितम्बर, 2014 के दूसरे सप्ताह में एक शासनादेश जारी करके प्रदेश के अशासकीय वित्तपोषित जूनियर विद्यालयों में शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त स्थानों को भरे जाने हेतु जारी किया गया था। 6 महीने से अधिक का समय बीत गया उ0प्र0 के बेसिक शिक्षा के जूनियर स्तर तक के बेसिक विद्यालयों में जो अशासकीय वित्तपोषित है एक भी शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी को रिक्त स्थानों को भरे जाने हेतु सेवायोजित नही किया गया है। सैकड़ों स्थान शिक्षकों के तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के रिक्त आज भी है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के कारण शिक्षण कार्य बुरी तरह से प्रभावित है और उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कई वर्षो की मांग के बाद यह शासनादेश बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया था परन्तु एक भी नियुक्ति इस शासनादेश के संदर्भ में आज तक नहीं की गयी है जिससे यह शासनादेश प्रभावी नहीं हो सका है।

मा0 सदस्य द्वारा जनहित में सितम्बर, 2014 के दूसरे सप्ताह में जो शासनादेश वित्तपोषित अशासकीय विद्यालयों में रिक्त स्थान भरे जाने के लिए जारी किया गया था उसके तहत नियुक्तियां होने की मांग की गयी है।

मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में रिक्त शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों की भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध को शासनादेश सं0–2435/79–6–2014 दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा हटाने के आदेश दिये गये थे। उक्त शासनादेश में भर्ती हेतु उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 व उ0प्र0 मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाई स्कूल) लिपिक वर्ग कर्मचारियों और समूह 'घ' कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्ते नियमावली 1984 (अध्यावधिक संशोधित) में विहित प्रावधानों व समय–समय पर शासन स्तर से निर्गत अद्यतन शासनादेशों/निर्देशों/नियमों के आलोक में दिशा निर्देश जारी करते हुए उक्त रिक्त पदों पर नियमानुसार भर्ती हेतु आदेश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु दिशा निर्देश तैयार किया जा रहा है, दो सप्ताह के अंदर उक्त दिशा निर्देश जनपदों को जारी कर दिये जायेंगे।,

जनपद हापुड़ की तहसील एवं ग्राम धौलाना के खसरा संख्या–1599 पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री धर्मेश सिंह तोमर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य (स्थगित)

श्री अध्यक्ष–

यह स्थगित है।

जनपद चन्दौली में 132 के0वी0ए0 सब–स्टेशन से 33/11 के0वी0ए0 उपकेन्द्र चहनिया व सकलडीहा में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

मा0 सुशील सिंह नहीं है।

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत सीवर लाइन चालू कराने एवं टूटी पड़ी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कालीचरन सुमन द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत

दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 11–03–2015 को नियम–51.....

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के अन्तर्गत दी गई सूचना में आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत सीवर लाइन चालू करने एवं टूटी पड़ी सड़कों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में केवल वक्तव्य की मांग की गयी है।

2–उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि आगरा ग्रामीण के अन्तर्गत भीमनगरी 2008 के आयोजन के परिप्रेक्ष्य में इस क्षेत्र में रु0 53.36 करोड़ की लागत की सीवर योजना स्वीकृत हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत देवरी रोड, नगला कली से सेमरी ताल, सेमरी ताल से एस0एस0 पब्लिक स्कूल, ग्वालियर रोड तक नगला कली से कौलक्खा, कुटली बगीची देवली रोड बस्तियों में सीवर का कार्य कराया गया। उक्त कार्य वर्ष 2009–10 में पूर्ण करने के उपरान्त काटी गयी सड़कों की मरममत मानकों के अनुरूप करने के उपरान्त कार्यों को चालू कर समस्त कार्य नगर निगम, आगरा को दिनांक 31–05–2011 को हस्तगत कराया जा चुका है।

3–अद्यतन कराये गये सर्वे से स्पष्ट हुआ कि सीवर लाइन चालू हालत में है तथा सेमरी से नगला कली के बीच एवं सेमरी गांव से एस0एस0 पब्लिक स्कूल के बीच में 02 मेनहोल खुले पाये जाने पर उन्हें ढकवा दिया गया है। कुछ क्षतिग्रस्त मेनहोल, जो मरम्मत योग्य थे, उनकी मरम्मत करायी जा रही है। किसी सीवर लाइन के चोक होने अथवा मेनहोल खुले होने की सूचना मिलने पर प्राथमिकता पर कार्रवाई की जाती है।,

इलाहाबाद के यमुना नदी पर बना नया केबिल स्टेण्ड ब्रिज पर पैराशूट जाली लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

इलाहाबाद में यमुना नदी पर बना नया....

कारागर मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

केबिल स्टेण्ड ब्रिज आत्महत्या करने वालों के लिए मौत का प्लेटफार्म हो गया है। सन् 2005 में इसके निर्माण के बाद से लेकर अक तक लगभग 300 लोग यहां से यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। पुल के उत्तर कीडगंज तथा दक्षिण नैनी थानान्तर्गत इस अपराध के कई मुकदमें दर्ज हैं। पुल तो राष्ट्रीय राजमार्ग का है किन्तु यातायात तथा शान्ति व्यवस्था राज्य सरकार के अधीन है। एन0एच0आई0 पुल पर आत्महत्याओं को रोकने हेतु पुल में अतिरिक्त भार बढ़ने के नाम पर लोहे की जाली लगाने में असमर्थता प्रकट करता है। लखनऊ के गोमती नदी पर बने पुल से इसी प्रकार की घटना को रोकने हेतु जाली लगायी गयी है। यमुना पुल में लोहे की जाली के स्थान पर पैराशूट मैटिरयल की जाली लगायी जाने से वह मजबूत तथा हल्की भी होने से प्रतिदिन भरी अमानवीय अपराध को रोका जा सकता है। अभी दो दिन पहले भी एक लड़की ने यहां से कूद कर जान देने की कोशिश की है जिसे वहां पर उपस्थिति नाविकों ने बचा लिया।

अतः इस अतिसंवेदनशील मानवीय जनहित के अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण करते हुए उक्त पुल पर पैराशूट जाली लगवाने तथा सदन में वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

जनपद इलाहाबाद में प्रश्नगत सेतु राष्ट्रीय मार्ग सं0–27 पर स्थित है, जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अन्तर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण के अधीन है। केबल स्टेण्ड नैनी ब्रिज पर जनहित एंव सुरक्षा की दृष्टि से रेलिग में जाली लगाये जाने हेतु सुपरविजन कंसल्टेन्ट से तकनीकी राय प्राप्त की गयी थी, जिसके अनुसार इस केबल स्टेण्ड ब्रिज के निरीक्षण कार्य हेतु प्रयुक्त स्पेशल मोबाइल ब्रिज निरीक्षण इकाई को जाली लगने के उपरान्त ठीक से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, जिसके कारण केबल स्टेण्ड ब्रिज का निरीक्षण नहीं हो पायेगा। केबिल स्टेण्ड ब्रिज बहुत ही संवेदनशील ढांचा है, जिस पर किसी भी प्रकार की जाली/दीवार लगाये जाने से उस पर अतिरिक्त भार पड़ेगा तथा ब्रिज का डिजाइन इस प्रकार का है कि उस पर निर्धारित भार से अधिक भार आई0आर0सी0 के संशोधित नियम के अनुसार नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार तकनीकी राय के दृष्टिगत जनपद इलाहाबाद में केबिल स्टेण्ड नैनी ब्रिज पर जाली लगाये जाने का औचित्य स्थापित नहीं होता है,

जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र नौतनवां बाजार में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में कुंवर कौशल सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)–

जनपद महाराजगंज में मेरे विधान सभा क्षेत्र नौतनवां....

कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव)–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग जन विकास मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री अम्बिका चौधरी–

ख्के अन्तर्गत बाजार में स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज बहुत ही पुराना कन्या इण्टर कालेज है। वर्ष 1997 से राजकीय कन्या इण्टर कालेज नौतनवां में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। भौतिक विज्ञान की सहायक अध्यापिका कई वर्षों से कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इनके कार्यकाल में निर्माण कार्यों एवं मरम्मत हेतु धनराशि के दुरुपयोग का मामला वर्ष 2008 में प्रकाश में आया है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शिकायत पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) महराजगंज ने दिनांक 26.08.2008 को जिलाधिकारी, महराजगंज को प्रेषित शिकायत पत्र की जांच करते हुए कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापन कार्य न करने, वित्तीय अनियमितता में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए तत्काल निलम्बित कर उनके कार्यकाल में प्राप्त धनराशि एवं फर्जी भुगतान की जांच किये जाने की संस्तुति किया है। परन्तु अभी तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। छात्र व छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे छात्राओं में आक्रोश व्याप्त है। कार्यवाहक प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापन कार्य में रुचि न लेने व निर्माण कार्यों में दुरुपयोग किये गये धनराशि की जांच कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाय। प्रकरण जनहित एवं लोकमहत्व का है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।

प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज (बालक/बालिका) के सीधी भर्ती के रिक्त कुल 198 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया था। लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में उक्त पदों पर कराये गये चयन से उत्पन्न न्यायालयी विवाद के दृष्टिगत उक्त पदों को संगत सेवा नियमावली में निर्धारित अर्हता में संशोधन कर लोक सेवा आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराने की अपेक्षा शासन से की गयी है। लोक सेवा आयोग की उक्त अपेक्षा के क्रम में प्रश्नगत सेवा नियमावली में अपेक्षित संशोधन की कार्यवाही की जा रही है। सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधन के उपरान्त इन पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया जायेगा। लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारी उपलब्ध होने पर शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उक्त विद्यालय में तैनाती की जानी सम्भव होगी।

जहां तक कार्यवाहक प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायतों का प्रश्न है इस संबंध में श्रीमती सुलेखा तिवारी, प्रवक्ता (भौतिक विज्ञान) कार्यवाहक प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इण्टर कालेज, नौतनवां, महराजगंज के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों की जांच, तत्कालीन मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा वित्त नियंत्रक एवं लेखाधिकारी, मण्डलीय आडिट इकाई, गोरखपुर से करायी गयी। जांच आख्या/विशेष आडिट में प्रथम दृष्टया श्रीमती सुलेखा तिवारी द्वारा वित्तीय अनियमितता किया जाना पाया गया है।

नोट :–ख , यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तदनुसार श्रीमती सुलेखा तिवारी के विरुद्ध उक्त अनियमितताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई निदेशालय स्तर पर प्रचलित है।,

जनपद बिजनौर से दिल्ली हेतु बिना परमिट चल रही डग्गामार बसों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र सिंह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

मा0 लोकेन्द्र सिंह नहीं हैं।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नगर, नादरगंज के सीपेट इन्स्टीट्यूट के समीप स्थित रुस्तम विहार कालोनी की सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज गुप्ता द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य (व्यपगत)

श्री अध्यक्ष–

मा0 पंकज गुप्ता नहीं हैं।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 09 बजकर 12 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 18 मार्च, 2015

नत्थी 'क'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ संख्या 215 एवं 224–225 पर)

मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार परिवहन विभाग, उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) तथा उद्योग विभाग (खाने और खनिज) की अनुदान पर चर्चा जो मा0 सदस्य चर्चा में भाग न ले सके उन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वह संलग्न हैं :–

श्री राकेश बाबू–

महोदय, आज दिनांक 18–3–2015 को श्रम विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया गया है। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद–फिरोजाबाद में कांच उद्योग के अन्तर्गत आने वाले तमाम कार्यों में 5 लाख से अधिक मजदूर कार्य करते हैं लेकिन आज वहां के कांच उद्योग में लगे मजदूरों के लिये कोई भी कल्याणकारी योजना आज तक लागू नहीं की गयी है जिससे वहां पर लगे कांच के मजदूरों के सामने तमाम जीवन में संकट बने रहते हैं। कांच के कार्यों में लगे मजदूरों को तमाम बीमारियां उत्पन्न होती हैं जिसके इलाज की कोई भी सही व्यवस्था नहीं है। महोदय मैं फिरोजाबाद जनपद में कार्यरत कांच के कार्यों जैसे चूड़ी जुड़ाई, सदाई, कटाई, पैकिंग, लिल, मुड़ाई पकाई व पकाई भट्टी पर कार्यरत मजदूरों, कांच के सामान के कार्य में कार्यरत मजदूरों व सभी प्रकार के कांच के कार्यों में लगे मजदूरों के लिये 5 लाख की बीमा योजना व सैस के अन्तर्गत निर्माण मजदूरों को मिलने वाली सारी कल्याणकारी योजना लागू करने की बजट में व्यवस्था करने की कार्यवाही सरकार करेंगी व समय–समय पर जब इन मजदूरों को धन की जरूरत पड़ती है तो ये ब्याज माफियाओं के पास 10ः से 20ः की ब्याज पर धन ऋण के रूप में लेने के लिये मजबूर होना पड़ता है। अतः ये आपके माध्यम से कृषि क्रेडिट कार्ड की तरह कांच श्रमिक कार्ड योजना स्वीकृत करने की मांग सरकार से करता है तथा मैं इनके इलाज के लिये स्वास्थ्य स्मार्ट कार्ड की योजना चालू करने की सरकार से बजट में प्रावधान की मांग करता हूं तथा इनको रहने के लिये सभी सुविधाओं से युक्त आवासीय कालोनी बनाने की सरकार से मांग करता हूं। अतः माननीय अध्यक्ष जी उपरोक्त कांच श्रमिकों की मांग में माननीय श्रम मंत्री से मांग करते हुए बजट में प्रावधान की मांग करते हुए कांच श्रमिकों के लिये कल्याणकारी योजना लागू करने की मांग सरकार से करता हूं। धन्यवाद।

श्री सत्यवीर मुन्ना–

महोदय, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग के बजट के समर्थन में हम मा0 मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट और उनमें उल्लिखत योजनाओं का स्वागत करते हैं। मान्यवर, हमारे विधान सभा सोरांव के अन्तर्गत टाउन एरिया मऊआइमा एवं प्रसिद्ध बुनकर बाहुल पावरलूम उद्योग का क्षेत्र है जिस हेतु मुबारकपुर की तर्ज पर विपणन केन्द्र स्थापित किये जाने का आग्रह करता हूं जिससे बुनकर भाइयों को बहुत बड़ा व्यापारिक लाभ प्राप्त होगा। साथ ही कम से कम 16 घण्टे और अधिकतम 22 घण्टे विद्युत आपूर्ति सहित पृथक फीडर स्थापित किये जाने तथा पृथक 33/11 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग करते हुए जनेश्वर मिश्र राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना तथा बुनकरों हेतु

सवास्थ बीमा योजना व पावरलूम बुनकरों हेतु सौर्य ऊर्जा परिचालन योजना सहित पावरलूम बुनकरों हेतु विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना की सराहना करते हुए मा0 मंत्री जी द्वारा विभागीय बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सीमा–

मा0 अध्यक्ष विधान सभा, उ0प्र0, लखनऊ।

महोदय, पर्यावरण पर निम्न बातों को जोड़ दिया जाय।

1–विद्यालयों में बच्चों के माध्यम से नाटक, नौटंकी, फेरी आदि के माध्यम से वृक्ष लगाने एवं बचाने के लिए उत्प्रेरित की जाय।

2–नर्सिंग होमों, प्राईवेट अस्पतालों में आप्रेशन के बाद निकलने वाली गन्दी बस्तुओं का समुचित निस्तारण के लिए कोई योजना बनाई जाये। सतहरिया मुंगरावादशाहपुर जौनपुर से कृष्णा नर्सिंग होम में व्यापक गन्दगी है। कृपया उचित कार्यवाही करने की कृपा करें।

परिवहन निगम के बजट पर चर्चा

श्री राजीव गुम्बर–

मान्यवर, प्रदेश की 30 करोड़ जनता हेतु परिवहन निगम के पास मात्र लगभग 7500 बसें है। वर्ष 2009–10 से 2013–14 के बीच 4288 बसे खरीदी गयीं और 4076 बसें बेची गयीं केवल 212 बसें बढ़ायी गयीं। परिवहन निगम की बसें खराब हालत में हैं इसलिये यात्री उसमें सफर न करके प्राइवेट व अन्य राज्य की बसों में सफर करना पसन्द करते हैं। सहारनपुर में भी प्रदेश की नीतिनुसार नगर निगम बनने के कारण नगर बस सेवा चलायी जायें और सहारनपुर नगर बीच स्थित बस अड्डे व डिपों को स्थानान्तरित कराया जाये।

निगम के पास 1971–72 में 4253 बसे थीं और 44 साल बाद केवल 7466 बसें है। जोकि बहुत कम हैं। निगम के पास बसें नहीं हैं और केवल सहारनपुर व मेरठ, मुजफ्फरनगर के अन्दर राष्ट्रीकरण योजना के तहत लगभग 300 प्राइवेट बसों के परमिट कैंसिल हो गये और इन मार्गों में सहारनपुर–झबेरडा, मुजफ्फरनगर व अन्य मार्गों के यात्री बसें न मिलने के कारण भटक रहे हैं और आंदोलनरत हैं। सहारनपुर निगम बस अड्डे पर न तो सही प्रतिक्षालय है और न ही सुविधायें हैं। कृपया उपरोक्त मार्गों पर बसें चलायी जायें और यदि बसें उपलब्ध न हों तो प्राइवेट बस आपरेटर को परमिट प्रदान कर यात्रियों को सुविधायें दिलायें और निगम बस अड्डे पर भी सुविधायें करायें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय–

महोदय, आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार 'पर्यावरण के बजट' पर मैं अपना वक्तव्य लिखित प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे आपके आदेशानुसार उ0प्र0 विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित कराने की कृपा करें।

वक्तव्य

पर्यावरण मानव जीवन ही नहीं प्राणी मात्र से जुड़ा सीधा विषय है। ऐसे गम्भीर विषय और विस्तृत कार्य वाले विभाग का बजट लगभगा सवा दस करोड़ निश्चित करना ही सरकार की अगंभीरता को दर्शाता है। पर्यावरण का बिगाड़ मानव जनित प्रदूषण और प्राकृतिक जनित कारणों से होता है।

प्रदूषण का और मानव स्वास्थ्य में विलोमानुपात है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिये जहां जन जागृति आवश्यक है वहीं शासन का संकल्प और प्रशासनिक ईमानदारी भी जरूरी है।

प्रदूषण रोकने के लिये कई बार बेरोजगारी और मुखमरी से जुड़ना प्रशासनिक भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अतः ऐसे उद्योग जो सघन बस्तियों में प्रदूषण फैलाते हैं उनको कहीं दूरस्थ स्थापित करने की योजना सरकार बनाये तथा ऐसे संसाधन उपलब्ध करायें, जिससे वह उद्योग बंद न हों। जैसे आगरा का पेठा उद्योग। इसके लिये सरकार बायोफ्यूल भट्टी स्थापना हेतु अनुदान दे। ग्रीन सब्सिडाईज्ड गैस की व्यवस्था करें।

नदियों के प्रदूषण रोकने के लिये उनकी सफाई की व्यवस्था करे। आगरा की यमुना नदी जो किसी समय हाथी डुबान पानी रखती थी, आज पैदल मार्ग बन गई। उसमें इतना कूड़ा करकट जमा हो गया है कि मात्र दो–तीन फुट पानी जमा रहता है बाकी शिल्ट जमा है। अगर शहरी क्षेत्र में यमुना नदी की सफाई करा दी जाये तो न सिर्फ पानी ही शुद्ध होगा बल्कि भू–गर्भ जलस्तर भी बढ़ेगा।

ट्रीटमेंट प्लांट में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त कर उनका सुचारु और नियमित संचालन डाई–आक्साईड एवं सल्फर डाई–आक्साईड गैस मानव जीवन के लिये घातक हैं। अतः शहर में नालों का पटाव तथा उनके किनारे सघन वृक्षारोपण हो।

मैं कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमरपाल शर्मा–

साहिवाबाद विधान सभा के अन्तर्गत कोशाम्बी महाराजपुर बस अड्डें का निर्माण कराने का कष्ट करें। वहां से सभी जगह को बस जाती हो और बस अड्डे का न होने की बजह से सड़क पर जाम लगा रहता है।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा–

मा0 अध्यक्ष जी आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि जनपद आगरा में डग्गेमार वाहन काफी संख्या में संचालित हैं और रोडवेज के आई0एस0वी0टी0 से सैकड़ों बसों का संचालन डग्गेमारी के रूप में माफियायों द्वारा किया जा रहा है। आगरा से इटावा मार्ग पर रोडवेज बसों की तरह प्राइवेट वसों का संचालन किया जा रहा है जिसके कारण राजस्व की क्षति तो हो ही रही है साथ ही साथ दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि रोक लगाने की आवश्यकता है तथा मेरे विधान सभा क्षेत्र की तहसील खेरागढ़ में रोडवेज का बस स्टैण्ड स्वीकृत हो चुका है लेकिन अभी तक निर्माण नहीं हो पाया है। मेरी मांग है शीघ्र निर्माण कराकर बस स्टैण्ड को चालू कराया जाये तथा मा0 अध्यक्ष जी मेरे क्षेत्र में पहेल सैंथा से लाइखेड़ा होते हुए बृथला तक रोडवेज बस का संचालन होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है।

इसलिए जनहित में ग्रामीण जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सैंथा से लाइखेड़ा होते हुए बृथला एवं इरादतनगर तक कम कम दो या तीन बसों का संचालन कराया जाये। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री राकेश बाबू–

महोदय, आज मुझे परिवहन के बजट पर बोलने का मौका दिया है। उसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। महोदय, परिवहन मंत्री जी ने अपने परिवहन बजट में काफी बातें रखीं हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से फिरोजाबाद जनपद में फिरोजाबाद से कोठला होते हुए एका तक व फिरोजाबाद से जेल तक व फिरोजाबाद से घरिहा व घरिहा से रायला होते हुए धवागण तक परिवहन विभाग से सिटी बसों को चलाने की मांग रखता हूं। महोदय, आज काफी यात्रियों की संख्या बढ़ चुकी है लेकिन उपरोक्त मार्ग पर अभी तक प्राईवेट बसों , मालिकों का कब्जा है जो यात्रियों को 15 मिनट का रास्ता 3 घण्टे में पहुंचाने का काम करते हैं। अतः माननीय अध्यक्ष में आपके माध्यम से माननीय मंत्री से उपरोक्त मार्गों पर सरकारी सिटी बसें चलाने की मांग सरकार से करता हूं।

श्री राजेश त्रिपाठी–

आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने परिवहन विभाग के बजट पर विपक्ष द्वारा कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए अनुमति दिया।

मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करा रहा हूं कि गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज में नेशनल हाईवे 29 पर बस स्टेशन का निर्माण हुआ है परन्तु उसकी स्थिति रख–रखाब के कारण दयनीय है। उसे ठीक कराने की बजाय उसे मऊ जनपद से अटैच कर दिया गया जबकि वह गोरखपुर जनपद से जुड़ा है। यह हमारे जनपद के साथ अन्याय है। कृपया उसे वापस गोरखपुर जनपद में ही रहने दिया जाये। अन्यथा जिला बदलने से कई तरह की समस्यायें उत्पन्न होंगी।

दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां गोला तहसील मुख्यालय से जनपद गोरखपुर मुख्यालय तक परिवहन विभाग की बसें नहीं चलती हैं। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अगर वाराणसी इलाहाबाद को जाने वाली बसों में से 2–4 बसों को सुबह–शाम तहसील मुख्यालय गोला होते हुए बड़हलगंज नेशनल हाईवे से चलाया जाये। जिससे तहसील मुख्यालय जनपद से जुड़ जायेगा और तहसील मुख्यालय से बनारस और इलाहाबाद से भी जुड़ जायेगी।

मा0 अध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से गोला तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन बनाने की पत्रावली लम्बित है। हमारी मांग है कि शीघ्र गोला तहसील मुख्यालय पर बस स्टेशन का निर्माण कराया जाये।

श्री रामहेत भारती–

मैं आपका आभारी हूं कि आपने लो0नि0वि0 जैसे महत्वपूर्ण विभाग बजट पर माननीय धर्मपाल सिंह द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर मैं माननीय लो0नि0 मंत्री जी के द्वारा बजट में ग्रामीण सड़कों, गैर जिला मार्ग सड़क व सेतुओं के निर्माण कराये जाने का जो बखान किया है इस सम्बन्ध में मैं अपने

निर्वाचन क्षेत्र 147 हरगांव की कुछ क्षतिग्रस्त व जर्जर सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के निर्माण न कराये जाने की तरफ आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

मान्यवर, हमारे निर्वाचन क्षेत्र हरगांव में केसरीगंज से लगुचा लखीमपुर खीरी रोड सन् 2012 से खुदा हुआ पड़ा है विभाग द्वारा बड़े–बड़े नुकीले पत्थर डाल दिये गये तबसे आज तक उखड़ा पड़ा है काफी दुर्घटनायें हो चुकी हैं, जानें जा चुकी हैं। मान्यवर 15–03–15 की शाम को बरसात हो रही थी कटेसर निवासी शिवभगवान अपने बेटे के साथ जा रहे थे मोटर साइकिल स्लिप हो गयी पीछे से ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी शिव भगवान का बेटा मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि शिव भगवान लखनऊ ट्रामा सेंटर में भर्ती है।

माननीय अध्यक्ष जी नवीनगर से मदकर रोड अत्यन्त क्षतिग्रस्त है चलना मुश्किल है जबकि विधान सभा प्रश्न के उत्तर 2015 के 2सरे बुधवार के अतारंकित प्रश्न सं0 1 में उत्तर दिया गया है कि रोड को पैचलेस कर गड्ढामुक्त कर दिया गया है जबकि मदकर रोड पर चलना मुश्किल है पिपरिया गांव तथा शाहपुर शेखनापुर के पास रोड तालाव में तबदील हो गयी है ऐसा उत्तर असत्य उत्तर बनाने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें। मान्यवर ग्राम दोनवा, घर पिलाई गहबड़ा, दण्डपुरवा ब्लाक बेहटा तथा आंवा लेनिपुरवा, कोठीपुरवा, ब्लाक हरगांव की ददवारा राजेपुर से खंदरापुर लंधनिया तक जिला योजना में स्वीकृत होना स्वीकार होने के बाद भी वित्तीय संसाधन की कमी कहकर धन न देना पक्षपात है। इसी प्रकार छोटी झवरी–बड़ी झबरी ब्लाक हरगांव का टेण्डर होने के वाद भी नहीं बनवायी गयी। मान्यवर ढोलईकला फर्रकपुर सम्पर्क मार्ग तथा धरनाम नेवादा फर्रकपुर तक क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक करायें।

श्रीमती आराधना मिश्रा ''मोना''–

आदरणीय अध्यक्ष जी,

यह मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे एक ऐसे विभाग के बजट पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है जिस विभाग के प्रभारी मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव जी के कुशल नेतृत्व की स्पष्ट छाप दिखती है। उनका अनुभव, उनकी दूरदृष्टि और प्रदेश को विकसित आधुनिक प्रदेश बनाने की ललक स्पष्ट दिखाई पड़ती है। मात्र 3 साल में ही प्रदेश की वह सड़कें जिन पर चलना मुश्किल था, आज वे सड़के प्रदेश के यात्रियों को सुविधाजनक मार्ग के रूप में सुलभ हो गयी है। आज केन्द्र सरकार की सड़कें, जिन पर चलना मुश्किल हो रहा है वहीं प्रदेश सरकार की सड़कें उनसे बेहतर है। एक तरफ केन्द्र सरकार की सड़कें एक ओर से बनती है तो दूसरी ओर से टूटना शुरू हो जाती है, वहीं प्रदेश सरकार की सड़कें जो बन रही है वे मजबूत सड़कों के रूप में सामने आ रही है और उनमें गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा गया है।

मेरे अनुरोध पर उन्होंने मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न श्रोतों से 4 सड़कें दी है, जिनके लिए मैं उनकी आभारी हूं, वे जो आदेश करते हैं उसका क्रियान्वयन हो जाता है, उनके नेतृत्व में विभाग ने भी अच्छे कार्य किये है, उसे अलग पहचान मिली है। सेतु निगम समयबद्ध ढंग से पुल बना रहा है, निर्माण निगम द्वारा अच्छे एवं सराहनीय कार्य किये जा रहे है।

मैं एक बार पुनः बहुत–बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने प्रदेश को बदहाली से निकाल लिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी की भी मैं आभारी हूं जिन्होंने इस वर्ष लोक निर्माण विभाग को अधिक बजट दिया है। वहीं प्रदेश विकास करता है जिसका इन्फ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है। च्एडण्ळण्ण्ल्ण की सड़कों पर जो केन्द्र सरकार की है और जिनके लिये इस वित्तीय वर्ष में धन आवंटित न करके उत्तर प्रदेश के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया है उसकी मैं आलोचना करती हूं।

अन्त में मैं माननीय मंत्री जी के कार्यों की सराहना एवं प्रशंसा करते हुस आशा करती हूं कि आने वाले वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश की सड़के और भी अधिक बेहतर होगी।

आभारी हूंगी यदि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के निम्नांकित सड़कों का सौन्दर्यीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (चौड़ीकरण) जनहित में कराने की कृपा करेंगे :–

1–लालगंज, भवराम बोझी, पहाड़पुर मार्ग 5.00 किमी0

2–भटनी, केदौरा, नरायनपुर मार्ग 5.00 किमी0

3–अठेह, कुम्भीआईमा उमरार, जरियारी मार्ग 5.00 किमी0

4–बबुरिहा (नरायनपुर) में पुल निर्माण

5–लोक निर्माण गेस्ट हाउस, लालगंज का आधुनिकीकरण

6–लोक निर्माण गेस्ट हाउस, अठेहा का आधुनिकीकरण

7–मेरे निर्वाचन क्षेत्र में निर्मित त्वरित आर्थिक विकास योजना की सड़कों का नवीनीकरण।

श्री रामचन्द्र यादव–

महोदय,

आपने मुझे लोक निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर जो मा0 धर्मपाल सिंह उपनेता बी0जे0पी0 द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। श्रीमन् जनपद फैजाबाद विधान सभा क्षेत्र रूदौली की जिला योजना में सड़कों की स्वीकृति विगत वर्ष 2012–13, 2013–14 व 2014–15 में जिला योजना समिति से अनुमोदन के बाद भी जारी नहीं की गयी, जबकि जिले की अन्य विधान सभाओं में करोड़ों रुपया आवंटित किया गया। यह दोहरा मापदण्ड सरकार की सर्वागींण विकास की नीति का आइना है। मेरे क्षेत्र के नवनिर्माण, अधूरी सड़कों का निर्माण तथा जर्जर व अति क्षतिग्रस्त मार्गों पर निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव पी0डब्लू0डी0 मुख्यालय में लम्बित पड़े हैं जिन पर अभी तक तीन वर्ष बीतने के बाद भी धन आवंटित नहीं किया गया है। सुजानगंज से कैथी सम्पर्क मार्ग, भेलसर–टिकैत नगर मार्ग हलीमनगर हाता, ममरेजनगर पसहिया मार्ग, भेलसर–रूदौली बाबा बाजार मार्ग, रूदौली अमानीगंज मार्ग, रूदौली नयागंज–ऐहार–सुधारपुर मार्ग, रूदौली–सैदपुर–कसारी मार्ग, बाबा बाजार–रामपुर–कामाख्या देवी मन्दिर मार्ग, उमापुर–दुल्लापुर मार्ग से रामपुर जनक–नौगवांडही–हंसराजपुर रामगढ़ा मार्ग, शेरपुर–द्वारिकापुर–मल्लहनपुरवा मार्ग,

विगनिया पुल से नेवाजपुर–न्यौरा पुल तक सम्पर्क मार्ग, एन0एच0 28 मियापुरवा से नेवादा सम्पर्क मार्ग, मवई पटरंगा अलियाबाद मार्ग, रूदौली अमहटा सम्पर्क मार्ग, रूदौली गौरियामऊ एन0एच0 28 सम्पर्क मार्ग, पारा पहाड़पुर सम्पर्क मार्ग, शुक्लापुर सम्पर्क मार्ग, दुल्लापुर–न्यौरा–उमापुर सम्पर्क मार्ग, सहित कई दर्जन ग्रामीण मार्ग, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जिन पर मरम्मत का कार्य 10 वर्षों से नहीं कराया गया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र के सभी क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत हेतु तत्काल सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दें, धन आवंटित कर मार्गों का निर्माण पूर्ण कराया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में गोमती नदी पर किशनी घाट व विगनिया घाट पर कई बार पुल के न होने से नाव डूबने से दर्जनों मौंते हो चुकी है। दोनों घाटों पर पुल के निर्माण की मांग कई वर्षों से की जा रही है। वर्तमान बजट में प्राविधान कर दोनों पुलों के शीघ्र निर्माण हेतु आपके माध्यम सरकार से मांग करता हूं। मड़हा नाले पर बेतौली के पास, चकपुरवा सुल्तानपुर मार्ग पर भंवरिया नाले पर तथा कल्यानी नदी के अनार पट्टी घाट पर पुल के निर्माण हेतु मेरे द्वारा विगत वर्ष प्रस्ताव भेजा गया था जो मुख्यालय सेतु निगम लखनऊ में लम्बित है। यह सभी पुल अति महत्वपूर्ण है। वर्तमान बजट में इसकी व्यवस्था कर पुलों के निर्माण कार्य हेतु मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं। अन्त में मैं मा0 उपनेता बी0जे0पी0 श्री धर्मपाल सिंह के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री कुंवर कौशल सिंह–

मान्यवर,

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए प्रस्तुत लोक निर्माण के बजट पर कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र–नौतनवा, जनपद–महराजगंज में इण्डो–नेपाल की सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। बरगदवां बाजार से नौतनवां 20.00 कि0मी0 और सोनौली से कुल्हुई तक 17.00 कि0मी0 बार्डर से 500 मीटर की परिधि की दूरी पर आपकी पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़क है। जब यहां पर पहले से एक सड़क मौजूद है, तो उसी का चौड़ीकरण करवाने का कष्ट करें और सोनौली में बाईपास अत्यन्त आवश्यक है। इसको बनवाने का कष्ट करें। इन्डो–नेपाल के बाकी पैसे से हमारी विधान सभा क्षेत्र की सड़कों को सुसज्जित करने का कार्य किया जाय। मेरे द्वारा दिनांक 25–11–2014 को नियम–51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी थी कि लोक निर्माण विभाग की जमीन को राजीव गांधी महाविद्यालय, नौतनवां के प्रबन्धक द्वारा कब्जा कर लिया गया है। विभाग के जवाब में 10–02–2015 की तिथि उक्त अवैध कब्जे को खाली कराने हेतु दी गयी। अभी तक उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। प्रकरण जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना जनहित में अति–आवश्यक है। इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

डा0 आर0के0 वर्मा–

विषयः–जनपद प्रतापगढ़ के किसानों की फसलों को ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति (मुआवजा) हेतु अतिवृष्टि, ओलावृष्टि राहत क्षेत्र में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर,

आपसे सादर अनुरोध है कि विगत सप्ताह प्रदेश में हुई असामयिक अतिवृष्टि व ओलावृष्टि से प्रतापगढ़ के किसानों के फसलों की भारी क्षति हुयी है। किन्तु मान्यवर प्रतापगढ़ को अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि राहत क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है।

महोदय, आपसे अनुरोध है कि जनपद प्रतापगढ़ के जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाना चाहिए थी किसानों की फसलों की क्षति का आकलन तैयार किया जाय जिससे पात्र किसानों की क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके। जो जनहित में है।

अतः महोदय जी जनपद प्रतापगढ़ को अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि राहत क्षेत्र में शामिल किया जाय।

पी0एस0यू0पी0–एल0 84 विधान सभा (146)–13–8–2015–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।